लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र]

Ninth Session

[खंड 34 में अंक 11 से 20 तक हैं]
[Vol. XXXIV contains Nos. 11 to 20]

लोक–सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

3 दिसम्बर, 1969 12 अग्रहायण , 1891 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
(iii)	ऊपर से तीसरी पंक्ति में ' Finance ' t के स्थान पर ` France ` पढ़िये ।
(XIV)	प्रश्न संख्या 2528 ` Nank and ` के स्थान पर 'Nankana पढ़िये ।
XVIII	के निम्न प्रश्न संख्याओं के शुरू में 25 ` भी पढ़िये ।
13	ऊपर से तीसरी पंक्ति में ` देवव्रत ` के स्थान पर ` वेदव्रत ` पढ़िये ।
31	नीचे से पंक्ति 5 , ` बुराव ` के स्थान पर ` बाबुराव पटेल ` पढ़िये ।
33	नीचे से दूसरी पंक्ति में ` प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल.ना. मिश्र ) ` के स्थान पर ` प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री ` श्री मं.र.कृष्ण ` पढ़िये ।
37	नीचे से 11 वीं पंक्ति में 2201। 59 के स्थान पर 2201।69 पढ़िये ।
43	पंक्ति 10 , 2203 ।66 ` के स्थान पर 2203।69 पढ़िये ।
43	नीचे से पंक्ति 3 , ` 2404 । 69 ` के स्थान पर 2204।69 पढ़िये ।

पृष्ठ संख्या		शुद्धि
76		पंक्ति 5 , `55.19 ` के स्थान पर `59.19 `पढ़िये ।
86		नीचे से पंक्ति 9 , `वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री व.राव. भगत ) ` के स्थान पर `वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक `) पढ़िये ।
95		प्रश्न संख्या 2529 में `श्री चंद गोयल ` के स्थान पर `श्रीमती इलापाल चौधरी `पढ़िये ।
97		प्रश्न संख्या `2530 `के स्थान पर `2536 `पढ़िये ।
100		ऊपर से पंक्ति 6 , `55855 `के स्थान पर `55585 ` पढ़िये ।
104		पंक्ति 11 `2248 `के स्थान पर `2548 `पढ़िये ।
	नीचे से	पंक्ति 4 , `सोन ` के स्थान पर सेना `पढ़िये ।
108	नीचे से	पंक्ति 10 `48 `` स्थान पर `38 `पढ़िये ।
110		नीचे से पंक्ति 3 , `35596 `के स्थान पर `35396 `पढ़िये ।
140		नीचे से पंक्ति 7-8 के बीच निम्नलिखित पढ़िये : `श्री रा.कृ.सिन्हा द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण के बारे में ` पढ़िये ।

विषय–सूची/CONTENTS

अंक 13, बुद्धवार, 3 दिसम्बर, 1969/12 अग्रहायण, 1891 (शक)

No. 13, Wednesday, December , 3 1969/Agrahayana 12, 1891 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
361	विद्रोही नागा	Naga Rebels ...	1–3
362	भारत में 'अल फतह' आंदोलन के उद्देश्य तथा गतिविधियां	Objectives and Activities of 'Al Fatha' Movement in India ... —	3–6
363	एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग के मंत्रियों की एशियाई परिषद्	Asian Council of Ministers of ECAFE	6–10
365	इंजीनियरी माल का निर्यात	Export of Engineering Goods	10–14
366	रबड़, चाय और इलायची बोर्डों में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व	Representation of Labour on Rubber, Tea and Cardamom Boards ... —	14 15
367	चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रकृतिजन्य कच्ची रेशम के उत्पादन का लक्ष्य	Targets for production of Natural raw silk during Fourth Five Year Plan ...	15–17

प्रश्नों के लिखित उत्तर/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS.

ता. प्र. सं./S.Q.Nos.

364	गैर-सरकारी उर्वरक कम्पनियों द्वारा उर्वरकों का आयात	Import of fertilizers by Private Fertilizer Companies	18

---

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

368	दालों के निर्यात से प्रतिबन्ध हटाना	Removal of Ban of Export of Pulses... ...	18
369	केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा केन्द्रीय मंत्रियों के विरुद्ध जांच	Enquiry by Central Bureau of Investigation against Union Ministers	19
370	कपास के मूल्य का निर्धारण	Fixation of Cotton Price	19
371	विदेशों में पूंजी विनियोजन करने वाले भारतीय विनियोजकों को राजनीतिक खतरों से गारंटी	Guarantee to Indian Investors investing abroad against political risks	19–20
372	कुछ योजना कार्यों के लिए अधिशेष राजस्व का प्रयोग	Use of Revenue Surpluses for certain plan activities	20
373	राष्ट्रीय और प्रतिव्यक्ति आय	National and Per Capita Income	20–21
374	चौथी योजना का प्रारूप पुनः तैयार करना	Re-drafting of Fourth Plan	21
375	संसद सदस्यों द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना में परिवर्तनों की मांग	Demand by Members of Parliament for changes in Fourth Five Year Plan	21–22
376	उड़ीसा में पटसन मिल	Jute Mill in Orissa	22
377	ऊनी तकुओं को आयातित ऊन का आवंटन	Allocation of Imported Wool to Woollen Spindles	22–23
378	देश में रेड़ियो सेटों का निर्माण	Indigenous Manufacture of Radio Sets ...	23
379	भारत में भारी पानी की खपत	Consumption of Heavy Water in India ...	23–24
380	पाकिस्तान को लौह अयस्क की सप्लाई	Supply of Iron Ore to Pakistan	24
381	सूती धागे के मूल्यों में वृद्धि	Rise in Prices of Cotton Yarn	24

ता.प्र.संख्या/S. Q. Nos./विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
382 परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबन्ध सम्बन्धी संधि के बाद रूस, अमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा परमाणु परीक्षण	Nuclear Tests by U. S. S. R., U. S. A. U. K. and Finance after Nuclear Test Ban Treaty	24-25
383 संयुक्त राष्ट्र संघ में वियतनाम समस्या को सुलझाने के लिए भारतीय प्रस्ताव	Indian proposal for solution of Vietnam problem in U.N.O. ...	25 26
384 पूर्वी उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग	Handloom Industry in Eastern U.P... —	26
385 एक भारतीय राजनयिक द्वारा मैडम स्वेतलाना के बच्चों को पत्र वितरित न किया जाना	Non-delivery of Letter to Madam Svetian's Children by an Indian Diplomat ...	27
386 भारत का व्यापार सन्तुलन तथा भुगतान शेष	India's Balance of Trade and Balance of Payments ... —	27–28
387 पूर्वोत्तर क्षेत्र में नये उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में पटेल आयोग की शिफारिशें	Patel Commission's Recommendations re. setting up of new Industries in North Eastern Region	28
388 पाकिस्तान के लिए रूस से हथियार	Russian Arms for Pakistan ...	28
389 दक्षिण अफ्रीका द्वारा दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका से अपना प्रशासन हटाने से इंकारी	Refusal by South Africa to withdraw administration from South West Africa ...	29
390 भारत-अमरीका द्विपक्षीय वार्ता	INDO-US bilateral Talks	29
अता.प्र. सं./U.S.Q.Nos.		
2401 कम्बोडिया में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग पर ऋण भार	Financial Indebtedness of I. C. C. in Cambodia	30

2402	नागालैण्ड में सैनिक कार्रवाई स्थगित करना	Suspension of Operation in Nagaland ..	30
2403	वाशिंगटन में भारतीय दूतावास में पदों की बहाली	Revival of Posts in Indian Embassy in Washingtion ...	31
2404	अमरीका, रूस, चीन, ईरान तथा तुर्की द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई	Arms Supplied to Pakistan by U.S.A., U.S.S.R., China, Iran and Turkey	31–32
2405	सर्वश्री एस. एम. वाही, के. एम. वाही और आर. एम. वाही के विरुद्ध न्यायालयों में विचाराधीन मामले	Court cases pending against Sarvashri S. M. Wahi, K.M. Wahi and R. M. Wahi ...	32
2406	मोटरगाड़ियों का निर्यात	Export of Automobiles	33
2407	उत्तर प्रदेश छावनी (किराया तथा बेदखली नियंत्रण) अधिनियम, 1952	Uttar Pradesh Cantonments (Control of Rent and Eviction) Act, 1952	33–34
2408	तत्काल तैयार होने वाला (इन्सटेंट) भोजन का निर्यात	Exports of Instant Food	34
2409	मद्रास में परमाणु संयंत्र के लिए उपकरण	Equipment for Atomic Plant, Madras	34–35
2410	बढ़िया बीजों का निर्यात	Export of Quality Seeds	35
2411	नेपाल, बर्मा तथा श्रीलंका को निर्यातित तथा वहां से आयातित माल	Goods Exported and Imported from Nepal Burma and Ceylon	35–36
2412	चौथी पंचवर्षीय योजना में रबड़ का उत्पादन लक्ष्य	Target of production of Rubber during Fourth Five Year Plan	36

2413	पत्रिकाओं के माध्यम द्वारा विदेशों में भारत का सही चित्र प्रस्तुत करना	Projecting correct image of India through Journals in Foreign Countries .. —	36–37
2414	इमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों की राष्ट्रीय छात्रसेना दल में पुनः नियुक्ति	Emergency Commissioned Officers Re-employed in N. C. C.	37
2415	प्रधानमंत्री की रांची यात्रा पर हुआ व्यय	Expenditure incurred in Prime Minister's visit to Ranchi ... —	37–38
2417	हिमाचल प्रदेश में एक सैनिक स्कूल खोलना	Opening of Sainik School in Himachal Pradesh	38
2418	डा० तेजा का प्रत्यर्पण	Extradition of Dr. Dharma Teja	39
2419	खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड के कर्मचारियों में असन्तोष	Discontentment among staff of Minerals and Metals Trading Corporation	39
2420	दक्षिण रोड़ेशिया के विरुद्ध कार्यवाही	Measures against South Rhodesia ... —	39–40
2421	चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को अन्तिम रूप देने के लिए राज्यों के साथ विचार विमर्श	Talks with States for Finalisation of Draft Plan	40
2422	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिए संसाधनों की व्यवस्था करने हेतु अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन	Conference of Economists for providing resources for Fourth Five Year Plan ...	40–41
2423	एल्युमीना, एलुमिनियम की छड़ें तथा एल्युमीनियम के ढ़ांचों का निर्यात	Export of Alumina, Aluminium Ingots and Aluminium Fabrications	41–42
2424	मैसर्स रोनक एण्ड कम्पनी दिल्ली द्वारा निर्यात और आयात के कम तथा अधिक राशि के बीजक बनाये जाना	Under and over-invoicing of Export and Import by M/s. Raunaq and Co. Delhi ..	42

2425	पूर्ति तथा निपटान, महानिदेशालय द्वारा माल का आयात	Imports of Goods by Directorate General of Supplies and Disposals	42–43
2426	लोहे का निर्यात	Iron Exports	43
2427	पटसन उद्योग की समस्याओं सम्बन्धी सलाहकार समिति	Cor sultation Committee on problems of Jute Industry	45
2428	चीन द्वारा परमाणु विस्फोट	Nuclear Explosion by China ...	43–44
2429	पूर्वी पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों को जबरदस्ती निकाला जाना	Squeezing out of Minorities of East Pakistan	44–45
2430	विद्रोही नागाओं द्वारा चीन में वायु सेना कार्यवाही के प्रशिक्षण की प्राप्ति	Naga Hostiles receiving Training in Air Force Operation in China	44
2431	भारत और जापान के बीच बातचीत	Discussion between India and 7apan... ...	45
2432	भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार वार्ता	Indo-Ceylon trade talks	46
2433	व्यापार सलाहकार परिषद की बैठक	Meeting of Advisory Council of Trade ...	46
2435	कलकत्ता में प्रतिरक्षा उत्पादन परियोजनायें	Defence Production Projects in Calcutta	46–47
2436	चीन के साथ सम्बन्ध सुधारना	Rapproachment with China	47
2437	अमरीका के विदेश मंत्री की पाकिस्तान के मंत्री के साथ वार्ता	Foreign Minister's talks with Pakisthan Minister in U. S. A.	48
2438	विद्युत करघा जांच आयोग का प्रतिवेदन	Report of Powerloom Enquiry Commission...	48–49
2439	चीन के साथ बातचीत	Dialogue with China ...	49–50

2440	भारत में विदेशी अड्डे	Foreign Bases in India	50
2441	रूसी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के उत्पादों के लिये निर्यात बाजार ढूंढ़ने के लिए भारत-रूस संयुक्त समिति	Indo-Soviet Joint Committee to find Export Market for products of Sovit-aided Projects	50
2442	निर्यात की वस्तुओं के लिये धन की सहायता	Extension of Cash support for Export Items	51
2443	गियाना के भारतीयों को नागरिकता प्रदान करना	Citizenship for Guyana Indians ...	51–52
2444	पाकिस्तान द्वारा बेची गई भारतीय सम्पत्ति की क्षतिपूर्ति	Compensation for Indian Property disposed of by Pakistan	52
2435	पाकिस्तान द्वारा रूसी सैनिक सामान प्राप्त किया जाना	Acquisition of Russian Military Equipment by Pakistan	52
2446	रूस द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई	Supply of Arms by USSR to Pakistan ...	52–53
2447	रूस द्वारा पाकिस्तान को टैंकों की सप्लाई के बारे में वैदेशिक-कार्य मंत्री की बातचीत	External Affairs Minister's Talks on Russian Aid of Tanks to Pakistan	53
2448	भारत और बल्गारिया के बीच वार्ता	Indo-Bulgaria Talks	53
2449	आयात बनाये रखना	Maintenance of Imports	54
2450	1969–70 में चुने गये सांख्यकीय अनुसंधान अधिछात्र	Statistical Research Fellows selected during 1969–70	54
2451	ताशकन्द करार पर रूसी नेताओं से बातचीत	Talks with Soviet Leaders on Tashment Agreement	54–55

तारा.प्र.संख्या/U. S. Q. Nos/विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
2452 पाकिस्तान स्थित मंदिरों तथा गुरुद्वारों की संख्या जिन्हें प्रयोग में लाया जा रहा है, ताला लगा दिया गया है, या अपवित्र कर दिया गया है।	Number of Temples and Gurudwaras in Pakistan in use, locked up or desecrated.. ...	55
2453 भारत और बल्गारिया के बीच व्यापार करार	Conclusion of Trade Agreement between India and Bulgaria	55–56
2454 भारत तथा रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार में परिवर्तन	Change in bilateral trade between India and U. S. S. R.	56
2455 रूस द्वारा पाकिस्तान को दी गई सैनिक सहायता	Details of Russian Military aid to Pakistan...	56–57
2456 हिन्द महासागर में विदेशी युद्धपोत	Foreign Warships in Indian Ocean ...	57
2457 चीन तथा पाकिस्तान द्वारा अधिकृत क्षेत्रों को वापस लेना	Recovery of territories occupied by China and Pakistan ...	57–58
2458 अमरीका के राष्ट्रपति को श्री नेहरू का पत्र	Nehru's letter to American President in 1962	58
2459 भूतपूर्व उपप्रधान मंत्री के विरुद्ध जांच की मांग	Demand for an enquiry against Former Deputy Prime Ministsr ...	58
2460 मोरक्को के साथ राजनयिक सम्बन्धों का विच्छेद	Severing of Diplomatic relations with Morocco	59
2461 केरल के भारतीय नागरिकों का पासपोर्ट के बिना कुवेत जाना	Indian Citizens of Kerala going to Kuwait without Passport	59
2462 हड्डियों के चूरे का निर्यात	Export of Crushed Bones	60
2463 प्रतिरक्षा दलों का भारतीयकरण	Indianisation of Defence Forc	60–61

2464	प्रतिरक्षा सेवाओं के लिये भेजा गया मोटा चावल	Coarse Rice supplied to Defence Services ..	61
2465	वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, संकल्प तथा कार्यालय आदेश	Notifications, Resolutions and office orders issued by Foreign Trade Ministry	61–62
2466	प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा सरकारी पत्रों का हिन्दी में जारी किया जाना	Official Communications issued in Hindi by Defence Ministry	62
2467	हिन्दी में जारी किया गया सरकारी पत्राचार	Official Communications issued in Hindi ...	62
2468	हिन्दी में अधिसूचना आदि जारी करना	Issue of Notifications etc. in Hindi	62–63
2469	वर्ष 1968 के उत्तरार्ध में हिन्दी में जारी किये गये सरकारी पत्र	Official Communications issued in Hindi during the later half of 1968	63
2470	भारत और जर्मन लोक-तंत्रीय गणराज्य के बीच व्यापार का विस्तार	Expansion of Trade Between India and German Democratic Republic	63–64
2471	सूती धागे के मूल्य में वृद्धि का कपड़ा उद्योग पर प्रभाव	Effect of rise of cotton-yarn price on Textile Industry	64
2472	1970–71 के लिए वर्षिक योजना	Annual Plan for 1970–71	64
2473	नागालैण्ड में स्थिति	Situation in Nagaland	65
2474	विदेशों में भारतीय माल का प्रचार	Publicity of Indian goods abroad	65–66
2475	दक्षिण अफ्रीका में वर्ण-भेद	Apartheid in South Africa	66
2476	लाओस के प्रधान मंत्री के साथ बातचीत	Talks with Loatian Prime Minister ...	66

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

2477	चीन और पाकिस्तान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे मिजो तथा नागा विद्रोही	Mizo and Naga Hostiles receiving training in China and Pakistan	66–67
2478	पश्चिम एशिया में स्थिति सामान्य करने के लिए भारत के प्रयास	Indian efforts to Normalise West Asian Problems	67
2479	फिलिस्तीन राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन के लिए अल-फतह प्रतिनिधिमण्डल का अनुरोध	Al-Fateh request for Palestine National Liberation Movement	67
2480	सिक्यांग तथा पश्चिमी तिब्बत में रह रहे चीनी गैरिसनो को पाकिस्तान द्वारा खाद्य सप्लाई	Pakistan food supplies to Chinese Garrisons stationed in Sinkiang and Western Tibet...	67-68
2481	नेपाल से सिले हुए वस्त्रों का आयात	Import of ready-made garment from Nepal...	68
2482	पंचनलामा को राजनैतिक शरण	Asylum to Panchen Lama ...	69
2483	आयात-निर्यात व्यापार का राष्ट्रीय करण	Nationalisation of Import-Export Trade ...	69
2484	खराब टायरों की खरीद	Purchase of defective tyres	70
2485	फिजो का संयुक्त राष्ट्र संघ में नागाओं का मामला उठाने तथा वित्तीय सहायता मांगने के लिए अमरीका जाना	Phizo's visit to U. S. A. to seek financial Assistance and to raise Naga issue in UNO	70-71
2486	गुजरात तथा राजस्थान सीमाओं पर पाकिस्तानी आक्रमण का भय	Threat of Pakistan on agression oa Gujarat and Rajasthan borders	71
2487	इसरायल के साथ राजनैतिक सम्बन्ध	Diplomatic relations with Israel	72

2488	चौथी पंचवर्षीय योजना के लिऐ राज्यों के संसाधनों का निर्धारण	Assessment of States' resources for Fourth Plan	72
2489	कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र योजना के अन्तर्गत उद्योगपतियों और निर्यातकों को प्रोत्साहन	Incentive to Industrialists and Exporters under Kandla Free Trade Zone Scheme —	72-75
2490	श्रीनगर. उद्यमपुर और जम्मू को 'शांति केन्द्र' घोषित करना	Declaration of Srinagar, Udhampur and Jammu as Peace Stations	75
2491	पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत का व्यापार करार	Indias Trade Agreement with West Asian countries	75–76
2492	विदेशों में राजकीय व्यापार निगम की शाखाएं	Branches of State Trading Corporation outside India	76
2493	धोतियों और साड़ियों के उत्पादन पर नियंत्रण	Production Curbs on Dhoties and Sahis ...	76–77
2494	प्रतिरक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता	Self-sufficiency in Defence Production ...	77–78
2495	वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास की कार्य प्रणाली का अध्ययन	Study of Working of Indian Embassy at Washington	78
2496	विज्ञान तथा टेक्नॉलाजी सम्बन्धी समिति	Committee on Science and Technology ...	78–80
2497	पाकिस्तान द्वारा जब्त किये गये सामान का वापिस किया जाना	Release of Goods confiscated by Pakistan ...	80
2498	मनुष्यों के बालों का निर्यात	Export of Human Hair	80–81
2499	प्रधान मंत्री के अधीन कार्यालयों में हिन्दी में कार्य	Work in Hindi in Offices under Prime Minister	

2500	चिलका लेक में नौसैनिक प्रशिक्षण केन्द्र	Naval Training Centre in Chilka Lake ...	82
2501	लखनऊ के पास विमान कारखाने का खोला जाना	Opening of Aeronautics Factory near Lucknow	82
2502	अक्टूबर, 1969 में प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के सदस्य देशों की बैठक	GATT Meeting in October, 1969 ...	82–83
2503	बोसाका मेले के लिए पथप्रदर्शक (गाइडस)	Guides for Osaka Fair	83–84
2504	भारत स्थित चीनी दूतावास द्वारा निमंत्रण पत्र	Chinese Embassy Invitations	84
2505	शक्तिमान ट्रक	Shaktiman Trucks	84–85
2506	दमदम के आयुध कारखाने में तकनीकी कर्मचारी	Technical hands in Ordance Factory at Dum Dum	85
2507	मध्य पूर्व में नया फिलिस्तीनी राष्ट्र	New Palestinc State in Middle East	85–86
2508	बिहार सरकार द्वारा माल का निर्यात	Export of Goods by Bihar Government ...	86
2509	औद्योगिक कारखाने स्थापित करने के लिए विदेशों से करार	Agreements with Foreign Countries for setting up Industrial Plants ...	86–87
2510	परमाणु नीति में संशोधन	Revision of Atomic Policy	87
2511	भारत-लाओस व्यापार करार	Indo-Laos Trade Agreement	87
2512	"एम्बैसेडर्स जर्नल" नामक पुस्तक	Book entitled 'Ambassador's Journal' ...	87

2513	भारतीय शिष्टमंडल का पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की दशा का अध्ययन करने के लिये जाना	Indian Delegation's visit to study the Plight of Minorities of Pakistan	88
2514	मैरिना किस्म की ऊन का आयात	Import of Merino Type Wool ...	88–89
2515	राजकीय व्यापार निगम के अधिकारियों के विदेशों के दौरे	Foreign Trips by Officers of State Trading Corporation	89
2516	चीन के साथ वर्ता	Talks with China ...	89–90
2517	भारत-यूगोस्लाविया व्यापार करार	Indo-Yugoslavia Trade Pact ...	90
2519	भारत के विरुद्ध चीनी प्रचार	Chinese Propaganda against India	90–91
2520	कीनिया में रहने वाले भारतीयों पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Kenyo Indians	91
2521	पाकिस्तानी अधिकारी का अहमदाबाद आना	Pak. Officer's visit to Ahmedabad	92
2522	सीरिया को भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का दौरा	Visit of Indian Trade Delegation to Syria ...	92–93
2523	गरीबी के उन्मूलन के लिए कार्यक्रम	Programme for Eradication of Poverty ...	93
2524	अल फतह प्रतिनिधि मंडल के लिए सुविधायें	Facilities to 'Al-Fatah' Delegation	93
2525	कोचीन में विस्फोटक घाट का निर्माण	Erecting of Explosive Berth in Cochin ...	94
2526	विदेश मंत्री की पश्चिम बंगाल के उप-मुख्य मंत्री के साथ बातचीत	Foreign Ministers talks with the Deputy Chief Minister of West Bengal	94

2527	दार्जिलिंग के पास घुम में लोक निर्माण विभाग के गोदाम से डेटोनेटरों की चोरी	Theft of detonators from a P. W. D. godcwn in Ghum near Darjeeling	94
2528	गुरु नानक पंच शताब्दि समारोह के अवसर पर ननकाना साहिब में गये लोगों की संख्या	Number of Visitors to Nank and Sahib on Occasion of Guru Nanak Quin Centenary Celebrations ...	95
2529	पोलीथीलीन का आयात	Import of Polythylene	95
2530	नेपाल में भारतीय पटसन की तस्करी	Smuggling of Indian Jute into Nepal	95–96
2531	ईरान, थाईलैण्ड तथा सीरिया को रेलवे माल डिब्बों का निर्यात	Export of Railway Wagons to Iran, Thailand and Syria	96
2532	विद्रोही नागाओं का हथियार और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये पाकिस्तान जाना	Hostile Nagas erossed over to Pakistan for receiving Armaments and Training ...	96
2533	पूर्ती तथा निपटान विभाग में सहायक निदेशक	Assistant Directors in Department of Supplies and Disposal	96–97
2434	बैंकों के राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप आणविक शक्ति का विकास	Development of Atomic Energy in Wake of Bank Nationalisation ...	97
2535	हाइड्रोजन अणु को खण्ड खण्ड करना	Splitting of Hydrogeon Atom	97
2536	एक धातु के अणु को दूसरे धातु के अणु में बदलना	Conversion of Atom of One Metal into that of Another Metal	97–98
2537	बैलेस्टिक मिशाइल बनाने के लिए चीन की तैयारियां	Preparations made by Chinese for Ballistic Missiles	98

2538	भारत का पाकिस्तान तथा नेपाल के साथ व्यापार	India's Trade with Pakistaa and Nepal	98
2539	आयात तथा निर्यात के लक्ष्य	Import and Export targets —	99–100
2540	चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में मैसूर राज्य के लिए निर्धारित धन राशि	Amount Earmarked for Mysore State during First Year of Fourth Plan	100
2541	चौथी पंचवर्षीय योजना में गैर सरकारी क्षेत्र के लिये विनियोजन	Investment in Private Sector in Fourth Plan...	100-101
2542	डा० हो चि मिन की शव यात्रा में शामिल होना	Attending Funeral of Dr. Ho Chi Minh	101
2543	भारत तथा उत्तर वियतनाम के बीच व्यापार समझौता	Trade agreement between India and North Vietnam	101
2544	अर्थ व्यवस्था का विनियमन	Regulation of Economic System	101–102
2545	विकास कार्य के लिये मंत्रियों के दौरे	Tours of Ministers for Development Work..	102–103
2546	कच्चा पटसन जांच समिति	Raw Jute Enquiry Committee	103
2547	डा० मेसकारनहास की रिहाई	Release of Dr, Mascarenhas — ...	103–104
2548	कांगो में रहने वाले भारतीय	Congo Indians	104
2549	दिल्ली में इसरायली मिशन	Israeli Mission in Delhi	104
2550	प्रादेशिक सेना में लड़कों के लिए जलपान भत्ता	Tiffin allowance for boys in Territorial Army	104–105

अता.प्र.संख्या/U. S. Q. Nos./विषय Subject पृष्ठ/Pages

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.

2551	उत्तर प्रदेश कपड़ा उद्योग की समस्याओं की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति	Export Committee to Enquire into Problems of U. P. Textile Industry	105
2552	उपहार के रूप में ट्रेक्टर सम्बन्धी योजना	Gift Tractor Scheme ...	105–106
2553	नई निर्यात नीति	New Export Policy	106
2554	नागालैंड मे विद्रोही नागा	Naga Hostiles in Nagaland	106
2555	विदेशों में नौकरी ढूंढने वाले भारत के भूतपूर्व राजदूत	Indian Ex-envoys seeking employment abroad	107
2556	चोन और पाकिस्तान के साथ संघर्ष में सेना की मोटर गाड़ियों की सप्लाई सम्बन्धी दावों का निपटारा	Settlement of claims re• supply of vehicles to Military during Chinese and Pak conflict	107–108
2557	भारतीय हवाई अड्डों पर विदेशी विमानों में पुन: ईंधन भरना	Refuelling of Foreign Planes at Indian Airports	108
2558	अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई	Arms Supplied to Pakistan by U. S. A. ...	109
2559	पश्चिमी जर्मनी स्थित भारतीय दूतावास में विदेशी राष्ट्रिक	Foreign Nationals in Indian Embassy in West Germany	109
2560	पश्चिम जर्मनी में भारतीय दूतावास में विदेशी कर्मचारी	Foreign Employees in Indian Embassy in West Germany	109
2561	रूई के मूल्य का गिर जाना	Fall in Price of Cotton	110

2562	चौथी योजना में औद्योगिक तथा कृषि संबंधी विकास के लिए मध्य प्रदेश के लिए धनराशि का नियतन	Allocation to Madhya Pradesh for Industrial and Agricultural Development during Fourth Plan ...	110
2563	चौथी योजना के अन्तर्गत इन्दौर डिविजन के लिए धन की व्यवस्था	Allocation made for Indore Division under Fourth Paln	111
2564	मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र और जिले	Backward areas and Districls of Madhya Pradesh	111
2565	मध्य प्रदेश में हथकरघा बुनकरों की प्रति व्यक्ति आय	Per Capita income of Handloom Weavers in Madhya Pradesh	111–112
2567	निर्यात में वृद्धि सम्बन्धी कोगन समिति की रिपोर्ट	Cogan Committee's Reports on export Promotion ...	112
2568	भारत–पाकिस्तान संघर्ष के समय पकड़ी गई वस्तुओं और सम्पत्तियों का निपटान	Indo-Pak war seizure and disposal of Properties	112–113
2569	तमिलनाडु में राष्ट्रीय छात्र सेना दल	N. C. C. in Tamilnadu	113
2570	एच०एस० 748 विमानों का निर्माण	Manufacture of HS-748 Planes ...	113
2571	भारत में निर्मित तथा विदेशों में खरीदे गये विमान	Aircraft manufactured in India and purchased from abroad	114
2572	पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में 'अलफतह' संगठन	'Al-Fatah' Organisation in Pak- occupied Kashmir ...	114
2573	कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इंडिया) में उत्पादन शुल्क के रुप में रुकी हुई धन–राशि	Funds blocked as Excise Duty in Canteen Stores Department (India)	114-115

574	पटसन की बनी वस्तुओं पर निर्यात शुल्क में कमी	Reduction of Export Duty on Jute goods ...	115
575	प्रादेशिक रूप से असंतुलित क्षेत्रों का विकास करने के लिए धन की व्यवस्था	Allocation of funds for development of regionally imbalanced areas	115
576	चाणक्यपुरी में पुर्तगाल के नाम में भूमि के एक प्लाट को भू–राजस्व की बकाया राशि	Outstanding amount of land revenue for a plot of land standing in the name of Portugal Government in Chanakyapuri	116
577	पिछड़े क्षेत्रों में छोटे तथा मध्यम उद्योगों को औद्योगिक विकास बैंक द्वारा सहायता	Assistance by Industrial Development Bank to Small and Medium Industries in Backward Areas	116–117
578	यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के साथ व्यापार करार	Trade Agreement with European Economic Community	117–118
579	ईरान में अन्तर्राष्ट्रीय मेला	International Fair in Iran	118–119
580	पूर्वी जर्मनी में भारतीय दूतावास के दर्जे का बढ़ाया जाना	Raising Status of Indian Embassy in East Germany	119
581	बी. बी. सी. तथा रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस द्वारा भारत के विरुद्ध पक्षपात पूर्ण प्रसारण	Biased Broadcast from B. B. C. and Radio Peace and Progress against India ...	119
582	यूरोप के देशों के साथ वीजा के नियमों में ढील	Visa Relaxation with European countries ...	119–120
583	मध्य पूर्व सम्बन्धी मामले	Middle East Issue	120
584	हंगरी के राष्ट्रपति के साथ वार्ता	Talks with Hungarian President ...	120

2585	भारत - ईराक व्यापार वार्ता	Indo-Iraq Trade Talks ...	121
2586	महाराष्ट्र में हथकरघा उद्योग का विकास	Development of Handloom Industry in Maharashtra ...	121
2587	हथकरघों का निर्यात	Export of Handlooms ...	121-122
2588	गरीबी का दूर किया जा ा और जीवन स्तर में सुधार	Removal of Poverty and Improvement in standard of living	122
2589	नेपाल स्थित भारतीय दूतावास में कर्मचारियों के वेतनमानों में विषमता	Disparity in Pay Scale of Staff in Indian Embassy in Nepal ...	123
2590	सैनिक, नौसैनिक तथा वायु सैनिक जिला बोर्ड	District Soldiers' Sailros' and Airman's Boards ...	124-125
2591	सैना में रंगरूटों के प्रशिक्षण की अवधि	Training period of Recruits in Army...	125
2592	विजयन्त टेंकों के लिए तोपों की सप्लाई में कमी	Shortage in Supply of Guns of Vijayanta Tanks ...	126
2593	सिन्ध (पश्चिम पाकिस्तान) में साघ बेला आश्रम	Sadh Bela Ashram in Sind(West Pakistan)...	126
2594	चीन तथा ब्रिटेन के मध्य घनिष्ठ सम्बन्ध	Closer Sino-British relations	126-127
2595	गांधी शताब्दी शपथ	Gandi Centenary Pledge ...	127
2596	जावा–सुमात्रा के आदिवासियों द्वारा हिन्दू धर्म का अपनाया जाना	Java-Sumatra adivasis embracing Hinduism	127-128
2597	1962 की 'नेफा' पराजय के कारण	Causes of 1962 NEFA Debacle	128
2598	नियन्त्रणों के बारे में अमरीका के राजदूत का मक्तव्य	U. S. Ambassador's Statement on Controls...	128-129

	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ा.प्र	प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
इनों			
574	2599 औद्योगिक लाइसेंसों, आयात लाइसेंसों तथा निर्यात लाइसेंसों के साप्ताहिक समाचारों का हिन्दी में प्रकाशन	Publication in Hindi of Weekly Bulletin of Industrial Licences, Import Licences and Export Licences	129
57	2600 विलासिता की वस्तुओं के लिये आयात लाइसेंस	Import Licences for Luxury Goods ...	129
57	**अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना**	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	130
57	पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री द्वारा भूख हड़ताल का समाचार	Reported Hunger Strike by Chief Minister of West Bengal	130
	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee ...	132
	श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavhan	132
5	**सभा–पटल पर रखे गये पत्र**	Paper Laid on the Table	136
	अनुदानों की अनुपूरक मांगे (रेलवे) 1969–70	Demands for Supplementry Grants(Railways), 1969–70	137
5	विवरण प्रस्तुत किया गया	Statement presented	137
5	**नियम समिति**	Rules Committee ...	137
	कार्यवाही सारांश	Minutes	137
	कुछ अधिकारियों और श्री टी. टी. कृष्णामाचारी के बीच हुई बातचीत के बारे में	Re. Meeting between certain Officers and Shri T. T. Krishnamachari ...	137
	श्री रा. कृ. बिड़ला द्वारा वैयक्तिक स्पष्टी करण के बारे में	Re. Personal Explanation by Shri R. K. Birla ...	143
	केन्द्रीय रेशम बो र्ड (संशोधन) विधेयक	Central Silk Board (Amendment) Bill ...	144
	विचार करने का प्रस्ताव,	Motion to Consider	145

विषय	Subject			पृष्ठ/Pages
श्री चौधरी राम सेवक	Shri Chowdhari Ram Sewak	...	...	146
श्री मुत्तु स्वामी	Shri C. Muthu Swami	...	...	146
श्री चिन्तामणी पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	...	...	146
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar	...	...	147
श्री लीलाधर कटकी	Shri Liladar Kotaki	...	...	147
श्री बेणी शंकर शर्मा	Shri Beni Shanker Sharma	...	...	148
श्री विक्रम चन्द महाजन	Shri Vikram Chand Mahajan	...	...	148
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	...	...	149
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	...	...	150
श्री क. मि. मधुकर	Shri K. M. Madhukar	...	...	152
श्री क. लक्कप्पा	Shri K. Lakkappa	...	...	156
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	...	...	160
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	...	...	161
वाराणसी में साम्प्रदायिक दंगों के बारे में	Re. Communal Riots in Varanasi	..	...	161
सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण	Personal Explanation by Member		...	163
(श्री रा. कृ. बिड़ला)	(Shri R. K. Birla)	—	...	
आधे घन्टे की चर्चा	Half-an-hour Discussion	...	...	
अजमेर में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश	Illegal entry of Pakistanis into Ajmer		...	164
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री	Shri Raghuvir Singh Shastri	...	...	164
श्री मुहम्मद शफी कुरैशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi	...	...	164
श्री विद्या चरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	...	...	166

लोक–सभा
LOK--SABHA

बुधवार, 3 दिसम्बर, 1969/12 अग्रहायण, 1891 (शक)
Wednesday, December 3, 1969/Agrahayana 12, 1891 (Saka)

लोक–सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER *in the Chair* }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

श्री स० मो० बनर्जी : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पहले हमें अपनी क्रिकेट टीम को आस्ट्रेलिया की शक्तिशाली टीम पर विजय प्राप्त करने पर बधाई देनी चाहिये। खिलाड़ी होने के नाते आपको कुछ शब्द कहने चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : हम उन्हें अपनी हार्दिक बधाई देते हैं।

Naga Rebels

*361. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 150 Naga rebels have returned to India from Burma after receiving training in warfare;

(b) if so, the action taken by Government in this regard; and

(c) if no action has been taken the reasons therefor ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं। हाल में नहीं। नागा विद्रोहियों को बर्मा में कोई प्रशिक्षण सुविधाएं प्राप्त नहीं।

(ख) और (ग) . चीन को जाने और वहां से लौटने वाले भूगर्भगत सेविवर्ग को बीच में रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं।

Shri Nihal Singh : The security arrangements on our borders are not satisfactory. Pakistanis have been infiltrating in our country. Nagar rebels have been crossing over into India from across the Burma border after getting training in China. Government have no information about such things. But we read in the newspapers about the infiltration of these people and it is said that Government denies such news. I want to know how many trained Naga rebels have come back, how many of them have been arrested and how many are still abroad ?

श्री स्वर्ण सिंह : यदि यह प्रश्न उन नागाओं के बारे में है जो चीन गये थे कि उनमें से कितने वापस आये हैं, तो उस सम्बन्ध में हम कुछ जानकारी पहले दे चुके हैं । यदि पुनः यही जानकारी चाहिये तो मैं दे सकता हूँ। हमारी जानकारी के अनुसार लगभग 1650 छिपे हुए नागा 1967 और 1968 में चीन गये थे। पहले वाले आंकड़े कुछ अधिक आंके गये थे परन्तु बाद में की गई छानबीन और पूछताछ से पता चला है कि उनकी संख्या लगभग 1650 उनमें लगभग 700 लोग छापामार युद्ध का प्रशिक्षण तथा शस्त्रास्त्र प्राप्त करके वापस लौटे हैं जिनमें लगभग 275 लोग पकड़े गये हैं और शेष बचे हुए नागा लोग छोटे छोटे गुटों में बंट गये हैं और नागालैण्ड के विभिन्न क्षेत्रों में चले गये हैं।

Shri Nihal Singh : Will the Government devise any long-term measures to prevent to entry of such Naga rebels into India in collaboration with those countries and take concrete steps in this direction ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह आशा रखना वास्तविकता से बहुत परे की बात है कि हम चीन या पाकिस्तान के साथ ऐसे करार कर सकेंगे जिससे उन्हें नागाओं को प्रशिक्षण देने से रोका जा सकेगा। ऐसे तत्वों को, जो हमारी प्रभुसत्तता को छिन्न भिन्न करने तथा हमें संकट में डालने की कोशिश कर रहे हैं, सहायता करना उनके हित में है। चीन और पाकिस्तान इस बात को मानने के लिये भी तैयार नहीं होंगे कि वे इस तरह का प्रशिक्षण दे रहे हैं।

Shri Om Prakash Tyagi : The Chinese Government is encouraging the citizens of our country to get hostile by giving them regular training and also giving encouragement to such elements in India through regular broadcasts. Keeping this in view, do Government propose to break diplomatic relations with China and if not, the reasons therefor ?

श्री स्वर्ण सिंह : उससे कोई लाभ नहीं होगा। कौत्य सम्बन्ध तोड़ने से वे विद्रोहियों को प्रशिक्षण देना बन्द नहीं कर देंगे और न ही रेडियो आदि से अपने प्रसारण बन्द कर देंगे।

श्री वि० ना० शास्त्री : क्या मंत्री महोदय को कोई ऐसी सूचना मिली है कि आसाम के अन्य भागों में, नागालैण्ड को छोड़कर, उदाहरण के लिये, कचार और मनीपुर में रहने वाले नागा भी ऐसे दलों में सम्मिलित हो रहे हैं जो प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये चीन गये हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये चीन गये नागाओं के क्षेत्र वार आंकड़े मेरे पास नही हैं। मैं नहीं कह सकता कि उनमें कितने लोग किस जिले या क्षेत्र के हैं।

श्री हेम बरुआ : माननीय मंत्री के कथनानुसार 700 नागा बिद्रोही चीन में प्रशिक्षण प्राप्त करके वापस नागालैण्ड में लौट आए हैं। इसे दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार उनमें से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सफल हुई है और क्या जनरल माऊ से जिसे गिरफ्तार किया गया था, पूछताछ की गई है और यदि हां, तो क्या उस पूछताछ द्वारा नागालैंण्ड में इन लोगों की गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी मिली है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं आंकड़े दे चुका हूँ कि प्रशिक्षण प्राप्त करके जो नागा वापस आए हैं उनमें से 275 लोग गिरफ्तार किये गये हैं।

जनरल माऊ अंगामी से पूछताछ करने पर हमें मूल्यवान सूचना प्राप्त हुई है, परन्तु उसके परिणामस्वरूप चीन से प्रशिक्षण प्राप्त करके वापस लौटे शेष नागाओं की गतिविधियों के बारे में और कोई जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि जो लोग अभी तक गिरफ्तार नहीं किये गये हैं, उनकी गतिविधियों के बारे में कोई स्पष्ट सूचना नहीं है।

Shri S. M. Joshi : Has the Chief Minister of Nagaland been consulted ? Has the Stat Chief Minister sought any assistance from the centre to ward of this danger ?

श्री स्वर्ण सिंह : नागालैण्ड के मुख्यमंत्री से हम बराबार परामर्श करते रहे हैं । नागा स्थिति का सामना करने के लिये हमें जो कुछ उपाय करने चाहिये, उनके बारे में केन्द्रीय सरकार तथा नागालैण्ड सरकार के बीच पूर्ण मतैक्य है। हमने कुछ सुझाव दिये थे और उनमें से सबसे महत्त्वपूर्ण सुझाव यह था कि कुछ पुलिस सीधे मुख्यमंत्री के नियंत्रण में रखी जानी चाहिये। इस सुझाव को मान लिया गया था। वह उस पुलिस को प्रयोग में ला रहे हैं, और हमने उन्हें यह भी आश्वासन दिया है कि नागालैण्ड के किसी भाग में शासन सत्ता कायम करने के लिये कोई कार्यवाही करने हेतु यदि उन्हें सुरक्षा सेवा की सहायता चाहिये तो वह भी उन्हें उपलब्ध की जायेगी। मुझे यह कहते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है कि गत आम चुनाव के बाद विशेष रूप से वह नागालैण्ड के दूरस्थ भागों में अपनी प्रशासन सत्ता स्थापित करने में सफल हो गये हैं और गत कुछ महीनों की तुलना में नागालैण्ड सरकार की शासन सत्ता इस समय अधिक सुदृढ़ हो गई है।

भारत में अल–फतह आन्दोलन के उद्देश्य तथा गतिविधियां

***362. श्री रामचरण** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत में अलफतह आन्दोलन की गतिविधियों का पता है;

(ख) यदि हां, तो इस संगठन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) यदि इस संगठन की गतिविधियों से भारत में एक विशेष वर्ग के लोगों में घृणा तथा साम्प्रदायिक भावनाएं उत्पन्न होती हैं, तो इस संगठन को किन परिस्थितियो में यहां आन्दोलन बढ़ाने की अनुमति दी गयी है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जहां तक सरकार को जानकारी है, भारत में इस आन्दोलन की कोई गतिविधि नहीं हुई है। अफ्रो-एशियाई भाईचारे के

लिए गठित गैर-सरकारी संस्था के निमंत्रण पर सितम्बर-अक्तूबर, 1969 में अलफतह के तीन सदस्यों ने भारत की यात्रा की थी ।

(ख) और (ग) . प्रश्न नहीं उठते ।

Shri Ram Charan : The hon. Minister has completely concealed the facts. What is the purpose behind the 'Al-Fatah' movement ? It is for the establishment of the authority of God and liquidation of atheists. The people recruited for this organisation fight against Isreal. They are given guerilla training and that too by the Chinese. Recruitment for this organisation is done in India also. To recruit Muslims, so establish the authority of God according to the Koran and to wage a war against Israel are its main objectives.,..

Shri Bakshi Gulam Mohammad : Al-Fatah means something very different. To bring the Koran into this affair shows that the hon.Member does not know the facts. The Koran has nothing to do with this movement.

Shri Ram Charan : The Government has suffered great humiliation at the Rabat Conference. The Government has allowed the Al-Fatah to carry on its propaganda and make recruitment. U N u, the former Burmese Premier had written a letter to Shrimati Indira Gandhi requesting for an asylum in India and he expressed his desire to meet her, But She has refused to meet him. He is refused permission to meet the Indian Premier while on the other hand a communal organisation like Al-Fatah is given permission by the Government of India. May I know the basis on which they were given permission ?

Mr. Speaker : No answer. **Shri Madhok.**

श्री बलराज मधोक : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि अलफतह एक आतंकवादी संगठन है, जिसका उद्देश्य इसराइल की वैध सरकार को उखाड़ फैंकना है और, पाकिस्तान में भी अल-मुजाहिद नाम का एक संगठन है, जिसका उद्देश्य काश्मीर की वैध सरकार को उखाड़ फैंकना और काश्मीर को 'आजाद' कराना है, क्या भारत सरकार अल मुजाहिद को भी, यदि वह भारत आना चाहे, वही सुविधाएं प्रदान करेगी अर्थात् उन्हें देश का भ्रमण करने देना, उनका स्वागत करना और उन्हें धन देना, ताकि वह काश्मीर की 'आजादी' के लिये काम कर सकें, जो सरकार ने अलफतह को प्रदान की हैं ?

श्री दिनेश सिंह : इन दोनों संगठनों के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री बलराज मधोक : अलफतह और अल मुजाहिद में सम्बन्ध कैसे नहीं है ? दोनों ही आतंकवादी संगठन हैं और दोनों के उद्देश्य समान हैं. अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ,-उन्हें स्पष्ट उत्तर देना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : नाप लेकर सीधा प्रश्न पूछने के स्थान पर वह समान उद्देश्य का समान संगठन कह सकते थे ।

श्री दिनेश सिंह : मैंने कहा था कि दोनों में कोई सम्बन्ध नहीं है और इसलिए अलफतह का भारत अथवा भारत और काश्मीर के भागों से कोई सम्बन्ध नहीं है । वे फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों के लिये लड़ रहे हैं । जहां तक भारत में वैध सरकार का तख्ता उलटने का प्रयास

करने वालों का सम्बन्ध है, हमें उनके विरुद्ध कानूनों के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए, उन्हें सुविधा देने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

श्री बलराज मधोक : क्या यह सच नहीं है कि हम पंचशील, अर्थात् अन्य देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्त में विश्वास रखते हैं ? आप यहां दूसरे देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप को कैसे प्रोत्साहन देते हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : क्या यह सच नहीं है कि अल फतह आन्दोलन का उद्देश्य और प्रयोजन इजराइल राष्ट्र को नष्ट करना, जैसाकि श्री मधोक ने आरोप लगाया है, नहीं है बल्कि इजराइल द्वारा सैनिक आक्रमण द्वारा कब्जे में किये गये अरब राज्य क्षेत्र को मुक्त कराना है ? यदि ऐसी बात है, तो भारत सरकार के सर्वविदित तथा सार्वजनिक रूप से घोषित दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यहां पर एक प्रतिनिधि मण्डल को आमंत्रित करना कोई गलत काम नहीं है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या अल-फतह संगठन का यही उद्देश्य हैं और क्या वह अनुभव करते हैं कि उनकी भारत यात्रा से और उनके द्वारा दिये गये भाषणों से इजराइली आक्रमणकारियों द्वारा कब्जा किये गये अरब राज्य क्षेत्रों की मुक्ति के उद्देश्य को लाभ पहुंचा है ?

श्री दिनेश सिंह : इजराइल द्वारा कब्जे में किये गये अरब राज्य क्षेत्रों को मुक्त कराना भी एक प्रयोजन है । अन्य उद्देश्य जो उन्होंने यहां पर बताये थे, सर्वविदित हैं ।

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या यह सच है कि इस अल फतह प्रतिनिधिमण्डल ने यहां पर कुछ धन इकट्ठा किया था, यदि हां, तो कितना धन इकट्ठा किया गया था और क्या उसे देश से बाहर ले जाने की अनुमति दी गई थी ?

श्री दिनेश सिंह - हमें ऐसा मालूम हुआ है कि देश के विभिन्न भागों की यात्रा में उन्हें कुछ धन दिया गया था । मैं समझता हूं कि यह लगभग 80,000 रुपये था । मुझे नहीं मालूम कि उसका क्या हुआ, उन्होंने अनुमति मांगी थी अथवा उन्हें अनुसति दी गई अथवा नहीं मैं तुरन्त नहीं बता सकता ।

श्री म० ला० सोंधी : हम विश्वास करते हैं कि यद्यपि वैदेशिक कार्य मंत्री देश की आन्तरिक राजनीति में बहुत व्यस्त हैं, उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में कुछ घटनाओं का अध्ययन करने का समय मिल जाता है, परन्तु उन्हें मालूम होना चाहिए कि इस 'अल फतह' प्रतिनिधिमण्डल ने हाल में राष्ट्रपति नासर के विरुद्ध भी वक्तव्य दिये हैं और ऐसी गतिविधियों में भाग लिया है । इसको ध्यान में रखते हुए विमानों को बलपूर्वक अपनी इच्छानुसार मार्ग पर ले जाना छोटे बच्चों से विस्फोटक पदार्थ फिंकवाना तथा अल–फतह संगटन की अन्य आतंकवादी गतिविधियों के बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? क्या वे भारत सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट करेंगे ? क्या सरकार इन सब गतिविधियों का पूर्ण समर्थन करती हैं अथवा इस संगठन को समिति मान्यता देती है ?

श्री दिनेश सिंह : यह संगठन की गतिविधियों का समर्थन करने अथवा इनसे असहमत होने का प्रश्न नहीं है । मैं नहीं समझता कि कोई व्यक्ति विमानों को बलपूर्वक अपनी इच्छानु-

सार किसी स्थान पर ले जाने अथवा बच्चों को मारने का समर्थन करेगा । एक गैर-सरकारी संगठन के तीन सदस्यों को आमंत्रित किया गया था, क्योंकि विश्व के उस सभा में के जनसाधारण की राय का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम उन्हें देश से बाहर रखना वांछनीय नहीं समझते थे और मैं समझता हूँ कि लोगों की विचारधारा जानने के लिये हमारे लोगों का विश्व के विभिन्न भागों के लोगों से मिलना भी ठीक है ।

श्री पीलु मोदी : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि अलफतह तथा इससे सम्बद्ध अनेक संगठनों को मुख्य रूप से चीन में प्रशिक्षण मिला है और उन आतंकवादियों को तोड़फोड़ के बारे में चीन में प्रशिक्षण मिला है और अब उन्हें यहां पर इस प्रकार का विषैला प्रचार करने के लिये हमारे देश में आने दिया जा रहा है । क्या मंत्री महोदय गंभीरतापूर्वक यह समझते हैं कि वे भारत में अलफतह का प्रवेश एक सांस्कृतिक आदान–प्रदान समझते हैं अथवा यह इस देश की मान्यताओं का गम्भीर उल्लंघन है ?

श्री दिनेश सिंह : जी, नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता कि यह हमारी मान्यताओं का उल्लंघन है । जहां तक उनके प्रशिक्षण आदि का सम्बन्ध है, मालूम होता है कि इस बारे में माननीय सदस्य को अधिक जानकारी है ।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ : क्या यह सच नहीं है कि अल फतह आन्दोलन में वे वीर शामिल हैं, जो गैर-कानूनी रूप से अधिकार में लिये गये अरब भूमि क्षेत्र को मुक्त कराना चाहते हैं और क्या सरकार ऐसे आक्रमण के विरुद्ध वीरों के इस आन्दोलन की सहायता करना ठीक नहीं समझती ?

श्री दिनेश सिंह : दो विचारधारायें व्यक्त की गई हैं । मैं इस विषय में विवाद में नहीं पड़ना चाहता, माननीय स्वयं निर्णय करें । जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम मुस्लिम आन्दोलन के पक्ष में हैं, जो अपने आपको उपनिवेशवादी प्रभुत्व से मुक्त कराना चाहते हैं ।

एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग के मंत्रियो की एशियाई परिषद्

*363 **श्री क० अनिरुद्धन** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अप्रैल, 1969 से एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग के मंत्रियों की एशियाई परिषद् की कितनी बैठकें हुई हैं; और

(ख) विकासशील देशों की आर्थिक विकास सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करने तथा विकसित तथा विकासशील देशों के मध्य बढ़ते हुए अन्तर को दूर करने के लिये भारत ने क्या प्रयत्न किये हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) अप्रैल, 1969 से मंत्रियों की एशियाई परिषद् की अब तक कोई बैठक नहीं हुई है ।

(ख) अंकटाड द्वितीय में स्वीकार की गई संयुक्त घोषणा (संकल्प 23(2)) में इस बात की पुनः पुष्टि की गई थी कि विकासशील देशों में एकता और व्यापार विस्तार तथा आर्थिक सहयोग अन्तर्राष्ट्रीय विकास योजना के महत्वपूर्ण अंग हैं और उनसे उनके आर्थिक विकास

में वास्तविक योगदान मिलेगा। इस घोषणा के अनुसरण में. दिसम्बर, 1968 में बैंकाक में हुए एशियाई आर्थिक सहयोग सम्बन्धी तीसरे मंत्री-स्तरीय सम्मेलन में सामकलित क्षेत्रीय सहयोग के विकास की योजना के एक संकल्प को सर्वसम्मति से स्वीकार कराने में भारत ने महत्वपूर्ण प्रयत्न किये। इस संकल्प को क्रियान्वित करने के लिये इकाफ सचिवालय में एक कार्यकारी दल की स्थापना की गई है जो एक समाकलित कार्यक्रम की विस्तृत योजना तैयार करेगा। इस योजना में, व्यापार के आदान-प्रदान के उदारीकरण, राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि, वाणिज्यिक अवस्थापना का विकास और पारस्परिक व्यापार के विकास को बढ़ाने के लिये भुगतान की व्यवस्था शामिल है। इकाफे की सदस्य सरकारों ने एशियाई आर्थिक सहयोग के लिये केन्द्र बिन्दु के रूप में काम करने के लिये राष्ट्रीय एकक स्थापित किये है। भारत का राष्ट्रीय एकक इस क्षेत्र के अन्य देशों के समकक्षी एककों और इकाफे के कार्यकारी दल के साथ घनिष्ट सहयोग से, एक एशियाई व्यापार विकास तथा उदारीकरण कार्यक्रम तैयार करने के लिए कार्य कर रहा है, जिसे सफल बनाने के लिए समुचित क्षेत्रीय भुगतान व्यवस्थाओं और वाणिज्यिक तथा परिवहन सम्बन्धी अवस्थापना का विकास भी किया जाएगा। आशा की जाती है कि जब यह कार्यक्रम आरम्भ किया जाएगा तो इससे इस क्षेत्र के विकास-शील देशों में उत्पादन और व्यापार सम्बन्धी अनुपूरता का विकास होगा जिससे उनके आर्थिक विकास का सम्बर्द्धन होगा।

श्री क० अनिरुद्धन : यह कहा गया है कि अप्रैल, 1969 के बाद एशियाई मंत्री परिषद् की बैठक नहीं हुई है। मैं जानना चाहता था कि इस बैठक के बाद किस प्रकार की घटनाए हुई। जिनसे अल्पविकसित देशों के सम्बन्ध में व्यापार को कुछ लाभ हुआ है। उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है। उन्होंने 'अंकटाड' में स्वीकृत कुछ संकल्पों और बाद में हुए कुछ अन्य सम्मेलनों में उनकी पुष्टि, संकल्पों द्वारा विकासशील देशों में आर्थिक सहयोग और एकता की बात को दोहराने आदि के बारे में कहा है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि हमने अप्रैल, 1969 से अब तक इस प्रयोजन के लिए, विशेष रूप से विदेशी मुद्रा में अब तक कितनी सरकारी धनराशि खर्च की है ?

श्री ब० रा० भगत : जहां तक इस परियोजना का सम्बन्ध है, विदेशी मुद्रा का कोई खास व्यय नहीं किया गया है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि वास्तव में एशियाई देशों के बीच समेकित विकास के करार के परिणामस्वरूप व्यापार और आदान-प्रदान हो रहा है। एक बार मंत्रियों की बैठक होने के बाद सरकारों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई है और वे अभी भावी व्यापार वृद्धि की योजना तैयार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कोई व्यय नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य क्या जानना चाहते हैं ?

श्री क० अनिरुद्धन : इस बैठक के बाद भारत को क्या आर्थिक लाभ हुआ है।

श्री ब० रा० भगत : इस समय इस लाभ का ठोस मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है जिसके अन्तर्गत क्षेत्रीय सहयोग के जरिए देशों का अधिकतम आर्थिक विकास हो तथा उनका व्यापार बढ़े। यदि एशियाई देशों में परस्पर व्यापार बढ़ता है, तो भारत को लाभ होगा, अन्य देशों को लाभ होगा तथा समूचे क्षेत्र को लाभ होगा।

श्री चिन्तामणी पाणिग्रही : क्या इस सम्मेलन में एशियाई क्षेत्र में व्यापार तथा उद्योग के कुछ क्षेत्रों में फालतू तथा अतिरिक्त क्षमता वाले देशों तथा पिछड़े हुए अल्पविकसित देशों के बीच इस प्रकार निर्यात–आयात की व्यवस्था की जायेगी जिससे कि एशियाई क्षेत्र में विकासशील देशों की आर्थिक प्रगति हो और यदि हां, तो इस सम्मेलन के भारतीय एकक की स्थापना के बाद क्या अग्रेतर विशिष्ट अनुगामी कार्यक्रम आरम्भ किया जा रहा है ?

श्री ब० रा० भगत : इस व्यवस्था के अन्तर्गत एशिया के विकसित, अर्ध-विकसित तथा अल्प विकसित देश परस्पर सहयोग करेंगे। कोई करार होने के पश्चात् ही इस सहयोग का वास्तविक ढांचा तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा मालूम हो सकता है।

श्री क० लकप्पा : यह प्रश्न एशिया के उन अल्प विकसित देशों के बारे में है, जिनकी ओर आज विश्व का ध्यान आकर्षित हो। मंत्री महोदय ने बताया है कि अप्रैल 1969 के बाद अल्प विकसित देशों की मुक्ति से सम्बन्धित व्यक्तियों पर विचार करने के लिये एशियाई मंत्री परिषद का कोई सम्मेलन नहीं हुआ। मैं जानना चाहाता हूँ कि क्या भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय संगठन पर भारतीय प्रभाव डालने में असफल रही है, क्योंकि बड़े देशों के गुटों द्वारा शक्ति को संतुलित रखने के राजनीतिक दबाव के कारण यह सम्मेलन 1969 के पश्चात नहीं बुलाया जासका। क्या भारत एशिया के अल्प विकसित देशों को मुक्त कराने में अगुवाई करेगा ?

श्री ब० रा० भगत : मैं इस प्रश्न को समझ नहीं पाया।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य के प्रश्न को समझने का मैं भी प्रयत्न कर रहा हूँ किन्तु वास्तव में मैं भी उसे समझ नहीं पाया। माननीय मंत्री भी कह रहे हैं कि मैं भी उनके प्रश्न को नहीं समझ सका। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जो कुछ पूछना चाहते हैं उसे स्पष्ट तथा संक्षेप में पूछिये।

श्री क० लकप्पा : मेरा प्रश्न तो बहुत सरल है। अप्रैल 1969 के पश्चात ई० सी० ए० एफ० ई० एशिया के अल्प विकसित देशों की स्थिति का पता लगाने में असफल रही है यद्यपि यह परिषद इसी उद्देश्य से बनाई गई थी। शक्ति को संतुलित करने के लिए, गुट वाले देश ऐसा सम्मेलन बुलाने में बाधा डालते हैं जिससे अल्प विकसित देशों का विकास न हो सके।

श्री ब० रा० भगत : हमारे ऊपर या किसी एशियाई देश के ऊपर सम्मेलन न बुलाने के बारे में किसी भी बड़े राष्ट्र का कोई दबाव नहीं है। एशियाई मंत्रियों की गत बैठक दिसम्बर 1968 में हुई थी, जिसमें एक समय-सूची निर्धारित की गई थी तथा इस सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ पर विचार विमर्श किया जा रहा है। यदि अधिकारियों के विचार विमर्श से कोई विस्तृत कार्यक्रम बन पाया तो मंत्रियों की बैठक होगी। ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता कि हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई अनुचित दबाव डाला जा रहा है अथवा इस मामले को अनुचित रूप से निलम्बित किया जा रहा है। अधिकारियों के विचार विमर्श से कोई ठोस प्रस्ताव निकलने की ही केवल देरी है।

श्री दामानी : अल्प विकसित देशों के समक्ष विकसित देशों से प्रत्यक्ष या संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से लिये गये ऋण को चुकाने की भी एक बड़ी समस्या है।

ऋण का भुगतान उनके फालतू या कच्चे माल या तैयार माल का निर्यात करके ही किया जा सकता है। किन्तु विकसित देश इन वस्तुओं पर भारी आयात कर लगाकर इन पर नियत्रण करना चाहते हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या इस मामले में एशिया तथा सुदूरपूर्व के आर्थिक आयोग के अन्तर्गत आने वाले देशों ने संयुक्त रूप से विचार किया है तथा विश्व ऐजेंसियों के समक्ष या ऋण देने वाले देशों के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से कोई संयुक्त प्रस्ताव रखा है और यदि हां तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री ब० रा० भगत : यह समस्या विकसित देशों या अल्प विकसित देशों के या ऋण देने वाले और लेने वाले देशों के समक्ष है। इस समस्या को यू० एन० सी० टी० ए० डी० की ऐजेन्सी के माध्यम से सुलझाया जा रहा है।

Shri Yashpal Singh : May I Know whether certain pet capitialists have been given licences ? The prices of the fertilizers are soaring high. Except a few blackmarketers, who own agricultural farms simply to convert their black money into white, no one else among the common agriculturists has been benefitted...

Mr. Speaker : The question of fertilizers does not arise out of it.

श्री एस० कण्डप्पन : एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग के अन्तर्गत आने वाले अधिकतर देशों की अर्थ व्यवस्था पूरक न होकर पतिस्पर्द्धा पूर्ण है। इसके बावजूद भी सरकार कुछ करने का प्रयत्न कर रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार ने कोई ऐसा उपाय सोचा है जिससे व्यापार में प्रगित करने के सम्बन्ध में होने वाली 'इकाफे' की बैठक में सरकार को लाभ हो सके ?

श्री ब० रा० भगत : यह कहना सच नहीं है कि देशों की पूरक अर्थ-व्यवस्था नहीं है। ये सभी देश अल्प विकसित हैं और इस सीमा तक वे विकास के समान स्थिति में हैं। किन्तु यह ज्ञात हुआ है कि यदि विकास के स्वरूप के विस्तृत अध्ययन का अनुसरण किया जाय तो विकास के विभिन्न प्रक्रमों के कारण पारस्परिक व्यापार में वृद्धि की जा सकती है तथा हम आर्थिक सहयोग में प्रगति कर सकते हैं और उसे व्यापक बना सकते हैं। एशियाई देशों की इच्छा है कि पारस्परिक व्यापार में प्रगति हो तथा उनका आर्थिक सहयोग गहरा हो। हम ऐसा ही मार्ग बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री एस० कण्डप्पन : मैं भी यही पूछना चाहता हूं। क्या आपने इसका वस्तुवार हिसाब किया है ?

श्री ब० रा० भगत : ऐसा किया जा रहा है। यह कोई सरल कार्य नहीं है, क्योंकि इस मामले से अनेक देश सम्बद्ध हैं। साथ ही इसका वस्तु-वार हिसाब लगाना है, बैठकों में इस बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में आगे भी बैठकें की जायेंगी जिनकी पैरवी की जा रही है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या इन मंत्रियों की बैठक में इस बात की सम्भावना पाई गई है कि भारत–पाकिस्तान के व्यापार सम्बन्धी तथा आर्थिक सम्बन्धों में प्रगति लाने का प्रयत्न

किया जा सकता है जिससे एशियाई देशों के आर्थिक सहयोग के उच्च विचार के साथ समुचित तालमेल स्थापित किया जा सके ? क्या इस सम्बन्ध में पाकिस्तानी दुराग्रह को समाप्त करने तथा भारत-पाक के व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्धों को मजबूत करने के लिए विशिष्ठ बैठक के प्रभाव को काम में लाया गया है ?

श्री ब० रा० भगत : अभी तक दो देशों की अर्थ-व्यवस्था में और विशेषकर भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में व्यापार जैसी कठिन समस्या राजनीतिक समस्याओं के कारण कोई तारतम्य बिठाना सम्भव नहीं हो सका है। किन्तु पाकिस्तान भी इसका सदस्य देश है तथा इस मार्ग पर चलने को सहमत है। एक बार एक पूरा ढांचा बनने पर सम्भवत: कुछ समय बाद, उप-क्षेत्रीय वर्गों में अथवा दो देशों में उनके आर्थिक सम्बन्ध दृढ़ होने की सम्भावना हो सकती है। दो देशों के आर्थिक और वाणिज्य सम्बन्धों में विस्तार होने की ओर यह एक पहला चरण होगा।

श्री हो० ना० मुकर्जी : क्या इस दिशा में कुछ किया गया है ?

श्री ब० रा० भगत : अभी तक कुछ नहीं किया गया है।

इंजीनियरी माल का निर्यात

***365. श्री प्रेमचन्द वर्मा :** क्या **विदेशी व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में हमारे इंजीनियर-माल की, विशेषत: भारी इंजीनियरी-माल की कोई मांग है और पिछले तीन वर्षों में ऐसे कितने माल का निर्यात किया गया और भविष्य में निर्यात लक्ष्य क्या है ;

(ख) क्या हमारा भारी इंजीनियरी-माल किस्म में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आता है और क्या उसकी उत्पादन लागत अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से मेल खाती हैं और यदि हां, तो निर्यात में उतरोत्तर वृद्धि न होने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने यह मालूम करने की दृष्टि से कि इंजीनियरी-माल कहां बेचा जा सकता है, विदेशी बाजारों का कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो किन-किन देशों में सप्लाई करने से लाभ हो सकता है और उन देशों को माल का निर्यात करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां। हमारे इंजीनियरी माल की विदेशों में अच्छी मांग है। भारत के सारे इंजीनियरी माल का निर्यात 1968-69 में 84.97 करोड़ रु० का हुआ जबकि 1967–68 में 41.47 करोड़ रु० का और 1966–67 में 39.13 करोड़ रु० का हुआ था। इस क्षेत्र के लिए 1969–70 के लिये निर्यात लक्ष्य 110 करोड़ रु० है।

कुछ चुने हुए भारी इंजीनियरिंग उत्पादों के बारे में निर्यात आंकड़ों सम्बन्धी एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(मूल्य लाख रु० में)

	मद	1966-67	1967–68	1968–69
1.	रेल के सवारी डिब्बे तथा माल डिब्बे।	96.18	225.91	830.79
2.	पटसन तथा वस्त्र मशीनें	54.46	91.61	182.49
3.	बने हुए इस्पाती ढ़ांचे जिनमें पारेषण लाइन टावर भी शामिल हैं।	84.55	169.26	188.05
4.	चाय मशीनें।	34.81	26.27	31.13
5.	खनित्र तथा फावड़े।	20.42	0.47	30.22
6.	तेल मिल मशीनें।	15.48	22.88	28.69
7.	चीनी मिल मशीनें।	3.40	7.23	24.74
8.	क्रेन, लिफ्ट तथा उत्तोलक	3.85	7.09	48.68
9.	कृषि सम्बन्धी मशीनें तथा ट्रेक्टर।	6.13	15.59	32.16
10.	मशीनी औजार।	66.13	68.37	188.11
11.	डीजल इंजिन, पम्प तथा कम्प्रेसर।	181.18	187.62	262.69
12.	बिजली की मोटरें, ट्रांस्फार्मर तथा अन्य विद्युत उपकरण।	30.36	27.85	116.56
13.	घरों में लगने वाले बिजली के तारों को छोड़कर सभी प्रकार के बिजली के तार।	112.34	162.13	767.52
14.	वाणिज्यिक वाहन तथा वाहन संगटक।	147.60	210.95	549.61
15.	तार रस्से।	62.89	67.13	92.80
16.	अन्य औद्योगिक मशीनें।	64.46	74.06	62.05
	योग	984.24	1364.42	3436.30

(ख) भारी इंजीनियरी माल की किस्म विकसित देशों के माल की किस्म से अच्छी प्रकार तुल्य है और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की है। वर्षों से भारी इंजीनियरी माल के निर्यात में उत्तरोत्तर वृद्धि से यह स्पष्ट है।

(ग) इंजीनियरी निर्यात सम्वर्द्धन परिषद् तथा अन्य निर्यात सम्वर्द्धन अभिकरणों द्वारा इंजीनियरी माल के सम्बन्ध में बाजार सर्वेक्षण नियमित रूप से किये जाते हैं और नये बाजारों सहित सभी गन्तव्य स्थलों को निर्यात में वृद्धि करने के लिए प्रयत्न किये जाते हैं।

Shri Prem Chand Verma : It has been found out from the figures given in the statement that there has been an increase in our export trade. But the export of several items, such as Tea Machinery, Machine Tools and Industrial Machinery has decreased inspite of devaluation because of which export of such items should have been increased. May I know the reasons for the decrease taken place in the export of these items ?

May I also know the amount invested in the Heavy Engineering both under the Public and Private Sectors and the precentage of engineering goods manufactured in these sectors being exported to the other countries ? It has been observed from the reports received from the other countries that the quality of these goods does not conform to the standard. Complaints have also been made to the Government in this regard. In view of this may I know the steps being taken by the Government to improve the quality of these goods and to reduce the prices of the same ?

Shri B. R. Bhagat : The export of Machine Tools has increased considerably As compared to the export of the Tea Machinary during the last year, the export of this item has increased undoubtedly but, it is correct, that as against the export during the year 1966-67 it has decreased, however, the decrease is not significant.

So far as the quality of the products is concerned, I have already stated that we have a strict control over the quality of these goods. Our engineering products are competitive to that of other countries both in quality and the cost.

The third question put by the hon. Member concerns the hon. Minister of Industries. He has asked about the extent of investment made in the Private Sector as well as in the Public sectors. It requires a detailed information and if a notice is given to the hon. Minister of Industries he would be able to furnish the requisite information. I am sorry the figures pertaining to it are not available with me.

श्री श्रद्धाकर सूपकार : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में दिये गये विवरण के आंकड़े बहुत उत्साह वर्धक हैं, परन्तु साथ ही पता चलता है कि सम्भवत: सूती कपड़े और इन्जीनियरी माल की व्यापारिक मन्दी अभी समाप्त नहीं हुई है। इस संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन्जीनियरी माल से अभी भी आन्तरिक बाजार भरा पड़ा है तथा क्या हम इन्जीनियरी के माल के निर्यात की मांग को पूरी तरह पूरा कर सकने में समर्थ हैं ?

श्री ब० रा० भगत : आन्तरिक बाजार में इन्जीनियरी माल रुका नहीं पड़ा क्योंकि अभी इन्जीनियरी माल का उत्पादन करने वाले कारखाने पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं कर रहे हैं। इन कारखानों को अधिक उत्पादन करना चाहिए। इन्जीनियरी सामान में लगभग 100 वस्तुयें सम्मिलित हैं। सम्भवत: किन्हीं वस्तुओं के बारे में ऐसा हो सकता है कि वह बाजार में बहुतायत में पड़ी हों, परन्तु मैंने सभी वस्तुओं को मिलाकर यह बात कही है कि बाजार में उनकी भरमार नही है। बहुत सी वस्तुएं ऐसी भी है जिनका पूर्ण उपयोग करने की आवश्यकता है। जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है, देश की मांग में वृद्धि हो जाने के कारण निर्यात के लिये फाफतू इस्पात निकालना कठिन है और फिर इस्पात की कमी भी है। इन्जीनियरिंग उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने में दो बाधायें हैं। निर्यातकों में विश्वास है; उनके पास क्षमता है और वे अच्छी किस्म की वस्तुएं बनाते हैं, जिनकी मांग भी है। परन्तु

दो बाधाओं के कारण, अर्थात् देश की मांग में वृद्धि हो जाने और इस्पात की कमी के कारण हम निर्यात की स्थिति का पूरा लाभ नहीं उठा सकते हैं।

श्री देवव्रत बरुआ : मेरी समझ में नहीं आता कि मन्त्री महोदय निर्यात के लिये फालतू इस्पात की कमी को कैसे सही सिद्ध कर सकते हैं जबकि हम सदा कहते रहे हैं कि इन्जीनियरी सामान बनाने वाले हमारे उद्योग को मन्दी का सामना करना पड़ रहा है और यह उद्योग अपनी पूरी क्षमता के अनुसार कभी भी कार्य नहीं करता रहा है। फिर भी निर्यात के सम्बन्ध में अफ्रीकी बाजार का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि वे विकासशील देश हैं। क्या में पूछ सकता हूं कि इस क्षेत्र में मशीनों तथा अन्य वस्तुओं का उदार शर्तों पर निर्यात करने के लिये सरकार के क्या प्रस्ताव हैं जैसे कि पश्चिमी देशों के हैं, अर्थात दीर्घावधि ऋण देना आदि ?

श्री ब० रा० भगत : मैं स्वीकार करता हूं कि हम उन्नत देशों की तरह बहुत उदार शर्तें दीर्घावधि ऋण तथा अन्य सुविधायें—नहीं रख सकतें। परन्तु हम ऋण तथा अन्य ऐसी सुविधाएं दे रहे हैं जो हम दे सकते हैं। यह सच है कि अप्रयुक्त क्षमता होते हुए भी हम इसका पूरा उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि निर्यात योग्य इन वस्तुओं के लिये कच्चे माल की बहुत कमी है।

Shri Maharaj Singh Bharati : It has been stated that Agricultural Machinery and tractors worth Rs. 6 lakhs were exported then this export increased to Rs. 15 lakhs and then further to Rs. 32 lakhs. I want to know whether only agricultural machinery has been exported or tractors have also been exported.

Shri B. R. Bhagat : I think Agricultural Machinery and Tractors is one item. Tractors are not exported under this scheme. I will, however, enquire about this matter. This is an item with which tractor word is written. I think there were no tractors in this export of Rs, 32 lakhs. It was agricultural machinery.

श्री सु० कु० तापड़िया : दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र के देशों का आयात बिल 20,000 करोड़ रुपये का होता है। यदि हम इसी क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करते और एक प्रतिशत व्यापार भी प्राप्त कर सकते तो हम अपने इन्जीनियरी सामान के निर्यात में तीन गुना वृद्धि कर सकते थे। इस सम्बन्ध में क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूं कि वे इस क्षेत्र में स्थित अपने दूतावासों में वाणिज्यिक अताशी को शक्तिशाली बनाने के लिए तैयार है और उस क्षेत्र में नये बाजारों का पता लगाने, बाजार के तरीकों का अध्ययन करने, विज्ञापन के साधनों तथा अन्य बातों का पता लगाने के लिये एक स्थायी समिति बनाने के लिए तैयार हैं ?

श्री ब० रा० भगत : यह एक उपयोगी सुझाव है। परन्तु हम यथासम्भव विपणन के तरीकों का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने का प्रयत्न करते रहे हैं। निर्यात सम्वर्धन परिषद इस कार्य को मुख्यतः इसलिये करती हैं कि उन्हीं के माध्यम से यह कार्य किया जाता है। इस समय हमारी समस्या यह है कि 110 करोड़ रुपये के लक्ष्य के लिये भी हमें देश में क्षमता बनानी पड़ेगी और उसके लिये हमारे पास कच्चे माल की बहुत कमी है। अधिक क्रयादेश प्राप्त करने से क्या लाभ होगा ? हम उन्हें नये क्रयादेश बुक न करने के लिये कह

रहे हैं क्योंकि हम उन्हें इस्पात तथा दूसरा कच्चा माल सप्लाई नहीं कर सकते। मैं माननीय सदस्य के साथ इस बात पर सहमत हूं कि कुछ चुने हुये क्षेत्रों में विपणन अनुसन्धान तथा विपणन के तरीकों का विकास करना बहुत उपयोगी है। हम एक प्रतिशत ही नही बल्कि अधिक क्यादेश प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु हमें देश में क्षमता बनानी चाहिए और उसके लिये कच्चे माल की व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री सु० कु० तापड़िया : क्षमता बनाने के लिये लाइसेन्स दीजिये।

Shrimati Lakshmikanthamma : May I know the steps being taken to step up our exports ?

Shri B. R. Bhagat : All possible steps are being taken.

Representation of Labour on Rubber, Tea and Cardamom Boards

***366. Dr. Ranen Sen** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether representation to labour interests was given due consideration while reconstituting the Rubber, Tea and Cardamom Boards ; and

(b) if so, the names of the organisations asked to nominate the labour representatives ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Chowdhari Ram Sewak) : (a) Yes, Sir.

(a) The Indian National Trade Union Congress, the United Trades Union Congress and the Hind Mazdoor Sabha were asked to suggest names for nomination to the Tea Board, The Indian National Trade Union Congress and the United Trades Union Congress for the Rubber Board and the Indian National Trade Union Congress for the Cardamom Board.

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि कुछ अन्य केन्द्रीय मजदूर संघों के प्रतिनिधियों को रबड़, चाय तथा इलायची बोर्डों में भाग लेने से रोक दिया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : इस सम्बन्ध में हम श्रम मन्त्रालय की सलाह मानते है जो हमें संघों के नाम बताते हैं। यह देखना उनका काम है कि कौन से संघ प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में हम उन्हीं की सलाह लेते है और मानते हैं।

डा० रानेन सेन : क्या मन्त्री महोदय को पता है कि एक अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस नामक संस्था है जो देश में महत्वपूर्ण मजदूर संघ है और प्रतिवर्ष भारतीय श्रम सम्मेलन में भाग लेता है और जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, और यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय ने श्रम मंत्रालय से रबड़, चाय तथा इलायची बोर्डों में अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस की स्थिति पूछी है ? भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, हिन्द मजदूर सभा तथा अन्य संगठनों को प्रतिनिधित्व देने पर मुझे कोई शिकायत नही है। वास्तव में सभी संगठनों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिये। दुर्भाग्य से अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है जो एक मान्यता प्राप्त संघ है। इसके क्या कारण हैं ?

श्री ब० रा० भगत : कुछ संसद सदस्यों ने इस बारे में मुझे कुछ बताया था और मैंने श्रम मन्त्री को सलाह देने के लिये लिखा था। हम इन मामलों में उनकी सलाह मानते है। संघों के प्रतिनिधित्व के बारे में वे समय-समय पर विभिन्न संघों के प्रतिनिधित्व की स्थिति का अध्ययन करते रहते हैं। उसी आधार पर वे हमें उन संघों के नाम बताते हैं जिन्हें प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया जाना चाहिये और हम उनके परामर्श को स्वीकार करते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि चाय बोर्ड किस तारीख को पुनर्गठित किया गया था और अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस की सदस्यता संबंधी तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ? जिनके आधार पर अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के प्रतिनिधियों को, जो पहले चाय बोर्ड में थे, वर्तमान बोर्ड में नहीं रखा गया है। चाय बोर्ड का यह पुनर्गठन कब किया गया था ?

श्री ब० रा० भगत : चाय बोर्ड कब गठित किया गया था, इस सम्बन्ध में सही सही आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। इस वर्ष कुछ महीने पूर्व इसका गठन किया गया था। मेरे पास सदस्यता सम्बन्धी आंकड़े नहीं है। इस कार्य को श्रम मंत्रालय करता है और वही सलाह देते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : आधार क्या था ? आपको इसके आधार का पता लगाना चाहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के सदस्य बोर्ड में हमेशा रहते हैं। उन्हें वहां से क्यों हटाया गया है ? आपको इसका कारण पूछना चाहिये।

श्री ब० रा० भगत : मुझे श्रम मंत्रालय से पता चला है कि 31 दिसम्बर 1966 को सत्यापन किया गया था। सदस्यता सत्यापन के आधार पर यह कार्यवाही की गई थी।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय को पता है कि ऐसे बोर्डों में अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के साथ प्रतिनिधित्व के मामले में भेद-भाव किया जाता है जो इस उद्योग में अधिकतम कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, उसकी उपेक्षा की जा रही है और इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाता है। क्या वह श्रम मंत्रालय के साथ इस सम्बन्ध में बातचीत करेंगे जिससे अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के साथ किये गये अन्याय का निवारण हो सके ?

श्री ब० रा० भगत : मैं निश्चय ही माननीय सदस्य के विचार श्रम मन्त्री को बता दूंगा।

Targets for Production of natural raw Silk during Fourth Five Year Plan

***367. Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) the total production and consumption of natural raw silk during the last three years ;

(b) whether it is a fact that demand for silken cloth is very rapidly increasing in foreign countries and the import of raw silk from other countries is being made ; and

(c) if so, the efforts being made to achieve self-suffciency in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Choudhary Ram Sewak) : (a) to (d) . A statement is place on the Table.

Statement

(a) Estimated production as well as consumption of indigenous and imported raw silk during the last three years is as follows :–

	(in Lakh Kilograms)		
	1966	**1967**	**1968**
Production.	20.46	22-29	23.21
Consumption.	20.91	22.71	23.58

(b) Yes, Sir. The import of raw silk is allowed only in exchange of export of mulberry silk products.

(c) During the Fourth Five Year Plan period, in which target has been fixed to achieve self-sufficiency in the requirements of silk, a provision of Rs. 11.37 crores has been made for the development of silk industry. In addition, following specific schemes for the production of raw silk have been under consideration.

(1) a scheme to increase the production of cocoons of silk in Tarai areas of Himalaya ;

(2) a scheme to increase the production of raw silk in Mysore State by providing irrigation facilities in mulberry gardens irrigated by rain and by giving them better seeds and breeding facilities.

Shri Maharaj Singh Bharati : Economic conditions of silk producing countries viz. Japan, and Italy, etc., has improved and as a result thereof there is dearth of labourers and production of silk has gone down, and also the demand of natural silk has been increasing throughout the world and thus we can export silk cloth as much as we can. Keeping in view all these things whether Government have chalked out any plan to increase the production of silk ?

Choudhary Ram Sewak : Silk Board gives necessary assistance for this purpose keeping in view all these things. So far as silk industry is concerned, these has been steady progress. The production of silk has been going on. In 1964 it was 19.43 lakh kilograms and in 1968 it was 23.21 lakh kilograms. Thus it is clear that silk industry has been progressing.

Shri Maharaj Singh Bharati : Whether it is a fact that the schemes formulated for production of silk has been successful in Mysore only and other States have not cooperated in this matter and the Government of Uttar Pradesh did not care to utilise the money given by the centre ? If it is a fact then what action has been taken by the Central Government in this regard ?

Choudhary Ram Sewak : Silk Board has received some complaints, particularly in case of Kashmir. There was a production of 98 thousand kilograms of silk

in 1962 but it declined to 48 thousand kilogrammes during the last year. I shall look into the matter in so far as Uttar Pradesh is concerned.

Shri Hukam Chand Kachwai : The basic reason for not increasing the production of silk is that workers do not get wages and moreover they do not get any incentive. If they are given wages and incentive there can be four-fold increase in the production of silk. In view of this, whether Government would make some arrangements to give them some incentive or increase their wages ?

Choudhary Ram Sewak : The contention of hon'ble Minister is correct. He has said this thing keeping in view the situation of Madhya Pradesh. Money lenders are looting the public there. In view of this, the wokers engaged in silk industry do not get wages properly. Efforts are being made by the Government to provide their assistance through cooperative societies.

The State Government will look into the matter in so far other aspect of the question is concerned.

श्री एस० के० सम्बन्धन : इस प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में उप–मन्त्री महोदय ने बताया है कि विदेशों में मांग बढ़ रही है, परन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि विदेशों में हथकरघा रेशम की मांग बढ़ी है या विद्युतचालित करघों पर तैयार किये गये रेशम की । क्या वह इस सम्बन्ध में हमें जानकारी देंगे और यह भी बतायेंगे कि उनकी मांग में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ? क्या सरकार को पता है कि हथकरघा रेशम के नाम पर विद्युतचालित करघों पर तैयर किये गये रेशम का निर्यात किया जा रहा है जिससे बाद में हथकरघा रेशम के निर्यात को धक्का लग सकता है और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ? क्या मन्त्री महोदय हमें बतायेंगे कि रेशम के आयात के लिये लाइसेंस प्राप्त करने हेतु कितने आवेदन–पत्र प्राप्त हुए थे और गत वर्ष कितने मूल्य के रेशम का आयात किया गया ?

चौधरी राम सेवक : रेशम के आयात के सम्बन्ध में आंकड़े इस प्रकार है :—वर्ष 1965 में 282 लाख रुपये, वर्ष 1966 में 331 लाख रुपये, वर्ष 1967 में 408,60 लाख रुपये, वर्ष 1968 में 600 लाख रुपये और इस वर्ष अक्तूबर तक 10.83 करोड़ रुपये ।

श्री एस० के० सम्बन्धन : मैं विद्युतचालित करघे और हथकरघे के अलग–अलग आंकड़े जानना चाहता हूँ ।

चौधरी राम सेवक : ये आंकड़े दोनों किस्मों के हैं ।

श्री एस० के० सम्बन्धन : अधिक कौन से हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : हथकरघे पर तैयार किये गये रेशम के आंकड़े अधिक हैं ?

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

गैर–सरकारी उर्वरक कम्पनियों द्वारा उर्वरकों का आयात

* 364. **श्री गार्डिलिगन गौड़** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की उन गैर–सरकारी उर्वरक कम्पिनियों के क्या नाम हैं जिन के लि आयात लाइसेंस मंजूर किये गये हैं;

(ख) पिछले 5 वर्षों में उन्पोंने कितनी मात्रा में उर्वरकों का आयात किया तथा उनका क्या मूल्य है;

(ग) क्या यह सच है कि इस व्यापार में भारत सरकार के कई उपक्रमों के शामिल होने के कारण गैर–सरकारी कम्पनियों द्वारा उर्वरकों का आयात करने की नीति की पुनः जांच करने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) आयात लाई–सेंसों के ब्यौरे 'वीकली बुलेटिन आफ इंटस्ट्रीयल लाइसेंसिंग, इम्पोर्ट लाईसेंसिंग एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसिंन'' में प्रकाशित किये जाते है जिनकी प्रतियां संस्दीय पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) सरकारी तथा गैर–सरकारी एजेंसियों द्वारा किये गये आयात के वास्तविक आंकड़े पृथक–पृथक नहीं रखे जाते।

(ग) तथा (घ) . इस समय गैर–सरकारी कम्पनियों को उर्वरकों के आयात करने की अनुमति नहीं है। इन मालों के आयात राज्य व्यापार निगम के अनन्य माध्यम द्वारा दिये जाते है अथवा इनका आयात सरकारी खाते पर कृषि विभाग द्वारा किया जाता है।

दालों के निर्यात से प्रतिबन्ध हटाना

*368. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत से दालों के निर्यात पर प्रतिबन्ध हटाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है: और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप–मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) दलहन के निर्यात पर प्रतिबन्ध नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Enquiry by Central Bureau of Investigation against Union Ministers

* 369. **Shri Shashi Bhushan :** **Shri Amrit Nahata :**
Shri Kartik Oraon : **Shri P. M. Sayeed**

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the number of Union Ministers and Deputy Ministers in respect of whom enquiry was conducted by the Central Bureau of Investigation during the last three years;

(b) whether any charges of misuse of power have been levelled against any of the Ministers in the reports by the Central Bureau of Investigation;

(d) if so, the reaction of Government thereto;

(d) whether the Central Bureau of Investigation also conducted enquiry into the ancestral property of the Ministers; and

(e) if so, whether it is a fact that during the period of enquiry by the Central Bureau of Investigation, some of the Ministers gave wrong information about their ancestral property to the C. B. I and whether Government propose to take action after conducting the enquiry again in respect of those Ministers who gave wrong information about their ancestral property and concealed property by establishing benami agencies and had misued their powers ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No enquiries have been conducted by the Central Bureau of Investigation during the last three years, against any Union Minister or Deputy Minister.

(b) to (e). Do not arise.

Fixation of Cotton Price

* 370. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Foreign Trade** be please to state:

(a) whether Government are aware that the prices of cotton, grown by the peasants and sold in the market, have not yet been fixed;

(b) whether the fixed price of cotton is not in the interest of cotton growers; and

(c) if so, the efforts made to fixed remunerative price for the cotton ?

The Minister of Foreign Trade (Shri B. R. Bhagat) : (a) to (c). Statutory price control on cotton was withdrawn from 1st September, 1967 and Government do not now fix any price for sale of cotton. Government, however, announce for every cotton year minimum support price and gives an assurance that they would be prepared to buy such quantities of cotton as are offered for sale at those minimum support prices. This arrangement worked satisfactorily during the cotton years 1967-68 and has been continued for the year 1969 70.

Guarantee to Indian Investors Investing abroad against Political risks

* 371. **Shri Sharda Nand :** **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Atal Bihari Vajpayee · **Shri Suraj Bhan :**
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision on the suggestion of the Foreign Trade Institute that the Indian investors investing in the joint ventures of trade and industry abroad should be covered by a guarantee against the political risks;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for the unusual delay ?

The Minister of Foreign Trade (Shri B. R. Bhagat) : (a) to (c). There have been proposals that such a scheme should be introduced by the Government to protect Indian investments abroad but they have not been considered because the World Bank is currently engaged in formulating an International Multilateral Investment Guarantee Scheme which might serve the same purpose. Details of the Scheme are still being worked out by the World Bank.

कुछ योजना कार्यों के लिये अधिशेष राजस्व का प्रयोग

* 372. **श्री चं० चु० देसाई :**
श्री मीठालाल मीना :
श्री दे० अमात :
श्री एस० पी० राममूर्ति :
श्री सी० मुतुस्वामी :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने कुछ योजना कार्यों के लिये अधिशेष राजस्व का प्रयोग करने के बारे में विभिन्न राज्य सरकारों के साथ हाल में सम्पर्क स्थापित किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां

(ख) योजना आयोग के विचार अगले महीने राष्ट्रीय विकास परिषद् के सामने प्रस्तुत किये जायेंगे ।

राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय

*373. **श्री हिम्मत सिंह का** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 में कितनी राष्ट्रीय आय तथा प्रतिव्यक्ति आय अर्जित की गई थी और 1969-70 में कितनी होने की सम्भावना है; और

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय से राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष किस दर से वृद्धि हुई है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) 1960-61 की कीमतों के आधार पर केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा तैयार किये गये शीघ्र अनुमानों के अनुसार 1968-69 के लिये कुल तथा प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कमश: 16830 करोड़ रुपये तथा 319.3 रुपये हैं। 1969-70 के लिये इस प्रकार के अनुमान केवल सितम्बर, 1970 तक उपलब्ध हो सकेंगे ।

(ख) संगत ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

वर्ष	1960-61 की कीमतों के आधार पर शुद्ध राष्ट्रीय आय		(1960-61 की कीमतों के आधार पर) शुद्ध राष्ट्रीय आय में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि ।	
	कुल	प्रतिव्यक्ति आय		
	(करोड़ रुपये)	(रुपये)	कुल	प्रतिव्यक्ति
1	2	3	4	5
1960-61	13308	306.7	—	—
1961-62	13795	310.7	3.7	1.3
1962-63	14067	308.8	2.0	(-) 0.6
1963-64	14889	319.2	5.8	3.4
1964-65	15945	333.6	7.1	4.5
1965-66 (प्रा)	15045	307.3	(-) 5.6	(-) 7.9
1966-67 (प्रा)	15173	302.4	0.9	(-) 1.6
1967-68 (प्रा)	16525	321.3	8.9	6.2
1968-69 (शी)	16830	319.3	1.8	(-) 0.6

(प्रा)=प्रारम्भिक (शी) =शीघ्र अनुमान

चोथी योजना का प्रारूप पुनः तैयार करना

*374. **श्री सीताराम केसरी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी योजना का प्रारूप पुनः तैयार करने का निर्णय किया है, ताकि इसमें आय की असमानताओं को कम करने वाले उपायों को शामिल किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) और (ख). आय की असमानताओं को कम करने के कुछ उपायों की रूपरेखा चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-74 प्रारूप में पहले ही दी जा चुकी है। प्रारूप का पुनरीक्षण किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में आगे जो कुछ भी संशोधन सुझाव होंगे उन्हें चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम विवरण में परिलक्षित कर दिया जायेगा।

Demand by Members of Parliament for changes in Fourth Five Year Plan

*375. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in view of the present economical policy of Government, some Members of Parliament have demanded some changes in the Fourth Five Year Plan; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Prime Miinster, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b) . The Fourth Five Year Plan Draft is being reappraised by the Planning Commission in the light of points raised in the NDC, in Parliament and other forms in the country.

उड़ीसा में पटसन मिल

*376. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री पी० विश्वंभरन :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में पटसन की एक मिल लगाने का सरकार का विचार है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस मिल को बनाने का काम राज्य व्यापारी निगम को सौंपा गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस कार्य को सहकारी क्षेत्र अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपने का है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) . प्रश्न नहीं उठते ।

ऊनी तकुओं को आयातित ऊन का आवंटन

*377. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊनी तकुओं को आयातित कच्ची ऊन का कोटा देना बन्द कर दिया गया है; और यदि हां, तो कब से;

(ख) ऊनी तकुओं को यह कोटा देना बन्द कर दिये जाने के क्या कारण हैं, जबकि उनको यह कोटा उस समय से मिल रहा है जब ओ० जी० एल० हटाया गया था;

(ग) क्या सरकार को पता है कि वस्टर्ड बनाने वाले तकुओं के समान ऊनी तकुओं को भी एक विशेष तरह का कपड़ा तैयार करने के लिये मैरिनों ऊन की आवश्यकता होती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार अपने पुराने तरीके को फिर से अपनायेगी जिसके द्वारा ऊनी तकुओं को भी आयातित ऊन दी जायेगी ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां। अक्तूबर 1967 से।

(ख) चूंकि ऊनी तकुवे स्वदेशी कच्ची ऊन का प्रयोग कर सकते हैं। अतः आयात के विकल्पों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से इन तकुवों को कोई आयातित ऊन का आवंटन नहीं किया जा रहा है।

(ग) ऊनी तकवों पर मैरिनो ऊन का प्रयोग किया जा सकता है, परन्तु ऐसा प्रयोग आवश्यक नहीं समझा जाता क्योंकि ऊन के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की सीमित प्राप्यता के अधिकतम संभव सदुपयोग को सुनिश्चित करने की जरुरत है।

(घ) विद्यमान नीति को जारी रखने का विचार है।

देश में रेडियो सेटों का निर्माण

*378. **श्री से० व० पाटिल :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगठित तथा लघु उद्योग क्षेत्रों में रेडियो सेट बनाने के लिये लाइसेंस प्राप्त उद्योगों के नाम क्या हैं तथा उनको लाइसेंस प्राप्त तथा अधिष्ठापित क्षमतायें कितनी-कितनी हैं;

(ख) वर्ष 1967 और 1968 में और जनवरी 1969 से मई 1969 तक की अवधि में प्रति मास संगठित तथा लघु उद्योग क्षेत्रों में पृथक-पृथक कितने रेडियो सेट बनाए गये;

(ग) वर्ष 1967, 1968 और जनवरी से मई, 1969 की अवधि तक के इन उत्पादन आंकड़ों में (1) कम कीमत के ट्रांजिस्टर सेटों, (2) कम कीमत के ट्रांजिस्टरों को छोड़कर अन्य ट्रांजिस्टरों, (3) कम कीमत के वाल्व सेटों, (4) कम कीमत के वाल्व सेटों को छोड़कर बैटरी से चलने वाले सेटों, (5) कम कीमत के वाल्व सेटों को छोड़कर बिजली से चलने वाले सेटों की संख्या कितनी-कितनी थी; और

(घ) चौथी योजना अवधि में सरकार के अनुमान के अनुसार इन 5 प्रकार के रेडियो सेटों में से प्रत्येक की मांग कितनी हो जाने की संभावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क), (ख), (ग) और (घ) . एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2196/69**]

भारत में भारी पानी की खपत

*379. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारी पानी की वार्षिक खपत कितनी है; और

(ख) इसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) . आजकल देश में भारी पानी का इस्तेमाल अनुसंधान रिएक्टरों तथा अन्य अनुसंधान कार्यों के लिए किया जा रहा है । इसकी वार्षिक खपत 200-250 किलोग्राम है ।

पाकिस्तान को लौह अयस्क की सप्लाई

***380. श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी सहायता से स्थापित किये जा रहे प्रस्तावित करांची स्टील मिल के लिये भारतीय लौह अयस्क की सप्लाई करने के लिये पाकिस्तान सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने पाकिस्तान सरकार के इस अनुरोध को स्वींकार कर लिया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) . प्रश्न नहीं उठते ।

सूती धागे के मूल्यों में वृद्धि

***381. श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती धागे के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई हैं और इसके फलस्वरूप देश में हथकरघे बम्द हो गये हैं;

(ख) सूती धागे के मूल्यों में वृद्धि के कारण लगभग कितने हथकरघे बन्द हो गये हैं और इस कारण बैरोजगार हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ग) देश में इस प्रकार बैरोजगार हुए लोगों को रोजगार दिलाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) सूत के मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई है परन्तु हथकरघों के बंद होने की कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ख) तथा (ग) . प्रश्न नहीं उठते ।

परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबन्ध सम्बन्धी संधि के बाद, रूस, अमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा परमाणु परीक्षण

***382. श्री समर गुह** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबन्ध सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय करार के बाद से अब तक रूस, अमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा कितने भूगर्भीय परमाणु परीक्षण किये गये;

(ख) प्रत्येक देश द्वारा ऐसे परमाणु और ताप-परमाणु परीक्षणों और उनकी प्रस्फोटन क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ग) चीन ने अब तक खण्डनीय ईन्धन और संलगनीय ईन्धन से कितने परीक्षण किये और इन परीक्षणों के दौरान कितनी विस्फोट शक्ति उत्पन्न हुई;

(घ) क्रांतिक द्रव्यमान (क्रिटिल मास) में संयोजित परमाणु ईंधन की विखंडन (फिश्यन) और संगलन (फ्युजन) तकनीक का प्रायोगिक ज्ञान प्राप्ति के लिये भारत द्वारा भूगर्भीय परमाणु परीक्षण न किये जाने के क्या कारण है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार क्रांतिक द्रव्यमान के परमाणु ईन्धनों के संयोजन में परमाणु अभिक्रिया करने की भारतीय वैज्ञानिकों को अनुमति देने के हेतु अपनी नीति को बदलने का है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना. मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) : तथ्यात्मक सूचना से युक्त एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(घ) तथा (ङ) . भारत सरकार की नीति परमाणु ऊर्जा का विकास शांतिमय उपयोगों के लिए करने की है, तथा सरकार अपने कार्यक्रमों का निर्धारण इस नीति के अनुसार करती है। परमाणु ऊर्जा के शांतिमय उपयोगों के सभी क्षेत्रों में हुए आधुनिकतम विकास की जानकारी परमाणु ऊर्जा आयोग प्राप्त करता रहा है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2197/69]**

संयुक्त राष्ट्र संघ में वियतनाम समस्या को सुलझाने के लिए भारतीय प्रस्ताव

***383 श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रा० बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने वियतनाम की समस्या को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा को कुछ प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन सुझावों का ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या इन सुझावों को संबंधित पक्षों और अन्य राष्ट्रों का अनुकूल समर्थन मिला है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) . कोई विशेष प्रस्ताव नहीं किए गए हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन में भाषण करते हुए विदेश मन्त्री ने वियतनाम के मसले का भी जिक्र किया था। इस भाषण का संगत अंश सदन की मेज़ पर रखे गये विवरण में दिया गया है।

(ग) इस भाषण का आम तौर से अच्छा स्वागत किया गया था।

— विवरण

संयुक्त राष्ट्र संघ में वैदेशिक-कार्य मन्त्री के भाषण का अंश

".....एशिया में भी हमें ऐसे संघर्ष देखने को मिलते हैं जो उन्हीं दिनों से चले आ रहे हैं जिन दिनों कि इस महान संगठन की स्थापना हुई थी। मैं खासतौर पर वियतनाम और पश्चिम एशिया का उल्लेख कर रहा हूं।

"वियतनाम में शांति की स्थापना की इच्छा में कोई कमी नहीं है। लेकिन इस इच्छा को कार्यरूप किस अंश तक दिया गया है ? अमरीका द्वारा वियतनाम लोक गणराज्य पर बम्बारी बन्द कर देने से शांतिपूर्ण समाधान खोजने की दिशा में पेरिस में बातचीत सम्भव हो सकी है। अब आगे कदम उठाना है। इस विवाद से सम्बद्ध सभी पक्ष इस बात को मानते हैं कि वियतनाम के लोगों को अपने भविष्य के निर्णय खुद करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए, और कोई भी वहां विदेशी सेनाएं रखने के पक्ष में नहीं दिखाई पड़ता। सबसे पहले लड़ाई फौरन खत्म होनी चाहिए। उसके बाद विदेशी सैनिकों की वापसी के लिए आवश्यक प्रबन्ध करने होंगे जिससे कि वियतनाम के लोग बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपने भाग्य का खुद निर्णय कर सकें। यह काम कारगर रूप से तभी किया जा सकता है जब कि ऐसा प्रबन्ध किया जाए जिसे सभी सम्बद्ध पक्षों का विश्वास प्राप्त हो। इसलिए सबसे पहला कदम यह होना चाहिए कि जहां सरकार ऐसी हो जो वहां की जनता के सभी वर्गों के लोगों के विश्वास और समर्थन का समुचित प्रतिनिधित्व करें। ऐसी ही सरकार वियतनाम में विदेशी सेनाओं की वापसी का पर्यवेक्षण कर सकेगी और निष्कलुष चुनाव कराने की तैयारी करा सकेगी। वियतनाम में शांति स्थापना की इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए इस अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को पूरे सहयोग और समर्थन का वचन देना चाहिए....."

पूर्वी उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग

*384. **श्री सरजू पाण्डेय**
श्री जगेश्वर यादव :
श्री इसहाक सम्भली :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूत के मूल्य बहुत अधिक होने के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग में संकट की स्थिति है;

(ख) क्या कानपुर के एक उद्योगपति ने, जिसे इस क्षेत्र में सप्लाई करने में एकाधिकार प्राप्त है, स्वेच्छा से सूत के मूल्यों में 25 प्रतिशत वृद्धि कर दी है;

(ग) क्या गत दो महीनों से पूर्वी उत्तर प्रदेश के दो जिलों में 35,000 से भी अधिक करघे बेकार पड़े हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में हथकरघा बुनकरों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग की सहायता करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) यद्यपि पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्टेपल फाइबर धागे के मूल्यों में वृद्धि हुई है परन्तु उस क्षेत्र में हथकरघा उद्योग द्वारा किसी संकट का सामना किये जाने के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक मिल के, जो क्षेत्र में खपत होने वाले स्टेपल फाइबर धागे के एक भाग की आपूर्ति करती है, खुदरा मूल्यों में चालू वर्ष में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, परन्तु हाल में मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी है।

(ग) ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) मूल्यों को कम करने के लिये इस उद्योग को मनाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

एक भारतीय राजनयिक द्वारा मैडम स्वेतलाना के बच्चों को पत्र वितरित न किया जाना

*385. श्री किकर सिंह :
श्री स० कुण्डू :
श्री पी० एम० मेहता :
श्री गुणानन्द ठाकुर :
श्री क० लकप्पा :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री द० रा० परमार :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री चन्द्रिका प्रसाद :
श्री देवेन सेन :

क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचारपत्रों में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि एक भारतीय राजनयिक ने रूस की मैडम स्वेतलाना के निजी पत्र को मास्को स्थित भारतीय राजदूत के माध्यम से उनके बच्चों को देने की पेशकश की थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त कथन के अनुसार यह पत्र उनके बच्चों को नहीं दिया गया;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसके बारे में विदेशों में क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां। सरकार ने इस प्रकार की खबरें देखी हैं, पर इनमें कोई सच्चाई नहीं है।

(ख) से (व) प्रश्न नहीं उठते।

भारत का व्यापार संतुलन तथा भुगतान शेष

*386. श्री अदिचन : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968–69 में तथा जून और सितम्बर, 1969 के अन्त में भारत का व्यापार संतुलन तथा भुगतान शेष क्या था;

(ख) क्या पिछले वर्षों की तुलना में यह हमारे लिये अच्छा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) अन्तिम प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार चालू लेखे में भारतीय निबल भुगतान शेष में अप्रैल से दिसम्बर, 1968 की अवधि में 319.4 करोड़ रु० का घाटा दिखाया गया था जबकि यह घाटा वर्ष 1967 की उसी अवधि में 625.5 करोड़ रु० था।

भारतीय व्यापार घाटा, वर्ष 1968–69 में 501.6 करोड़ रु० था जबकि यह घाटा वर्ष 1967–68 में 808.9 करोड़ रु० था। अप्रैल-जून 1969 में यह घाटा 4.9 करोड़ रु० था जबकि यह अप्रैल-जून 1968 में 229.8 करोड़ रु० था। इसी प्रकार यह घाटा अप्रैल-सितम्बर 1969 में 75.1 करोड़ रु० था जबकि अप्रैल-सितम्बर 1968 में 302.2 करोड़ रु० था।

(ख) इससे यह पता चलता है कि भुगतान शेष तथा व्यापार संतुलन की स्थितियों में, निर्दिष्ट अवधियों में, गत वर्ष की उन्हीं अवधियों की तुलना में पर्याप्त सुधार हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Patel Commission's recommendations regarding setting up of new industries in North-Eastern Region

*387. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Patel Commission had recommended in its report the setting up of some new industries and construction of new roads in North-Eastern region in order to eradicate poverty, backwardness pue unemployment in that region;

(b) if so, the extent to which the suggestions have been implemented so far and if not, the reasons therefor; and

(c) whether there is any scheduled programme for implementing the suggestions; if so, the details thereof ?

The Prime Minister, Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (c). Attention is invited to a statement laid on the Table of the House on 21st November, 1969 for the fulfilment of an assurance relating to Unstarred Question No. 2602, latest information is still awaited from the State Government.

Russian Arms for Pakistan

*388. **Shri Shiv Kumar Shastri** :
Shri Bibhuti Mishra :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that U.S.S.R. is constantly supplying arms to Pakistan;

(b) if so, whether Government have made a mention to them of the arms supplied to Pakistan by U.S.A. and used by Pakistan in 1965 aggression; and

(c) if so, their reactions thereto ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) and (c). Attentison is invited to the answer given in the House on 19th November 1969, to Starred Question No. 67.

(b) Yes, Sir.

Refusal by South Africa to withdraw its administration from South-West Africa

*389. **Shri Chandra Shekhar Singh :**
Shri Yogendra Sharma :
Shri Dhireshwar Kalita :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether South Africa has persistently refused to withdraw its administration from South West Africa and hand over the territory to the United Nations;

(b) if so, the action being proposed by the United Nations against South Africa for its defiance of all U.N. decisions in this respect; and

(c) whether India has made any suggestions in this connection ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The Fourth Committee of the General Assembly at its current session has adopted two resolutions condemning the Government of South Africa for its persistent refusal to withdraw its administration for Namibia. The second resolution draws the attention of the Security Council to the grave situation that has arisen as a result of South Africa's refusal to withdraw its administration from Namibia, and requests that appropriate measures may be taken in this connection.

(c) India co-sponsored both the above resolutions. Intervening in the debate our representative stated that the Security Council should meet without delay to determine the measures it should take in the face of South Africa's refusal to comply with the U.N.'s resolutions, and he also mentioned that imposition of sanctions may be important in this context.

भारत अमरीका द्विपक्षीय वार्ता

*390. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री मयावन :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत अमरीका द्विपक्षीय वार्ता 16 अक्तूबर, 1969 को हुई थी ।

(ख) यदि हां, तो उसमें किन किन विषयों पर चर्चा हुई थी, और

(ग) उसमें क्या निर्णय किये गये थे ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां । वाशिंगटन में 16–17 अक्तूबर 1969 को भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच बातचीत का दूसरा दौर समाप्त हुआ ।

(ख) और (ग) . इस बातचीत के दौरान द्विपक्षीय संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय विषयों के सम्बन्ध में सामान्य हित के मामलों पर विचार विनिमय हुआ ।

कम्बोडिया में अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग पर ऋण भार

2401. श्री चपला कान्त भट्टाचार्य : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम्बोडिया ने अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग को उस देश को छोड़कर चले जाने के लिये कहा है;

(ख) क्या इसका कारण यह है कि आयोग ने 9 लाख रुपये की राशि देनी है; और

(ग) यदि हां, तो धन दाता चार देशों में से कौनसे देश इस स्थिति के लिये उत्तरदायी हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) ; (क) माननीय सदस्य का ध्यान 19 नवंबर 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 428 की ओर आकर्षित किया जाता है ।

(ख) और (ग) . इस समय इस आयोग में करीब 50 लाख रुपए का कुल अंशदान अपना बकाया है । आयोग में अंशदान करने वाले देशों के नाम हैं : यूनाइटेड किंगडम, सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ, फ्रांस, चीन, वियतनाम लोक गणराज्य और कम्बोडिया चीन और वियतनाम लोक गणराज्य ने चूंकि अपने-अपने हिस्से का अंशदान नहीं दिया है, इसीलिए यह रकम बकाया है, लेकिन वियतनाम लोक गणराज्य का अंतर्राष्ट्रीय अधीक्षण एवं नियंत्रण आयोग, वियतनाम की तरफ कुछ हिसाब निकलता भी है ।

नागालैण्ड में सैनिक कार्रवाही स्थगित करना

2402. श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागालैण्ड में जंगलों में सैनिक कार्रवाई, चीनी हथियारों के लिये तलाशियां और गिरफ्तारियां 12 सितम्बर, 69 से 15 दिनों के लिए स्थगित कर दी गई थीं; और

(ख) कार्रवाई स्थगित करने से वस्तुतः क्या लाभ हुआ है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) . नई स्थिति का सामना करने तथा पुनः शान्ति स्थापित करने की स्थितियां लाने के लिए, नागालैण्ड के मुख्य मंत्री छिपे तथा प्रकट नागा नेताओं से मिले । इन बैठकों में, दूसरी बैठक में, जो अगस्त 1969 के अन्त में हुई, एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें छिपे नागा नेताओं से इस बात का आग्रह किया गया कि वे हिंसात्मक कार्रवाइयां बन्द कर दें और राज्य सरकार से इस बात का अनुरोध किया गया कि सुरक्षा दल की ओर से की जाने वाली कार्रवाई वह रोक दे और छिपे तथा प्रकट नेता स्वतंत्र रूप से विचरण करने में समर्थ हों और उनके साथ सम्पर्क हो । इस प्रस्ताव के अनुपालन में, मुख्य मंत्री ने एक वक्तव्य में जो 12 सितम्बर, 1969 को जारी किया गया, इस बात की पुष्टि की कि उनकी सरकार कार्रवाई, स्थगित रखने से सम्बद्ध शर्तों का सख्ती से पालन करेगी और कहा कि यद्यपि सुरक्षा के सामान्य प्रबन्ध बने रहेंगे लेकिन सुरक्षा दल 12 सितम्बर से 30 सितंबर, 1969 के बीच जंगल में कार्रवाई, गिरफ्तारियां और खोज-बीन नहीं करेगा ।

वाशिंगटन में भारतीय दूतावास के पदों की बहाली

2403. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाशिंगटन में भारतीय दूतावास द्वारा सूचना सलाहकार के पद को, जिसे कुछ वर्ष पहले समाप्त कर दिया गया था जब उस दूतावास ने अपने लोक सम्पर्क कार्य की देखभाल के लिये एक गैर–सरकारी फर्म को ठेका देने का निर्णय किया था, उसे गैर सरकारी लोक सम्पर्क फर्म के साथ हुए ठेके की अवधि बढ़ाने के साथ साथ बहाल कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आर्थिक विषयों के लिये एक पृथक राजदूत के पद को बहाल करने के क्या कारण हैं; जिसे श्री वी० के० नेहरू की अमरीका में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्ति करते समय समाप्त कर दिया था ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) वाशिंगटन स्थित भारत के राजदूतावास में सूचना सलाहकार का कोई पद नहीं है राजदूतावास के सूचना विभाग में जन सम्पर्क सहचारी के पद को जिसका अब नाम जन सम्पर्क अधिकारी रखा गया है और जो सितम्बर 1963 के बाद दूसरे मिशन में स्थानांतरित कर दिया गया था, वाशिंगटन स्थित हमारे मिशन में अब लौटा लिया गया है और सहायक प्रेस सहचारी पद को आस्थगित रखा गया है । अतः सूचना विभाग में राजनयिक अधिकारियों की कुल संख्या पहले के समान ही है । प्रश्न में जिस निजी फर्म की ओर संकेत किया गया है, उसे भारत की चौथी पंच-वर्षीय योजना के संबंध में सं० रा० अ० में प्रचार तथा जनसम्पर्क सम्बन्धी कार्यों के लिए लगाया गया है । भारत सरकार का यह विचार है कि संयुक्त राज्य अमरीका में प्रचार और जनसम्पर्क की आवश्यकताएं सरकारी प्रचार संगठन के अतिरिक्त एक गैर सरकारी जनसम्पर्क संगठन नियुक्त करने का औचित्य प्रदर्शित करती हैं ।

(ग) जब श्री बी० के० नेहरू अर्थकार्य विभाग के प्रधान कमिश्नर थे, तब वे विश्व बैंक में भारत के कार्यकारी निदेशक भी थे । बाद में जब श्री बी० के नेहरू राजदूत हुए तब कुछ समय तक वे कार्यकारी निदेशक रहे । एक के बाद एक मंत्री की कोटि के अधिकारी कार्यकारी निदेशक के पद पर तब तक बने रहे जब तक वर्तमान पदधारी ने जिसे राजदूत का निजी दर्जा दिया गया है, कार्यभार ग्रहण न कर लिया । अतः इससे पता चलेगा कि प्रधान कमिश्नर के पद को न तो फिर से चालू किया गया है, न अर्थ कार्य विभाग के लिए राजदूत का कोई अलग पद है ।

अमरीका, रूस, चीन, ईरान तथा तुर्की द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई

2404. श्री बबूराव पटेल : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष अमरीका, रूस, चीन, ईरान तथा तुर्की ने पाकिस्तान को कितने तथा क्या क्या हथियार बेचे या सप्लाई किये;

(ख) नवीनतम सूचना के अनुसार इस समय पाकिस्तान की स्थल, जल तथा वायु सेनाओं की प्रभावी आक्रामक शक्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाकिस्तान से होने वाले खतरे का सामना करने के लिये हमारी सरकार ने कोई कार्यवाही की है; और

(घ) क्या हमारी सरकार ने पाकिस्तान को हथियार देने वाले विभिन्न देशों से कड़ा विरोध प्रकट किया था; और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

प्रतिरक्षा मंत्री, तथा इस्पात और भारी इन्जीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) पाकिस्तान को सोवियत संघ द्वारा सैनिक साजसामान की सप्लाई के संबंध में सूचना 19 नवम्बर 1969 को तारांकित प्रश्न संख्या 67 के उत्तर में दी गई थी। जहां तक सरकार को ज्ञान है गत एक वर्ष के दौरान अन्य देशों द्वारा पाकिस्तान को कोई विशेष सप्लाईयां नहीं दी गई थीं।

(ख) ध्यान 26 नवम्बर 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1529 और 1481 के उत्तरों की ओर आकर्षित किया जाता है।

(ग) हमारी रक्षा तैयारी की स्थिति उन संकटों को ध्यान में रखती है कि जिनका देश को सामना करना होता है।

(घ) पाकिस्तान को आयुधों की सप्लाईयों के संबंध में सरकार के विचार सभी मित्र सरकारों को जता दिये गये हैं।

सर्वश्री एस० एम० वाही, के० एम० वाही और आर० एम० वाही के विरुद्ध न्यायालयों में विचाराधीन मामले

2405. श्री बाबूराव पटेल : क्या **पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एस० एम० वाही०, के० एम० वाही, आर० एम० वाही और उनके सहयोगियों के विरुद्ध इस समय कितने फौजदारी के मामले न्यायालयों में विचाराधीन हैं, वे किन किन तिथियों को दायर किये गये थे और प्रत्येक मामले इस समय किस स्थिति में हैं और प्रत्येक मामले में कितनी राशि की धोखाधड़ी के आरोप हैं; और

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इन व्यक्तियों के विरुद्ध कितने तथा किन किन नये मामलों की जांच पड़ताल की जा रही है और यह काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

पूर्ति मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रा० के० खाडिलकर) (क) सर्वश्री एस० एम० वाही, के० एम० वाही, आर एम० वाही और उनके सहयोगियों के विरुद्ध न्यायालय में विचाराधीन फौजदारी मामलों के सम्बन्ध में जानकारी, 26 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4411 के भाग–(क) तथा (ख) के उत्तर में सभा-पटल पर रखे गए विवरण में दे दी गई थी। उक्त चारों मामलों में से प्रत्येक मामले के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति, सभा-पटल पर रखे गये विवरण–1 में दे दी गई है।

(ख) एक विवरण (2) सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2198/69**]

मोटर-गाड़ियों का निर्यात

2406. श्री न० कु० सांघी : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी वर्ष में मोटर-गाड़ियों के निर्यात का क्या लक्ष्य है:

(ख) क्या मोटर गाड़ी निर्माताओं ने निर्यात में वृद्धि के लिये सरकार से सहायता मांगी है;

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की तथा कितनी सहायता मांगी है; और

(घ) भारतीय मोटर-गाड़ियों का आयात करने वाले देशों के नाम क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापारमंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) इंजीनियरिंग परिषद् ने वर्ष 1969–70 में मोटर-गाड़ियों तथा उनके संघटकों के निर्यात के लिये 8 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया है।

(ख) तथा (ग). जी हां। ये अनुरोध सामान्यतः नकद सहायता तथा आयात प्रतिपूर्ति की दर को बढ़ाने से सम्बन्धित होते हैं ;

(घ) प्रमुख देश जो भारत से मोटर-गाड़ियों का आयात करते हैं निम्नलिखित हैं : बल्गारिया, श्रीलंका, मिस्र, केनिया, सूडान, ब्रिटेन तथा युगोस्लाविया।

उत्तर प्रदेश छावनी (किराया तथा बेदखली नियंत्रण) अधिनियम, 1952

2407. श्री रामचरण :
श्री कामेश्वर सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उत्तर प्रदेश छावनी (किराया तथा देदखली नियंत्रण) अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत जारी किये गये आदेशों के पुनर्विलोकन अथवा उनको रद्द करने की उक्त अधिनियम में कोई व्यवस्था नहीं है और इसके फलस्वरूप अनेक मामलों में यह अधिनियम बहुत कठोर हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस त्रुटि के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस त्रुटि पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो इस त्रुटि को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(ङ) जिन मामलों का पुनर्विलोकन पहले ही किया जा चुका है अथवा यदि ऐसे कोई मामले हैं जो पुनर्विलोकन हेतु जिला मजिस्ट्रेटों के पास पड़े हैं तो ऐसे सभी मामलों के साथ सरकार का विचार किस प्रकार निपटने का है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं। यद्यपि जिला न्यायाधीश को धारा 7 के अंतर्गत अधिकार है कि वह निर्धारित मामलों में युक्ति संगत

वार्षिक किराया निर्धारित करे, जहां मकान मालिक दावा करता है कि किराया काफी नहीं, या किरायेदार दावा करता है कि किराया अधिक है, या परस्पर तयशुदा किराया युक्तिसंगत वार्षिक किराया से अधिक है, मुनसिफ, असैनिक जज, जिला जज को धारा 4(4) के अन्तर्गत किराया नियत करने का अधिकार है।

(ख) से (ङ) . प्रश्न नहीं उठते।

तत्काल तैयार होने वाला (इन्सटेंट) भोजन का निर्यात

2408. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 सितम्बर, 1969 के फिनेन्शियल एक्सप्रैस में सीमा शुल्क के नियमों के अधीन तत्काल तैयार होने वाले भोजन के निर्यात को रोकना शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या पहले से चली आ रही प्रथा तत्काल तैयार होने वाले भोजन के पोत लदान की अनुमति पोत लदान सम्बन्धी कागजातों को देखकर ही दे दी जाती थी। उसके विरुद्ध अब ये अधिकारी पोत लदान की अनुमति देने से पूर्व नई दिल्ली से प्राप्त निर्यात लाइसेंस दिखाने की मांग करते हैं; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जब कुछ तत्काल तैयार होने वाले भोजन निर्यात कर्ताओं ने निर्यात लाइसेंस के लिये आवेदन किया था तो नई दिल्ली में अधिकारियों की ओर से कोई उत्तर नहीं दिया गया; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार तत्काल तैयार होने वाले भोजन के निर्यातकर्ताओं की कठिनाइयां दूर करने का है, जो उन मदों के अन्तर्गत आता है जिन्हें निर्यात हेतु प्रोत्साहन दिया जाता है; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) . पतन प्राधिकारियों को 4-10-1969 को अनुदेश जारी किये जा चुके हैं कि वे पोत लदान कागजातों के दिखाने पर तत्काल तैयार होने वाले भोजन की मदों अर्थात् इडली मिक्स, डोसा मिक्स, बड़ा मिक्स. गुलाब जामुन मिक्स आदि के लिये मुक्त रूप से लाइसेंस जारी करें।

मद्रास में परमाणु संयंत्र के लिए उपकरण

2409. श्री अदिचन : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में दूसरे परमाणु शक्ति संयंत्र के लिये आवश्यक अधिकांश उपकरणों को हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा अन्य निर्माताओं द्वारा भारत में ही बनाया जायगा;

(ख) यदि हां, तो उन उपकरणों का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक उपकरण के बनाने पर कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होने की सम्भावना है; और

(ग) मद्रास परमाणु शक्ति संयंत्र के लिये आवश्यक उन वस्तुओं का ब्यौरा तथा उनकी लागत कितनी है जिनका आयात करना होगा ?

प्रधान मंत्री वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) जी, हां ।

(ख) भारत में जिन बड़े उपकरणों के बनाये जाने की सम्भावना है उनमें रिएक्टरों के हिस्से, टर्बो-जैनरेटर, डीजल जैनरेटर, जैनरेटर ट्रांसफार्मर, एच टी तथा एल टी केबल तथा कैथोडिक प्रोटेक्शन उपकरण शामिल हैं । भारत में ही उपकरणों का निर्माण किए जाने से लगभग 15 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा की बचत होने की सम्भावना है ।

(ग) लगभग 10 करोड़ रुपये मूल्य के उपकरण आयात करने की आवश्यकता होगी । इनमें कुछ परम्परागत किस्म की सामग्री तथा उपकरण शामिल हैं जो भारत में नहीं बनाये जाते ।

बढ़िया बीजों का निर्यात

2410. श्री गाडिलिंगन गौड :
श्री रा० कृ० बिड़ला :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत कुछ किस्मों के बीजों का विभिन्न देशों को निर्यात कर सकता है;

(ख) क्या भारतीय राष्ट्रीय बीज निगम ने बीजों के निर्यात को बढ़ाने के लिए कोई व्यापक योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग) . जी हां । अच्छी किस्म के बीजों की फालतू मात्रा निर्यात के लिये गत दो तीन वर्षों से ही उपलब्ध हुई है और उसका निर्यात किया जा रहा है । उनके निर्यात को बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड द्वारा एक विस्तृत योजना का निरूपण किया जा रहा है ।

नेपाल, बर्मा तथा श्रीलंका को निर्यातित तथा वहां से आयातित माल

2411. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में नेपाल. बर्मा तथा श्रीलंका को क्या क्या तथा कितनी-कितनी मात्रा में तैयार तथा कच्चा माल निर्यात किया गया और वहां से क्या और कितना माल आयात किया गया;

(ख) क्या भारत द्वारा इन देशों से ऐसी वस्तुओं के आयात किये जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई जो भारत में उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी आयातित वस्तुओं का ब्यौरा तथा मूल्य क्या हैं और ऐसे आयात को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) अपेक्षित जानकारी देने वाले विवरण (अंग्रेजी) में संलग्न हैं।

(ख) तथा (ग). बर्मा तथा श्रीलंका से आयातित मदों के सम्बन्ध में भारत में निर्माताओं उत्पादकों से कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। नेपाल के सम्बन्ध में मुख्य शिकायत संश्लिष्ट धागे के वस्त्रों तथा अविकारी इस्पात के उत्पादकों के सम्बन्ध में रही है। नवम्बर, 1968 में नेपाल के महामहिम की सरकार के साथ हुई वार्ताओं के फलस्वरूप नेपाल से भारत को इन मदों के निर्यातों को विनियंत्रित करना स्वीकार कर लिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2199/69**]

Target of production of Rubber during Fourth Five Year Plan

2412. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) the quantity of natural rubber produced in the country during the last three years and the requirement thereof during the said period: and

(b) the estimated requirement of natural rubber during the Fourth Plan period and the steps being taken to meet the said requirement ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a)

Year	Preduction of Natural Rubber Tonnes	Consumption of Natural Rubber Tonnes
1966-67	54,818	68,685
1967-68	64,468	74,518
1968-69	71,054	86,615

(b) The requirement of natural and synthetic rubber at the end of the Fourth Five Year Plan is estimated at 200,000 tonnes. This is proposed to met by increased indigenous production of both natural and synthetic rubber estimated at 1,60,000 tonnes and the import of the balance.

Projecting correct Image of India through Journals, in Foreign Countries

2413. Shri Ram Avtar Sharma : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of newspapers and journal published by Government in foreign languages to present the corerct image of India in foreign countries along with the names of these languages and the countries where they are published;

(b) whether it is a fact that Government do not publish journals, etc. in the South-East Asain countries i. e., Indonesia, Japan, Malaysia, Thailand, Burma, etc. in the languages of these countries; and

(c) if so the reasons therefor and whether Government propose to strengthen India's publicity in South-East Asain countries to present the correct immage of India there ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) 117 news bulletins, journals etc. are published by Government in 20 foreign languages-

(English.79, Arabic-8, Gorkhali-8, French-4, Burmese-3, German-3, Italian-3, Persian-2 Russian-2 Sanish-2, Sawahili-2, Tibetan-2, portugese-1, Indonesian-1, Japanese-1, Thai-1, Bengali-1, Malay-1, Chinese-1. Sinnala-1 in 52 countries. A statement listing them and indicating the countries where they are published is attached (Annexure-1).

(b) No, Sir, A statement listing the News bulletins, Journals etc. published in South East Asian countries in their language is atteched (Annexure-II)

(c) Does not arise. However, Government keep this matter under constant review. **[Placed in the library See. No. LT. 2200/69]**

इमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों की राष्ट्रीय छात्र सेना दल में पुनः नियुक्ति

2414. श्री अदिचन : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इमरजेंसी कमीशन प्राप्त कितने अधिकारी राष्ट्रीय छात्रसेना दल में पुनः नियुक्त किये गये हैं ;

(ख) उनकी नौकरी की शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या उन्हें राष्ट्रीय छात्र सेना दल में अस्थाई रूप से लिया जाता है अथवा स्थायी रूप से ;

(घ) यदि उन्हें राष्ट्रीय छात्रसेना दल में अस्थायी रूप से लिया जाता है, तो भविष्य में उनकी नौकरी की सुरक्षा क्या है ; और

(ङ) कितने भूतपूर्व इमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारी बेरोजगार हैं और उनमें से कितने अच्छी नौकरियों पर नहीं हैं जैसे क्लर्क आदि और उन्हें अच्छी नौकरी देने के लिये क्या योजनायें हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री म० रं० कृष्ण) : (क) 483

(ख) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2201/59]**

(ग) और (घ). पूर्णतया राष्ट्र छात्रसेना के पदों पर प्रतिरक्षा सेवा के नियमित सेवा अधिकारी काम करते हैं। फिर भी इन अधिकारियों की कमी के कारण इन पदों पर भूतपूर्व इमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को भी अस्थायी आधार पर पुनः ले लिया जाता है। पुनर्नियोजन की सामान्य अवधि दो वर्ष है जिसे एक-एक वर्ष करके जब तक उनकी सेवाओं की आवश्यकता होती है बढ़ाया जा सकता है।

(ङ) 26 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1435 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। भूतपूर्व एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों के क्लर्कों आदि के रूप में नियोजन के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

प्रधान मंत्री की रांची यात्रा पर हुआ व्यय

2415. श्री वेणीशंकर शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2 सितम्बर, 1969 को उनकी रांची की यात्रा पर जहां वह $6\frac{1}{2}$ घंटे ठहरी थी $6\frac{1}{2}$ लाख रु० खर्च हुए थे जिसे राज्य के लोक निर्माण विभाग ने वहन किया था ;

(ख) क्या बिजली, विशेष पुलिस वास्ते और आसूचना व्यवस्था तथा उनके परिचारक गणों पर व्यय, हिन्दुस्तान स्टील में लंच और हैवी इन्जीनियरी कारपोरेशन में अन्य व्यवस्था और सजावट के अलावा यह भारी धन राशि सड़क के दोनों ओर रेलिंग, मंच आदि की व्यवस्था पर खर्च हुई थी ;

(ग) क्या यह एक सरकारी दौरा था ; और

(घ) यदि यह यात्रा दल की ओर से थी तो क्या यह खर्चा दल देगा।

प्रधान मन्त्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) . बिहार सरकार से अनुरोध किया गया था कि वह प्रधान मंत्री की यात्रा के सम्बन्ध में खर्च की सूचना दे ; उनके उत्तर की प्रतिक्षा की जा रही है। इसलिए यह कहना संभव नहीं है कि राज्य सरकार ने क्या खर्च किया था। उस सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह प्रधान मन्त्री तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों की यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा का आवश्यक प्रबन्ध करे और इसके साथ ही ऐसे कार्यों पर बड़ी संख्या में जमा होने वाले लोगों स्त्रियों और बच्चों की समुचित सुरक्षा और सुविधा का भी इन्तजाम करे। इस काम के लिए अक्सर रुकावटें खड़ी करनी पड़ती है, जिस पर काफी खर्च आता है, लेकिन भगदड़, दुर्घटना और अव्यवस्था को रोकने के लिए ऐसा करना बहुत जरुरी है। इसलिए, बिहार सरकार ने आवश्यक प्रबन्ध किये थे।

(ग) और (घ) . प्रधान मंत्री समय-समय पर विभिन्न राज्यों की जो यात्रा करती हैं, यह दौरा उसी का एक अंग था और इसका उद्देश्य राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलना था। इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री ने राज्य के बाढ़ग्रस्त इलाकों और वहां रहने वाले लोगों की सहायता के लिए किए जाने वाले उपायों पर बातचीत की और इस अवसर पर लोगों को यह भी समझाया कि देश के बड़े-बड़े व्यापारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की सरकार ने जो कार्यवाही की है, उसका महत्व क्या है।

हिमाचल प्रदेश में एक सैनिक स्कूल खोलना

2417. **श्री हेमराज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश राज्य के सैनिक; नाविक तथा वायुसैनिक बोर्ड ने हिमाचल प्रदेश में एक सैनिक स्कूल खोलने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एम० आर० कृष्णा) : (क) तथा (ख) . हिमाचल प्रदेश में कोई सैनिक स्कूल खोलने के लिए सरकार को हिमाचल प्रदेश सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड से किसी प्रार्थना का ज्ञान नहीं है।

डा० तेजा का प्रत्यार्पण

2418. श्री विश्वम्भरन :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० धर्मतेजा के प्रत्यार्पण के लिए और आगे कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) . भारत सरकार ने अपनी बात दुहराते हुए कोस्टारिका की सरकार से औपचारिक रूप से अभ्यावेदन किया है और यह आशा व्यक्त की है कि कोस्टारिका के सुप्रीम कोर्ट के मत के बावजूद, जिसने कि 7 के मुकाबले 10 के बहुमत से भारत की प्रार्थना के विरुद्ध अपना मत व्यक्त किया है, डा० और श्रीमती तेजा के प्रत्यार्पण की भारत की प्रार्थना स्वीकार करली जायेगी। कोस्टारिका की सरकार ने अपने सुप्रीम कोर्ट के मत पर तथा भारत के औपचारिक विरोध प्रदर्शन पर अपने विचार व्यक्त नहीं किए हैं।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड के कर्मचारियों में असन्तोष

2419. श्री एस० एम० कृष्ण : **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री पी० विश्वम्भरन : **श्री लखनलाल कपूर :**

क्या **विदेशी व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड के अन्य प्रदेशों में बदली किये गये अधिकारियों की वरिष्ठता निश्चित करने में विलम्ब होने से सम्बद्ध कर्मचारियों में व्यापक असन्तोष पाया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे इस निगम के कार्य संचालन पर भी प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख) . जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Measures against South Rhodesia

2420. Shri Valmiki Choudhary : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Commonwealth Sanctions Committee has taken a decistion to take strict measures against South Rhodesia ;

(b) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendrapal Singh) : Yes, Sir.

(b) Among other things, the Commonwealth Sanctions Committee has recommended the following measures ;

(i) Imports in to Zambia from Rhodesia should be replaced by imports from the Commonwealth countries,

(ii) Commonwealth countries should enact legislation prohibiting the carriage of Rhodesian goods in vessels of their registry or under charter to their nationals.

(c) The Goverament of India fully supports the measures recommended by the Committee.

चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिये राज्यो के साथ विचार विमर्श

2421. श्री चेंगलराया नायडू : **श्री मयावन :**
श्री रा० बरुआ : **श्री नि० रं० लास्कर :**

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने योजना के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिये राज्य सरकार से विचार विमर्श कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो कुछ राज्यों ने इस विचार विमर्श के दौरान कुछ बड़े परिवर्तन करने के सुझाव दिये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि प्रधान मन्त्री के हस्क्षेप पर राज्यों को उनकी चालू वर्ष की योजना के परिव्यय के लिये केन्द्रीय सहायता 100 करोड़ से बड़ा कर 715 करोड़ रुपये की जा रही है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) : राज्य सरकारों की चौथी पंचवर्षीय योजनाओं को अन्तिम रूप देने के बारे में उनके साथ अभी विचार विमर्श किया जा रहा है ।

(ग) जी, नहीं ।

Conference of Economists for providing resources for Fourth Five Year Plan

2422. Shri K. M. Madhukar : Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) whetner a Conference of 25 economists of the country was held in Delhi in the last week of July and the first week of August this year in respect of providing resources for the Fourte Five Year Plan :

(b) if so, the suggestions made by these Economists unanimously ;

(c) the aetion being taken by Government on each of the suggestions separately ; and

(d) if not the reasons therefer ?

Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The Planning Commission held a meeting, with some distinguished economists on 1st and 2nd of August, 1969 to discuss the draft Fourth Five-Year Plan and the important policy and other issues arising from it.

(b) The meeting suggested setting up of four study groups which will identify problems on which intensive investigation may be sponsored to the University and research institutions.

(c) Four Study Groups have accordingly been constituted as follows :

(i) Planning Methodology ;

(ii) Employment, Regional Imbalances, Problems of weaker section, Land Reforms, and Economic Controls ;

(iii) Savings, Resources mobilisation, Investment and Pricing Policy ;

(iv) Public enterprises.

The Study Groups will meet shortly.

(d) The question does not arise.

एल्युमीना, एल्युमीनियम की छड़ें तथा एल्युमिनियम के ढांचों का निर्यात

2423. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एल्युमीना, एल्युमीनियम की छड़ों तथा एल्युमीनियम के ढांचों के निर्यात के लिए सरकार द्वारा कितनी राज सहायता, नगद सहायता या अन्य किस प्रकार के निर्यात प्रोत्साहन दिये जाते हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो अन्य औद्योगिक उत्पादों के लिये जो किया जाता है उसी तरह किसी न किसी प्रकार का प्रोत्साहन देकर सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ावा न दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) किन-किन कम्पनियों ने गत दो वर्षों में देश वार एल्युमीनियम छड़ों एल्युमीनियम के ढांचों तथा एल्युमीना का निर्यात किया है और उनसे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) एल्युमिनियम के सामान के निर्यातों पर पोतपर्यन्त मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से नकद सहायता दी जाती है। एल्यूमीना तथा एल्यूमिनियम पिण्डों पर कोई नकद सहायता नहीं दी जाती है।

(ख) अनेक भारतीय औद्योगिक उत्पादों को विदेशी बाजार में पैठने में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन कठिनाइयों का कारण औद्योगिक उत्पादन की अवस्था, इसकी दक्षता, कतिपय कच्चे माल तथा मध्यवर्ती उत्पादों की लागत है। हमारे निर्यातकों को उनकी कठिनाइयों पर काबू पाने की स्थिति में लाने के लिये सरकार उनकी विपणन प्रतिस्पर्द्धा शक्ति सुदृढ़ करने तथा प्रतिस्पर्धी निर्यात उत्पादन तैयार करने हेतु सहायता प्रदान करती है। निर्यात के प्रयोजनार्थ उक्त प्रकार की सहायता एल्यूमिनियम पिण्डों तथा एल्यूमीना के लिये अपेक्षित नहीं है।

(ग) एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है, जिसमें विगत दो वर्षों में एल्यूमिनियम पिण्डों, एल्यूमिनियम के ढांचों तथा एल्यूमीना का देश-वार निर्यात दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2202/69]

मैसर्स रौनक एण्ड कम्पनी, दिल्ली द्वारा निर्यात और आयात के कम तथा अधिक राशि के बीजक बनाये जाना

2424. श्री अब्दुल गनी दार : क्या **विदेशी व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली की फर्म मैसर्स रौनक एण्ड कम्पनी के द्वारा गत तीन वर्षों में निर्यात तथा आयात के कम तथा अधिक राशि के बीजक बनाये जाने के बारे में उसके विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई थी :

(ख) यदि हां, तो क्या कोई जांच की गई थी और यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही की गई हैं, तो क्या ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग) . निर्यात तथा आयात के कम तथा अधिक राशि के बीजक बनाये जाने के बारे में मैसर्स रौनक एण्ड कम्पनी, दिल्ली के विरुद्ध कोई शिकायत गत तीन वर्षों में प्राप्त नहीं हुई हैं।

Imports of Goods by Directorate Genral of Supplies and Disposals

2425. Shri Remavatar Shastri : Will the Minister of **Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Directorate Genral of Supplies and Disposals imports goods from abroad to fulfil the requirements of various Government Department ;

(b) if so, the details of the imports during the last three years and the amount of expenditurs incurred on it, year-wise ;

(c) the year wise details of the countries from which the imports were made and the amounts paid to them ;

(d) whether Government have formulated any scheme to make imports from Socialist Countries ; and

(e) if so, the datails thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Supply and the Ministry of Finance (Shri R. K. Khadilkar) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement (I) is laid on the Table of the House ;

(c) A statement (II) is laid on the Table of the House ;

(d) and (e) . Every year the Government concludes Trade Agreements with the Socialist Countries indicated below for the import of various goods on rupee account:--

U. S. S. R., German Democratic Republic, Poland, Czechoslovakia, Bulgaria, Rumania, Yugoslavia. Hungary, Democratic Peoples Republic of Korea (North Korea).

Against the Trade Plans, licances are issued to State Trading Corporation, Minerals and Metals Trading Corporation, Actual Users, Government Departments and Public Sector Corporations subject to the condition that the payment will be made in non-convertible Indian rupees. Licences are also issued against D. G. S. & D, contracts for import from rupee payment countries mentioned above on the basis of specific foreign exchange release made available by the Indenting Departments. [Placed in the Library. Please See No. L. T. 2203/66].

Iron Exports

2426. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether Government propose to inter into an agreement for a period of 15 years in regard to the export of iron; and

(b) if so, the names of the countries with which such agreements have been concluded so far as also the periods for which concluded with each country ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Choudhary Ram Sewak) : (a) and (b). Presumably the Hon'ble Member is referring to the export of iron ore and not iron and steel. An offer for supply of over 200 million tons of iron ore during a period of 15 years (1970 to 1984) has been made to the Japanese steel mills by the Minerals & Metals Trading Corporation. An MMTC delegation is currently in Tokyo for negotiations with the steel mills.

A long term contract for supply of 22 million tons of iron ore, 8 million tons firm and 14 million tons optional over a period of 10 years (1971 to 1980) has been concluded with Rumania.

पटसन उद्योग की समस्याओं सम्बन्धी सलाहकार समिति

2427. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या **विदेशी व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्चे माल की प्राप्ति, उत्पादन, निर्यात तथा आधुनिकीकरण के बारे में पटसन उद्योग की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने एक सलाहकार समिति नियुक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके गठन, कार्य क्षेत्र और शक्तियों का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). पटसन वस्त्र सलाहकार परिषद् बनाने के सम्बन्ध में सरकारी संकल्प दिनांक 26 जुलाई, 1969 की एक प्रति (अंग्रेजी में) संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2404/69**]

चीन द्वारा परमाणु विस्फोट

2428. श्री समर गुह : क्या **प्रति रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चीन ने हाल ही में 29 सितम्बर, 1969 को लोप-नोर में परमाणु विस्फोट किया था;

(ख) यदि हां, तो इस परमाणु विस्फोट का स्वरूप तथा प्रस्फोटन क्षमता कितनी है;

(ग) चीन के पास जो परमाणु और तापीय-परमाणु हथियार तथा परमाणु प्रक्षेपास्त्रों का जो भन्डार है, उसका नवीनतम अनुमान क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि चीन ने अपने परमाणु संस्थान तिब्बत को ले जाने का निर्णय किया है; और

(ङ) यदि हां, तो भारत ने चीन के बढ़ते हुए परमाणु खतरे का सामना करने के लिए क्या कार्यवाही की है और चीन द्वारा परमाणु तथा तापीय-परमाणु अस्त्रों को बनाने तथा ऐसे हथियारों को छोड़ने की व्यवस्था के विकास के शीघ्रगामी कार्यक्रम को देखते हुए क्या भारत परमाणु अस्त्रों के निर्माण की अपनी नीति पर पुनर्विचार करेगा ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) प्राप्य सूचना के अनुसार विस्फोट निम्नतर वायुमन्डल में किया गया था और लगभग 3 मैगाटन उपज का था।

(ग) ऐसा ज्ञात है कि चीन प्रतिवर्ष 20 किलोटन क्षमता के लगभग 40 नाभिकीय बमों का उत्पादन कर सकता है। चीन के पास हाईड्रोजन बमों का उत्पादन करने की भी क्षमता है। स्टाक पाईल की वास्तविक संख्या विश्वस्त तौर पर ज्ञात नहीं है।

(घ) तथा (ङ). चीनी नाभिकीय संस्थानों के स्थानांतरण के सम्बन्ध में सरकार ने कुछ रिपोर्टें देखी हैं। यदि यह रिपोर्टें सच भी हों तो ऐसा विचार नहीं किया जा सकता कि भारत को संकट के गुणरूप में कोई विशेष परिवर्तन हुआ हो। नाभिकीय आयुधों के विकास के सम्बन्ध में सरकार की नीति सदन पर कई अवसरों पर स्पष्ट की जा चुकी है। ध्यान 23 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 462 और 495 के उत्तरों की ओर आकर्षित किया जाता है।

पूर्वी पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों को जबरदस्ती निकाला जाना

2429. श्री समर गुह : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान में पंजाब प्रशासन वहां से अल्पसंख्यकों को जबरदस्ती निकालने के लिए जोरदार प्रयत्न कर रहा है;

(ख) क्या हाल ही में पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समाज के अनेक प्रमुख सदस्यों को बन्दी बना लिया गया था, तथा उनकी सम्पत्ति सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थी; और

(ग) क्या पूर्वी पाकिस्तान के विभिन्न जिलों में अल्पसंख्यकों पर सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा फैलाई गई है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क), (ख) और (ग). सरकार पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की कठिनाइयों और असमर्थताओं से परिचित है।

लेकिन, सूचनाओं से यह नहीं पता चलता है कि हाल में वहां उनके विरुद्ध अधिक हिंसा का प्रयोग किया गया है या उन्हें दबाने के प्रयत्न और अधिक तीव्र हुये हैं।

विद्रोही नागाओं द्वारा चीन में वायु सेना कार्यवाही के प्रशिक्षण की प्राप्ति

2430. श्री समर गुह : क्या **प्रति रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि विद्रोही नागा चीन में वायुसेना कार्यवाही का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार के बारे में तथ्य क्या हैं और विद्रोही नागाओं को वायु सेवा का प्रशिक्षण देने के लिये चीन का क्या इरादा है; और

(ग) चीन की एसी कार्यवाही के बारे में नागालैंड के लोगों को सावधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

भारत और जापान के बीच बातचीत

2431. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री रामावतार शर्मा :

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और जापान के बीच अक्तूबर 1969 में, निर्धारित समय से पांच महीने पहले; सरकारी स्तर पर बातचीत हुई थी;

(ख) यदि हां तो क्या यह बैठक भारत के अनुरोध पर बुलाई गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस बातचीत का स्वरूप क्या था और इस बैठक में क्या निष्कर्ष निकाले गये ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). भारत और जापान के विदेश कार्यालयों के बीच परामर्शदायी वार्ता का पांचवा दौर 7 और 8 अक्तूबर 1969 को हुआ। आपसी हित के मामलों पर विचार-विनिमय करने के लिए 1966 से दोनों सरकारों के अधिकारियों की समय-समय पर बैठकें होती आ रही हैं। इस वार्ता के लिए ठीक ठीक तारीखें दोनों पक्ष सलाह-मशविरा करके सुविधानुसार तय करते हैं और इनका कोई पूर्व निश्चित कार्यक्रम नहीं होता।

(ग) इस वार्ता की समाप्ति पर जारी की गई संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2205/69**]

भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार वार्ता

2432. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रा० बरुआ :
श्री योगेन्दर शर्मा :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **विदेशी व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दिल्ली में भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार वार्ता हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख) जी नहीं। तथापि, आर्थिक सहयोग पर भारत-लंका समिति द्वारा स्थापित एक संयुक्त कार्यकारी दल की एक बैठक हुई थी जिसने दोनों देशों के बीच व्यापार तथा आर्थिक सहयोग से सम्बन्धित कुछ समस्याओं का अध्ययन किया।

व्यापार सलाहकार परिषद की बैठक

2433. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री रा० कृ० बिड़ला :

क्या **विदेशी व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी व्यापार सचिव ने ऐसा कहा बताया जाता है कि देश के व्यापार करने के तरीके में परिवर्तन करना आवश्यक है क्योंकि वर्तमान नीति मन्दी के समय में बनाई गई थी और इसमें व्यापार वृद्धि की परिकल्पना नहीं की गई;

(ख) क्या इस प्रश्न पर सितम्बर, 1969 में दिल्ली में हुई व्यापार सलाहकार परिषद् की बैठक में विचार किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो व्यापार तथा उद्योग प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये विभिन्न सुझाव क्या हैं और सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). व्यापार सलाहकार परिषद् की बैठक में इस प्रश्न को विशिष्ट मामला नहीं समझा गया। बैठक की अवसानावस्था में विदेशी व्यापार सचिव के भाषण के दौरान, अन्य बातों के साथ साथ, यह बात कही गई थी।

कलकत्ता में प्रतिरक्षा उत्पादन परियोजनायें

2435. **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री गणेश घोष :
श्री भगवान दास :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **प्रति रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पचवर्षीय योजना में कलकत्ता तथा उसके आसपास स्थापित की जाने वाली नयी प्रतिरक्षा उत्पादन परियोजनाओं के नाम क्या हैं तथा उनका विवरण क्या है; और

(ख) प्रत्येक परियोजना के लिए अनुमानित परिव्यय तथा विदेशी मुद्रा की राशि कितनी है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) चतुर्थ योजना अवधि के दौरान कलकत्ता और उसके आस-पास का जहां तक सम्बन्ध है कोई नई रक्षा उत्पादन योजनाएं अभिकल्पित नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चीन के साथ सम्बन्ध सुधारना

2436. **श्री किकर सिंह :**
श्री स० कुण्डू :
श्री तेन्नेटि विश्वनाथन :
श्री पी० एम० मेहता :
श्री गुणानन्द ठाकुर :
श्री क० लक्प्पा :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री द० रा० परमार :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री देवेन सेन :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुमानिया ने तीन वर्ष पूर्व भारत और चीन के सम्बन्ध सुधारने के लिये प्रयत्न करने का प्रस्ताव किया था;

(ख) क्या रुमानिया के राष्ट्रपति और भारत के प्रधान मन्त्री के बीच दिल्ली में कुछ समय पूर्व हुई बातचीत के दौरान इस मामले में कोई निश्चित विचार प्रस्तुत किये गये थे; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या यह सच है कि कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के अनुसार भारत चीन के साथ व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने के बारे में विचार कर रहा है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) समानता और पारस्परिकता के आधार पर और अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों के अनुरूप भारत सरकार आपसी हित के मामलों पर विचार-विमर्श करना चाहती है, जिनमें चीन सरकार के साथ व्यापारिक सम्बन्ध रखने की बात भी शामिल है।

अमरीका में विदेश मन्त्री की पाकिस्तान के मन्त्री के साथ वार्ता

2437. श्री किकर सिंह :
श्री स० कुन्दू :
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम :
श्री पी० एम० भेहता :
श्री गुणानन्द ठाकुर :
श्री क० लकप्पा :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री द० रा० परमार :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हेम बरुआ :
श्री देवेन सेन :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री चन्द्रिका प्रसाद :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री मयावन :

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने हाल ही में अपने अमेरिका प्रवास के दौरान पाकिस्तान के मन्त्री के साथ तीन बार बातचीत की थी;

(ख) उपरोक्त बैठकें किसके निमन्त्रण पर हुई और उनका उद्देश्य क्या था;

(ग) बातचीत का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उसका क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क), (ख), (ग) **और** (घ) . हमारे विदेश मन्त्री जब संयुक्त राष्ट्र में थे उस समय पाकिस्तान के सूचना एवं राष्ट्र कार्य मन्त्री से महा सभा की लॉबी में उनकी तीन बार भेंट हुई थी। दोनों ने द्विपक्षीय विचार-विमर्श के जरिये और महासभा में अपनी अपनी सर्व-विदित स्थितियों को न दोहराकर दोनों देशों के बीच सम्बन्धों को सुधारने की वांछनीयता के बारे में बातचीत की थी।

विद्युत करघा जांच आयोग का प्रतिवेदन

2438. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री गणेश घोष :
श्री भगवान दास :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री क० हाल्दर -

क्या **विदेशी व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को "विद्युत करघा जांच आयोग" के प्रतिवेदन की एक प्रति प्राप्त हुई है जो पश्चिम बंगाल सरकार ने दिनांक 1 जून, 1967 की अधिसूचना संख्या 5249 लोट द्वारा गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उक्त प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि सरकार ने पश्चिमी बंगाल में विद्युत करघा सहकारी संस्थाओं के विकास के लिए जो धन दिया था उसके उपयोग के सम्बन्ध में बड़े कदाचार और अनियमितताएं बरती गयीं हैं; और

(ग) यदि हां; तो इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि केन्द्रीय सरकार ने इस उद्देश्य के लिए 48 लाख रुपये से अधिक धन दिया था, सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं। (ख) तथा (ग) . प्रश्न नहीं उठते :

चीन के साथ बातचीत

2439. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने मिलान (इटली) के दैनिक समाचार पत्र गियोरनो के साथ अपने हाल के साक्षात्कार में कहा था कि 'हम आर्थिक सहयोग के पक्ष में है, मतभेदों का मुकाबला किया जा सकता है और उनको बातचीत द्वारा हल भी किया जा सकता है तथा जहां तक चीन का सम्बन्ध है, हमने कहा है और चीन के साथ बातचीत करने की हमारी इच्छा-तीव्र इच्छा है यद्यपि उसका व्यवहार उत्तेजनात्मक रहा है;

(ख) यदि हां, तो मिलान के उक्त समचार-पत्र के साथ उनके साक्षात्कार का पूरा ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार चीन के साथ बातचीत आरम्भ करने में पहल करने का विचार कर रही है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ङ) सरकार द्वारा चीन के साथ बातचीत आरम्भ करने के लिए यदि कोई प्रभावी कदम उठाये गये हैं तो वे क्या हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) . मिलान के दैनिक समाचार-पत्र, इलग्योर्नो के प्रधान सम्पादक के साथ 4-10-1969 को एक भेंट में, चीन-भारत सम्बन्धों पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रधान मन्त्री ने कहा था :

> " जो भी मतभेद है उसे बातचीत के माध्यम से ही दूर किया जाना चाहिए। जहां तक चीन का सम्बन्ध हैं, मैने यह साफ कह दिया है कि हम उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन चीन के कृत्य बहुत भडकाने वाले रहे हैं। वह बराबर हमारे विरोध में प्रचार कर रहा है। वह हमारे कबाइली लोगों को विद्रोह करने के लिए उकसा रहा है और वह मजदूरों में भी गड़बड़ी कराने की कोशिश में है। वह तो वामपंथी साम्यवादी दल के भी खिलाफ है और सिर्फ एक छोटे से वर्ग का समर्थन कर रहा है जिन्हें 'नक्सलवादी' कहते हैं जो कि केवल अराजकता में ही विश्वास करते हैं। लेकिन, जैसा कि मैने कहा, ये सब हमारे लिए कठिनाइयां पैदा करना है, फिर भी हम उनसे बात करने के खिलाफ नहीं हैं।"

(ग), (घ) और (ङ) . भारत सरकार ने अनेक बार यह कहा है कि भारत की प्रादेशिक अखण्डता, प्रभुसत्ता और राष्ट्रीय गौरव के अनुकूल किसी आधार पर वह चीन के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन, जैसा कि प्रधान मन्त्री ने इतालवी सम्पादक के

साथ अपनी भेंट में कहा था, चीन भारत सम्बन्धों को सुधारने की दिशा में चीन की ओर से कोई रचनात्मक उत्तर नहीं आया हैं ।

भारत में विदेशी अड्डे

2440. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या प्रति रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में वे कौन से स्थान हैं जहां विदेशी सेना, नौसेना तथा वायु सेनाओं को किसी न किसी रूप में अड्डे बनाने की अनुमति दी जाती है;

(ख) भारत में वे स्थान कौन से हैं जहां विदेशी सेना, नौसेना तथा वायु सेनाओं को किसी न किसी रूप में आवाजाही की सुविधायें दी जाती हैं; और

(ग) भारत में वे स्थान कौन से है जहां रायल एयर फोर्स (यू० के०) के विमानों को उतरने की अनुमति दी जाती है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री तथा भारी इन्जीनियरी मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) कोई भी नहीं ।

(ख) तथा (ग). किसी भी विदेशी सेना को भारत में पारवहन सुविधायें प्राप्य नहीं की गई। आर० ए० एफ० विमानों समेत सभी विदेशी सैनिक विमानों के भारत में पारवहन की पूर्वानुमति लेना पड़ती है, और नियमानुसार उनके लिये भारत में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से किसी एक पर पहला अवतरण करना आवश्यक है ।

जहां तक नौसेना का सम्बन्ध है, प्रार्थना किये जाने पर, भारतीय बन्दरगाहों में आने वाले, विदेशों के नौसैनिकों पोतों को, सरकार की अनुमती से पानी, ईंधन, बिकचुअल्ज इत्यादि के रूप में लाजिस्टिक सुविधाएं दी जाती हैं ।

रूसी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के उत्पादों के लिए निर्यात बाजार ढूंढने के लिए भारत–रूस संयुक्त समिति

2441. श्री मुहम्मद शरीफ : क्या विदेशी व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में रूसी सहायता से चल रही सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के उत्पादों के लिए सोवियत रूस तथा अन्य देशों में निर्यात करने की सम्भावना का पता लगाने के सम्बन्ध में भारत–रूस संयुक्त समिति बनाई गई है;

(ख) यह समिति कब तक स्थापित की जाने की सम्भावना है और उसके क्या कार्य होंगे; और

(ग) इसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक मन्त्रालय में व्यापार उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) यद्यपि सोवियत संघ के साथ मिलकर अन्य बाजारों में संयुक्त सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है तथापि इस प्रयोजनार्थ कोई संयुक्त समिति गठित नहीं की गई है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

निर्यात की वस्तुओं के लिए धन की सहायता

2442. श्री मुहम्मद शरीफ : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात की जाने वाली कुछ वस्तुओं के लिए धन की सहायता देने के लिये हाल ही में निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक मन्त्रालय में व्यापार उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख) 1-8-1969 के बाद सरकार ने निम्नलिखित मदों के लिए प्रतिकरात्मक सहायता की दरों में वृद्धि की घोषणा कर दी है :—

उत्पाद के लिए प्रतिकरात्मक सहायता की घोषणा की है ।	जहाज पर मूल्य का प्रतिशत
1. कापर कन्डकटर्स सहित पी० वी० सी० इन्स्यूलेटिड पावर केबल्ज (1.1 किलो वाट और इससे ऊपर के)	10 प्रतिशत
2. वाणिज्यिक वाहन	दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25% तक कर दी जाती है बशर्ते निर्यात में 25 प्रतिशत की वृद्धि हो ।
3. नायलन कोर्ड वाले टायर और मोटर गाड़ियों के लिए रबड़ की ट्यूबें ।	दर जहाज पर मूल्यों के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर क्रमश: 20 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत कर दी गई है ।
4. साइकिलों को छोड़कर टायर तथा ट्यूबें तथा अन्य टायर तथा ट्यूबें लेकिन मोटर गाड़ियों के लिए बुटाइल रबड़ की ट्यूबों को छोड़कर ।	
5. भारत में विदेशी प्रकाशकों की ओर से ठेके पर पुस्तकों की छपाई ।	10 प्रतिशत

गुयाना के भारतीयों को नागरिकता प्रदान करना

2443. श्री मुहम्मद शरीफ : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे भारतीयों की संख्या कितनी है जो गुयाना में 50 वर्षों से अधिक समय से रहते आ रहे हैं, परन्तु अभी तक जिन्हें गुयाना की नागरिकता प्राप्त नहीं हुई है;

(ख) क्या गुयाना में "महात्मा गांधी संगठन" ने वहां की सरकार से इस सम्बन्ध में सहायता करने को कहा है; और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भारत सरकार ने गुयाना निवासी भारतीयों को वहां की नागरिकता दिलाने में सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क), (ख) और (ग) . ब्यौरे इकट्ठे किए जा रहे हैं।

Compensation for Indian Property Disposed of by Pakistan

2444. **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Suraj Bhan :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Yajna Datt Sharma :
Shri Sharda Nand :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the values and details of Indian property disposed of by Pakistan which was seized by them in 1965 and thereafter;

(b) the steps taken by India in retaliation to it; and

(c) the authority with whom rests the responsibility for paying compensation to the Indians whose property has been disposed of in this manner and wnen such compensation would be paid to them ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singnh) : (a) We have asked Pakistan Govternment to give us detailed list of **Indian** properties seized and sold by them together with their value. Their reply is still awaited.

(b) and (c) . So far we have not taken any retaliatory steps.

We are of the view that there should be a reciprocal restoration of properties taken over by the two governments as provided for in Article VIII of the **Tashkent** Declaration.

पाकिस्तान द्वारा रूसी सैनिक सामान प्राप्त किया जाना

2445. **श्री न० कु० साल्वे** : क्या **प्रति रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान द्वारा रूस से पनडुब्बियों सहित और अधिक सैनिक साज सामान प्राप्त करने के नवीनतम प्रयासों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार रूस द्वारा भारत को सैनिक साज सामान की सप्लाई के बारे में बातचीत के दौरान इस स्थिति को ध्यान में रखेगी क्योंकि भारत तथा पाकिस्तान के पास एक ही प्रकार के हथियार तथा अन्य सामाग्री के होने से सुरक्षा को निश्चय ही खतरा उत्पन्न होगा ?

प्रतिरक्षा तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख) . सोवियत संघ से पाकिस्तान द्वारा आयुध प्राप्त करने के प्रयत्नों का सरकार को ज्ञान है । इस सम्बन्ध में 19 नवम्बर 1969 को उत्तर दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 69 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

Supply of Arms by USSR to Pakistan

2446. **Shri Ram Sewak Yadav :**
Shri Y. A. Prasad :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether he has discussed with U.S.S.R. Government and particularly with the Foreign Minister of U. S. S. R. about the supply of armaments by U. S. S. R. to Pakistan; and

(b) if so, the outcome thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b) . Yes, Sir. Our concern over these supplies was conveyed to the Soviet leaders. It was pointed out to them that any accretion to the armed strength of Pakistan, and Pakistani's military collusion with China, poses a grave threat to India's security and that supplies of arms to Pakistan would accentuate tension in the sub-continent. We expect that Soviet leaders will take due note of it.

रूस द्वारा पाकिस्तान को टैंकों की सप्लाई के बारे में वैदेशिक-कार्य मन्त्री की बातचीत

2447. श्री वे० कृ० दास चौधरी : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1969 में जब उन्होंने रूस का दौरा किया था, तो क्या उन्होंने रूस की सरकार के साथ पाकिस्तान को टैंकों की सप्लाई के बारे में बातचीत की थी; और

(ख) जिन अन्य मामलों पर बातचीत हुई उसकी मोटी रूपरेखा क्या है, और क्या निष्कर्ष निकले ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सोवियत प्राधिकारियों के साथ विदेश मन्त्री की जो बातचीत हुई थी उसमें पाकिस्तान को सोवियत संघ द्वारा सैनिक सामान दिए जाने का मामला उठा था।

(ख) विदेश मन्त्री की रूस यात्रा के अन्त में जो संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई थी वह इसके साथ संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2206/69]**

भारत और बल्गारिया के बीच वार्ता

2448. श्री वे० कृ० दास चौधरी : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बल्गारिया के अधिकारियों के बीच सितम्बर, 1969 में वार्ता हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है, और इसमें क्या निर्णय लिये गये ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख) . जी, हां। सितम्बर-अक्टूबर. 1969 में बल्गारिया के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई व्यापार वार्ताओं के फलस्वरूप 13 अक्टूबर. 1969 को एक संलेख पर हस्ताक्षर किए गए। संलेख की प्रतियां संसद पुस्तकालय में पहले से ही उपलब्ध हैं।

आयात बनाये रखना

2449. श्री बे० कृ० दास चौधरी :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयात को बनाये रखने के सम्बन्ध में हाल ही में अपनी विदेशी मुद्रा नीति घोषित की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख) . जी, नहीं। 1 अप्रैल, 1969 को घोषित की गई विद्यमान आयात नीति में अनुरक्षण के प्रयोजन से अनिवार्य आयातों की व्यवस्था की गई है। हमेशा की तरह चालू वित्तीय वर्ष के अन्त में नीति की समीक्षा की जाएगी।

1969—70 में चुने गये सांख्यिकी अनुसंधान अधिछात्र

2450. श्री च० का० चक्रपाणि : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969–70 में भारतीय सांख्यिकीय संस्था द्वारा कितने सांख्यकीय अनुसंधान अधिछात्र चुने गये हैं;

(ख) उन्होंने अब तक क्या अनुसंधान कार्य किया है; और

(ग) क्या अधिकारियों के सांख्यिकीय संवर्ग के लिये कोई अखिल भारतीय सेवा बनाई जा रही है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) . भारतीय सांख्यिकीय संस्थान ने अपने नियमित द्विवार्षिक अनुसंधान पाठ्यक्रम में अगस्त 1969 में चार अभ्यार्थियों (उम्मीदवारों) को भरती किया। इन अभ्यार्थियों के काम का मूल्यांकन वर्ष के अन्त में किया जायेगा और उसी समय यह निर्णय किया जायेगा कि किसको अनुसंधान अधिछात्र का पद प्रदान किया जाये तथा उसे अनुसंधान के लिए कोई समस्या और डाक्टरेट की उपाधि के लिए अन्वेष प्रबन्ध लिखने के लिए अनुमति दी जाये।

(ग) जी नहीं।

Talks with Soviet leaders on Tashkent Agreement

2451. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of External Affairs be pleased to state ;

(a) the names of the Soviet leaders whom he met during his visit to U. S. S. R. in September, 1969;

(b) the main subjects discussed;

(c) whether the Russian leaders had discussed on the Tashkent Agreement also; and

(d) if so, the reaction expressed by him thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a), (b), (c) and (d) . The Joint Communique issued at the conclusion of the visit of the External Affairs Minister to the U. S. S. R. contains information on those matters and is placed below. **[Placed in the Library. Please see No. L.T. 2207/69]**

Number of Temples and Gurudwaras in Pakistan in use, locked up or desecrated

2452. Shri Mrityunjay Prasad : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether any agreement has been concluded with the Pakistan Government to preserve the sanctity of temples and gurudwaras in Pakistan;

(b) if so the details thereof and if not, the reasons therefor;

(c) the number of temples and gurudwaras in East and West Pakistan which have been locked, of those wherein facilities for worship and racital exist as also of those which have been desecrated and are at present being used for other purposes, location-wise; and

(d) the manner in which Government have lodged protest with the Pakistan Government against the desecration of temples and gurudwaras in Pakistan and the reply received thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b) . Yes, Sir. Two agreements for the protection, preservation and maintenance of places of worship in the two countries were signed between the Governments of India and Pakistan in 1953 and 1955. They are attached as Annexures 'A' and 'B',

(c) The exact number of Gurudwaras and Shrines locked and desecrated in both wings of Pakistan is not known. However, it is reported that except Gurudwaras at Nankana Sahib where four Sewadars have been sent from India for daily worship, most of the other Gurudwaras in West Pakistan either remain locked or are misused. Some reports of misuse of Gurudwara Tambu Sahib, Manji Sahib, construction of a Baradari at Gurudwara Janam Asthan, Nankana Sahib, confiscation of some lands attached to Gurudawara Nankana Sahib, and use of upper storey of samadh of Maharaja Ranjit Singh at Lahore for running a dispensary, were received last year.

(d) The matter was taken up with the Pakistan Government urging them to take steps for the proper maintenance of these Gurudwaras. Their reply was that the Gurudwaras and Temples in Pakistan are being maintained properly. **[Placed in the Library. Please See L.T. No. 2208/69]**

Conclusion of Trade Agreement between India and Bulgaria

2453. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether it is a fact that trade agreement between India and Bulgaria was concluded in October, 1969;

(b) if so, whether Government propose to lay a copy of the agreement on the Table; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Choudhary Ram Sewak) : (a) to (c) . The trade Agreement between India and Bulgaria was last concluded on 18th October, 1968 and is valid upto the end of 1973. On the conclusion of trade talks this year a Protocol to this agreement was signed on 13th October, 1969 envisaging prospects of growth of two-way trade in the coming year. Copies of the trade Agreement as well as the Protocal have been placed in the Parliament Library.

Change in Bilateral trade between India and U. S. S. R.

2454. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether India and U. S. S. R. have agreed to make far-reaching changes in the methods of the bilteral trade during 1971-76, according to the news published in Hindi in Swatantra Bharat of the 15th September; 1969 and

(b) if so, the details of the changes ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Choudhary Ram Sewak) : (a) and (b) . During the visit of the Indian Trade delegation to Moscow in August, 1969 for talks on the Long Terms Trade Agreement between India and USSR for the period 1971-75, discussions were held indentify areas in which the two countries can expand their mutual trade. In the context of growth of indigenous industrial capacity in India, some changes in the pattern and mode of trade were called for. It was generally agreed that their will have to be progressive reduction of imports of capital goods and an increase in imports of essential industrial raw materials, components and spares. Prospects of exporting larger percentage of non-traditional manufactured and semi-manufactured goods to USSR, specially engineering goods manufactured in Soviet Assisted Projects in India during 1971-75, were also examined.

Details of Russian Military Aid to Pakistan

2455. Shri Mrityunjay Prasad :
Shri D. N, Patodia :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the number of times, along with the dates, he undertook Russian tour during 1969;

(b) the number of times Russian Militry Aid to Pakistan came up for discussion and the extent and nature of the reduction in the said aid assured by the U.S.S.R. Government on the protest lodged by Government;

(c) whether information has been furnished in the said talks in regard to the value, type and number of tanks, mortars, military aircraft, rifles, rockets redars, wireless equipment and quantity of ammunition originally planned and so far supplied by U.S.S.R. to Pakistan; and

(d) if so, the details thereof, if not, the reaction of Government in regard to Russia's maintaining silence in this connection ?

The Minister of Defence, Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) The Defence Minister visited U.S.S.R, once during 1969.

(b) Russian Military Aid to Pakistan was discussed during this visit and the seriousness of the consequences of the military aid to Pakistan was emphasized.

(c) and (d) It is not in public interest to disclose the details of the discussion with the U.S.S.R. Government on the subject.

हिन्द महासागर में विदेशी युद्धपोत

2456. श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री क० लक्प्पा :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस समय हिन्द महासागर में विदेशी युद्धपोतों की विद्यमानता के बारे में समाचार प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि गत दों वर्षों में युद्ध पोतों की संख्या में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है ;

(ग) ये युद्धपोत किस देश के हैं ; और

(घ) क्या उन देशों ने सरकार की अनुमति प्राप्त की है, और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार किया गया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) . सरकार को इस बात का ज्ञान है कि भिन्न देशों के विदेशी युद्धपोत समय समय पर हिन्द महा सागर का भ्रमण करते रहे हैं। महासागरों में स्वतंत्रता अनुशासी अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत अपने जलीय सत्ता क्षेत्र से बाहर ऐसी गतिविधि के लिए भारत सरकार की अनुमति आवश्यक नहीं। जभी ऐसे युद्धपोत भारतीय बन्दरगाहों का भ्रमण करना चाहते है, भारत सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करली जाती है।

Recovery of Territories Occupied by China and Pakistan

2457 Shri Bansh Narain Singh :
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Mrityunjay Prasad :
Shri B. P Mandal :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the details of the Indian territory occupied by China and Pakistan respectively ;

(b) the action taken by Government to recover the territory, besides lodging protest notes ;

(c) whether Government would give an assurance that this territory would be recovered ; and

(d) the nature of talks with U. S. S. R., U. S. A., and Arab countries held by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) (i) Apart from 14,500 sq. miles of Indian territory in Ladakh under China's illegal occupation there is also a little over 2,000 sq. miles of Indian territory in Pakisthan-occupied Kashmir, which as a result of the so-called border agreement between Pakistan and China in March 1963, is under Chinese occupations ;

(ii) Pakistan is in illegal occupation of 30,500 sq. miles of Indian territory in Jammu & Kashmir. In addition to this, there are small areas of Indian territory along Indian's border with East Pakistan which, pending the completion of boundary demarcation, are under Pakistan's occupation.

(b) and (c) . Government's policy is to strive for the ending of the illegal occupation of Indian territory by peaceful means consistent with the honour, sovereignty and territorial integrity of the country.

(d) Government's stand has been fully explained to various foreign governments.

अमरीका के राष्ट्रपति को श्री नेहरू का पत्र

2458. श्री वंश नारायण सिंह :
श्री कंवरलाल गुप्त :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू ने नेफा से भारतीय प्रतिरक्षा व्यवस्था असफल रहने के बाद राष्ट्रपति कनेडी को पत्र लिखा था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) . 1962 में चीनी आक्रमण के समय, चीनी सैनिकों के सशस्त्र आक्रमण के कारण अपनी सीमा पर उत्पन्न स्थिति को समझाते हुए, स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्री नेहरु ने जिन शासनाध्यक्षों को पत्र लिखे थे, उनमें स्वर्गीय राष्ट्रपति कैनेडी भी थे ।

भूतपूर्व उपप्रधान मंत्री के विरुद्ध जांच की मांग

2459. श्री ही० ना० मुकर्जी : **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री योगेन्द्र शर्मा : **श्री वासुदेवन नायर :**

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 61 संसद सदस्यों ने उनको एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें भूतपूर्व उप प्रधान मंत्री एवं वित्त मंत्री के विरुद्ध विभिन्न आरोपों की पूरी जांच कराने की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) ऐसे किसी संयुक्त ज्ञापन का पता लगना संभव नहीं हो सका है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Severing of Diplomatic Relations with Morocco

2460. Shri Shashi Bhushan : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any proposal to break relations with Morocco ; and

(b) the attitude of the Government towards nations which are imperialists and opposed to Arab Nationalism ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) No, Sir.

(b) The Government of India has consistently supported Arab nationalism and is opposed to such forces as are inimical to it.

Indian citizens of Kerala going to Kuwait without Passport

2461. Shri Shashi Bhushan : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Indian citizens of Kerala who have gone to Kuwait without passport ;

(b) whether they went there by boats in search of employment ;

(c) their approximate income and condition in that country ;

(d) whether Government have held any talks with the Kuwait Government in regard to the Indian citizens who have gone to Kuwait without passport and settled there ; and

(e) if so, the details thereof and whether Government propose to accord recognition to their citizenship of that country ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) (a) The exact number of Indians who have gone to Kuwait from Kerala without passport is not known. During the last seven years, however, 312 illicit immigrants from Kerala applied to our Embassy of Kuwait for Indian passports.

(b) According to information available to Government, illicit entry into Kuwait is either direct by country craft via the Gulf, or indirectly by sea and land routes through Iraq and Saudi Arabia.

Majority of the illicit immigrants to Kuwait appear to have gone by country craft. All seem to have gone search of employment.

(c) They are above to secure mainly unskilled jobs and earn between KD 15 and KD 25 (Rupees 315 and Rupees 525) p. m.

(d) No Sir,

(e) If a foreign government confers its citizenship to an Indian immigrant, the question of recognition by the Government of India does not arise.

हड्डियों के चूरे का निर्यात

2462. श्री रणजीत सिंह :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री श्री चन्द गोयल :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितनी फर्में हड्डियों के चूरे का निर्यात करती हैं और क्या कोई विदेशी कम्पनी भी भारत से हड्डियों का चूरा खरीदने और निर्यात करने का काम कर रही है ;

(ख) क्या ल्यूनर ओवरसीज लिमिटेड नामक एक विदेशी कम्पनी ने, जिसका मुख्यालय इंग्लैंड में है, हड्डियों का चूरा खरीदने और इंग्लैंड में अपनी मुख्य फर्म को निर्यात करने के लिए बम्बई में अपनी फर्म की एक शाखा स्थापित की है ;

(ग) कच्चे माल को खरीदने और विदेशों को निर्यात करने के लिये एक विदेशी कम्पनी को भारत में अपनी शाखा खोलने की अनुमति देने की क्या आवश्यकता थी ;

(घ) क्या भारत में प्रति वर्ष लगभग 432 लाख रुपये के हड्डियों के चूरे के कुल निर्यात में से केवल इसी विदेशी कम्पनी द्वारा 86 लाख रुपये का निर्यात किया जाता है ; और

(ङ) क्या इन भारतीय निर्यातकर्त्ता कम्पनियों में से किसी एक का विचार भारत में ऐसे माल तैयार करना आरम्भ करने का है जिनमें हड्डियों के चूरे का प्रयोग कच्चे माल के रूप में होता है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) हड्डियों के चूरे के 39 निर्यातक हैं, जिनमें से केवल मैसर्स लीनर ओवरसीज लि०, नामक एक विदेशी समवाय ब्रिटेन में निगमित है।

(ख) जी हां ;

(ग) हड्डियों के चूरे के निर्यात में सहायता करने के लिये इस विदेशी समवाय ने भारत में एक व्यवसाय स्थल की स्थापना की है।

(घ) वर्ष 1964–65, 1965–66, 1966–67 1967–68 तथा 1968–69 में हड्डियों के चूरे के कुल निर्यात क्रमशः 4.08 करोड़, 4.40 करोड़, 5.50 करोड़, 5.16 करोड़ तथा 3.88 करोड़ रुपये के हुए। वर्ष 1968–69 में हड्डियों के चूरे के निर्यात में मैसर्स लीनर ओवरसीज लि०, बम्बई का भाग 44 लाख रुपये रहा।

(ङ) जी हां ; मैसर्स प्रोटीन प्राडक्ट्स लि० तथा मैसर्स शा लीनर लि० नामक दो फर्मों को जिलैटीन तथा ओस्सीन आदि जैसे उत्पादों के उत्पादन के लिये लाइसेंस दिया गया है।

रक्षा दलों का भारतीय करण

2463. श्री रणजीत सिंह :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री नारायण स्वरुप शर्मा :
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का यह विचार है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं में पदों के नामों को नाम करण पद्धति का और अधिक भारतीयकरण किया जाये ;

(ख) क्या सभी तीनों सेनाओं के पदों की नामकरण पद्धति को एक समान करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार क्या विचार है कि इस नामकरण पद्धति के लिए शब्द अंग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषाओं से लिए जायें ?

प्रतिरक्षा मंत्री और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ग) . सिवाय ऐसे मामलों के कि जहां नाम में तबदीली अधिक समस्याएं पैदा कर देगी, जैसे कि अधिक समय के लिए उसके प्रयोग में गड़गड़ी, सरकार सशस्त्र सेनाओं में नामों के भारतीयकरण उपागम को स्वीकार करती है।

(घ) जी नहीं।

प्रतिरक्षा सेवाओं के लिये भेजा गया मोटा चावल

2464. श्री रणजीत सिंह :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवाओं को अब भी आयातित तथा मोटा चावल सप्लाई किया जा रहा है, जबकि उससे कहीं अच्छा चावल बाजार में मिल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख) : रक्षा सेनाओं को इस समय प्राप्यता और स्थान स्थिति पर निर्भर आयात और देशीय दोनों प्रकार का चावल सप्लाई किया जा रहा है। केवल वही भण्डार स्वीकार किए जाते हैं, जो ए० एम० सी० व्योरे पर पूरे उतरें।

Notifications, Resolutions and Office Orders Issued by Foreign Trade Ministry

2465. Shri Ram Swarup Vidyarthi : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the number of Notifications, Resolutions, Office Orders which were first brought out in English and after-wards in Hindi; and

(b) the time by which his Ministry would be publishing the entire material included in all the parts and sections of the Gazette of India and other material issued by the Administration Branch of his Ministry simultaneously in Hindi and English in original without translating them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Choudhary Ram Sewak) : (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) Every effort is being made to publish simultaneously in Hindi and English all the Material under question and about 75% of the documents to be issued in Hindi and English under Section 3(3) of the Official Languages Act are being already issued in both languages.

Official Communications issued in Hindi By Defence Ministry.

2466. Shri Ramswarup Vidyarthi : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the number of notifications, resolutions and office orders which were first issued in English and thereafter in Hindi; and

(b) the time by which all items of work of the Government of India being published in all the parts and sections of Gazette of India and all other administrative letters circulated by the Administration Section of his Ministry are proposed to be prepared origenally and published both in Hindi and English simultaneously ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering Minister (Shri Swaran Singh) : (a) During the period from 1st April to 30th November 1969, a number of Notifications and Office Orders were issued by Establishment Sections of this Ministry in English only. No Resolution was issued by these Sections during this period. The effort in collecting details of the number of notifications, resolutions and office orders issued in English and thereafter in Hindi in the whole Defence Organisation, would not be commensurate with the results.

(b) Efforts are being made to issue simultaneously in English and in Hindi all Gazette Notifications and administrative circulars relating to Establishment Sections of the Ministry of Defence.

Official Communications issued in Hindi

2467. Shri Ram Swarup Vidyarthi : Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) the number of notifications, resolutions and office orders, which were first issued in English and thereafter in Hindi; and

(b) the time by which, all items of work of the Government of India being published in all the parts and Sections of the Gazette of India and all other administrative letters circulated by the Administration Section in the Ministries/Depratments under her, are proposed to be prepared originally and published both in Hindi and English simultaneously ?

Prime Minister Minister of Fianance, Minister of Atomic Enerey and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b) . The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Issue of Notifications etc. in Hindi

2468. Shri Ram Swarup Vidyarthi : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) the number of such Notifications, Resolutions and Office Orders as were first issued in English and thereafter in Hindi; and

(b) the time by which all the items of Government of India being published in all the parts and Sections of the Gazettes of India and all other administrative letters issued by the Administration Section of his Ministry are proposed to be published orginally both in Hindi and English simultaneously ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a)and(b) . All non-statutory notifications are issued both in Hindi and English simultaneously. As regards statutory notifications, their translations are being prepared by the Ministry of Law and as such no time-limit can be indicated at present.

Official Communications issued in Hindi during the later Half of 1968.

2469. Shri Ram Swarup Vidyarthi : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the number of orders, circulars, notices etc. relating to the employees belonging to Class I, II, III and IV of his Ministry which were issued during the last six months of 1968 and the number of those issued in Hindi;

(b) the number of applications, petitions, etc. received in Hindi from the said employees during the aforesaid period and the number of decisions taken and informed;

(c) the total number of letters received in Hindi in his Ministry during the last six months of 1968 and the number out of them, replied in Hindi and English;

(d) whether anti-Hindi attitude of the Officers of his Ministry is the cause of the Hindi letters, applications not being replied in Hindi; and

(e) the time by which all Hindi letters would be replied in Hindi and all the office orders etc. issued entirely in Hindi?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering Minister (Shri Swaran Singh) : (a) No statistics are maintained in regard to the number of orders, circulars, notices etc. relating to employees belonging to class I, II, III and IV of the Ministry of Defence in English or in Hindi.

(b) and (c) . The effort required to collect the information will not be commensurate with the result which will be achieved. Existing orders lay down that replies to communications in Hindi received from the members of the public and from State Governments which have adopted Hindi for purposes of communication with the Central Government are to be replied to in Hindi. Communications received in Hindi from State Governments which have not adopted Hindi as their offical language can also be sent in Hindi.

(d) and (e) . Steps are in hand to ensure that official communications are issued in Hindi in accordance with the existing Government orders. No instance of anti-Hindi attitude of officers in Defence Ministry has come to the notice of Government.

भारत और जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य के बीच व्यापार का विस्तार

2470. श्री योगेन्द्र शर्मा :

डा० रानेन सेन :

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य के साथ भारत के व्यापार सम्बन्ध और अधिक बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). अक्तूबर 1969 में एक भारतीय व्यापार शिष्ट मंडल जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य गया था और उसने भारत तथा जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य के मध्य आगामी वर्षों के दौरान दुतरफा व्यापार के विकास की सम्भाव्यताओं के बारे में विचार विमर्श किया। इन विचार विमर्शों के निष्कर्ष के आधार पर पत्रों के आदान-प्रदान के अनुसार इस दुतरफा व्यापार को 70 करोड़ रु० तक बढ़ाने की प्रस्थापना है। दूसरी चीजों के साथ साथ जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य भारत में ट्रैक्टरों, टूल एलोप व स्पेशल स्टील व रोल्ड स्टील उत्पादों, छपाई की मशीनों, जहाजों, उर्वरकों एक्स–रे व अन्य फिल्मों, आर्गेनिक व इनआर्गेनिक रसायनों इत्यादि का वर्द्धित मात्रा में निर्यात करेगा। भारत परम्परागत वस्तुओं के अतिरिक्त फंदा बुनाई मशीनों, एल्युमिनियम इंगोटो, मोटर–गाड़ियों के सह–साधनों, वस्त्र मशीनों, रेडियेटर्स, फ्लेंज व अन्य इंजीनियरिंग माल, सूती कपड़ों, लिनोलियम इत्यादि का निर्यात करेगा।

व्यापार के और भी उच्च स्तर तक विकास की सम्भावनाओं का पूर्ण लाभ उठाने के लिये 4 अक्तूबर, 1969 से जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य में भारत का एक व्यापार प्रतिनिधि का कार्यालय भी खोला गया है।

Effect of rise of cotton yarn price on Textile Industry

2471. Shri Onkar Lal Berva : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Convener of Spinning Mill of local textile industry in Ludhiana has warned the Central Government that the 30 percent increase effected in price of yarn should be done away with, otherwise the orders received from abroad will also be cancelled and it may result into loss of foreign exchange worth crores of rupees to Government and closure of mills for an indefinite period; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government in this connection ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Choudhary Ram Sewak) : (a) The reference is presumably to staple fibre yarn. A representation about 30% increase in its prices and the danger of the loss of exports as a result thereof has been received by Government.

(b) The matter is under consideration.

1970–71 के लिए वार्षिक योजना

2472. श्री हिम्मतसिंहका : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1970–71 के लिए वार्षिक योजना बना ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य–मुख्य मांगें क्या हैं और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए परिव्यय तथा उससे प्राप्त होने वाली वृद्धि दर क्या है; और

(ग) इस वार्षिक योजना को कार्यान्वित करने के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में कितनी-कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क), (ख) और (ग) . केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों से परामर्श कर वार्षिक योजना 1970–71 तैयार की जा रही है ।

नागालैंड में स्थिति

2473. श्री हिम्मतसिंहका : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड में शान्ति समझौते की अवधि और बढ़ा दी गई है, यदि हां, तो कब तक ;

(ख) क्या नागालैंड में स्थिति धीरे-धीरे सामान्य होती जा रही है यदि हां, तो नागालैंड में कानून और व्यवस्था की नवीनतम स्थिति क्या है ।

(ग) क्या नागालैंड में नवीनतम स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य में विशेष सुरक्षा को समाप्त करने और वहां पर सामान्य पुलिस सुरक्षा दल स्थापित करने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का नवीनतम दृष्टिकोण क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) नागालैंड में कार्रवाई बंद रखने से संबद्ध समझौते की अवधि 31 दिसम्बर 1969 तक के लिए बढ़ा दी गई है ।

(ख), (ग) और (घ) . यदा-कदा हिंसा की घटनाएं हो जाने के बावजूद नागालैंड में स्थिति धीरे–धीरे सुधर रही है । सरकार का इरादा नागालैंड में कानून और व्यवस्था में लिए किये गए विशेष प्रबन्धों को तब तक जारी रखने का है जब तक कि वहां स्थिति सामान्य नहीं हो जाती । कानून और व्यवस्था बनाए रखने की दिन-प्रतिदिन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है जिसे केन्द्र सरकार ने इस काम के लिए, उसके अपने पुलिस बटालियनों के अलावा, सशस्त्र पुलिस बटालियन भी दिये गये हैं ।

Publicity of Indian goods abroad

2474. Shri Ramavatar Sharma :
Shri N. K.P. Salve :

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are arrangements for advertisement in foreign countries in order to promote exports to foreign countries;

(b) if so, the agencies, along with the names of the countries, through which advertisement is mad to promote exports country-wise; and

(c) the names and addresses of such agencies which were engaged in this work from the years 1965 to 1968 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Chowdhary Ram Sewak): (a) to (c) . The work of export publiciy abroad is handled by our Missions. Government have not appointed any Agency or Agents for this purpose in foreign countries.

दक्षिण अफ्रीका में वर्णभेद

2475. श्री सीताराम केसरी : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे **कि :**

(क) क्या संयुक्त राष्ट्रसंघ में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सुझाव दिया है कि सुरक्षा परिषद् को वर्णभेद के प्रश्न पर विचार करना चाहिये तथा दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध कारगर कार्यवाही करनी चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने वाले अन्य प्रतिनिधियों की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) महासभा में 42 अफ्रो–एशियाई देशों ने, जिनमें भारत भी शामिल है, मिलकर एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें सुरक्षा परिषद् से यह प्रार्थना की गई थी कि जातीय पृथग्वासन की वजह से अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को जो खतरा पैदा हो गया है, उसे दूर करने के कारगर उपाय अपनाने के उद्देश्य से जातीय पृथग्वासन के प्रश्न पर विचार-विमर्श पुनः शुरू किया जाए। यह प्रस्ताव भारी बहुमत से स्वीकार किया गया।

लाओस के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत

2476. श्री सीताराम केसरी : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे **कि :**

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, 1969 में अपनी अनौपचारिक भारत-यात्रा के दौरान लाओस के प्रधान मंत्री राजकुमार सुवन्ना फूमा ने लाओस तथा वियतनाम की स्थिति के बारे में भारत सरकार के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यह बातचीत गोपनीय प्रकृति की थी और इसका ब्यौरा बताया नहीं जा सकता।

Mizo and Naga hostiles receiving training in China and Pakistan

2477. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether some Mizo and Naga hostiles are still receiving training in China and Pakistan;

(b) if so, whether any arrengements have been made to ensure that they do not vitiate Indian atmosphere again after receiving such training; and

(c) whether any further preventive measures have been taken to see that residents of those areas do not go out to receive such training in furture ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) . All possible measures are taken to prevent this.

Indian Efforts to Normalise West Asian Problems

2478. Shri Prakash Vir Shastri :Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that tension is again increasing in Western Asia;

(b) the outcome of the efforts made by Government in the past to normalise the situation in Western Asia; and

(c) whether it is a fact that the Cease-fire agreement is being persistently violated by both the parties ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government of India have fully supported the Security Council Resoulution No. 242 of November 22, 1967 of West Asia and all other proposals aimed at implementing the Resolution, However, no progress has so far been made.

(c) Yes, Sir.

फिलिस्तीन राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन के लिये अल-फतह प्रतिनिधिमण्डल का अनुरोध

2479. श्री जे० के० चौधरी : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल-फतह प्रतिनिधिमंडल के नेता ने इसराइल से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिये फिलिस्तीन राष्ट्रीय मुक्ति अभियान के प्रयासों का समर्थन करने की सरकार से अपील की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सिक्यांग तथा पश्चिमी तिब्बत में रह रहे चीनी गैरिसनों को पाकिस्तान द्वारा खाद्य सप्लाई

2480. श्री जे० के चौधरी : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम तिब्बत के निकट पाक अधिकृत काश्मीर में गिलगित काश्मर सड़क के खुल जाने से सिक्यांग तथा पश्चिमी तिब्बत में गैरिसनों को उनकी खाद्यान्नों और आवश्यकताओं की सप्लाई के लिए पाकिस्तान एक प्रमुख स्रोत बन गया है अथवा बनने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) . सरकार ने इस आशय की अखबारी खबरें देखीं हैं । इसमें कोई संदेह नहीं कि गिलगित-काशगर सड़क का निर्माण सैनिक उद्देश्यों से हुआ है । इस बात की पूरी सम्भावना है कि पाकिस्तान, सिकियांग और पश्चिम तिब्बत में चीनी सेना गैरिसनों के लिए आवश्यक रसद इस सड़क से भेजे ।

(ग) भारत के विरुद्ध चीन पाकिस्तान की सैनिक सांठ-गांठ का यह दूसरा उदाहरण है ।

नेपाल से सिले हुए वस्त्रों का आयात

2481. श्री मधुलिमये : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक संसद सदस्य ने मंत्री महोदय को "दशहरा उपहार" के रूप में नेपाल में निर्मित एक सिली हुई कमीज भेजी है जो कि नेपाल तथा भारत के बीच नवम्बर, 1968 में हुए करार को तथा उस देश द्वारा कृत्रिम कपड़े का सीमित निर्यात करना स्वीकार करने के वचन को चालाकी से समाप्त करने के उद्देश्य से भेजी गई थी;

(ख) क्या सरकार ने इसका पता लगा लिया है कि अन्य देशों से आयात किये गये कपड़े से तैयार सिले हुए वस्त्रों का कुल आयात कितना होता है;

(ग) क्या यह भी सच नहीं है कि आई० टी० सी० नीति के अधीन पोलिस्टर फाइनर फ्लिमेंट के धागे पर प्रतिबंध लगा हुआ है;

(घ) क्या इस बारे में अंतर सरकारी समिति तथा नेपाल के बीच कोई बातचीत हुई है;

(ङ) यदि हां, तो इन आयातों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) सरकार को कुछ समय से इस बात की जानकारी है कि संश्लिस्ट वस्त्रों से नेपाल में निर्मित परिधानों का भारत को निर्यात किया जा रहा है । जबकि व्यापार तथा परिवहन संधि की शर्तों के अधीन नेपाल में उद्धत वस्तुओं पर कोई प्रतिबन्ध तो नहीं लगाया जा सकता, पर ऐसा दृष्टिगोचर होता है कि नेपाल में निर्मित संश्लिष्ट वस्त्रों के आयात का विनियमन किये जाने पर कुछ संश्लिष्ट वस्त्रों, परिधानों में रूपान्तरित करके उनका निर्यात करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है ।

(ख) यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश परिधान नेपाल में निर्मित संश्लिष्ट वस्त्रों से बनाए गए हैं तथापि यह भी सर्वथा संभव है कि अन्य देशों से नेपाल में आयातित संश्लिष्ट वस्त्रों का प्रयोग भी परिधान बनाने के लिये किया गया हो । यह कहना कठिन है कि अन्य देशों से आयातित वस्त्रों से कितने प्रतिशत परिधान बनाए गए हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) तथा (ङ) . मामला अतः सरकारी संयुक्त समिति की बैठक में उठाया गया था और निकट भविष्य में समिति का सत्र आरम्भ होने पर इस पर और आगे विचार विमर्श किया जायगा ।

Asylum to Panchen Lama

2482. Shri Madhu Limaye :
Shri V. Narasimha Rao ;
Shri Kanwar Lal Gupta :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received any reports of Panchen Lama's escape from China;

(b) whether Government have received any request from him for grant of asylum to him; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

आयात निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण

2483. श्री मधु लिमये : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आयात-निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने के अपने कार्यक्रम के प्रथम चरण में रुई के आयात का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय किया है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में रुई के कुल (औसत) निर्यात का क्या मूल्य है;

(ग) इससे कितनी कम्पनियों का काम बन्द हो जायेगा;

(घ) क्या सरकार का विचार इन कम्पनियों के कुछ प्रशिक्षित कर्मचारियों को रोजगार देने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप बंद होने वाली प्राय: 40 कम्पनियों के कर्मचारियों को सरकार क्या वैकल्पिक रोजगार देगी ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) कपास वर्ष 1970–71 से कपास का आयात सरकारी क्षेत्र के एक अभिकरण के अनन्य माध्यम से करने का विनिश्चय किया गया है ।

(ख) विगत तीन वर्षों में कपास के आयातों का औसत वार्षिक मूल्य लगभग 78 करोड़ रुपये निकलता है ।

(ग) से (ङ) . एक सरकारी समिति कपास वर्ष 1970–71 से कपास के आयातों को अनन्य माध्यम से करने के विनिश्चय के कार्यान्वयन हेतु एक ठोस तथा विस्तृत योजना तैयार कर रही है और कपास व्यापार में प्रशिक्षित व्यक्तियों की सेवाओं के सदुपयोग तथा विद्यमान आयातकों पर इसके प्रभाव जैसे पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है ।

Purchase of defective tyres

2484. Shri Narain Swarup Sharma : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to the reply given to Unstarred Question No. 2463 on the 6th August, 1969 and state :

(a) whether Government propose to lay a copy of the Report of the Central Buraeu of Investigation on the Table:

(b) the names of those officers of the Supply Department; State Trading Corporation, Defence Ministry and Defence Production Department along with the places and posts and where they are working at present, against whom the Central Bureau of Investigation has recommended action;

(c) whether it is a fact that the Central Investigation Bureau conducted an enquiry against the Commanding Officer, Central Ordinance Depot, Malad; and

(d) if so, the conclusions arrived at ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Choudhary Ram Sewak) : (a) The Investigations Report of the Central Bureau of Investigation is a secret document and it may not be in public interest to place it on the Table of the House.

(b) After careful consideration of all relevant facts, Government have initiated action against two officers of the Ministry of supply, whose names and designations are given below :-

1. Shri P. C. Gupta, Deputy Director, Office of the Director General, Supply & Disposals, New Delhi.

2. Shri H. L. Sapre, Section Officer, Office of the D. G. & D., New Delhi.

(c) Yes, Sir.

(d) No further action was considered necessary against the concerned officer who had already retired from service and had been sanctioned a reduce pension.

फिजो का संयुक्त राष्ट्र संघ में नागाओं का मामला उठाने तथा वित्तीय सहायता मांगने के लिए अमरीका जाना

2485. श्री बेणी शंकर शर्मा : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागा युद्ध-विराम को, जब से यह लागू किया गया था, अल्प अवधि के लिए बार-बार बढ़ाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक बढ़ाते रहने का सरकार का विचार है;

(ग) क्या यह सच हैं कि आतम निर्वासित नागा नेता श्री ए० जेड० फिजो अगस्त 1969 में अमरीका गया था, ताकि भूमिगत आन्दोलन के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सके और संयुक्त राष्ट्र संघ में नागाओं का मामला उठाने का प्रयत्न किया था; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) इसे युद्ध विराम कहना सही नहीं है। सही है—'कार्रवाई स्थगित रखने से संबद्ध समझौता' अथवा संक्षेप में 'एग्सोप'। यह 6

सितम्बर 1964 से लागू हुआ था और तब से समय-समय पर इसकी अवधि बढ़ाई जा चुकी है। अब एक महीने की जो अवधि बढ़ाई गई है वह 31 दिसम्बर 1969 को खत्म होती है।

(ख) 'एग्सोप' की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए तो कितनी अवधि के लिए। इस बात का निर्णय राज्यपाल, स्थिति का आंकलन करके उसके आधार पर करते हैं। यदा-कदा हिंसा की घटनाएं हो जाने के बावजूद, स्थिति धीरे-धीरे सुधर रही है और 'एग्सोप' कायम रखने की जरूरत बनी हुई है।

(ग) सरकार को मालूम है कि फिजो कुछ महीने पहिले अमरीका की यात्रा पर गए थे। ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है जिससे यह पता चलता हो कि उन्हें छिपे नागा आंदोलन के लिए कोई वित्तीय सहायता मिली हो या उन्होंने किसी तरह की राजनीति अथवा प्रचारात्मक कार्रवाई में हिस्सा लिया हो। वहां उनकी इस यात्रा का कोई प्रचार भी नहीं किया गया।

(घ) सरकार फिजो को कोई महत्त्व नहीं देती।

गुजरात तथा राजस्थान सीमाओं पर पाकिस्तानी आक्रमण का भय

2486. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा विचार व्यक्त किया गया है कि पाकिस्तान आक्रमण का अगला लक्ष्य गुजरात सीमा होगा और पाकिस्तान के साथ युद्ध होना अवश्यंभावी है;

(ख) यदि, हां तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या इस बारे में विचार किया गया है कि जो देश चीन तथा पाकिस्तान से शत्रुता रखते हैं उनसे मित्रता की जाये;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) पाकिस्तानी खतरे का कारगर ढंग से मुकाबला करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार ने ऐसे विचारों संबंधी समाचार पत्रों में रिपोर्ट देखी हैं ?

(ख) अपनी सुरक्षा के प्रति संकटों के प्रति सरकार सजग है, और यथा संभव उन रूपों के प्रति भी जो वह ग्रहण कर सकते हैं।

(ग) तथा (घ) . सरकार की नीति है सभी देशों से मैत्री बनाये रखना, और इस ओर प्रयत्न जारी है।

(ङ) रक्षा तैयारी की हमारी स्थिति उन संकटों को ध्यान में रखती है, जिनका देश को सामना करना पड़े।

इसरायल के साथ राजनीतिक संबंध

2487. श्री वि० प्र० मंडल :
श्री श्रीचंद गोयल :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इसरायल के साथ पूर्ण स्तर के राजनयिक संबंध स्थापित नहीं करने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : भारत के समक्ष राष्ट्र हित को देखते हुए, अभी तक इसरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए गए हैं। परन्तु भारत इसरायल को विधिवत मान्यता प्रदान करता है।

चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए राज्यों के संसाधनों का निर्धारण

2488. श्रीमती इला पाल चौधरी :
श्री मंगलाथुमा डोम :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों को देखते हुए चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए राज्य संसाधनों का निर्धारण कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस निर्धारण के फलस्वरूप प्रत्येक राज्य की योजना का आकार क्या होगा; और

(ग) योजना का अंतिम प्रारूप कब तैयार होने की संभावना है और इसे संसद के सामने कब पेश किया जायेगा ?

प्रधान मंत्री वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख). योजना आयोग इस समय पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों के प्रकाश में राज्यों के साधनों के प्राक्कलन के सम्बन्ध में और प्रत्येक राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना और साथ ही पंचवर्षीय योजना 1970–71 के आकार को अंतिम रूप देने के बारे में राज्यों के मुख्यमंत्रियों से विचार विमर्श कर रहा है।

(ग) जैसे ही राष्ट्रीय विकास परिषद् इस पर विचार कर चुकेगी।

कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र योजना के अन्तर्गत उद्योगपतियों और निर्यातकों को प्रोत्साहन

2489. डा० रानेन सेन :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री द० रा० परमार :
श्री रा० की अमीन :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री गु० च० नायक :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांडला में और उसके आसपास करने और निर्यात केन्द्र स्थापित करने के लिए कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र योजना के अन्तर्गत उद्योगपतियों और निर्यातकों को क्या सुविधायें दी गई थीं;

(ख) क्या इस योजना पर प्रतिक्रिया अच्छी नहीं रही;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस योजना के लागू किये जाने के बाद कांडला से निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है;

(ङ) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में कारखाने स्थापित करने के लिए हाल में विदेशियों को नये प्रोत्साहन और सुविधायें दी हैं; और

(च) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र में निर्यात अभिमुख उद्योगों को उनकी कच्ची सामग्री तथा पूंजीगत उपकरणों सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए निम्नलिखित सुविधाएं दी जाती हैं :—

1. इस क्षेत्र में आयातित संयंत्र व मशीनों, कच्ची सामग्री तथा पुर्जों पर सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नहीं लगता ।

2. इस क्षेत्र में निर्मित माल पर उत्पादन शुल्क नहीं लगाया जाता ।

3. पहले छः महीनों के निर्यात उत्पादन के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, मध्यवर्ती पदार्थों, संघटकों व फालतू पुर्जों के लिए सर्वाधिक पसन्द के स्रोतों से गुणावगुण के आधार पर अग्रिम आयात लाइसेंस दिये जाते हैं ।

4. पंजीकृत निर्यातक नीति को जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निर्यात के पोत-पर्यन्त मूल्य के कुछ प्रतिशत तक कच्ची सामग्री के लिए प्रतिपूर्ति आयात लाइसेंसों के देने की भी व्यवस्था उस क्षेत्र की इकाइयों पर भी लागू कर दिया गया है ।

5. पंजीकृत निर्यातक नीति के अंतर्गत इस क्षेत्र की इकाइयां सामान्यतया अनुमेय से भीअधिक मात्रा के आयात हकदारी के लिए भी आवेदन कर सकती है । ऐसे आवेदन कुछ शर्तों के आधार पर स्वीकार किये जाते हैं ।

6. इस क्षेत्र में उत्पादित व्यर्थ तथा अवमानक माल को शुल्क अदायगी के बाद देश में बिक्री हेतु लाने के लिए तकनीकी प्राधिकारियों की सलाह से निर्धारित प्रतिशत तक अनुमति दी जाती है ।

इसके अतिरिक्त नाममात्र किराये पर विकसित भूमिखण्डों और सरकार द्वारा बनवाये गये शैडों का दिया जाना जल तथा विद्युत की उपयुक्त पूर्ति और बिना किसी न्यूनतम निर्यात निष्पादन की शर्तों के निर्यात सम्बद्ध हेतु विदेश भ्रमण के लिए विदेशी मुद्रा के ब्लैंकिट परमिट की विशेष सुविधाएं इत्यादि अन्य कई सुविधाएं क्षेत्र के उद्यमियों को उपलब्ध हैं ।

(ख) तथा (ग) इस समय अनुमोदित सूची में 44 पार्टियां हैं । 33 भूमिखण्डों और 16 सरकार द्वारा बनाये गये शैडों का आवंटन पहले ही किया जा चुका है । इस क्षेत्र में 6 एकक पहले ही उत्पादन तथा निर्यात में लगे हैं और अन्य 8 एककों द्वारा मार्च 1970 तक उत्पादन

तथा निर्यात का प्रारम्भ किये जाने की आशा है। भारत में कांडला का मुक्त व्यापार क्षेत्र इस प्रकार का प्रथम प्रयोग है, अतः स्वाभाविक रूप से अधिकतम सीमा तक कार्य शुरू करने में इसको अभी कुछ समय लगेगा। तथापि इस क्षेत्र में औद्योगिक कार्यकलाप जोर पकड़ रहा है जैसा कि चालू वर्ष में निर्यात की प्रवृत्ति से स्पष्ट होगा।

(घ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में अप्रैल-सितम्बर की अवधि में कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र से हुए निर्यातों का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

1966-67	7.49 लाख रु०
1967-78	8.95 "
1968-69	51.80 "
1969-70 (अप्रैल-सितम्बर)	46.42 "

(अप्रैल-सितम्बर, 1968-69 के दौरान 15.73 लाख रु० का निर्यात हुआ)

(ङ) तथा (च) . भारयीय उद्भव के ऐसे व्यक्तियों, जो वहां के निवासी नहीं हैं अन्यथा विदेशों में रहते हैं, द्वारा कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र में पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने हाल में कुछ मार्गदर्शक नियमों का अनुमोदन किया है जिनका विवरण निम्नलिखित है :—

1. कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्वामित्व तथा साझेदारी में पूंजी लगाने की अनुमति दी जाएगी।

2. मुक्त व्यापार क्षेत्र में पूर्णतः व्यापारिक तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों में पूंजी लगाने की अनुमति होगी। एक और उपबन्ध जिसके अन्तर्गत कुछ प्रकार के उद्योगों में जिनमें विदेशी तकनीकी जानकारी अनिवार्य समझी जाने के कारण विदेशी निवेश की अनुमति नहीं दी जाती, लागू नहीं होगा। दूसरे शब्दों में ऐसे उद्योग की स्थापना में इस आधार पर कोई आपत्ति नहीं होगी कि उसके लिए विदेशी तकनीकी जानकारी व पूंजी अनिवार्य नहीं है।

3. वह अनुबन्ध, जिसके अन्तर्गत अनिवासी उद्यमियों द्वारा उत्तरी निवासी भारतीय भागीकरण को सहयोग देना चाहिए, लागू नहीं होगा।

4. विस्तृत नियमों के अनुसार पूंजी के प्रत्यावर्तन की अनुमति होगी।

5. लाभों के प्रत्यावर्तन की मुक्त रूप से अनुमति होगी बशर्ते प्रत्यावर्तनीय राशि किसी वर्ष में निबल निर्यात आय के आवंटध से अधिक न बढ़े;

6. विदेशी मुद्रा की रकम कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र में लाने की अनुमति होगी। कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र में प्रत्येक आवेदन को अपने कार्यकलापों के सम्बन्ध में में पृथक अनिवासी लेखा जोखा रखना पड़ेगा;

7. आवेदकों की विदेशी मुद्रा के आधार पर निर्यात हेतु रूपान्तर व निर्माण कार्य के लिए आवश्यक संयंत्र तथा मशीनों के आयात की मुक्त रूप से अनुमति होगी और सीमा शुल्क निकासी परमिट दिये जायेंगे तथापि पूंजीगत माल के लिए आयात

लाइसेंसों के आवेदन पत्रों पर विचार करने के लिए स्वदेशी दृष्टिकोण से अनुमति (सीमाशुल्क निकासी परमिट से भिन्न है) की आवश्यकता होगी;

8. यदि उद्योग इस प्रकार का है जिसमें निर्मित उत्पादों का भारत स्पष्ट आयातक प्रतीत होता है तो ऐसे सामान को भारत में बेचने के लिए पार्टियों को वैद्य सामान्य मुद्रा क्षेत्र वाले आयात लाइसेंसों के आधार पर अनुमति दी जा सकती है; और

9. आयकर इत्यादि के मामले में देश के शेष भागों में अनिवासीय को प्रदत्त सभी सुविधाएं समान रूप से कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र में भी लागू होंगी।

श्रीनगर उधमपुर और जम्मू को 'शान्ति केन्द्र' घोषित करना

2490. श्री स० मो० बनर्जी : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीनगर, ऊधमपुर और जम्मू को "शांति केन्द्र" घोषित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो मार्मिक संघ की सामान्य गतिविधियों को रोकने के लिए सेना अधिनियम लागू करने का क्या कारण है ;

(ग) क्या इस प्रतिबन्ध से सैनिक इंजीनियरी सेवा और अन्य रक्षा संस्थानों के कर्मचारी "क्षेत्र सेवा रियायत" के हकदार हो जायेंगे ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री और इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) . 1 मार्च 1968 से श्रीनगर ऊधमपुर और जम्मू में सेवा कर रहे सेना सेविवर्ग से ऋण क्षेत्र रियायतें वापस ले ली गई थीं। उसी सादृश्य के अनुसार उन स्थानों के रक्षा असैनिकों से भी रियायतें वापस ले ली गई थी।

रणक्षेत्र रियायतें प्रदान करने और रक्षा असैनिकों पर सेना अधिनियम लागू करने में कोई सम्बन्ध नहीं है। दोनों पर उनके अपने-अपने मेरिट के अनुसार विचार किया जाता है, और सरकार सन्तुष्ट हैं कि जबकि इन क्षेत्रों में रक्षा असैनिकों पर सेना अधिनियम लागू करना अभी आवश्यक है, रणक्षेत्र रियायतों को जारी रखना न्याय नहीं है।

पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत का व्यापार करार

2491. श्री वेदव्रत बरुआ : क्या विदेशी व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम एशिया के देशों के साथ भारत का इस समय कितना व्यापार है ; और

(ख) क्या पिछले कुछ वर्षों से इन देशों के साथ व्यापार बढ़ा है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) 1968-69 में पश्चिम एशिया के देशों के साथ भारत का कुल व्यापार 158.76 करोड़ रु० मूल्य का था, जिसमें से भारत ने 97.29 करोड़ रु० मूल्य के निर्यात किये और इन देशों से 61.47 करोड़ रु० के मूल्य के आयात किये गये।

(ख) जी, हां। गत तीन वर्षों में हुए व्यापार की मात्रा को नीचे दिखाया गया है:—

(करोड़ रु० में)

	भारत से निर्यात	पश्चिम एशिया के देशों से आयात	योग
1966-67	54.40	55.19	109.59
1967-68	63.09	82.33	145.42
1968-69	97.29	61.47	158.76

विदेशों में राजकीय व्यापार निगम की शाखाएं

2492. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजकीय व्यापार निगम की विदेशों में कितनी शाखायें हैं और कहां-कहां ;

(ख) ये शाखायें वहां किस उद्देश्य की पूर्ति करती है और भारतीय माल के लिए विदेशी बाजार बनाने के लिए अब तक इन शाखाओं का लाभ हुआ है ;

(ग) क्या नयी शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो कहां ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) भारत से बाहर राज्य व्यापार निगम की ग्यारह शाखाएं है। वे बैंकाक, बैरूत बूडापेस्ट, कोलम्बो, लागोस, मांट्रियल, मास्को, नैरोब, प्राग, रोटरडम तथा तेहरान में हैं।

(ख) इन शाखाओं ने निर्यातों में विविधता लाने तथा उनका संवर्धन करने में निगम की सहायता की हैं ; वे विदेशों की बाजार जानकारी देकर निजी व्यापारियों की भी सहायता करती है।

(ग) तथा (घ). राज्य व्यापार निगम के पास कुछ अन्य कार्यालय खोलने की प्रस्थापनाएं हैं, परन्तु अभी विचार करने की प्रारम्भिक अवस्था में ही है।

धोतियों और साड़ियों के उत्पादन पर नियंत्रण

2493. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार कपड़ा मिलों द्वारा धोतियों तथा साड़ियों के उत्पादन पर नियंत्रण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं ; और

(ग) इससे मिलों की अर्थ व्यवस्था तथा धोतियों तथा साड़ियों के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता

2494. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए हमने विदेशों से कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का आयात किया, तथा हमारे स्वदेशी उत्पादन से वह किस अनुपात में है ;

(ख) सुरक्षा उत्पादन के बारे में पूर्ण आत्म निर्भरता प्राप्त करने तथा उसके लिये कम से कम विदेशी मुद्रा के खर्च को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ; और

(ग) वर्ष 1948 और 1956 की तुलना में सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए स्वदेशी उत्पादन का अनुपात तथा मूल्य क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री और इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विदेशों से प्राप्त भण्डारों, उपस्करों आदि का परिमाण और मूल्य बताना सार्वजनिक हित में न होगा, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि रक्षा सेनाओं के लिए आन्तरिक उत्पादन व्यवस्था से उपलब्ध सामग्री की प्रतिशत काफी तेजी से बढ़ी है। सरकार का यह प्रयास रहा है कि रक्षा सेनाओं की अनिवार्य आवश्यकताओं की यथासम्भव पूर्ति के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर साधन का उपयोग किया जाये। यह काम अन्य बातों के साथ रक्षा उत्पादन स्थापनाओं में उत्पादन के परिमाण और करार को बढ़ा कर किया गया है। ट्रेड से सामान की अधिक उपलब्धि के लिए सरकार ने अब तक आयात की जाने वाली रक्षा सम्बन्धी पदों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित कदम उठायें हैं :—

(1) आयात-प्रतिस्थापन कार्य को हाथ में लेने के लिए 1965 में एक अलग से रक्षा पूर्ति विभाग का गठन किया गया।

(2) दिल्ली, बम्बई कलकत्ता और मद्रास में सेम्पुल कक्ष खोले गये हैं जहां आयात की जाने वाले मदें रखी गई हैं। जो निर्माता इन्हें बनाना चाहता हो वह इन सेम्पुल कक्षों में आते हैं और उन्हें तकनीकी कार्मिक आवश्यक दिशा-निर्देशन करते है।

(3) नियत्रित या अभावयुक्त कच्चे माल की प्राप्ति के लिए उन फर्मों की सहायता की जाती है जिन्हें मद विशेष को बनाने के लिए कहा जाता है।

(4) जरूरी होने पर आवश्यक समतुल्य उपस्कर प्राप्त करने के लिए आयात लाइसेंस दिये जाते हैं।

(5) "लेखा अदायती पर" की सुविधा कच्चें माल और उपकरणों को खरीदने के लिए दी जाती है।

(6) जहां विकास कार्य पर अधिक खर्चा होता हो या विशिष्टियों की पूर्ति के लिए जहां खरीददार को कितने ही प्रयोग या परीक्षण करने होते है, वहां उन सबका खर्चा सरकार उसे वापिस देती है।

(7) किसी एक मद को विकसित करने वाले निर्माता को पहले वर्ष की शतप्रतिशत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कहा जाता है। दूसरे वर्ष 50 प्रतिशत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्डर दिये जाते है और उसके बाद आवश्यकताओं का काफी बड़ा भाग पूरा करने के लिए उसे आर्डर दिया जाता रहता है।

(ग) यथा सम्भव रूप से सूचना एकत्रित की जाएगी और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास की कार्य-प्रणाली का अध्ययन

2495. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :

क्या **वदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तेमन्त्रालय निरीक्षक दल ने वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास की कार्य प्रणाली का अध्ययन करने के लिए हाल में उसका निरीक्षण किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस निरीक्षक दल द्वारा क्या अध्ययन किया गया है ;

(ग) इस दल द्वारा दिये गये प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) उसके परिणाम स्वरूप सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वैदेशिक–कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां.

(ख) और (ग) . निरीक्षण दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(घ) इस समय इसका प्रश्न नहीं उठता।

विज्ञान तथा टेक्नोलोजी सम्बंधी समिति

2496. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान तथा टेक्नोलाजी के क्षेत्रों के विकास के बारे में सरकार को सलाह देने के लिए कोई समिति गठित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन लोग हैं तथा विशेष रूप से चौथी योजना के सम्बन्ध में इस समिति ने क्या सिफारिशें की हैं ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां, विज्ञान तथा टेक्नोलोजी सम्बन्धी समिति विज्ञान एवं टेक्नोलोजी विषयक मामले में सरकार को सलाह देती है।

(ख) इस समिति की संरचना संलग्न सूची में दिखलाई गई है। विज्ञान तथा टैक्नोलोजी सम्बन्धी समिति में चतुर्थ योजना के बारे में कई सिफारिशें की हैं। उनमें से कुछ सिफारिशों का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(1) हमारी प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक उपलब्धि के प्रसिद्ध क्षेत्रों के विकास तथा अग्रगामी संयंत्र संबंधी अध्ययनों को चलाने के लिए धन (निधि) की व्यवस्था करना जिनमें आर्थिक वृद्धि में योगदान करने की अधिक क्षमता है जिससे इन अध्ययनों को प्रयोग शाला की अवस्था से ऐसी अवस्था में ले जाया जा सके जो उद्योग के लिए ग्राह्य हो। विज्ञान तथा टैक्नोलोजी संबंधी समिति की सिफारिश पर योजना आयोग ने चतुर्थ योजना में इसके लिए व्यवस्था की है।

(2) चतुर्थ योजना के उपागम के सम्बन्ध में विज्ञान तथा टैक्नोलोजी सम्बन्धी समिति ने योजना आयोग के सहयोग से निम्नलिखित क्षेत्रों में अध्ययनों के लिए समितियों तथा विशेषज्ञों की तालिका का गठन किया है जो चतुर्थ योजना के दौरान तथा सुदूर भविष्य के विकास से विशेष संबंध रखते हैं :—

(क) खनिज

(ख) जल-संसाधन, उनका उचित उपयोग तथा संरक्षण।

(ग) खेतों की सिंचाई।

(घ) सिंचाई रहित खेती।

(ङ) कृषि सम्बन्धी रासायनिक पदार्थ।

(च) अ-लौह-धातु।

(छ) उच्च पुरुभाज।

(ज) मिट्टी के बर्तन बनाने की कला।

(झ) सूक्ष्म रासायनिक पदार्थ जिसमें जीव रासायनिक भी सम्मिलित हैं।

(ट) औषधियां, औषधि निर्माण, सूक्ष्मजीव सम्बन्धी उत्पाद तथा शिला संबंधी रासायनिक पदार्थ।

(ठ) हमारे वर्तमान प्राकृतिक साधनों का सर्वेक्षण तथा उनके उचित उपयोग तथा संरक्षण की प्रणालियां।

(ड) उर्वरक टैक्नोलोजी।

(ढ) अर्ध-संचालक कोटि का सिलिकान (सिकता रेत)।

विज्ञान तथा टैक्नीलोजी सम्बन्धी समिति का गठन

1. डा० वी० डी० नाग चौधरी, सदस्य, योजना आयोग (अध्यक्ष)
2. श्री वी० शिवरमन, मंत्रिमंडल सचिव (उपाध्यक्ष)
3. डा० आत्माराम, महानिदेशक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्।
4. डा० दशरथ बनर्जी, राष्ट्रीय रबड़ विनिर्माणकर्ता, लिमिटेड कलकत्ता के तकनीकी निदेशक तथा सलाहकार।
5. प्रतिरक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार।
6. डा० ए० आर० किदवाई, सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।

7. डा० डी० एस० कोठारी, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ।
8. डा० एस० के० मुकर्जी, उपकुलपति, कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी ।
9. डा० वी० पी० पाल, महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्, नई दिल्ली ।
10. डा० के० एन० राज, उपकुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय ।
11. डा० सी० आर० राव, निदेशक, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण विश्वविद्यालय, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कलकत्ता ।
12. डा० विक्रम ए० साराभाई, अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग एवं सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग, अपोलो पायर रोड़, बम्बई ।
13. श्री एच० एन० एन० सेठना, भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र बम्बई ।
14. डा० के० वी० सुब्रह्मण्यम्, खनन अभियान्त्रिकी (इन्जीनियरी) के सेवा निवृत प्राध्यापक, मद्रास ।
15. डा० पी० एन० वाही, महा निदेशक, भारतीय खनिज अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली ।

पाकिस्तान द्वारा जब्त किये गए सामान का वापिस किया जाना

2497. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री 13 अगस्त 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 534 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान सरकार को उनके द्वारा जब्त किये गये सामान को वापिस करने के लिये किये गये निरन्तर आग्रह के क्या परिणाम निकले हैं ;

(ख) क्या पाकिस्तान ने इस सम्बन्ध में अपने रवैये को बदलने से इन्कार कर दिया हैं ; और

(ग) क्या सरकार यह मामला अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में उटायेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) . पाकिस्तान सरकार ने भारतीय सम्पत्तियों और अस्तियों को लौटाने के प्रश्न पर विचार विमर्श करने की अपनी इच्छा जाहिर नहीं की है। परन्तु इस सम्बन्ध में हमारे प्रयास जारी है ।

(ग) सरकार का यह मत है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सम्पूर्ण प्रश्न का समाधान द्विपक्षीय रूप से किया जाना चाहिये, जैसा कि ताशकन्द घोषणा में इसकी व्यवस्था है ।

मनुष्यों के बालों का निर्यात

2498. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ प्रमुख निर्यातक इस शर्त पर मनुष्यों के बालों का निर्यात बढ़ाने की स्थिति में है कि सरकार इस प्रस्ताव पर यथार्थवादी दृष्टीकोण अपनाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मनुष्यों के बालों के लिये विभिन्न विदेशी बाजारों को निर्यात की संभावना का कोई नवीनतम मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और इसके परिणाम स्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की संभावना है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जून, 1965 में राज्य व्यापार निगम द्वारा मानव बालों का व्यापार शुरु करने से पूर्व, कतिपय गैर-सरकारी पार्टियों अधिकांशत: कच्चे तथा अपरिष्कृत रूप में कम मूल्यों पर बालों का निर्यात करती थीं। चूंकि मानव बालों का निर्यात असंगठित क्षेत्र करता था, अत: ऐसी धारणा थी कि मानव बालों का निर्यात जब तक उसी क्षेत्र से होता रहेगा, तब तक विदेशी मुद्रा के उपार्जनों में कोई सुधार होना संभव नहीं है। अगस्त, 1966 में मानव बालों का निर्यात राज्य व्यापार निगम के अनन्य माध्यम से शुरू किया गया था तथा निगम द्वारा किये गये संवर्द्धनात्मक उपायों के फलस्वरूप मानव बालों तथा मानव बाल उत्पादों के निर्यात में भारी बृद्धि हुई है। वर्ष 1964-65 में मानव बालों तथा मानव बाल उत्पादों के निर्यात का कुल मूल्य पचास लाख रुपये था जो वर्ष 1968-69 में बढ़कर 6.82 करोड़ रुपये हो गया। फिर भी, व्यापार में कदाचार का परिहार करने की दृष्टि से कतिपय विनियमों के अधीन, निर्यात व्यापार में गैर-सरकारी व्यापारियों का पूरा सहयोग लिया है।

(ख) तथा (ग) . भारतीय मानव बालों के प्रमुख बाजार दक्षिण कोरिया हांगकांग, सं० रा० अमरीका तथा जर्मन संघीय गणराज्य है। वर्तमान सम्भावनाओं के अनुसार, कठोर प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारतीय मानव बालों तथा मानव बाल उत्पादों के लिये अच्छा बाजार मौजूद है। अनुमान है कि वर्ष 1969-70 में यह निर्यात 7 करोड़ रुपये तक पहुँच जायेगा।

Work in Hindi in Offices under Prime Minister

2499. **Shri J. Sundar Lal** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the total number of new offices opened from January, 1968 to 31st August, 1969 and the number of those to be opened from 1st September, 1969 to the 31st December, 1970 in the Departments/Ministries under her control ;

(b) the total number of employees and officers appointed to work in Hindi in the said offices and if not, whether Government propose to appoint them in the near future ; and

(c) the steps proposed to be taken to ensure that the official language (Hindi) gets proper place in new offices and English remains subsidiary language and its importance may come down ?

The Prime Minister, Minister of Finance Minister of Atomic Energy, and Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a), (b) and (c) . The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House.

चिलका लेक में नौसैनिक प्रशिक्षण केन्द्र

2500. श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चिलका लेक में नौसैनिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) चौथी पंच वर्षीय योजना अवधि में कितनी पूंजी लगाई जाने की संभावना है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री और इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्णसिंह) : (क) तथा (ख) . प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

Opening of Aeronautics Factory Near Lucknow

2501. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Defence** be pleased to state

(a) whether it is a fact that it has been decided to open a Aeronautics Factory near Lucknow ;

(b) if so, the terms and conditions of participation of the Central and State Governments in this regard ; and

(c) the estimated expenditure involved therein and the time by which its construction work is likely to be started ?

The Minister of Defence Steel and Heavy Engineering Production (Shri L. N. Mishra) : (a) and (b) . It has been decided to set up a factory at a site near Lucknow for the manufacture of aircraft accessories such as flight and general instruments, wheels and brakes, ejection seats, hydraulic equipment etc. This factory is being set up by the Hindustan Aeronautics Ltd. Bangalore, which is a public undertaking wholly owned by the Government of India There is no participation by the Government of Uttar Pradesh but they have undertaken to make available land for the factory and to provide subsidised industrial housing and executive housing.

(c) The estimated capital cost of the project is Rs. 433 lakhs The State Government have taken in hand acquisition of the land for the factory. The construction work will start as soon as possession of the land is given.

अक्टूबर, 1969 में प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के सदस्य देशों की बैठक

2502. श्री नन्द कुमार सोमानी : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती कपड़ा मिलों के लिये दीर्घकालीन व्यवस्था के बारे में विचार करने के लिए अक्तूबर, 1969 के आरम्भ में प्रशुल्क तथा व्यापार संबंधी सामान्य करार के सदस्य देशों की एक बैठक हुई थी और क्या इस बैठक में भारत के प्रतिनिधि ने भाग लिया था ;

(ख) इस प्रश्न पर सरकार की नीति क्या है ; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकाले है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) . अक्तूबर, 1969 में हुई बैठक में सूती वस्त्रों के लिये दीर्घावधि व्यवस्था के भविष्य के बारे में कोई अन्तिम विनिश्चय नहीं किया गया। अन्य बैठक शीघ्र ही होगी। बैठक में इस बात को स्वीकार किया गया कि व्यवस्था के भविष्य पर विचार करने से पहले भाग लेने वाले देशों के बीच द्विपक्षीय परामर्श आवश्यक है।

ओसाका मेले के लिए पथप्रदर्शक (गाइड्स)

2503. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा** :
श्री जयसिंह :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान में ओसाका में होने वाले मेले के लिये, 1,800 आवेदन पत्रों में से, 30 पथप्रदर्शक चुने गये हैं और इस समय उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है ;

(ख) इन पथप्रदर्शकों का चयन किस आधार पर किया गया था, उनकी नियुक्ति की शर्तें क्या है और एक पथप्रदर्शक के प्रशिक्षण पर कितना खर्च आयेगा ;

(ग) ओसका मेले के पश्चात इन पथप्रदर्शकों को किस तरह खपाया जायेगा तथा पहले हुए मेलों के लिये चुने गये पथप्रदर्शक किस तरह खपाये गये है तथा क्या इस बात का कभी कोई अनुमान लगाया गया है कि पथप्रदर्शकों पर कितना खर्च हुआ है और उसके क्या परिणाम निकाले हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं। कुल मिलाकर 1760 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे और उनमें से प्रशिक्षण के लिए 33 लड़कियों का चयन किया गया था। उनमें से 32 लड़कियां हाजिर हो गई और वे प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। उनमें से पथप्रदर्शक लड़कियों का अन्तिम चयन किया जायेगा।

(ख) आवेदन पत्रों की प्रारम्भिक छानबीन सरकारी अधिकारियों की एक छानबीन समिति द्वारा की गई थी और इन्टरव्यू के लिये आवेदकों का चयन निम्नलिखित आधार पर किया गया था ; अर्थात सुरूपता, शिक्षा सम्बन्धी अर्हता से भारत की विकास संबंधी तथा अन्य समस्याओं के प्रति जागरूकता, विदेशों की यात्रा, विदेशी भाषाओं विशेषतः जापानी भाषा आदि का ज्ञान। उनका अन्तिम चयन श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त चयन बोर्ड द्वारा किया गया था। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली लड़कियां प्रशिक्षावधि में परिवीक्षाधीन के पास रखी जाती है और उनको उस अवधि में कुल मिलाकर 350/00 रुपये प्रतिमास की दर पर राशि दी जाती है। अन्तिम रूप से उनकी नियुक्ति की जाने पर उन पर विहित शर्तें लागू की जायंगी जिनकी एक प्रति (अंग्रेजी में) संलग्न है। पथप्रदर्शकों के प्रशिक्षण पर कुल 26,650 रुपये व्यय होने की संभावना है।

(ग) पथप्रदर्शकों की नियुक्ति विशेष कार्य के लिये की जाती है और उसे सौंपे गये कार्य के पूर्ण हो जाने पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती है। पथप्रदर्शकों द्वारा किये गये कार्य के स्वरूप को देखते हुए व्यय के आधार पर प्राप्त परिणामों का कोई आंकलन नहीं किया जा सकता। तथापि सभी प्रदर्शनियों में, जहां पथप्रदर्शक भेजी गई हैं, वे बहुत ही सफल रही हैं और अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2209/69**]

भारत स्थित चीनी दूतावास द्वारा निमंत्रण पत्र

2504. श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में कितने अवसरों पर भारत स्थित चीनी दूतावास ने भारतीय नागरिकों को निमंत्रण पत्र देने के बारे में वैदेशिक कार्य मंत्रालय के निदेशों का उल्लंघन किया ; और

(ख) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है तथा चीनी दूतावास के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) केवल छः अवसरों पर, विदेश मंत्रालय के माध्यम से गैर राजनयिक को निमंत्रण नहीं मिले थे।

(क) विदेश मंत्रालय के माध्यम से निमंत्रण देने की जरूरत इसलिए समझी गई कि चीनी राजदूतावास की सुरक्षा का सुनिश्चय हो सके। चूंकि राजदूतावास ने कार्यविधि का पालन नहीं किया, अतः आमंत्रित गैर-राजनयिकों को उस राजदूतावास के स्वागत समारोहों में जाने की अनुमति देने के पूर्व उन्हें पहचानने के आवश्यक उपाय किए जाते हैं।

शक्तिमान ट्रक

2505. श्री एन० शिवप्पा : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शक्तिमान ट्रक का मूल्य भारत में निर्मित अन्य ट्रकों की अपेक्षा कहीं अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस मूल्य को नीचे लाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) देशीय निर्माण का ऐसा कोई ट्रक नहीं है, जो हर तरह से शक्तिमान ट्रक से भारी समानता रखता हो। अधिकाधिक समानता, रक्षा इण्डेंटकताओं के लिए टाटा इन्जीनियरिंग और लोकोटिव कम्पनी लि० द्वारा

विशेषतौर पर ट्रक से हो सकती थी, और शक्तिमान ट्रक की कारखाने से बाहर लगभग 63000 रुपये कीमत की तुलना में इसकी कारखाने से बाहर कीमत लगभग 555000 रुपये है।

(ख) टाटा ट्रक की तुलना में शक्तिमान ट्रक बहुमुखी इन्धयन्त्र, और एक अतिरिक्त निष्क्रय एक्सल है जो उसे मजबूत बनाते हैं, और अन्य भी कई लक्षण हैं। शक्तिमान गाड़ियों के वृहत संयोजक अब 8 भिन्न आईनेंस फैक्ट्रियों की फालतू क्षमता का प्रयोग करते हुए निर्माण किये जाते हैं। उत्पादन सुविधाओं के इस विघटन से लागत बढ़ जाने की आशंका रहती है।

(ग) एक समेकित गाड़ी निर्माण फैक्टरी जबलपुर में स्थापना की प्रगत प्रावस्था में है। इस फैक्टरी में उत्पादन स्थापित होने की देर है। आशा है शक्तिमान ट्रक की कीमत गिर जाना चाहिए।

दमदम के आयुध कारखाने में तकनीकी कर्मचारी

2506. श्री एन० शिवप्पा : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दमदम के आयुध कारखाने में इस समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सहित, प्रत्येक श्रेणी के दस्तकारों, कुशल कारीगरों तथा सुपरवाइजरों जैसे कुल कितने तकनीकी कर्मचारी काम कर रहे हैं ;

(ख) पिछले दो वर्षों में वहां अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कुल कितने कर्मचारी भर्ती किये गये ; और

(ग) क्या वहां अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कोई कोटा नियत है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) डमडम की आर्डनेंस फैक्टरी में काम पर लगाए गए कारिगरों, कुशल शिल्पियों और सुपरवाइजरों की संख्या 1211 है। इसमें 131 अनुसूचित जाति और 6 अनुसूचित वर्गों के कर्मचारी शामिल हैं।

(ख) एक भी नहीं।

(ग) विषय पर सरकारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित वर्गों के उम्मीदवारों के लिए रिक्त स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं।

मध्य पूर्व में नया फिलिस्तीनी राष्ट्र

2507 श्री शिवचन्द्र झा : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका मध्यपूर्व में एक नया फिलिस्तीनी राष्ट्र बनाने की योजना बना रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार ने इस आशय की सरकारी खबरें देखी हैं कि संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार एक नया पैलेस्टाइन राज्य बनाने के पक्ष में है।

(ख) सरकार इन ब्योरों से अवगत नहीं है।

(ग) चूंकि इस तरह का कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं है, सरकार की प्रतिक्रिया का प्रश्न नहीं उठता।

बिहार सरकार द्वारा माल का निर्यात

2508. श्री शिवचन्द्र झा : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार से विदेशों को माल का निर्यात होता है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों को तथा किस-किस माल का निर्यात होता है और अन्य राज्यों द्वारा माल के निर्यात से जो विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है उसकी तुलना में भारत प्रति वर्ष बिहार से निर्यातित माल से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित करता है; और

(ग) बिहार के माल के निर्यात को बढ़ाने के लिये सरकार क्या विशेष कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप–मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग) . जानकारी उपलब्ध नहीं है चूंकि निर्यात के आंकड़े सम्पूर्ण देश के लिये जाते हैं न कि राज्यवार अथवा क्षेत्रवार। निर्यातों को बढ़ाने के लिये सामान्यत: जो विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं वे उन मदों पर भी लागू होंगे जिनका बिहार से निर्यात किया जा रहा है।

औद्योगिक कारखाने स्थापित करने के लिये विदेशों से करार

2509. श्री शिवचन्द्र झा : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उद्योगों ने विदेशों में औद्योगिक कारखाने स्थापित करने के लिये सम्बन्धित विदेशी सरकारों से करार कर लिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस समय विदेशों में कितनी भारतीय पूंजी लगी हुई है तथा उस पूंजी से भारत को कुल कितनी वार्षिक आय होती है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं। किन्तु काफी भारतीय उद्योगपतियों ने सम्बद्ध देशों में संयुक्त औद्योगिक उद्यमों की स्थापना हेतु अपने विदेशी समकक्षियों के साथ सहयोग करार किये हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 17 औद्योगिक परियोजनाओं में, जिनमें भारतीय सहयोग से विदेशों में उत्पादन आरम्भ भी हो चुका है, कुल भारतीय पूंजी निवेश दो करोड़ रुपये के लगभग है। इन उद्यमों में से भारतीय पूंजी के फलस्वरूप भारत को भेजी जाने वाली कुल वार्षिक धनराशि के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी। अधुनातन जानकारी के अनुसार अब तक प्राप्त कुल राशि लगभग 75 लाख रुपये है।

परमाणु नीति में संशोधन

2510. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत प्रतिरक्षा आवश्यकताओं को देखते हुए अपनी परमाणु नीति में संशोधन करने का विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री अणुशक्ति मन्त्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) . अणु-आयुधों के विकास के बारे में सरकार की नीति इस सदन को अनेक बार बताई जा चुकी है । माननीय सदस्य इस सदन में दिनांक 26 नवम्बर, 1969 को रक्षा मंत्री द्वारा दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1443 के उत्तर को देखने की कृपा करें ।

भारत-लाओस व्यापार करार

2511. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाओस सरकार के साथ हाल ही में किसी व्यापार करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं । (ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Book Entitled "Ambassadors Journal"

2512. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the Comment made in the book known as "Ambassador's Journal" written by Prof. Galbraith, former Ambassador of U.S.A. in India, in which it has been stated inter alia that some Officers and Ministers of the Government of India supplied much of the information to his Embassy and one Cabinet rank Indian Minister had asked for assistance from him in order to become the Defence Minister; and

(b) if so, the reaction of Government in this regard and the nature of action taken to focus attention on the actual facts ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Government has been references in Prof. Galbraith's latest book,' 'The Ambassador's Journal" about his meetings with the officials of the Government of India and public men.

(b) It is not possible for Government to comment on any private conversation an Ambassador might have had with individuals. However, it is not right for Indian citizens to discuss such matters with foreign ambassadors.

Indian Delegation's visit to study the Plight of Minorities of Pakistan

2513. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Pakistan Government have started a wave of suppression against the minorities in order to turn them out of their country:

(b) the date of the visit of the delegation of Indian Officials to study the plight of minorities there and the results thereof;

(c) when the next delegation as proposed to be sent;

(d) the action taken by Government to safeguard the interests of Indians in Pakistan ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Government are aware of the hardships and disabilities suffered by mtnorities in Pakistan. However, they have no information that there has been a recent intensification of suppression against minorities in Pakistan.

(b) No such delegation has gone to Pakislan recently,

(c) There is no such proposal.

(d) We have repeatedly remainded the Government of Pakistan of their obligations towards minorities.

मैरिना किस्म की ऊन का आयात

2514. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैरिना किस्म की ऊन आस्ट्रेलिया से आयात की जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में मैरिना किस्म की कितनी ऊन का आयात किया गया और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई;

(ग) क्या यह भी सच है कि मैरिना किस्म की ऊन के उत्पादन के लिये राजस्थान, गुजरात, जम्मू तथा काश्मीर और हिमाचल प्रदेश में प्रयास किये जा रहे हैं; यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) इन राज्यों में कब तक इस ऊन का उत्पादन होने लगेगा और भारत इसमें कब तक आत्म-निर्भर हो जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) आस्ट्रेलिया से आयातित कच्ची ऊन, जो सामान्यत: मैरिनो ऊन होती है, का परिमाण तथा मूल्य निम्नलिखित है:—

वर्ष	परिमाण लाख किग्रा. में परिमाप	मूल्य लाख रुपये में मूल्य
1966—67	110	1110
1967—68	116	1104
1968—69	117	1101

(ग) तथा (घ) . इन राज्यों में बढ़िया ऊन तैयार करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं जो असली पालित विदेशी भेड़ों तथा संकर भेड़ों की प्राप्यता पर निर्भर है । ऐसे ऊन को सीमित परिमाण में पहले ही इन राज्यों में तैयार किया जा रहा है । किन्तु इस अवस्था में कोई आत्म-निर्भरता की परिकल्पना नहीं की जा सकती ।

राजकीय व्यापार निगम के अधिकारियों के विदेशों के दौरे

2515. श्री बी० ना० कथम : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1968 से राजकीय व्यापार निगम के अध्यक्ष तथा निदेशकों सहित अधिकारयों के विदेशों के दौरे में जो व्यय हुआ, वह भारतीय रुपयों और विदेशी मुद्रा में कितना-कितना है; और

(ख) इन दौरों का ब्योरा क्या है तथा उन अधिकारियों के नाम क्या हैं तथा उन्होंने किन-किन देशों के दौरे किये और उनमें से प्रत्येक के साथ कितने मूल्य के माल का निर्यात करने का करार किया गया ।

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख) . जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

चीन के साथ वार्ता

2516. श्री स० चं० सामन्त : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष सितम्बर के तीसरे सप्ताह में विदेश यात्रा से लौटते समय बम्बई में उन्होंने समाचारपत्र संवाददाताओं को इस आशय की जो टिप्पणी दी कि "इस आशा से कि चीन अन्य शांतिप्रिय एशियाई देशों के साथ सहयोग करेगा और आण्विक हथियारों का विकास रोकेगा, युक्तिसंगत रवैये में (चीन के साथ) कुछ वार्ता जारी रखना लाभप्रद होगा" उसका असली भाव क्या है; और

(ख) उनकी राय में एशिया में कौन-कौन से देश अपने नेक प्रभाव का प्रयोग करके चीन को आण्विक हथियारों का विकास करने से रोक सकते हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय मे उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : चीन के साथ राजनयिक सम्बन्ध तोड़ लेने की सरकार से कुछ संसद सदस्यों की कथित प्रार्थना के बारे में समाचारपत्र

वालों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए विदेश मंत्री ने कहा था कि राजनयिक सूत्रों के माध्यम से चीन लोक गणराज्य के साथ सम्पर्क बनाए रखना लाभदायक होगा। एक अलग प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा था कि हमें यही उम्मीद करनी चाहिए कि एक-न-एक दिन चीन अवश्य ही अपनी वर्तमान नीतियों का त्याग कर देगा और शांति के लिए एशिया के दूसरे देशों के साथ सहयोग करेगा तथा नाभिकीय अस्त्रों का विकास बंद कर देगा जो कि शांति के लिए खतरनाक है।

भारत-युगोस्लविया व्यापार करार

2517. **श्री स० चं० सामंत** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और युगोस्लाविया के बीच हाल में हुए व्यापार करार में स्वर्ण खण्ड जोड़ने के क्या कारण थे;

(ख) क्या किसी व्यापार करार में स्वर्ण खण्ड जोड़ना एक नई चीज है तथा भारत और किसी अन्य देश के बीच हुए किसी व्यापार करार में उसे अब तक नहीं जोड़ा गया है; और

(ग) क्या भविष्य में अन्य देशों के साथ व्यापार करारों में इस प्रकार के स्वर्ण खण्ड जोड़े जायेंगे ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) हाल ही में युगोस्लाविया के साथ कोई नया व्यापार करार नहीं किया गया है। 1 जनवरी, 1963 से प्रवर्तित चालू भारत-युगोस्लाविया व्यापार तथा भुगतान करार में कोई स्वर्ण खण्ड शामिल नहीं है। विगत वर्ष इस करार की वैधता को 31 मार्च, 1970 तक बढ़ा दिया गया था।

(ख) तथा (ग) . प्रश्न नहीं उठते।

भारत के विरुद्ध चीनी प्रचार

2519. **श्री चेंगलराया नायडू** :
श्री रा० बरुआ :

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन ने गत दो महीनों में भारत के विरुद्ध प्रचार बढ़ा दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने दो अभियान आरम्भ किये हैं, एक तो लोगों को केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए कहना और दूसरा राजनीतिक दलों के आन्तरिक संकट के विरुद्ध;

(ग) यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है, क्योंकि यह अन्य-देश के मामलों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप है जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून विरुद्ध है; और

(घ) यदि हां, तो भारत सरकार उसके भारत-विरोधी प्रचार का किस प्रकार मुकाबला कर रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) पिछले कई वर्षों से उच्च-स्तर पर चीन भारत की वैदेशिक नीति के विरुद्ध प्रचार कर रहा है और भारत की आन्तरिक स्थिति के सम्बन्ध में गलत बयान प्रस्तुत कर रहा है ।

(ख) चीन सरकार के भारत विरोधी प्रचार काफी व्यापक हैं, जिसमें वैधानिक रूप से गठित सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह कराने तथा आन्तरिक विकासों के सम्बन्ध में मिथ्यानिन्दात्मक टीका-टिप्पणी करने की बातें शामिल हैं ।

(ग) भारत सरकार ने कई अवसरों पर चीनी प्राधिकारियों के साथ बातचीत करते समय इस मामले को उठाया है और उनके द्वारा भारत विरोधी प्रचार जारी रखने पर मौखिक रूप से विरोध प्रकट किया है ।

(घ) विदेश स्थित हमारे मिशनों की सूचना सेवाएं तथा भारत सरकार के सामूहिक प्रचार के माध्यम से इस गलत तथा शत्रुतापूर्ण प्रचार को जरूरत पड़ने पर निष्फल करते हैं ।

कीनिया में रहने वाले भारतीयों पर प्रतिबन्ध

2520. श्री नि० रं० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रा० बरुआ :

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कीनिया सरकार ने गैर-नागरिकों, मुख्यत: एशियाई, द्वारा व्यापार पर और प्रतिबंध लगा दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने और भारतीयों पर प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या भारत सरकार ने कीनिया सरकार के नये कानून द्वारा प्रभावित भारतीयों के पूर्णत: पुनर्वास के लिए कीनिया सरकार से इस बारे में बातचीत की है; और

(घ) यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) नेरोबी स्थित हमारे हाई कमीशन से प्राप्त सूचना के अनुसार, लगभग 3,000 से 4,000 तक के गैर-नागरिकों के प्रतिष्ठानों पर, जो अधिकांशत: भारतीय मूल के हैं, असर पकड़ने की सम्भावना है ।

(ग) और (घ) . इनमें से अधिकांश लोग ब्रिटिश पासपोर्टधारी हैं । इसलिए उनके हितों की रक्षा करने का दायित्व प्रथमत: ब्रिटिश सरकार पर हैं । यह स्वाभाविक है कि जब भारतीय नागरिकों के हित पर असर पड़ेगा तो भारत सरकार उसकी देखभाल करेगी ।

पाकिस्तानी अधिकारी का अहमदाबाद आना

2521. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री रा० बरुआ :
श्री चेंगलाराया नायडू :
श्री चपलाकांत भट्टाचार्य :
श्री न० रा० दवघरे :
श्री निहाल सिंह :
श्री अदिचन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने एक टिप्पण भेजा था जिसमें भारत सरकार से अनुरोध किया गया था कि वह राज्य में दंगों का वहीं पर जाकर अध्ययन करने के लिए पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी को अहमदाबाद आने की अनुमति दे;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां ।

(ग) इसका सम्बन्ध भारत के घरेलू मामलों से है। पाकिस्तान अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए इस स्थिति से फायदा उठा रहा था।

सीरिया को भारतीय व्यापार प्रतिनिधि–मंडल का दौरा

2522. **श्री मयावन :**
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक भारतीय व्यापार प्रतिनिधि-मंडल दमिश्क गया था और उसने सीरिया सरकार के साथ बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर बातचीत हुई ;

(ग) क्या कोई समझौता हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख) जी हां। दोनों देशों के बीच व्यापार को और भी बढ़ाने हेतु उपायों पर बातचीत करने के लिये भारतीय प्रतिनिधि-मंडल सीरिया गया था। अन्य बातों के साथ साथ जिन विषयों पर बातचीत हुई उनमे ये शामिल (1) सीरिया में एक तिहरे सुपर फास्फेट संयंत्र की स्थापना हेतु परियोजना (2) सीरिया में एक रेल पथ के निर्माण हेतु उपकरण का संभरण (3) भारत से लोहे तथा इस्पात का संभरण और (4) परामर्श सेवाएं देकर, संभावनाओं सम्बन्धी

अध्ययन तैयार करने आदि कार्यों द्वारा सीरियाई विकास योजनाओं में भारत द्वारा और अधिक भाग लेने की संभावना ।

(ग) जी हां ।

(घ) हस्ताक्षरित व्यापार करार का स्वरूप अन्य देशों के साथ हमारे व्यापार करारों के अनुरूप ही है और अन्य बातों के साथ-साथ उसमें ये व्यथस्थाएं भी की गई हैं (1) दोनों देशों द्वारा परस्पर परम मैत्रीपूर्ण व्यवहार सुलभ किया जाना (2) सामान्य व्यापार के परिणाम-स्वरूप भुगतान परिवर्तनीय मुद्रा में किया जाय (3) व्यवसायियों की यात्राओं के लिये सुविधाएं प्रदान की जानी और (4) वैज्ञानिक तथा तकनीकी ज्ञान का आदान-प्रदान ।

गरीबी के उन्मूलन के लिए कार्यक्रम

2523. **श्री चेंगलराया नायडू** : **श्री नि० रं० लास्कर** :
श्री रा० बरुआ : **श्री वेणी शंकर शर्मा** :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 16 सितम्बर 1969 को एक जनसमूह में भाषण करते हुए उन्होंने कहा था कि सरकार भविष्य के लिए लोगों के समक्ष एक व्यापक कार्यक्रम रखेगी जिसका उद्देश्य देश से गरीबी का उन्मूलन करना होगा ;

(ख) यदि हां, तो उसके कब तक प्रस्तुत किये जाने कि संभावना है;

(ग) इस कार्यक्रम की मुख्य बात क्या है ; और

(घ) क्या उसकी पूर्ण क्रियान्विति के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की जायेगी ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (घ) . माननीय सदस्य ने जिसका हवाला दिया है उस अवसर पर प्रधान मन्त्री ने अपने भाषण में देश के सामने उपस्थित प्रमुख समस्या गरीबी के उन्मूलन के बारे में सामान्यरूप से अपने विचार प्रकट किये थे और बैंकों के राष्ट्रीयकरण सहित उन सभी कार्यक्रमों को जोरदार ढंग से कार्यान्वित करने की आवश्यकता पर बल दिया था, जिनसे हमारी जनता की आर्थिक उन्नति हो सकती है और गरीबी दूर हो सकती है ।

अल फतह प्रतिनिधि मंडल के लिये सुविधायें

2524. **श्री रा० बरुआ** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के विभिन्न भागों की यात्रा करने वाले अल-फतह प्रतिनिधि मंडल को राज्य का अतिथि माना गया है अथवा क्या भारत में उनके व्यय का कोई अंश केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया है ; और

(ख) क्या प्रतिनिधिमंडल को उसके उद्देश्यों और कार्यवाही के लिये समर्थन प्राप्त करने के लिये आवश्यक सुविधायें दी गई हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) . जी नहीं ।

कोचीन में विस्फोटक घाट का निर्माण

2525. **श्री ई० के० नायनार :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय से यह सुझाव प्राप्त हुआ है कि कोचीन में विस्फोटक घाट का निर्माण न किया जाय ; और

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री, और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) कोचिन की बन्दरगाह में विस्फोटक बर्थ के निर्माण के सम्बन्ध में परिवहन मंत्रालय ने कुछ कठिनाईयां बताई हैं ।

(ख) मामले का निरीक्षण किया जा रहा है और परिवहन तथा रक्षा मंत्रालय के परस्पर विचार विमर्श द्वारा सन्तोषजनक निर्णय होने की आशा है ।

विदेश मंत्री की पश्चिम बंगाल के उप-मुख्य मंत्री के साथ बातचीत

2526. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हनोई जाते समय और वापस आते समय पश्चिम बंगाल के उप-मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु के साथ कलकत्ता में बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा हुई ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) . जब विदेश मंत्री हनोई से लौट रहे थे तब दमदम हवाई अड्डे पर, पश्चिम बंगाल के उपमुख्य मंत्री श्री ज्योतिबुस से मिले । इनमें सामान्य प्रकृति की बातचीत हुई ।

दार्जिलिंग के पास घूम में लोक निर्माण विभाग के गोदाम से डेटोनेटरों की चोरी

2527. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दार्जिलिंग के पास घूम में लोक निर्माण विभाग के एक बन्द गोदाम को तोड़कर उसमें से 9338 डेटोनेटर चुरा लिए गये हैं;

(ख) क्या इन्हें केवल ट्रकों अथवा इसी प्रकार के अन्य वाहनों में ही ले जाया जा सकता था ; और

(ग) क्या चोरी गये डेटोनेटर दार्जिलिंग के समूचे पहाड़ी क्षेत्रों को नष्ट कर सकते हैं ?

रक्षा मंत्री और इस्पात तथा इंजीनियरिंग मंत्री (श्रीस्वर्ण सिंह) : (क), (ख) तथा (ग) . सूचना संबंधित प्राधिकरणों से इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

गुरु नानक पंच शताब्दि समारोह के अवसर पर ननकाना साहिब में गये लोगों की संख्या

2528. श्री श्रीचंद गोयल : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुरु नानक देवजी के पंच शताब्दि समारोह के अवसर पर पाकिस्तान में ननकाना साहिब में अनुमानत: कितने लोग गये हैं ; और

(ख) क्या पाकिस्तान सरकार ने यात्रियों के लिए व्यवस्था करना स्वीकार कर लिया है ?

वैदशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) इस मौके पर भारत से 4069 सिख यात्री ननकाना साहिब गये थे ।

(ख) जी हां ।

पोलीथीलीन का आयात

2529. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता की एक फर्म को 1000 टन पोलीथीलीन के आयात के लिये लाइसेंस दिया गया था, जब कि उसे केवल 50 टन की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो आवश्यकता से अधिक मात्रा के लिये लाइसेंस दिये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) अन्य किन किन फर्मों ने उक्त बस्तु के लिये लाइसेंस,प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दिये थे ; और

(घ) अन्य फर्नों के आवेदन पत्रों को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ?,

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (घ) . पार्टियों के नाम तथा लाइसेंस अवधि के अभाव में उत्तर देना बहुत कठिन है ।

Smuggling of Indian Jute into Nepal

2530. Shri Ram Sewak Yadav : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether Government are aware that a large quantity of Indian Jute is smuggled into Nepal;

(b) if so, whether an assessment of the said smuggling has been made;

(c) whether the reasons for this smuggling are that the price of jute being paid to farmars is less than that they get in Nepal; and

(d) the measures being adopted to check this smuggling ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Choudhary Ram Sewak) : (a) and (b). Due to the long and open border there is a possibility of smuggling of jute into Nepal.

(c) Attraction of price because of the Bonus Voucher Scheme in operation in Nepal for exports may be one of the reasons for smuggling,

(d) In order, however, to prevent such smuggling, various steps have been taken by Government, such as (i) posting of additional customs staff on the border. (ii) enlisting cooperation of other Central and State Government enforcement agencies functioning on the border, and (iii) setting up of a committee consisting of representatives of Central and concerned State Governments for keeping watch over the trend of smuggling on the Indo-Nepal border and taking suitable remedial measures.

ईरान, थाईलैण्ड तथा सीरिया को रेलवे माल डिब्बों का निर्यात

2531. श्रीमती इला पाल चौधरी : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईरान, थाईलैण्ड तथा सीरिया को रेलवे माल–डिब्बों तथा अन्य उपकरणों की सप्लाई करने के लिये सरकार को हाल–हाल में क्रयादेश प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या नियमित व्यापार करार करके उन्हें अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप–मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) राज्य व्यापार निगम ने सीरिया को रेल-इंजनों के संघटकों तथा थाईलैण्ड को बोगियों के सम्भरण हेतु क्रयादेश प्राप्त किये हैं। इसे ईरान को रेलवे माल डिब्बों के सम्भरण का क्रयादेश भी प्राप्त होने की आशा है।

(ख) तथा (ग). राज्य व्यापार निगम ने ये क्रयादेश विश्वव्यापी निविदाओं में प्रतिस्पर्धा द्वारा प्राप्त किये हैं।

Hostile Nagas crossed over to Pakistan for receiving Armaments and Training

2532. Shri Ram Sewak Yadav : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a batch of hostile Nagas went to Pakistan in September, 1969 to receive training and armaments; and

(b) if so, the details in this regard ?

The Minister of Defence and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) and (b). Government have no such confirmed information-

पूर्ति तथा निपटान विभाग में सहायक निदेशक

2533. श्री हेमराज : क्या **पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्ति तथा निपटान विभाग में सहायक निदेशक के पद कब से विद्यमान हैं;

(ख) क्या उनकी भर्ती तथा पदोन्नति के लिए कोई नियम बनाये गये हैं और यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो उनको स्थायी बनाने तथा उनकी पदोन्नति के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

पूर्ति मन्त्रालय और वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) सम्भवत: यह प्रश्न पूर्ति-सहायक-निदेशकों के पदों के बारे में है। ये पद पूर्ति और निपटान महानिदेशालय संगठन के 1951 में वर्तमान रूप में प्रारम्भ होने के समय से ही विद्यमान हैं ;

(ख) जी, हां, ये नियम 1953 में बनाये गये थे। परन्तु 1961 में भारतीय पूर्ति सेवा का गठन किया गया था और पूर्ति-सहायक-निदेशकों के श्रेणी 1 के सभी पदों को उस सेवा में शामिल कर लिया गया था। उसी समय उक्त सेवा के लिए सेवा-नियम भी बना लिए गए थे।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Development of Atomic Energy in take of Bank Nationalisation

2534. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the impact of bank nationalisation on the programme of the Atomic Development; and

(b) whether it has now become possible to take up such new projects as were not being taken up due to lack of funds ?

Prime Minister the Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). The impact of bank nationalisation is under examination and any changes emanating therefrom will be reflected in the final version of the Fourth Plan.

Splitting of Hydrogen Atom

2535. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the **Prime Minister** be pleased to state : the progress made so far in splitting the Hydrogen Atom ?

Prime Minister the Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and the Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : Hydrogen atom can be easily split into proton and electron and was achieved in the last century. The nucleus of the hydrogen atom called a proton is an elementary pariticle and cannot be split in this sense.

Conversion of Atom of one Metal into that of another Metal

2530. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether any country has been successful in converting the atom of one metal into that of another metal by changing the proportion of electrons and protons in atom; and

(b) if so, the progress made by India in this direction ?

Prime Minister the Minister of Finance, Minister of Atomic Energey and the Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Many nuclear reactions lead to a change in the number of protons in the nuclei of atoms. This has been done in a number of countries.

(b) Nuclear reactions are being experimentally conducted in Indian laboratories. Moreover, plutonium which is created from U–238 in our research reactors has been separated since 1964. Breeding of U–233 from thorium is also done on an experimental basis.

Preparations made by Chinese for Ballistic Missiles

2537. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** **Shri N. K. P. Salve :**
Shri P. C. Adichan : **Shri Ramavatar Sharma :**

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chinese Government have made intensive preparations for ballistic missiles; and

(b) the security measures taken by India in view of the danger to the security of India following the said step ?

The Minister of Defence, Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) and (b) . As stated on 26th November 1969 in reply to Unstarred Question No. 1444, China is developing medium range ballistic missiles which have a range of about 2,000 miles, but there is no indication yet of their actual deployment. Our assessment of the threats and our plans to meet them are kept under constant review, the main consideration being the need for safeguarding national defence and security.

India's Trade with Pakistan and Nepal

2538. **Shri Yashwant Singh Kushawah** : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state : the details of the new policy regarding India's trade with Pakistan and Nepal following the new decision taken by India and Nepal ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Choudhary Ram Sewak) : It is not clear as to which 'new decision' the Hon'ble Member is referring to. However, the position regarding our trade relations with Pakistan and Nepal is as follows :–

Pakistan :–Following the Indo–Pakistan conflict, trade between India and Pakistan came to a standstill from September, 1965. The ban on trade was lifted by the Government of India unilaterally on 27th May, 1966, but similar action has not so far been taken by the Government of Pakistan. Our trade with Pakistan thus continues to be at a standstill.

Nepal :– Our trade with Nepal is governed under the provisions of the Treaty of Trade and Transit (1960), which is valid upto October 31, 1970. Difficulties arising out of implementation of the said Treaty are reviewed at periodical talks between the two countries.

आयात तथा निर्यात के लक्ष्य

2539. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के लिये आयात तथा निर्यात के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ख) इस वर्ष की पहली दो तिमाहियों में गत वर्ष के इसी अवधि की तुलना में निर्यात आय तथा आयात के क्या परिणाम रहे;

(ग) निर्यात की प्रत्येक वस्तु का निर्यात आय में कितना योगदान रहा; और

(घ) क्या इस नीति में कोई दोष पाया गया है और यदि हां, तो अधिक अच्छे परिणामों के लिये क्या परिवर्तन करने का विचार किया गया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) 1969-70 के लिये निर्यात-आय तथा आयात आवश्यकताओं के अनुमान वार्षिक योजना पर लेख के अनुसार क्रमश: 1450 रु० तथा 1900 करोड़ रुपये हैं ।

(ख) जैसा कि निम्नलिखित आकड़ों से स्पष्ट है, वर्ष 1969-70 की पहली दो तिमाहियों में गत वर्ष की उसी अवधि की तुलना में व्यापार संतुलन में सुधार हुआ है :—

(करोड़ रुपये)

अवधि	आयात	निर्यात	व्यापार संतुलन
अप्रैल-सितम्बर, 68	979.97	677.80	- 302.17
अप्रैल-सितम्बर, 69	773.86	698.81	- 75.05

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) जी नहीं । आयात तथा निर्यात नीति में, जब और जैसे आवश्यक हो, परिवर्तनों पर विचार किया जाता है ।

विवरण

(मूल्य लाख रुपये में)

क्रमांक	विवरण	अप्रैल-अगस्त, 68	अप्रैल-अगस्त, 69
1.	कृषि तथा सम्बद्ध उत्पाद	12834	11802
2.	बागान	7011	6082
3.	अयस्क, खनिज तथा रद्दी धातु	5051	4970
4.	सूती वस्त्र तथा निर्मित माल जिनमें नारियल जटा तथा पटसन भी शामिल हैं	4700	5173
5.	नारियल जटा तथा पटसन के उत्पाद	9177	9909
6.	चमड़ा तथा चमड़े के उत्पाद और चर्म तथा कच्ची खालें	3372	4257

7.	इन्जीनियरी माल	2538	3446
8.	हस्तशिल्प उत्पाद	2611	2934
9.	अन्य निर्मित माल	5541	5676
10.	विविध मदें	3020	3668
	(पुनः निर्यात सहित)		
	कुल निर्यात (पुनः निर्यात सहित)	55855	57917

टिप्पणी :— पृथक पृथक मदों के निर्यात के आंकड़े केवल अगस्त, 1969 तक ही उपलब्ध हैं।

मैसूर राज्य के लिए निर्धारित धन–राशि

2540. श्रीमती सुधा वी० रेड्डी : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण तथा पीने के पानी की सप्लाई के लिए केन्द्रीय सहायता देने हेतु कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(ख) राज्य सरकार द्वारा अब तक कितनी राशि उपयोग में लाई गई ?

प्रधान मंत्री वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) राज्यों को केन्द्रीय सहायता खंड ऋण तथा खंड अनुदान के द्वारा दी जाती है और किसी खास स्कीम/कार्यक्रम के सम्बद्ध नहीं है। फिर भी, इन्हें निर्दिष्ट कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए निश्चित किया जाता है ताकि इन स्कीमों/कार्यक्रमों पर खर्च किए जाने वाले समान परिव्ययों को सुनिश्चित किया जा सके। राज्य की वार्षिक योजना 1969–70 के अन्तर्गत ग्रामीण जल संभरण स्कीमों के लिए चिन्हित परिव्यय 57 लाख रुपये है। ग्रामीण बिजलीकरण कार्यक्रम के लिये किसी प्रकार के परिव्यय की व्यवस्था नहीं की गई है।

(ख) सूचना अभी उपलब्ध नही है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में गैर सरकारी क्षेत्र के लिए विनियोजन

2541. श्री लोबो प्रभु : क्या **प्रधान** मन्त्री 13 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3333 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पृष्ठ 48 में दिये गये गैर–सरकारी क्षेत्र के लिये 10,000 करोड़ रुपये का परिव्यय योजना है अथवा तत्सम्बन्धी संकेत;

(ख) यदि योजना है तो क्या राष्ट्रीयकृत बैंक और आगे ब्यौरा बताये बिना अपेक्षित धन की व्यवस्था करेंगे:, और

(ग) ऐसा धन छोटे पैमाने के उद्योगों से लिये जाने वाले ब्याज, दरों पर न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क), (ख) और (ग) . इस मामले की जांच की जा रही है।

डा० हो चि मिन की शव यात्रा में शामिल होना

2542. श्री लोबो प्रभु : क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वियतनाम सरकार ने स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू, श्री लाल बहादुर शास्त्री तथा डा० जाकिर हुसैन की शवयात्राओं में शामिल होने के लिये कोई प्रतिनिधि भेजे थे; और यदि हां, तो उनकी पद-स्थिति क्या थी;

(ख) क्या उत्तर वियतनाम ने भारत पर चीन के हमले का समर्थन किया था; और

(ग) यदि हां, तो उनके द्वारा डा० हो ची मिन की शवयात्रा में शामिल होने के क्या कारण थे ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) उत्तरी वियतनाम की सरकार ने श्री जवाहर लाल नेहरू, श्री लाल बहादुर शास्त्री और डा० जाकिर हुसैन की अन्त्येष्टि संस्कारों के अवसर पर, कोई विशेष प्रतिनिधि नहीं भेजा।

(ख) जी नहीं।

(ग) देशों के बीच सम्बन्ध एक से नहीं रहते। विदेश मन्त्री ने महान एशियाई नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, स्वर्गीय राष्ट्रपति हो ची मिन्ह की अन्त्येष्टि में भाग लिया, जिन्होंने अपने देश की स्वतन्त्रता के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया।

भारत तथा उत्तर वियतनाम के बीच व्यापार समझौता

2543. श्री लोबो प्रभु : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत तथा उत्तर वियतनाम के मध्य हुए व्यापार के आंकड़े क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : उत्तर वियतनाम के साथ भारत के व्यापार की स्थिति निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	(अवमूल्यन पश्चात की दर) (हजार रुपये में)	
	भारत में आयात	भारत से निर्यात
1966-67	90	—
1967-68	—	—
1968-69	—	—

अर्थ व्यवस्था विनियमन

544. श्री लोबो प्रभु : क्या **प्रधान मंत्री** 13 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न 336 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रारुप योजना के पृष्ठ संख्या 232 पर दी गई 29 मदों की क्षमता और उत्पादन के अंतर होने के क्या कारण हैं, यदि दोषपूर्ण आयोजन के कारण नहीं हैं ;

(ख) क्या उत्पादन और मांग के गलत प्राक्लनों पर कोई कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो इस प्रकार के निरर्थक विनियोजन से मूल्य वृद्धि को किस प्रकार रोका जायेगा ;

(ग) क्या प्रत्येक वस्तु की अप्रयुक्त क्षमता के कारणों का पता लगा लिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो चौथी योजना में और क्षमता बढ़ाने से पहले अप्रयुक्त क्षमता को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ङ) क्या आवश्यक क्षमता के गलत निर्धारण के लिए उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए कोई व्यवस्था है और क्या उत्तरदायी अधिकारियों से कोई स्पष्टीकरण मांगे गये है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना प्रारुप के पृष्ठ 232–233 पर जिन 29 मदों को दर्शाया गया है उनमें से केवल औद्योगिक मशीनरी, मशीनी औजार, इस्पात, वाणिज्यिक गाडियां, उर्वरक और भारी रसायन आदि मदों की क्षमता तथा उत्पादन के मध्य उल्लेखनीय अंतर है। उर्वरक जैसे कई मामलों में अंतर का कारण यह है कि वर्ष के अंत में परियोजनाएं चालू हुई और परियोजना को चालू करने के प्रारम्भिक चरणों में पूरी तरह उत्पादन प्राप्त नहीं किया जा सकता, परन्तु औद्योगिक मशीनरी, वाणिज्यक गाडियां, मशीनी औजार इत्यादि मदों में मांग का खास कारण यह है कि अर्थ–व्यवस्था में मंदी का दौर रहा।

(ख) आशा है कि कृषि उत्पादन में सुधार होने से तथा औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोत्तरी होने और सरकार द्वारा पहले ही उठाये गये कदमों से, पहले से निर्मित क्षमता का अधिक उपयोग होगा।

(ग) जी, हां।

(घ) यद्यपि उत्पादन में विविधता की अनुमति, कच्चे माल और उपकरणों के आयात में उदारता, ऋण सुविधाओं का विस्तार, निर्यात आदि को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहनों का प्रावधान आदि कई कदम पहले ही उठाये जा चुके हैं, फिर भी चौथी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों को इस प्रकार तैयार किया गया है जिससे क्षमता के अधिकतम उपयोग के अनुकूल दशायें बनाई जा सकें।

(ङ) अनुपयुक्त क्षमता की समस्या मुख्यत: सूखा तथा तदुपरान्त अर्थ–व्यवस्था में मंदी आदि बाह्य कारणों से उत्पन्न हुई है, अत: जिम्मेदारी निश्चित करने तथा स्पष्टीकरण मांगने का प्रश्न नहीं उठता।

विकास कार्य के लिए मंत्रियों के दौरे

2545. श्री लोबो प्रभु : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने मंत्रियों द्वारा किये जाने वाले दौरों को जिला विकास परिषदों अथवा जिला परिषदों की बैठकों में उपस्थिति के माध्यम से उनके मंत्रालयों को विकास सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने हेतु उपयोग में लाने के सम्बन्ध में विचार किया है;

(ख) यदि नहीं, तो दौरा करने वाले मंत्रियों द्वारा किस प्रकार का सार्वजनिक कार्य किया जाता है ; और

(ग) जिला विकास परिषदों तथा जिला परिषदों को उन विषयों को प्रस्तुत करने के लिये न कहे जाने के क्या कारण हैं जिन पर वे सम्बन्धित मंत्री के साथ चर्चा करना चाहते हैं ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क), (ख) और (ग). अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जब कभी आवश्यक समझा जाता है मंत्रियों के द्वारा देश के विभिन्न भागों का दौरा किया जाता है। इन दौरों के दौरान मंत्रियों को जनता के प्रतिनिधियों से मिलने का मौका मिलता है और यह स्वाभाविक है कि वे उन विकास कार्यक्रमों के कार्य संचालन को देखते हैं जिनसे वे विशेष रूप से सम्बन्ध हैं, जिला विकास परिषद् या जिला परिषद् के प्रतिनिधि इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि वे जिस बात में विशेष दिलचस्पी रखते हों उसे दौरे पर आये हुए मंत्रियों के सामने रखें।

कच्चा पटसन जांच समिति

2546. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कच्चे पटसन की विक्रय स्थिति तथा उसके मूल्यों की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह समिति पश्चिम बंगाल सरकार के विरोध के कारण अपना कार्य आरम्भ नहीं कर सकी क्योंकि वह सरकार इस समस्या के समाधान के लिये स्वयं एक आयोग नियुक्त करना चाहती थी ;

(ग) क्या उक्त समिति ने अब अपना कार्य आरम्भ कर दिया है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो केन्द्र सरकार तथा पश्चिम बंगाल सरकार के मध्य क्या समझौता हुआ है; जिसके आधार पर राज्य सरकार ने अपना विरोध वापस ले लिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने समिति के कार्य करण का कोई विरोध नहीं किया। उसने केवल यह सुझाव दिया था कि प्रस्तावित आयोग द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तक समिति के काम को रोक दिया जाये।

(ग) जी हां।

(घ) राज्य सरकार के साथ कोई विशिष्ट समझौता नहीं हुआ।

डा० मेसकारनहास की रिहाई

2547. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० टेली मेसकारनहास को पुर्तगाल की जेल से रिहा करवाने के मामले में कोई प्रगति हुई है :

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में सरकार को कब तक सफलता मिलने की आशा है ?

वैदेशिक मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क), (ख) और (ग) . भारत सरकार मित्र देशों को और दूसरी एजेंसियों को बीच में डालकर डा० टेली मास्करन्हास को रिहा कराने का बराबर ही हर सम्भव प्रयत्न कर रही है । जिन सूत्रों से काम लिया जा रहा है, उनका विवरण बताना स्वयं डा० मस्करन्हास के हित में नहीं होगा । सरकार को आशा है कि वह उन्हें जल्दी ही रिहा करा लेगी ।

कांगो में रहने वाले भारतीय

2248. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कांगो सरकार द्वारा उस देश से चले जाने सम्बन्धी आदेश जारी किये जाने के परिणाम-स्वरूप कितने भारतीय भारत लौट आये हैं और कितने भारतीय ब्रिटेन को चले गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सुलभ होते ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली में इसरायली मिशन

2549. श्री मणि भाई पटेल : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, 1969 के प्रथम सप्ताह में न्यूयार्क में इसराइल के विदेश मंत्री ने उनसे प्रार्थना की थी कि नई दिल्ली में इसराइली मिशन खोलने की अनुमति दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में अपनी पूर्व नीति पर पुनर्विचार करने का सरकार का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) ईसराइली कांसु-लाबास को बम्बई से दिल्ली में स्थानान्तरित करने की प्रार्थना का उल्लेख किया गया था ।

(ख) अभी किसी प्रकार के परिवर्तन करने का विचार नहीं है ।

प्रादेशिक सेना में लड़कों के लिये जलपान भत्ता

2550: श्री एम० नारायण रेड्डी : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रादेशिक सेना में लड़कों को अब भी वही जलपान भत्ता मिल रहा है जो उन्हें आरम्भ में मिलता था ;

(ख) यदि हां, तो जीवन निर्वाह की लागत में अत्यधिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त भत्ते का पुनरीक्षण न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार उसका पुनरीक्षण करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

प्रतिरक्षा मंत्री और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) . शहरी प्रादेशिक सेना यूनिटों में शामिल होने के लिए लोगों को दिए गए प्रोत्साहनों में से एक के तौर पर जलपान भत्ता स्वीकार किया गया है चूंकि यह जीवन लागत के प्रसंग में नियत नहीं किया गया, इसमें संशोधन स्वीकार नहीं किया गया ।

उत्तर प्रदेश कपड़ा उद्योग की समस्याओं की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति

2551. श्री मणिभाई जे० पटेल : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1969 में हुए त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन में उत्तर प्रदेश कपड़ा उद्योग की बिगड़ती हुई स्थिति के कारणों की जांच करने तथा उसके विकास और पुनर्वास के लिये उपाय सुझाने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति के गठन का सुझाव दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस बारे मे सम्मेलन द्वारा दिये गये अन्य सुझावों का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) अक्तूबर, 1969 में हुए किसी त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन की विदेशी व्यापार मंत्रालय को जानकारी नहीं है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

Gift Tractor Scheme

2552. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri R. K. Birla :

Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government have permitted the import of tractors in the form of gifts from foreign countries;

(b) if so, whether it is also a fact that such permission is granted only to those persons who have own land;

(c) if so, the objection of Government in granting such permission to the pensioners and ex-Servicemen who wish to set up floor mills, fodder-cutters, wheat and rice separators etc. and other small scale industries with the help of these tractors in villages where there is no electricity; and

(d) whether Government propose to review the said condition regarding land and amend it accordingly ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) Yes. Sir.

(b) Permission has been granted to persons engaged in the cultivation of land owned by them or held on lease.

(c) This would be a feasible proposition.

(d) No, Sir.

New Export Policy

2553. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether the draft of new export policy of Government have been prepared; and

(b) if so, when it will be laid on the Table ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) The main element of our export policy are included in the Fourth Five Year Plan Document and no new draft of the policy has been prepared now.

(b) Does not arise.

Naga Hostiles in Nagaland

2554. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Shri Chand Goyal:

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the number of Naga hostiles in Nagaland at present on the basis of the facts collected by the Central Government;

(b) the number of encounters that took place between Indian Security Force and Naga hostiles during the last two years;

(c) the number of Naga hostiles killed, injured and arrested: and

(d) the number of jawans and officers of Indian Defence Force who were killed ?

The Minister of Defence, Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) The strength of Armed Naga personnel in August last year was about 9,300. This has now been reduced to about 6,000.

(b) 183.

(c) During the last two years 105 under-ground Nagas were killed and 24 injured during encounters with Security Forces. 2,417 persons were apprehended during this period.

(d) Three officers, four JCOs and 33 ORs were killed between 1st November 1967 and 31st October 1969 in clashes with the underground Nagas.

Indian Ex-Envoys Seeking Employment Board

2555. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Shri Chand Goyal :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some senior persons who had worked as Indian Ambassadors abroad have after the expiry of their tenure sought empioyment in those very countries;

(b) if so, the names of those persons and the names of the countries where they had served as Ambassadors;

(c) whether permission to seek employment in those countries was given by Government to them during their tenure of office; and

(d) the steps proposed to be taken by Government to see that in future permission to seek employment in those countries is not given to such persons during their tenure of office ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pai Singh) : (a) and (b) During the last 5 years two Indian Heads of Missions have been given permission by Government to take employment, after the expiry of their tenure, in the countries of their accreditation. The names are as follows :--

(i) Air Marshal A. M. Engineer, Ambassador of India, Iran.

(ii) Gen. J. N. Chaudhuri, High Commissioner of India, Canada.

(c) No permission to seek employment was given to either of the two Heads of Missions. However, one of them was given, during the tenure of his office, permission to take up the employment after his retirement from service under the Government of India.

(d) Government of India's instructions already exist to the effect that without Government's prior permission no Government servant shall, while he is still in Government service, negotiate for commercial employment after his retirement from service. Measures to tighten these instructions are being considered in conslutation with other concerned Ministries of the Government of India.

चीन और पाकिस्तान के साथ संघर्ष में सेना को मोटर गाड़ियों की सप्लाई सम्बन्धी दावों का निपटारा

2556. **श्री क० अनिरूद्धन** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन और पाकिस्तान के साथ संघर्ष में सेना को मोटर गाड़ियों तथा परिवहन के अन्य साधन सप्लाई करने में हुई हानि के लिये कुछ आवेदनकर्ताओं को क्या मुआवजा दिया गया;

(ख) क्या विधि/वित्त मंत्रालय से अनुमोदन न मिलने के कारण कोई मामला अभी भी अनिर्णित पड़ा है; और

(ग) दावों का शीघ्र निपटारा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सम्बन्धित अवधि में सेना द्वारा किराया पर ली गई गाड़ियों के गुम होने/को क्षति पहुंचाने के बदले मुआवजे के तौर पर इस मंत्रालय द्वारा अब तक लगभग 355328.72 रुपये की राशि अदा की जा चुकी है।

(ख) जी नहीं।

(ग) सम्बन्धित प्राधिकरणों को कहा गया है कि सभी निलम्बित दावों को वह शीघ्र निपटाएं।

Refuelling of Foreign Planes at Indian Airports

2557. **Shri Sharda Nand :** **Shri Shri Chand Goyal :**
Shri Hukam Chand Kachwai : **Shri J. Sundar Lal :**

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether the permission to enter India's air space by any country's Air Force plane is granted by his Ministry;

(b) whether it is a fact that permission for landing on the specified airport of India and refuelling is granted alongwith the permission to enter the Indian air space;

(c) if so, the number of Indian air space entries and refuelling at the Indian airports for which the Pakistan Air Force planes were granted permmission by his Ministry during the years 1967, 1968 and 1969; and

(d) the number of Indian air space violations made by the Pakistani Air Force planes during the above period ?

The Minister of Defence, Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) Permission to transit through India's air space by Air Force planes of any country is granted by the Ministry of External Affairs in consultation with the Ministry of Defence.

(b) Yes, Sir. Permission to enter the Indian air space is generally restricted to a pre-determined route.

(c)

Year	No. of Pakistani Air Force Planes which transitted through India.
1967	15
1968	48
1969 (upto 30-11-69)	25

(d) According to the information available to Government, Pakistani Air Force aircraft violated Indian air space as under:--

Year	No. of violations
1967	50
1968	16
1969 (upto 30-11-69)	11

During the above period, there was one PDR violation of Indian air space by Pakistani Air Force plane on 30. 10. 1969.

Arms Supplied to Pakistan by USA

2558. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the quantum of arms and ammunition supplied to Pakistan by U.S.A. and the names of the countries supplying arms and ammunition to Pakistan with the knowledge or consent of U.S.A. Government, according to the information collected by Government, since the Indo-Pak conflict of 1965; and

(b) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Defence, Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) and (b) . As far as Government are aware, there have been no supplied of lethal military equipment by USA to Pakistan, since the ban imposed in 1965. Information regarding supply of military equipment to Pakistan by various countries, since the 1965 conflict, has been given to the House from time to time. It has been pointed to all friendly countries that Pakistan has no reasonable justification for augments its armed strength, and that the supply of arms to Pakistan would only accentuate tension in the sub-continent, and add to our responsibilities in regard to the defence and security of our country.

Foreign Nationals in Indian Embassy in West Germany

2559. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of foreign nationals employed in the Indian Embassy in West Germany at present; and

(b) the total amount of foreign exchange spent by Government annually on the salaries and allowances of those foreign nationals ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b) . The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it is received.

Foreign Employees in Indian Embassy in West Germany

2560. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some foreign women are employed as cooks in the Indian Embassy in West Germany;

(b) if so, the currency in which their salaries are disbursed; and

(c) the nationality of those women cooks and the monthly amount paid to each of them by Government through its Embassy in terms of Indian Rupee ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c) . The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Fall in Price of Cotton

2561. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the prices of cotton are falling during the current year and the farmers are getting much less price for their cotton than the prices fixed therefor; and

(b) if so, the steps Government propose to take to ensure that the farmers get proper price for their cotton ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) The current prices of cotton are ruling at levels generally higher than those of the last year at this time. They are also about 42% above the level of support prices fot the current year.

(b) Does not arise.

Allocation to Madhya Pradesh for Industrial and Agricultural Development during Fourth Plan

2562. **Shri G. C. Dixit :** Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Madhya Pradesh has made a request to the Central Government for allocation of more funds for industrial and agricultural development in the Fourth Plan as compared to previous Plans;

(b) if so, the details of the correspondence taken place in this connection; and

(c) the amounts proposed to be allotted for different heads in the State Plan and the amount as demanded by the State Government for various items ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and the Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b) . No such specific request appears to have been received so far from the Government of Madhya Pradesh.

(c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(Rs. lakhs)

Head of Development	Proposed by State* Government	Approved Outlay
I. Agricultural Programmes	12944	8550
II. Cooperation and C. D.	2271	1575
III. Irrigation & Power	21550	12196
IV. Industry & Mining	2435	1475
V. Transport & Communication	3825	2820
VI. Social Services	11490	8525
VII. Miscellaneous	765	455
Total	55280	+ 35596

*in December, 1968.

is shown in the Draft Fourth Five Year Plan.

Allocation made for Indore Division under Fourth Plan

2563. Shri G. C. Dixit : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether the allocation made for the Indore Division of Madhya Pradesh is in accordance with the allocation made in the Fourth Five Year Plan for the entire country; and

(b) whether more allocation would be made keeping in view the conditions of Indore Division ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and the Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b) . Planning Commission have not made any allocation for the Indore Division of Madhya Pradesh. It is for the State Government to make suitable allocation for different areas keeping in view the size of the State's Plan and the relative needs of different areas.

Backward Areas and Districts of Madhya Pradesh

2564. Shri G. C. Dixit : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the number and names of the Backward areas and Districts of Madhya Pradesh as also the total population of these areas; and

(b) the schemes included in the Fourth Five Year Plan for the development of these areas ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The State Government have classified 12 districts (Bastar, Raigarh, Surguja, Mandla, Jhabua, Dhar, Khargone, Bilaspur, Sidhi, Shahdol, Betul and Chhindwara), having a population of 90.3 lakhs, as backward.

(b) The State's Fourth Five Year Plan has not been finalised. However, the State Government has been advised to make suitable provision for the development of such areas within the State Plan ceiling.

Per Capita income of Handloom Weavers in Madhya Pradesh

2565. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that percapita income of the handloom weavers in Madhya Pradesh is very low;

(b) whether it is also a fact that per capita income of the handloom weaver is lower than that of the farmer also;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the action being taken by Government to increase per capita income of the handloom weavers ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) According to the Report of the Evaluation Group submitted in early 1968 the average monthly income of a weaver in Madhya Pradesh was between Rs. 35 and Rs. 40.

(b) Information is not available.

(c) Does not arise.

(d) Various schemes for development of handloom industry including the installation of powerlooms in the handloom sector are being implemented by the State Governments for increasing the earnings of the weavers in the Co-operative sector.

निर्यात में वृद्धि सम्बन्धी कोगन समिति की रिपोर्ट

2567. श्री बाबूराव पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन समितियों तथा आयोगों के नाम क्या हैं जिनकी सिफारिशें गत दो या तीन वर्षों से क्रियान्वित नहीं की गई हैं;

(ख) क्या यह सच है कि निर्यात में वृद्धि सम्बन्धी एक संयुक्त राष्ट्र दल द्वारा दो वर्ष से अधिक समय पहले प्रस्तुत किया गया कोगन समिति का प्रतिवेदन अभी तक विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो अब तक सिफारिशों को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं; और इस कार्य को करने के लिए सरकार कितना समय लेगी ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायगी।

(ख) और (ग). जी नहीं। प्रतिवेदन पर विचार कर लिया गया है और निर्णय भी लिये जा चुके हैं। अनुवर्ती कार्यवाही भी की जा रही है।

भारत–पाकिस्तान संघर्ष के समय पकड़ी गई वस्तुओं और सम्पत्तियों का निपटान

2568. श्री बाबूराव पटेल : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने 1965 के संघर्ष के समय पूर्वी पाकिस्तान में पकड़े गये 188 भारतीय मालवाही जहाजों को बेच दिया है और उससे प्राप्त राशि को नौसेना पुरस्कार निधि में जमा कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके द्वारा कितनी धनराशि एकत्र की गई;

(ग) पाकिस्तान द्वारा 1965 में पकड़ी गई और बेची गई अन्य भारतीय सम्पत्ति का मूल्य कितना है और इस प्रकार एकत्र की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारत ने पाकिस्तान की कितने मूल्य की सम्पत्ति पकड़ी और बेची थी और पुनः भुगतान के लिये अथवा अपनी हानियों के बदले के रूप में कुल कितनी धनराशि एकत्र की थी और यदि भारत ने ऐसा नहीं किया तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) करीब दस करोड़ रुपए।

(ग) पाकिस्तान द्वारा अधिग्रहीत भारतीय सम्पत्ति का मूल्य अनुमानतः 109 करोड़ रुपये है। पाकिस्तान सरकार से मांग की गई है कि वह हमें उस सम्पत्ति के बारे में सूचना दे दे जो उसने बेच दी है। उनके उत्तर की प्रतीक्षा है।

(घ) हमने पाकिस्तान की जिस सम्पत्ति पर अधिकार किया है उसका मूल्य 27.15 करोड़ रुपए है। हमने पाकिस्तान की किसी अचल सम्पत्ति को बेचा नहीं है क्योंकि हमारे विचार में यह है कि दोनों सरकारों ने एक-दूसरे की जिन सम्पत्तियों पर अधिकार कर रखा है वे पारस्परिकता के आधार पर एक दूसरे को वापस की जानी चाहिए। लेकिन, नीचे लिखे कारणों से ऐसी कुछ सम्पत्ति बेच दी गई है :

(1) खराब होने से बचाने के लिए।

(2) कर आदि का भुगतान–जो बहुत दिनों से चढ़ रहा था।

N. C. C. in Tamilnadu

2569. Shri Ram Avatar Sharma : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have accepted the demand of Tamilnadu that only English may be used for commands in N. C. C. in schools of the state; and

(b) if so, the intention of Government in accepting the said demand ?

The Deputy Minister in the Ministry of Dcfence (Shri M. R. Krishna) : (a) and (b) . Attention is invited to answer to Unstarred Question No. 1549 answered in Lok Sabha on 26th November, 1969. The formula referred to therein was accepted in the larger interests of giving N. C. C. coverage for students in Tamil Nadu.

एच० एस० 748 विमानों का निर्माण

2570. श्री मणिभाई जे० पटेल : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एच० एस० 748 विमान, जिनको इंडियन एयरलाइन्स ने हाल ही में खरीदने का निर्णय किया है, किस स्थान पर बनाये जाते हैं;

(ख) इन विमानों की उत्पादन लागत क्या है और इस प्रकार के विमान को बनाने में कितना समय लगता है; और

(ग) इण्डियन एयरलाइन्स का विचार कितने उक्त विमान खरीदने का है और ये विमान कब तक खरीद लिये जायेंगे ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) एच० एस० 748 विमान हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के कानपुर डिवीजन में निर्माण किए जाते हैं।

(ख) इण्डियन एयरलाइन्ज़ के लिए विमानों के नए आर्डर की तैयारी का मानक विचाराधीन है। तदपि, इन विमानों के उत्पादन की लागत की अन्तिम रूप रेखा अभी तैयार नहीं की गई। कानपुर में एक एच० एस० 748 के निर्माण में 12 मास की अवधि की दरकार है।

(ग) इण्डियन लाइन्ज़ 10 विमान खरीदेंगे। विमानों का वितरण मध्य 1971 में शुरू होना प्रत्याशित है और 14 मासों में सम्पूर्ण।

भारत में निर्मित तथा विदेशों में खरीदे गये विमान

2571. श्री अब्दुल गनी दार : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में देश में बने तथा विदेशों से खरीदे गये विमानों के पृथक पृथक आंकड़े क्या है; और

(ख) उन पर कितना-कितना धन व्यय किया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) तथा (ख) . गत तीन वर्षों में हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि० ने भारतीय वायु सेना को निम्न प्रकार के विमान सप्लाई किए हैं :—

कृषक, एच० जे०टी० 16, नेट, एच०एफ० 24, मिग 24, एच०एच० 748 और अलौर्ट, हेलीकाप्टर ।

विदेश में खरीदे गए विमानों के सम्बन्ध में सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा ।

'Al Fatah' Organisation in Pak-Occupied Kashmir

2572. Shri Onkar Lal Berwa .
Shri Y. A. Prasad :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the formation of an organisation named 'Al fatah' by the Pak-occupied Kashmir for merger of Kashmir, which is an Indian territory, in Pakistan; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Government have seen press reports to the effect that the All Jammu and Kashmir Muslim Conference has decided to organise an "Al Mujahid" force, at its recent annual session held at Mirpur in Pakistan-occupied Kashmir.

(b) Government is determined to foil all Pakistani designs for creating disturbances in Jammu and Kashmir and to safeguard the security of the State which is an integral part of India.

कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इन्डिया) में उत्पादन शुल्क के रूप में रुकी हुई धन-राशि

2573. श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स मोहन मीकिन ब्रीवरीज लि० से बीयर खरीदते हुए कई महीनों तक उत्पादन शुल्क के रूप में कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेन्ट के लाखों रुपये रुके रहते हैं क्योंकि उपर्युक्त सम्भरणकर्ता ने कभी भी समय पर, विशेषकर गर्मियों के अधिक मांग वाले मौसम में, माल सप्लाई नहीं किया;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गत तीन वर्षों का एक वर्ष-वार विवरण सभा-पटल पर रखने का है जिसमें यह दर्शाया जाय कि कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेन्ट ने इस सम्भ-

रणकर्ता से कितनी बीयर खरीदने का क्रयादेश दिया, क्रयादेश की तिथि क्या थी, माल कब भेजा गया, वास्तव में कितना माल भेजा गया और कितना कितना उत्पादन शुल्क जमा किया गया और कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंन्ट द्वारा प्रत्येक उत्पादन शुल्क परमिट का कितनी बार नवीकरण किया गया; और

(ग) इस विशेष सम्भरणकर्ता से ही बीयर खरीदते रहने की बजाय अन्य स्रोतों से बीयर न खरीदे जाने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री और इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) (ख) तथा (ग) . सूचना इकट्ठी की जा रही है, और एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया जायगा ।

पटसन की बनी वस्तुओं पर निर्यात शुल्क में कमी

2574. श्री रवि राय : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने निर्णय किया है कि केवल पटसन की बनी वस्तुओं पर निर्यात शुल्क कम नहीं किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख) . इस समय पटसन के माल पर लगने वाले निर्यात शुल्क को कम करने का कोई विचार नहीं है ।

प्रादेशिक रूप में 'असंतुलित' क्षेत्रों का विकास करने के लिए धन की व्यवस्था

2575. श्री कार्तिक उरांव : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रादेशिक रूप से असंतुलित क्षेत्रों का विकास करने के लिये धन की व्यवस्था करने का है जिससे विषमता के कारण पैदा होने वाला असंतोष तथा रोष हिंसात्मक रूप न धारण कर ले;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क), (ख) और (ग) . ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रश्न राज्य की सीमाओं के अन्तर्गत क्षेत्रीय असंतुलनों के सम्बन्ध में है । राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे पिछड़े क्षेत्रों की पहिचान करे और अपनी राज्य योजनाओं के अन्तर्गत तेजी से विकास के लिए समुचित आवंटन करें । राज्यों ने अपनी चौथी पंचवर्षीय योजनाओं को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया है ।

Outstanding amount of land revenue for a plot of land standing in name of Portugal Government in Chanakyapuri

2576. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether one plot still stands in Chanakyapuri in the name of the Government of Portugal for which land revenue is still being paid by them;

(b) if so, the amount of land revenue received by Government for the said plot annually and the amount at present outstanding against Portugal;

(c) whether Government is not having any diplomatic relations with the Government of Portugal at present;

(d) whether the Portuguese Consulate at Bombay is still in possession of Portugal, while no office of Portuguese Government is functioning there;

(e) whether any scheme to take possession of this office and land is under consideration of Government and if so, when it is proposed to be taken over and if not the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir. A plot of land measuring 5.967 acres in Chanakyapuri was allotted to the Embassy of Portugal in 1952 and still stands in the name of the Government of Portugal.

(b) Government have regularly received the ground rent at the rate of Rs. 6,701.62 per annum through the Embassy of Brazil in New Delhi. The rent stands paid upto January 14, 1970 and no arrears are due.

(c) The Government of India do not have diplomatic relations with the Government of Portugal since 1955.

(d) No Sir.

(e) The question does not arise.

पिछडे क्षेत्रों में छोटे तथा मध्यम उद्योगों को औद्योगिक विकास बैंक द्वारा सहायता

2577. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में अपेक्षाकृत अल्पविकसित क्षेत्रों की स्पष्ट तथा समान स्वीकार्य परिभाषा बनाने के प्रस्तावों को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से सलाह ली गई है;

(ग) यदि हां, तो उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रत्येक राज्य में किन-किन क्षेत्रों को अल्पविकसित घोषित किया गया है; और

(ङ) यदि प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है तो उन्हें कब अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ङ) . सम्भवतः औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों से तात्पर्य है । पिछड़े

क्षेत्रों की पहिचान के लिए मापदण्ड तैयार करने के प्रश्न पर राज्य सरकारों से बातचीत की जायेगी। आशा है कि उनसे परामर्श कर कुछ ही महीनों में इसे अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के साथ व्यापार करार

2578. श्री अदिचन : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों तथा इनसे सम्बद्ध राज्य क्षेत्रों के साथ भारतीय व्यापार को बढ़ावा देने तथा उसके परित्राण के लिए इन देशों के साथ किए गये करारों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में विभिन्न भारतीय वस्तुओं के आयात के लिए क्या रियायतें दी गई हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य देशों में से हमने फ्रांस, जर्मन संघीय गणराज्य तथा इटली के साथ तथा सम्बद्ध देशों में से केमरूना, यूगांडा तथा तंजानियां के साथ व्यापार करार प्रबन्ध किए हैं। ये सभी करार प्रबन्ध निर्बाध बाजार अर्थ–व्यवस्था वाले देशों के साथ हमारे व्यापार करारों /प्रबन्धों के समान हैं और उनमें कोई निर्यात आयात वचनबद्धता शामिल नही हैं।

इन व्यापार करारों/प्रबन्धों के अतिरिक्त, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के पृथक–पृथक सदस्य देशों के साथ 1968 में करारों पर हस्ताक्षर किए गए जिनमें तीन वर्षो की अवधि के लिए इन देशों में भारतीय सूती वस्त्रों के आयात के लिये कोटा निर्धारित करने हेतु व्यवस्था थी। सम्पूर्ण समुदाय के लिए 7800 टन प्रति वर्ष कोटा है जिसमें विकास की व्यवस्था का सूत्र भी है।

(ख) व्यापार वार्ताओं के कैनेडी दौर के समय यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने भारत की निर्यात रूचि की कतिपय महत्वपूर्ण मदों के सम्बन्ध में टैरिफ रियायतें देने की पेशकश की थी। इससे अन्य बातों के साथ-साथ ये रियायतें शामिल हैं: मूल्यवान रत्न, तथा साधारण रत्न रोजवुड, कच्ची अफीम आदि जैसी मदों के वर्तमान निःशुल्क प्रवेश को पक्का करना; वनस्पति द्वारा कमाया हुआ सरीसृप चमड़ा तथा इलायची और करी पेस्ट तथा चूर्ण जैसी मदों पर से शुल्क हटाना; चाय, काजू की गिरी, ईस्ट इन्डिया किप्स, कपड़े के जूतों आदि के सम्बन्ध में 50 प्र.श. कमी, और सूती वस्त्रों, काली मिर्च, अनिर्मित तम्बाकू आदि के सम्बन्ध में 50 प्र. श. से कम की कटौती। 1 जुलाई, 1968 से यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने ईस्ट इंडिया किप्स के आयातों पर से 9 प्र.श. के सीमा शुल्क को भी समाप्त कर दिया। यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने चाय, अदरक, कपड़ा तथा अरण्डी का तैल जैसी मदों पर भी शुल्कों के निलम्बन को भी 30 जून, 1971 तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक, उत्पादन में प्रयोग के लिये बिना पिसी काली मिर्च, सुगंध तेलों तथा उद्यासाम के पर से शुल्क के पूर्ण निलम्बन और अन्य काली मिर्च पर से 10 प्र० श० तक शुल्क के आंशिक निलम्बन को 30 जून, 1970 तक बढ़ा दिया गया है।

इसके अलावा, यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने 1 जुलाई, 1968 से हाथकरघा से सूती तथा रेशमी वस्त्रों के आयातों के लिए 10 लाख डालर के शुल्क रहित कोटे नियत किये हैं। इसी प्रकार हस्तशिल्प उत्पादों के सम्बन्ध में समुदाय ने सितम्बर, 1969 से कतिपय हस्तशिल्प उत्पादों के आयात के लिए 50 लाख डालर का शुल्क रहित कोटा नियत किया है।

ईरान में अन्तर्राष्ट्रीय मेला

2579. श्री अधिकन : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईरान में हाल में हुये अन्तर्राष्ट्रीय मेले में भारत द्वारा भाग लेने के कारण वहां दिखाई गई भारतीय वस्तुओं के लिए विदेशों से बड़े पैमाने पर क्रयादेश प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों से किन-किन वस्तुओं के लिए कितना-कितना क्रयादेश प्राप्त हुआ है; और

(ग) इसके परिणाम स्वरुप कौन-कौन सी मुख्य वस्तुएं विदेशों में अधिक बिकी हैं तथा प्रत्येक वस्तु किस-किस देश में ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). यद्यपि अन्य देशों से खरीददारों ने भारतीय माल में रुचि दिखाई है तथापि अभी तक केवल ईरानी खरीददारों द्वारा निम्नलिखित क्रयादेश बुक किए गए हैं :—

		क्रयादेशों का मूल्य रुपयों में
1.	डीजल इंजन	1,80,000.00
2.	मोटर गाड़ियों के लिए रबड़ के हिस्से	54,000.00
3.	मोटर गाड़ियों के उपसहायक	60,000.00
4.	साइकिलें तथा उपसहायक	7,90,000.00
5.	लोहे से निर्मित वस्तुएं	60,000.00
6.	तिलहन	1,50,000.00
7.	बिजली की मोटरें	25,000.00
8.	जिप फास्टनर्स मशीनें	1,72,500.00
9.	तामचीनी का सामान	6,00,000.00
10.	वैल्डिंग इलेक्ट्रोड	80,000.00
11.	एम० एस० फर्नीचर की ट्यूबें	3,07,000.00
12.	मानव बाल विग	30,000.00
13.	ढ़िबरियां तथा काबलें	1,88,000.00
14.	टेलीफोन के तार	6,75,000.00
15.	तार की जाली	52,000.00
16.	रबड़ की पट्टियां	50,000.00
17.	बरमे तथा पिसाई मशीने और खराद	1,16,268.00
18.	प्रेस ब्रेक और फार्क लिफ्ट ट्रक	86,000.00

उपर्युक्त व्यवसाय परीक्षण क्रयादेशों के रूप में है और तैयार की गई निर्यात सम्भाव्यताओं की सम्पूर्णता को व्यक्त नहीं करता। द्वितीय एशियाई अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हमारे भाग लेने के परिणामस्वरूप बुक किए गए विशिष्ट क्रयादेशों के रूप में परिणामों का केवल काफी समय बीतने पर ही पूरी तरह से अनुमान लगाया जा सकता है

पूर्वी जर्मनी में भारतीय दूतावास के दर्जे का बढ़ाया जाना

2580. श्री यशपाल सिंह : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वी जर्मनी में अपने मिशन का दर्जा बढ़ाकर दूतावास का करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में औपचारिक घोषणा कब तक कर दी जायेगी ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). जर्मन संघीय गण राज्य में हमारे कमीशन का भावी स्वरुप क्या हो, इस ओर हमारा ध्यान लगा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

बी० बी० सी० तथा रेडियो पीस एन्ड प्रोग्रेस द्वारा भारत के विरुद्ध पक्षपात पूर्ण प्रसारण

2581. श्री यशपाल सिंह : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी० बी० सी० तथा रेडियो पीस एंड प्रोग्रेस, मास्को भारत में हुई घटनाओं के बारे में पक्षपातपूर्ण समाचार प्रसारित करते हैं तथा इस प्रकार से देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत में हुई घटनाओं के सम्बन्ध बी० बी० सी० और रेडियो पीस एंड प्रोग्रेस दोनों की टिप्पणियों का अपना अपना दृष्टिकोण है। सामान्यतः इस प्रकार की खबरे देने को किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं समझा जाता।

(ख) अभी कोई कार्रवाई करने का विचार नहीं है।

यूरोप के देशों के साथ वीजा के नियमों में ढील

2582. श्री य०अ० प्रसाद :
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत और यूरोप के कुछ देशों के बीच वीजा के विनियमो में ढील दिये जाने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो किन देशों के साथ इन विनियमों में ढील दिये जाने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां, । नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और जर्मनसंघीय गणराज्य के राष्ट्रिकों को नब्बे दिनों तक भारत में ठहरने की वीजा–अवधि पारस्परिकता के आधार पर पहले ही खत्म की जा चुकी है।

(ख) अन्य देशों के साथ बातचीत की गई है, किन्तु यह अभी नहीं बताया जा सकता कि कब इस समझौते को अन्तिम रूप दिया जायेगा क्योंकि यह पारस्परिक समझ-बूझ पर ही निर्भर करती है।

मध्य पूर्व सम्बन्धी मामले

2583. श्री य. अ. प्रसाद : क्या **वैदेशिक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अपनी हाल ही की न्यूयार्क की यात्रा के दौरान पश्चिम एशिया की स्थिति के बारे में अमरीका के सेक्रेटरी आफ स्टेट श्री विलियम रोजर्स और रूस के मन्त्री श्री ग्रोमिको के साथ बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यह बातचीत गोपनीय प्रकृति की है; यह पश्चिम एशिया में निरंतर विस्फोटक स्थिति बने रहने के बारे में विचारों के सामान्य आदान–प्रदान के बारे में थी। सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुसार इस तरह की गोपनीय बातचीत का ब्यौरा बताया नहीं जा सकता।

हंगरी के राष्ट्रपति के साथ वार्ता

2584. श्री य० अ० प्रसाद : क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हंगरी के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की थी और यूरोप तथा एशिया की क्षेत्रीय समस्याओं पर बातचीत की थी; और

(ख) बातचीत का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस यात्रा की समाप्ति पर जारी की गई भारत–हंगेरियाई संयुक्त विज्ञप्ति इसके साथ रख दी जा रही है। यह बातचीत गोपनीय प्रकृति की थी और इसका विवरण नहीं बताया जा सकता। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-2210/69**]

भारत-ईराक व्यापार वार्ता

2585 श्री य० अ० प्रसाद :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर 1969 के अन्तिम सप्ताह में दिल्ली में भारत और इराक के बीच व्यापार वार्ता हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय शिष्टमण्डल तथा इराकी शिष्ट मण्डल के बीच हुई व्यापारिक वार्ताओं के परिणाम स्वरूप वर्ष 1969-70 के लिए इण्डो-ईराकी व्यापारिक प्रबन्ध पर 30 अक्टूबर 1969 को हस्ताक्षर किए गए।। नए प्रबन्ध के अनुसार दोनों देशों के बीच व्यापार की मात्रा जो वर्ष 1968-69 में लगभग 10 करोड़ रुपये थी, बढ़ाकर वर्ष 1969-70 में लगभग 13.5 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।

महाराष्ट्र में हथकरघा उद्योग का विकास

2586. श्री न० रा० देवघरे : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघा उद्योग के विकास के लिए गत तीन वर्षों में महाराष्ट्र राज्य के लिए कितना अनुदान स्वीकृत किया गया; और

(ख) उक्त प्रयोजन हेतु वास्तव में कितनी धन राशि का उपयोग किया गया है और कितनी धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क)

1966-67	रुपये 22.40 लाख
1967-68	रुपये 21.55 लाख
1968-69	रुपये 13.83 लाख

(ख) इन तीन वर्षों में क्रमशः 22.40 लाख, 42.67 लाख तथा 45.08 लाख रुपये की राशियां व्यय की गयी।

हथकरघों का निर्यात

2587. श्री न० रा० देवघरे : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितने मूल्य के हथकरघों का निर्यात किया गया;

(ख) इन वर्षों में हथकरघों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) हथ करघों का निर्यात करने वालों को किस प्रकार का प्रोत्साहन दिया जा रहा है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख) . गत तीन वर्ष में हथकरघा वस्त्रों तथा उससे बनी वस्तुओं का निर्यात तथा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा निम्नलिखित है :—

1966–67	11.32 करोड़ रु०
1967–67	11.70 करोड़ रु०
1968–69	15.77 करोड़ रु०

(ग) पंजीकृत निर्यातकों के लिये निर्धारित नीति के अन्तर्गत, हथकरघा कपड़ा के निर्यातक रंजक तथा रसायनिकों की अनुमेय मदों की आयात प्रतिपूर्ति के हकदार हैं।

गरीबी का दूर किया जाना और जीवन-स्तर में सुधार

2588. श्री वेणीशंकर शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या कुछ बैंकों के राष्ट्रीयकरण तथा ऐसी ही अन्य कार्यवाहियों से भारतीय जनता की गरीबी के दूर होने और उनके जीवन स्तर में सुधार होने की सम्भावना है; ।

(ख) यदि नहीं तो वह अन्य क्या कार्यवाही करने वाली है जिससे देश में प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को काम मिल सके और इसके फलस्वरुप उसको जीविका का साधन उपलब्ध हो सके; और

(ग) क्या इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार ने जापान की सरकार की तरह कुटीर उद्योगों पर आधारित स्वत: रोजगार देने वाली कोई योजना जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता है बनाई है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) . सरकार का विश्वास है कि हाल में मुख्य वाणिज्यिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया है उसे जनता की गरीबी की समस्या को सुलझाने में महत्वपूर्ण योगदान करना चाहिए तथा हमारे विकास कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करनी चाहिए। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में इस प्रकार के कार्यक्रम दिए गए हैं जिनका मुख्य उद्देश्य यह है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमारे लोगों के जीवन स्तर में तेजी से सुधार किया जाय।

(ग) हमारी योजनाओं में ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग के विकास के लिए जिस कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है उसमें हथकरघा, बिजली करघा नारियल जटा, रेशम के कीड़ों को पालने, हस्त उद्योग, परम्परागत तथा ग्रामीण उद्योग व आधुनिक छोटे उद्योगों जैसे छोटे उद्योगों को शुरू करने के लिए जनता को अवसर प्रदान किये गये हैं। वस्तुत: चौथी योजना रूप में परिकल्पित दृष्टिकोणों में से एक यह है कि जन–सामान्य को और विशेषकर समाज के कम सुविधा प्राप्त वर्गों को उत्पादन कार्य एवं रोजगार के लिए मिलने वाले अवसरों का विस्तार किया जाय।

नेपाल स्थित भारतीय दूतावास में कर्मचारियों के वेतनमानों में विषमता

2589. श्री सूरजभान : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल (काठमांडू) स्थित भारतीय दूतावास मे 31 दिसम्बर, 1949 के बाद नियुक्त किये गये वास्तविक भारतीयों को स्थानीय नेपाली माना जाता है तथा इसके अलावा स्थानीय आधार पर और भारतीय आधार पर नियुक्त लोगों के वेतनमानों में भारी विषमता तो है ही तथा उसके साथ ही साथ पहली श्रेणी के कर्मचारियों को कोई चिकित्सा भत्ता और बाल भत्ता नहीं दिया जाता है तथा उन्हें 20 वर्ष की सेवा हो जाने पर भी स्थायी नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, तथा ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या इस विषमता को दूर करने का सरकार का विचार है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) . विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों में दो तरह के कर्मचारी हैं, एक तो "भारत–आस्थानी" और दूसरे "स्थानीय भरती के" । भारत आस्थानी वे कर्मचारी हैं जो सरकार के अधीन भारत में नियमित पदों पर नियुक्त हैं और जिन्हें सरकार ने एक अवधि विशेष के लिए किसी मिशन विशेष में सेवा के लिए भेजा और उन्हें किसी भी दूसरी जगह भेजा जा सकता है । ऐसे कर्मचारियों को उनका मूल भारतीय वेतन और कुछ मुआवजा भत्ते तथा रियायतें इस बात को ध्यान में रखकर दी जाती हैं कि वे लोग ऐसी जगहों पर काम करते हैं जहां के वे सामान्यतः निवासी नहीं होते । दूसरी ओर "स्थानीय भरती के कर्मचारी" उन व्यक्तियों में से रखे जाते हैं, जिनमें भारतीय भी शामिल हैं, जो सामान्यतया उस देश विशेष में ही रहते हैं, जहां वह मिशन है, और उन्हें अन्यत्र कहीं नहीं भेजा जा सकता । स्थानीय भरती के कर्मचारियों को उतनी ही अवधि के लिए रखा जाता है जितनी अवधि के लिए उन्हीं के वर्ग के दूसरे लोगों को स्थानीय सरकार के कार्यालयों में तथा सम्बद्ध देश के दूसरे संगठनों में रखा जाता है । सरकार की यह सामान्य नीति है कि वह इस तरह के अमले को स्थायित्व का दर्जा प्रदान नहीं करती, लेकिन जब उनकी सेवाएं समाप्त की जाती हैं तब उन्हें उपदान दिया जाता हैं; इस उपदान की दर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अलग–अलग देशों में अलग अलग होती है ।

नेपाल स्थित भारतीय राजदूतावास में स्थानीय भरती के कर्मचारियों पर उपर्युक्त सामान्य स्थिति लागू होती है ।

भारत के नेपाल–स्थित भारतीय राजदूतावास में स्थानीय भरती के 71 कर्मचारी हैं । उनमें भारतीय राष्ट्रिकों की ठीक ठीक संख्या का पता लगाया जा रहा है और सूचना मिलते ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

(ग) स्थानीय भरती के और भारत आस्थानी कर्मचारियों की नौकरी की शर्तों में संशोधन करने पर यथावश्यकता विचार किया जाता है बशर्ते कि वित्तीय और व्यावहारिक सीमाएं इसकी इजाजत देती हों । इस समय किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं समझी जा रही है ।

सैनिक, नौसैनिक तथा वायुसैनिक जिला बोर्ड

2590. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सैनिक, नौसैनिक तथा वायुसैनिक जिला बोर्डों की इस समय संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में जिलों तथा ऐसे बोर्डों की संख्या बताने वाली सूची सभा पटल पर रखने का है;

(ग) कितने बोर्डों की अपनी इमारतें हैं;

(घ) क्या इनमें से कुछ इमारतों का प्रयोग जिला अधिकारियों द्वारा ऐसे प्रयोजनों से किया जाता है जिनका भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण तथा पुनर्वास से कोई सम्बन्ध नहीं है; और

(ङ) ऐसी इमारतों की संख्या कितनी है और उनका अपेक्षित प्रयोजनों से प्रयोग न किये जाने के कारण क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एम० आर० कृष्णा) : (क) 199।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग), (घ) तथा (ङ) . सूचना इकट्ठी की जा रही है।

विवरण

राज्य/संघीय क्षेत्र	जिला सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्डों की संख्या	जिलों की संख्या
आंध्र प्रदेश	11	20
आसाम	6	11
बिहार	12	17
गुजरात	3	17
हरयाना	7	7
जम्मू तथा कश्मीर	9	9
केरल	8	10
मध्य प्रदेश	12	43
महाराष्ट्र	18	26
मैसूर	8	19
नागालैंड	2	3
उड़ीसा	2	13
पंजाब	11	11
राजस्थान	12	26
तामिल नाडू (मद्रास)	12	13

उत्तर प्रदेश	51	54
पश्चिम बंगाल	6	16
दिल्ली	1	1
हिमाचल प्रदेश	6	10
मनीपुर	1	3
त्रिपुरा	1	1
	199	330

सेना में रंगरूटों के प्रशिक्षण की अवधि

2591. श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पैदल सेना के रंगरूटों के प्रशिक्षण की अवधि क्या है ;

(ख) बक्तर बन्द कौर, तोपखाना कौर और इंजीनियर कौर के रंगरूटों के प्रशिक्षण की अवधि कितनी कितनी है ;

(ग) सेना के इन अंगों में भर्त्ती के लिए शिक्षा की क्या न्यूनतम अर्हताएं अपेक्षित हैं ; और

(घ) रूस तथा अमरीका की सेनाओं के उक्त अंगों में भर्ती के लिए शिक्षा की क्या न्यूनतम अर्हताएं हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री, और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 36 सप्ताह ।

(ख) (1) आर्मर्ड कौर:—वर्ग/व्यवसाय पर निर्भर 22 से 75 सप्ताह ।

(2) आर्टिलरी–वर्ग/व्यवसाय पर निर्भर 39 से 68 सप्ताह ।

(3) इंजीनियर्ज वर्ग/व्यवसाय पर निर्भर 42 से 116 सप्ताह ।

(ग) इन्फेण्ट्री में भर्ती के लिए कम से कम शिक्षा योग्यता अपनी भाषा में साक्षरता है, परन्तु कुछ अनुपात हालतों में इसमें छूट दे दी जाती है। अपनी भाषा में 5 वीं श्रेणी और 9वीं श्रेणी में साक्षरता के स्तर पर भर्ती के लिए प्रतिशत निर्धारित किए गए है ।

आर्मर्ड कौर, आर्टिलरी और इंजीनियर्ज में भर्ती के लिए कम से कम शिक्षा योग्यता व्यवसाय विशेष पर निर्भर अपनी भाषा में साक्षरता से लेकर मैट्रिकुलेशन तक विभिन्न है । भर्त्ती में कमी को पूरा करने के लिए कई व्यवसायों में अपनी भाषा में साक्षरता की छूट दी जा सकती है । अपनी भाषा में साक्षरता 5 वीं श्रेणी, 7 वीं श्रेणी, और मेट्रिकुलेशन स्तर पर क्रमशः भर्ती के लिए हर व्यवसाय के लिए विशिष्ट प्रतिशत निर्धारित किए गए हैं ।

(घ) सूचना इकट्ठी करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, और इस प्रयास का परिणाम यथासमय सदन को सूचित कर दिया जाएगा ।

विजयन्त टैंकों के लिए तोपों की सप्लाई में कमी

2592. श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयन्त टैंकों के लिए तोपों की सप्लाई में कमी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपलब्ध टैंकों के हलों पर अन्य हथियार लगाने के सुझाव आये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे सुझावों का ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या प्रयोग किये गये हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

Sadh Bela Asharam in Sind (West Pakistan)

2593. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is fact that the Pakistani Police desecrated and looted the ancient shrine "Sadh Bela" in Sind (West Pakistan) ;

(b) if so, whether Government have Sought for any clarification in respect of the said incident ;

(c) the nature of that clarification furnished by the Government of Pakistan ;

(d) whethec Government are satisfied with the said clarification ; and

(e) if not the further action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shi Surendra Pal Singh) : (a) to (e) . On receipt of reports regarding the incident of desecration of the Sadh Bela Shrine in West Pakistan, the matter was taken up with the Pakistan Government and they informed us that no such incident had taken place. Our High Commissioner in Islamabad has also informed us that the condition of this shrine is satisfactory and the Government of Pakistan is under-stood to have sanctioned Rs. 30,000 for its upkeep and repairs.

चीन तथा ब्रिटेन के मध्य घनिष्ठ संबंध

2594. श्री न० कु० साल्वे : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है कि ब्रिटेन और चीन परस्पर समीप आने के लिये ठोस प्रस्ताव कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले को अगले राष्ट्रमंडलीय प्रधान-मंत्री सम्मेलन में उठाने का है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां । सरकार ने अखबार की ये रिपोर्ट देखी है ।

(ख) निकट भविष्य में राष्ट्रमंडल प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन बुलाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है और इसलिए यह सवाल ही नहीं उठता।

गांधी शताब्दी शपथ

2595. श्री विभूति मिश्र : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने गांधी शताब्दी पर शपथ लेने के लिए 15 सितम्बर 1969 को दिल्ली में एक बैठक बुलाई थी ;

(ख) यदि हां, तो किन दलों को बुलाया गया था और इसमें किन दलों ने भाग लिया था ; और

(ग) उस बैठक में स्वीकृत शपथ की विशेष बात क्या थी ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) . इस वर्ष देशभर में गांधी जयंती समारोह के सामान्य स्वरूप पर विचार करने के लिए प्रधान मंत्री ने 15 सितम्बर, 1969 को एक मीटिंग बुलाई थी। जिन लोगों को निमंत्रण भेजा गया और जो उसमें उपस्थित हुए, उनकी सूचियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं। विभिन्न अखिल भारतीय राजनीतिक दलों और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों सहित कई नेताओं को इस मिटिंग में निमंत्रित किया गया था।

गांधी जी के जन्म–दिवस पर आयोजित की जाने वाली जन सभाओं में जो प्रतिज्ञा ली जानी थी वह इस मीटिंग में इस प्रकार स्वीकार की गई :—

> "हम भारत के नागरिक जो आज महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धांजली अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता, अखण्डता और प्रभुसत्ता की रक्षा करते रहेंगे और गांधी जी की प्रेरणा के अनुसार साम्प्रदायिकता, जातीयता और हर प्रकार के अन्याय, अत्याचार और शोषण को मिटाने का भरसक प्रयत्न करतेरहेंगे। इन्हीं आदर्शों के लिए गांधी जी जीवित रहे और शहीद हुए।" **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2211/69]**

Java–Sumatra Adivasis Embracing Hinduism

2596. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many Adivasis of Jawa and Sumátra (Indonesia) have declared their religion as Hindu religion ;

(b) if so, the number of such people according to the information of the Government ;

(c) whether Government have established contacts with those people through their Embassy and tried to obtain information about their religious sentiments and requirements ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b) . We have no information.

(c) and (d) : Do not arise

1962 की "नेफा" पराजय के कारण

2597. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1962 की "नेफा" पराजय के कारणों तथा उसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का अब पता लगा लिया है ;

(ख) क्या उन भूलों और चूकों के लिए उन व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) देश की सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाने तथा हमारी सेना की ख्याति बनाये रखने के लिए सरकार ने यदि इस बीच कोई कार्यवाही की है तो क्या ?

प्रतिरक्षा मंत्री और इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख) . सदन को याद होगा कि उत्तर-पूर्वी सीमा क्षेत्र में सैनिक संक्रियाओं के कृत्य पर हैण्डर्सनब्रुक्स रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष 2सितम्बर, 1963 को लोक सभा में रक्षा मंत्री के वक्तव्य में संक्षेपतः दिए गए थे । जैसा कि वक्तव्य में स्पष्ट किया गया था मुख्य उद्देश्य था भविष्य में अपनी तैयारी में सहायता के लिए सैनिक शिक्षा ग्रहण करना, न कि किसी प्रकार का दोषान्वेषण हस्तागत करना ।

(ग) अपनी रक्षा तैयारी में सुधार करने के लिए किए गए उपायों के संबंध में सदन को समय समय पर सूचित किया जाता रहा है । रक्षा मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदनों और 22 अप्रैल 1969 को अनुदानों की मांगों पर बहस पर मेरे उत्तर की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

नियंत्रणों के बारे में अमरीका के राजदूत का वक्तव्य

2598. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत स्थित अमीरका के राजदूत ने 8 सितम्बर 1969 को कलकत्ता में एक सभा में भाषण देते हुए कहा था कि "सरकारी नियंत्रणों से व्यक्तिगत उद्यम और विस्तार की प्रवृति समाप्त हो जाती है" ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने एक विदेशी राजनयिक द्वारा हमारे आन्तरिक मामलों में इस प्रकार के हस्तक्षेप पर विरोध प्रकट किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार ने राजदूत कीटिंग के उस भाषण को देखा है जो उन्होंने 8 सितम्बर 1969 को कलकत्ता में भारत-अमरीकी सोसायटी के समक्ष दिया था ।

(ख) और (ग). सरकार का विचार यह है कि राजदूत कीटिंग के भाषण की सामान्य प्रवृत्ति से इस देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का संकेत नहीं मिलता। प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित वक्तव्य विशेष एक सामान्य टिप्पणी की प्रकृति का प्रतीत होता है। इन परिस्थितियों में, सरकार ने इसके खिलाफ विरोध प्रकट करना आवश्यक नहीं समझा है।

Publication in Hindi of Weekly Bulletin of Industrial Licences, Import Licences and Export Iicences.

2599. Shri Molahu Prashad : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Ouestion No 4141 on the 20 th August, 1969 and state :

(a) the reasons for which Hindi version of the Weekly Bulletin of Industrial Licences, Import Licences and Export Licences is not published ; and

(b) the steps being taken to publish the same in Hindi version ?

The Deputy Miuister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) and (b). The data in respect of import and exports licences given in the Weekly Bulletin, is prepared on computers which have only English Alphabets. The translation of its data into Hindi will take time, and as a result the publication of the Hindi version of the Weekly Bulletin will be delayed and thereby lose its utility.

The Weekly Bulletin is a self--financing project ; and, it is felt, that the Hindi version of the Bulletin will not be financially viable on account of the delay in publication. The matter is, however, under consideration.

Import Licences for Luxury Goods.

2600. Shri A. Dipa : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether Government have imposed any restrictions issuing the licences for the import of luxury goods ;

(b) if so, when it came into force and the basis therefor; and

(c) the reasons for which the import licence granted for U. S. A. to M/s. Chaman Lal Overseas (P) Ltd., was cancelled ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) and (b). Commercial imports of luxury goods are not being allowed for several years. Some articles of provisions, crockery and special fitting are allowed to tourist hotels. Small quantity of foreign liquors are allowed to Eatablished Importers Clubs, etc.

(c) In the absence of particulars of the Licence, it is difficult to furnish the required information.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री द्वारा भूख हड़ताल का समाचार

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : इस ध्यान आकर्षण सूचना के बारे में मैं नियम 376 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूं कि संविधान की धारा 250 के अन्तर्गत इस सभा को इस ध्यान आकर्षण सूचना पर चर्चा करने का अधिकार नहीं है। यह एक ऐसा विषय है जिसका सम्बन्ध केवल राज्य सरकार से है। विधि तथा व्यवस्था राज्य का विषय है और इस सूचना पर चर्चा करना राज्य सरकार के विधान सम्बन्धी अधिकारों में हस्तक्षेप करना होगा।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता–उत्तर पूर्व) हमारा संविधान स्पष्टतया एक संघीय संविधान है। तथा इसमें अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक केन्द्र तथा राज्यों के सम्बन्धों की व्याख्या की गई है तथा उन विशिष्ट परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनमें केन्द्र राज्य के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। हमारे संविधान में संघ सूची; समवर्ती सूची, तथा राज्य सूची है और विधि तथा व्यवस्था जिसका इस ध्यान आकर्षण सूचना में बार बार उल्लेख किया गया है, राज्य का विषय है। इस मामले में विधि तथा व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिये एक राज्य के मुख्य मंत्री ने गांधी जी का आत्म शुद्धि का तरीका अपनाया है। अतः यदि इस बारे में इस संसद् में विचार विमर्श करना अवांछनीय होगा, क्योंकि इससे केन्द्र और राज्य के सम्बन्धों पर कुप्रभाव पड़ेगा। अतः यह मामला जिसमें विधि तथा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, ऐसा मामला नहीं है जिस पर इस सभा में चर्चा की जाये और मैं समझता हूं ऐसा करना संवैधानिक तथा राजनीतिक दृष्टि से अवांछनीय होगा। मैं इसका विरोध करता हूं। यद्यपि आपने इस ध्यान आकर्षण सूचना को ग्राह्य ठहराया है तो भी अब हमें नियम वाह्य करार दिया जाना चाहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता (अलीपुर) : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस ध्यान आकर्षण सूचना को स्वीकार क्यों किया गया है ? यह मामला पूर्णतया राज्य का विषय है। पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल अथवा भारत सरकार को नहीं लिखा है कि वहां कोई गड़बड़ी है। अतः इस सूचना को क्यों स्वीकार किया जा रहा है ?

श्री पी० राम मूर्ति (मदुरै) : मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं इस बात का विरोध नहीं कर रहा हूं कि पश्चिमी बंगाल में हो रही कुछ घटनाओं पर इस सभा में वाद-विवाद किया जाय, परन्तु वाद-विवाद के दौरान जो कुछ कहा जायेगा उसकी मुझे जानकारी है। इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कुछ दलों पर कीचड़ उछाली जायेगी तथा आप उस विशेष दल को अवसर दिये बिना ही उसके विरुद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति दे रहे हैं। क्या मेरे माननीय मित्र यह गारंटी दे सकते हैं कि ऐसे कोई प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे ? इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप मुझे इस वाद विवाद मे भाग लेने का अवसर देंगे, तो ऐसा होने पर इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करने पर व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

परन्तु मैं जानता हूँ कि इस सूचना पर विचार विमर्श के दौरान कुछ दलों पर कीचड़ उछाली जायेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि यह नोटिस अनुचित है और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हाल में हुए उप-चुनाव से जिसमें शिक्षा मंत्री श्री सत्य प्रिय राय को निर्वाचित घोषित किया गया है, जनता के निर्णय का पता चल गया है। इसलिये इस मामले को यहां उठाने का कोई आधार नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) महोदय, आपने इस सभा में कल यह विनिर्णय देते हुए कि सभा में इस ध्यान आकर्षण सूचना पर चर्चा की जा सकती है, कहा था कि इस सूचना को स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि दूसरे सदन में इसे स्वीकार किया जा चुका है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जबकि दूसरी सभा में ध्यान आकर्षण सूचनाओं को स्वीकार किया गया है, किन्तु उन्हें इस सभा में नामंजूर कर दिया गया हैं। यदि आप इस ध्यान आकर्षण सूचना के पाठ को पढ़े तो आपको ज्ञात होगा कि इसने पश्चिमी बंगाल में व्यापक हिंसा और अव्यवस्था के विरोध में पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री द्वारा भूख हड़ताल के समाचार की ओर गृह मंत्री का ध्यान दिलाया गया है। यह अव्यवस्था सारे देश में है तथा केवल पश्चिमी बंगाल में नहीं है। अहमदाबाद, चण्डीगढ़ तथा देश के अन्य भागों में जो कुछ हो रहा है उसकी ओर गृह मंत्री का ध्यान नहीं दिलाया गया है। केवल एक विशेष राज्य अर्थात पश्चिम बंगाल की घटनाओं की ओर दिलाया गया है। यह मामला एक विशेष राज्य के मुख्यमंत्री से सम्बन्धित है। अब भी वह उस राज्य के मुख्यमंत्री है तथा राज्य सरकार मौजूद है। यदि आप इस मामले को इस सभा में उठाने की अनुमति देते हैं तो किसी भी राज्य में किसी भी व्यक्ति की भूख हड़ताल के बारे में इस सभा में चर्चा हो सकेगी। पश्चिमी बंगाल की घटनाओं पर सभा में चर्चा हो सकती है, परन्तु यह चर्चा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर नहीं की जानी चाहिये, क्योंकि ऐसा करना इस सभा की सब परम्पराओं को तिलांजली देना होगा। **(व्यवधान)** कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : श्री डी० ना० मुकर्जी द्वारा उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न वैध नहीं है। यदि वास्तव में यह ध्यान आकर्षण सूचना पश्चिम बंगाल के प्रशासन की किसी विफलता से सम्बन्धित है, तो हम इस पर इस प्रकार से चर्चा नहीं कर सकते हैं। परन्तु इसमें तो केवल अनशन का उल्लेख किया गया है, जो कि अव्यवस्था के विरुद्ध किया गया है। अनशन का उद्देश्य अव्यवस्था और हिंसा को रोकना है। इस सूचना में केवल यही जानकारी मांगी गई है।

कल आपने कहा था कि इस सभा में अन्य व्यक्तियों के अनशन के बारे में भी ध्यान आकर्षण सूचना के द्वारा बहस हो चुकी है। यह भी इसी प्रकार की सूचना है और इसलिये यह पूर्णतया ग्राह्य हैं।

श्री ई० के नायनार (पालघाट) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय - माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें। उनके नेता पहले ही बोल चुके हैं।

श्री ई० के० नायनार : मैं एक अन्य तर्क पेश करना चाहता हूं। यह मामला पश्चिमी बंगाल में अव्यवस्था की स्थिति से सम्बन्धित है। मैं अपनी बात अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत कहना चाहता हूँ। मै माननीय गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें उस राज्य के राज्यपाल से व्यवस्था के भंग होने के बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई है, इसके बिना इस मामले पर चर्चा नहीं की जा सकती है (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न केवल अकशन का नहीं है। यदि यह मामला केवल अनशन का होता तो मै इसकी अनुमनि नहीं देता। यदि एक व्यक्ति जो कि स्वयं विधि तथा व्यवस्था के लिये जिम्मेदार है, वही अनशन करता है, तो हमें यह जानना चाहिये कि विधि तथा व्यवस्था को कोई खतरा तो नहीं है। मैं गृह मंत्री से केवल एक सीधा साधा उत्तर चाहता हूँ कि यह एक विधि तथा व्यवस्था का मामला है अथवा केवल आत्मशुद्धि का, यदि यह मामला विधि तथा व्यवस्था का है—एक सीधे साधे अनशन का कोई अर्थ नहीं है, यदि ऐसा होता तो मैं इसकी अनुमति नहीं देता तथा जब एक मुख्य मंत्री अनशन कर रहा है, तो यह एक असाधारण बात है। वह विधि तथा व्यवस्था के लिये अनशन कर रहे हैं, जो स्वयं उनकी जिम्मेदारी है। हमें इस सम्बन्ध में अवश्य जानकारी प्राप्त होनी चाहिये।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Sir, I Call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon :

> "Reported hunger strike by the Chief Minister of West Bengal in protest against the widespread violence and lawlessness in West Bengal and the disturbances connected therewith."

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्री अजय मुकर्जी की अध्यक्षता में घोषित कार्यक्रम के अनुसरण में बंगला कांग्रेस के 31 व्यक्तियों ने; जिनमें पांच महिलायें भी थीं, कलकत्ता में कर्जन पार्क में 1 दिसम्बर, 1969 को भूख हड़ताल आरम्भ कर दी थी। राज्य के 100 अन्य केन्द्रों में लगभग 1500 व्यक्तियों के द्वारा इसी प्रकार भूख हड़ताल किये जाने के समाचार मिले हैं। कलकत्ता में 1 दिसम्बर को दोपहर के समय कुछ व्यक्तियों ने कर्जन पार्क में बने पंडाल के निकट दंगे करने का प्रयास किया। पुलिस ने उन्हें पीछे हटाकर पांडाल के चारों ओर घेरा डाल लिया। पुलिस कड़ी कार्यवाही करती रही तथा किन्हीं अन्य केन्द्रों से ऐसी घटनाओं के समाचार नहीं मिले हैं। राज्य सरकार ने आगे यह बताया है कि बारी बारी से भूख हड़ताल का यह क्रम अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। बंगला सरकार द्वारा परिचालित इश्तहार के अनुसार उनका आन्दोलन किसी विशिष्ट दल के विरोध में नहीं है; न यह संयुक्त मोर्चा या संयुक्त मोर्चा सरकार के विरुद्ध परन्तु अव्यवस्था, राजनीतिक हिंसा तथा दलों के आपसी झगड़ों के विरुद्ध है।"

मुख्य मंत्री द्वारा उठाये गये इस कदम से यह पता चलता है कि वह राज्य की गिरती हुई विधि और व्यवस्था की स्थिति से अत्यंत चिन्तित है। प्रधान मंत्री ने इस मामले पर चर्चा करने के लिये उन्हें यहां बुलाया था। मुख्य मंत्री ने भूख हड़ताल करने के अपने संकल्प के

बारे में प्रधान मंत्री को अवगत करा दिया था। मुख्य मंत्री को आशा थी कि उनके द्वारा भूख हड़ताल किये जाने से सही वातावरण पैदा करने में सहायता मिलेगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : नियम 41(7) के अन्तर्गत मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस नियम का उल्लंघन करके आप प्रश्न पूछने की कैसे अनुमति दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने व्यवस्था के सभी प्रश्न सुनकर अपना विनिर्णय दिया है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, we discuss every problem of the country in this House. But it is very trange that discussion on West Bengal is being opposed by our hon. friends. They should know that West Bengal is also a part of the country. These people are opposing the discussion in order to canceal their own sins.

श्री राम मूर्ति (मदुरै) : हम चर्चा के लिये तैयार हैं। इस मामले पर उचित रूप से चर्चा होनी चाहिये।

Shri Atal Bihari Vajpayee : It is very strange that he is prepared for the discussion but not for calling attention notice.

It is an extraordinary thing in the history of our demoracy that the Chief Minister of State starts hunger strike against the widespread violence and lawlessness in his own State.

The Home Minister has made a reference of a statement published by Bengla Congress. I also want to make a reference of a document published by Bengla Congress. I would also like to know from him whether he is aware of the facts enumerated in it or not ?

According to this document 378 cases of muder have been committed within the period of February and 4th October out of which 200 were political murders. Apart from it 673 persons were reported as injured. The police was informed but no action was taken. In 24 Pargana district alone 202 strictures were passed against the police. Upto August 367 cases of Gherao, 551 of stikes and 73 of look up were reported.

I would also like to draw the attention of the House towards one more incident. In the Alipore Court death penalty was announced against certain persons. At this slogans were raised and the judge was not allowed to work. These are the facts which have been brought to the notice of the administration of West Bengal.

Taking these things into account I would like to know whether the Home Minister will make a statement in the House so that this House and the country may be aware of the fact as to what is going on in West Bengal.

May I know whether the hon.Home Minister or the Central Government has asked for any report from the Governor of West Bengal Under the provisions of the constitution the Government can ask for a report from the Governor; on the situtions pertaining in the State. If not, whether he proposes to do so ? We want to know what action is going to be taken by the Governor of West Bengal in this matter ? We would also like to know what the Central Government is going to do in this matter ?

Shri Satya Narayan Sinha (Darbhanga) : He was responsible for creating communal riots.

Shri Atal Bihari Vajpayee : And these people were responsible for creating communal riots in West Bengal.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को इस प्रकार हस्पक्षेप नहीं करना चाहिये ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The leader of Indiraji's Congress in West Bengal, Shri Sidarath Shanker Rai had said that in the by-election the police was present at the polling station with red handkerchief in their necks.

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : उन्होंने कहा है कि अवांछनीय संदर्भों का उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जायेगी । परन्तु वह बार बार कर रहे हैं यह बात कहां तक उचित है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Can I do not say that the police was taken to the polling station with red handkerchief tied round their neck so that the voters may be influenced.

श्री हो० ना० मुकर्जी : श्री वाजपेयी ऐसे विचार व्यक्त कर रहे हैं जो उन बातों की भावना के विरुद्ध हैं जो आपने कहीं है । अध्यक्ष महोदय, क्या आप इस प्रकार की बातें प्रकाशित होने की अनुमति देंगे ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I would again request the hon.Home Minister to give a detailed statement regarding the situation in West Bengal and ask the Governor to present a report which should be laid on the Table of the House.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : पश्चिम बंगाल में स्थिति इस प्रकार की होती है जिससे यहां हर एक व्यक्ति के मन में सदा चिन्ता उत्पन्न हो जाती है परन्तु हमें इस मामले पर ध्यानपूर्वक विचार करना होता है । मुख्य मंत्री स्थिति को राजनीतिक दृष्टिकोण से सम्हाल रहे हैं । उनके लिये दो रास्ते हैं । एक रास्ता तो यह है कि वह संवैधानिक और प्रशासनिक कार्यवाही कर सकते हैं तथा दूसरा रास्ता राजनीतिक कार्यवाही है । उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया है । मैं समझता हूँ कि उन्हें हमारे समर्थन की आवश्यकता है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : My both the questions have not been answered.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : हमने राज्यपाल से कोई रिपोर्ट नहीं मांगी है और न ही मांगने का विचार है ।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के विरोधी चाहे कुछ ही कहें सच्चाई यह है कि पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवदस्था की स्थिति बहुत खराब हो गई है । गत चन्द महीनों में 300 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं । मैं समझता हूँ कि यह अधिक अच्छा होता यदि श्री अजय मुकर्जी भूख हड़ताल करने की बजाय प्रशासनिक व्यवस्था से काम लेते । वह ऐसे मुख्य मंत्री हैं जो राज्य में कानून और व्यवस्था की गिरती हुई स्थिति की ओर विश्व

का ध्यान आकर्षित करने के लिये भूख हड़ताल कर रहे हैं। भूख हड़ताल करने से पहले वह दिल्ली आये थे तथा केन्द्रीय सरकार के कुछ नेताओं को मिले थे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने वहां की स्थिति के बारे में हमारे नेताओं को कोई रिपोर्ट दी थी।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : भारत सरकार ने इस बात को ध्यान में रखा था तथा इसी लिये उन्हें दिल्ली बुलाया गया था।

श्री रणजीत सिंह (खलीलाबाद) : पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने 19 नवम्बर को कहा था कि पश्चिम बंगाल में कोई सभ्य सरकार नहीं है। ऐसी परिस्थतियों में केन्द्रीय सरकार कैसे सोई रह सकती है? दूसरे गृह–कार्य मंत्री ने कहा है कि मुख्य मंत्री की सहायता की जानी चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि वह तथा केन्द्रीय सरकार उनकी कैसे सहायता कर रही है?

अध्यक्ष महोदय : अब मैं आपको प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री रणजीत सिंह : मैंने प्रश्न नहीं पूछा है। यदि आप समझते हैं कि मैं प्रश्न पूछ चुका हूं तो आप माननीय मंत्री को कहें कि वह उसका उत्तर दें।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : दुर्भाग्यवश, माननीय सदस्य ने कोई प्रश्न नहीं पूछा है। उन्होंने केवल कुछ टिप्पणियां की हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के कुछ वक्तव्यों का उल्लेख किया है। मेरा प्रश्न यह है कि हम उनकी और क्या सहायता कर सकते हैं?

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : 1967 के आम चुनावों के बाद भारत की राजनीति में एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई है। पहले तो यह होता था कि वे लोग सत्याग्रह किया करते थे। जिनके हाथ में सत्ता नहीं होती थी परन्तु आज सत्तारूढ़ लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। यह बड़ी विचित्र सी बात है। जैसाकि गृह-कार्य मंत्री ने कहा है कि मुख्य मंत्री ने भूख हड़ताल इसलिये की ताकि लोगों को पता चल जाये कि विधि और व्यवस्था की स्थिति कैसे गिर रही है। लगभग सभी संयुक्त मोर्चा दलों ने भारत के साम्यवादी दल (वामपंथी) की निन्दा की है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि यह किस प्रकार का साम्यवाद है जब साम्यवादी दल के एक निर्धन कार्यकर्ता का दूसरे साम्यवादी दल का दूसरा कार्यकर्त्ता गला काट देता है।

अध्यक्ष महोदय : आप सीधा प्रश्न पूछिये।

श्री स० कुण्डू : मेरा प्रश्न यह है कि हम लोग सिद्धान्तहीन राजनीति में नहीं फंसना चाहते। इन परिस्थितियों में मैं गृह-कार्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या वह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को यह सलाह देंगे कि वह पश्चिम बंगाल विधान सभा को शीघ्र बुलायें जहां कानून और व्यवस्था की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की जा सके।

श्री राम मूर्ति : इसकी एक महीने में बैठक बुलायी जा रही है।

श्री स० कुण्डू : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि गृह–कार्य मंत्री को पश्चिम बंगाल के गृहमंत्री तथा मुख्यमंत्री से रिपोर्ट मांगनी चाहिये। इसके अलावा उन्हें भूख हड़ताल की स्थिति के बारे

में रिपोर्ट मांगनी चाहिये जहां कहा जाता है कि पत्थर आदि मांगे गये थे तथा मुख्य मंत्री का अपमान किया गया था।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : ऐसी सलाह देने का हमारा विचार नहीं है क्योंकि विधान सभा बुलाने का राज्यपाल का अधिकार नहीं है। यह अधिकार मुख्य मंत्री का है। यदि उन्होंने महसूस किया है तो वह अवश्य ही राज्यपाल को विधान सभा बुलाने की सलाह देंगे।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : नई दिल्ली में क्लर्क भी भूख हड़ताल पर है परन्तु गृह कार्य मंत्री कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

सभा–पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं देश में साम्प्रदायिक स्थिति के बारे में एक विवरण सभा–पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2192/69]**

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उप–मन्त्री (श्री एम० आर० कृष्ण) : मैं श्री स्वर्ण की ओर से नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत, नौसेना समारोह, सेवा की शर्तें तथा विविध (संशोधन) विनियम, 1969 (हिन्दी तथा अंग्रेजों संस्करण) की एक प्रति सभा–पटल पर रखता हूं; जो दिनांक 9 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 271 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 2193/69]**

वैदेशिक व्यापार मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–क की उप-धारा (4) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा–पटल पर रखता हूं :—

(1) एक्सपोर्ट क्रेडिट एण्ड गारंटी कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई, के 1 जनवरी 1968 से ले कर 31 दिसम्बर, 1968 तक की अवधि के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) एक्सपोर्ट क्रेडिट एण्ड गारंटी कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई के 1 जनवरी, 1968 से 31 दिसम्बर, 1968 तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 2194/69]**

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप धारा (6) के अन्तर्गत, नारियल जटा गलाना (लायसेंस देना) संशोधन आदेश, 1969 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति

सभा-पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 27 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधि-सूचना संख्या एस० ओ० 3919 में प्रकाशित हुआ था। [**ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 2195/69**]

श्री म० ला० सोंधी (नई-दिल्ली) : यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में प्रक्रिया भी है। हमें इसके अनुसार चलना होगा।

अनुदानों की अनुपूरक मांगे (रेलवे)
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS)

वित्त तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैं 1969-70 के बजट (रेलवे) सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं।

नियम समिति
RULES COMMITTEE

कार्यवाही-सारांश

श्री एस० कन्डपन (मेट्टूर) : मैं नियम समिति की 27 नवम्बर, 1969, को हुई बैठक का कार्यवाही-सारांश सभा-पटल पर रखता हूं।

कुछ अधिकारियों की श्री टी० टी० कृष्णमाचारी से हुई भेंट के बारे में
RE :--MEETING OF CERTAIN OFFICERS WITH SHRI T. T. KRISHNMACHARI

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : श्री टी० टी० कृष्णमाचारी की वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से हुई भेंट के बारे में अध्यक्ष पीठ से यह विनिर्णय दिया गया था कि इस विषय पर आज प्रधान मन्त्री वक्तव्य देंगी। प्रधान मन्त्री इस विषय पर आज कब वक्तव्य देंगी ? **(अन्तर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : कल जब डा० राम सुभग सिंह ने कुछ आरोप लगाये थे तो मैंने मंत्री महोदय से यह कहा था कि वह अपनी इच्छानुसार वक्तव्य दे सकते हैं। मंत्री महोदय ने शाम को वक्तव्य दिया था। मंत्री महोदय के वक्तव्य के बाद प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जाती और उस विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती। लेकिन मुझे दुःख है ऐसा करने की अनुमति दी गई। **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या श्रीमती इंदिरा गांधी उस फाइल को दिखायेंगी जिसमें उन्होंने श्री टी० टी० कृष्णमाचारी से हुए विचार विमर्श के बारे में टिप्पणी दी है। श्री बरुआ के नोट में वर्ष 1970 में कर लगाने के प्रस्तावों का उल्लेख किया गया है। **(अन्तर्बाधाएं)** प्रधान मन्त्री को इस बात का खंडन करना चाहिये कि ऐसी कोई फाइल नहीं है और श्री बरुआ ने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं दी है।

डा० रामसुभग सिंह (बक्सर) : मुझे भय है कि फाइल को समाप्त न कर दिया जाये अतः आप प्रधान मन्त्री को इस बारे में निदेश दे और उसकी जांच के लिये एक संसदीय समिति नियुक्त करें।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I have to raise a point of order. The Chairman had said that the Prime Minister should herself clarify this matter. He had asked the Prime Minister to make a statement for the purpose.

Shri Sethi has stated that the Prime Minister can say nothing more than what he has stated. Shri Krishnamachari has not taken any oath to keep the discussion secret. A committee should be appointed to investigate the matter. It will have the right to see the file. The file should be keep in your custody till a decision is taken.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : The House is being misguided in this matter. The facts should not be concealed from the House. Not only the Ministers, but the officers are also involved in this matter. A Parliamentary Committee should be appointed to investigate into the matter.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य शान्त रहें।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : I want to know whether you will accept the verdict of the Chairman given in your absence ? I also want to know when allegations have been made, will you not prefer to appoint a Parliamentary Committee to investigate into the matter ?

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : I request that the relevant file may be taken possession of by you lest the papers should be removed from it.

श्री नारायण दांडेकर (जामनगर) : मैं श्री द्विवेदी और श्री बाजपेयी के विचारों से सहमत हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अधिकारियों को श्री टी० टी० कृष्णमाचारी से भेंट करने की अनुमति इसलिए दी गई थी कि वे उनसे मिलना चाहते थे या उन्हें इसके निदेश दिये गये थे। माननीय मन्त्री ने उल्लेख किया है कि श्री टी० टी० कृष्णमाचारी को कोई भी फाइल नहीं दिखाई गई थी। उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया था कि विचार-विमर्श के दौरान कोई भी फाइलें नहीं ले जाई गई थीं।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता–उत्तर–पूर्व) : सरकार के विरुद्ध इतने गम्भीर आरोप लगाये गये हैं। लेकिन प्रधान मन्त्री ने उनका उत्तर नहीं दिया है। प्रधान मन्त्री को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिये।

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री और योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : आपने निदेश की ओर ध्यान नहीं दिया है। यदि आप मुझे वक्तव्य देने को कहते तो मैं वक्तव्य देती।

अध्यक्ष महोदय : सामान्य प्रक्रिया यह है कि माननीय मंत्री के वक्तव्य के बाद प्रश्न पूछने और चर्चा करने की अनुमति नहीं दी जाती।

श्री स० कुण्डु (बालासोर) : सभापति के विनिर्णय का आदर किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। वह जो कुछ कहेंगे उसे सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री स० कुण्डु **

अध्यक्ष महोदय : मैं सभापति महोदय से इस विषय में विचार-विमर्श करूंगा।

श्री शिवनारायण (बस्ती) : सभा की यह मांग है कि माननीय प्रधान मन्त्री को वक्तव्य देना चाहिये। अतः आप उन्हें वक्तव्य देने के लिये कहें।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : श्री सेठी ने अपने वक्तव्य में यह कहा था कि मैं इस सम्बन्ध में और कुछ नहीं कह सकूंगी।

प्रतिदिन बहुत से व्यक्ति, जिनमें विपक्षी दल के सदस्य भी शामिल हैं, मितव्ययता के बारे में सुझाव देते हैं। इसी प्रकार श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने भी कहा था कि वह भी इस बारे में कुछ सुझाव देना चाहते हैं। श्री बख्शी का बजट तैयार करने से कोई सम्बन्ध नहीं है। उन्हें तो केवल बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद आगे की कार्यवाही का अवलोकन करना था। (अन्तर्बाधाएं) श्री कृष्णमाचारी ने कुछ पेचीदा सुझाव दिये थे। उनके बारे में अध्ययन करना आवश्यक था। उन सुझावों का बजट से कोई सम्बन्ध नहीं था। मैं इस बात की ओर निश्चित रूप से ध्यान दूंगी कि क्या उस फाइल में कोई नोट रखा गया था। मैंने अधिकारियों को श्री कृष्णमाचारी से भेंट करने के निदेश नहीं दिये थे। (अन्तर्बाधाएं)

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी से विचार विमर्श के दौरान मैंने उन अधिकारियों से उपस्थित रहने का अनुरोध किया था। लेकिन मैं सभा को इस बात का आश्वासन देती हूं कि उस विचार विमर्श का बजट से कोई सम्बन्ध नहीं था। फाइल से कोई कागज किसी अधिकारी द्वारा निकालने का कोई प्रश्न नहीं है। श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने यह वक्तव्य दिया है कि इस विषय पर चर्चा नहीं की गई।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not Recorded.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : चूंकि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने मेरे आरोपों का खंडन किया है, अतः यदि मुझे इस विषय पर प्रश्न पूछने की अनुमति न दी गई तो यह अनुचित होगा। **(अन्तर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न नहीं पूछे जा सकते।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : श्रीमती इन्दिरा गांधी ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है लेकिन उन्होंने मेरे विशेष आरोपों का स्पस्टीकरण नहीं किया है।

श्री अशोक मेहता (मंडारा) : यदि श्री कृष्णमाचारी से बजट के बारे में चर्चा नहीं की गई थी तो श्री शिटाली जो बजट अधिकारी हैं, को उनसे विचार-विमर्श के लिये क्यों भेजा गया ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जहां तक मुझे जानकारी है श्री शिटाली ने श्री कृष्णमाचारी से भेंट नहीं की ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मुझे प्रसन्नता है कि प्रधान मंत्री ने दस्तावेजों की जांच करने का वचन दिया है। मुझे आशा है कि सब कागजात सुरक्षित रहेंगे। वो इस बात का भी पता लगायें कि क्या श्री बख्शी द्वारा छोड़े गये नोट में बजट प्रस्तावों का उल्लेख किया गया था ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : श्री बख्शी का बजट से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : प्रधान मंत्री ने यह कह कर कि कोई बात हुई ही नहीं है अपने ही मंत्री के कथन को गलत सिद्ध कर दिया है। मंत्री महोदय ने कल वक्तव्य देते हुए कहा था कि वित्त मंत्रालय के कुछ वरिष्ठ अधिकारी प्रधान मंत्री की सहमति से श्री टी० टी० कृष्णमाचारी से मिले थे। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इस मुलाकात का प्रयोजन क्या था ? वह स्पष्टीकरण क्या है ? यह कोई शिष्टाचारी भेंट नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हम बातों को आपस में मिलायें नहीं। मैं कह रही हूं कि श्री कृष्णमाचारी के जन्म दिवस पर कुछ अधिकारी उनसे शिष्टाचारवश मिलने गये थे। उस समय श्री कृष्णमाचारी ने उन्हें कुछ सुझाव दिये थे। उन्हीं सुझावों के सम्बन्ध में वे स्पष्टीकरण चाहते थे। मैंने उन्हें इस के लिये अनुमति दे दी थी।

श्री स० मो० बनर्जी : (कानपुर) मद संख्या 9 के सम्बन्ध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्री रा० कृ० बिड़ला के नेतृत्व में बनाये गये ऊन क्रय मिशन के विरुद्ध श्री मधु लिमये ने जो कतिपय आरोप लगाये हैं, श्री रा० कृ० बिड़ला उनके बारे में व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देंगे। इस प्रश्न का सम्बन्ध उसी से है। कल मैंने नियम 357 का उल्लेख किया था।

अध्यक्ष महोदय : आप उसी बात की पुनरावृति कर रहे हैं। मैंने सारी बात सुन ली है और आज मुझे विनिर्णय देना है।

कल यह प्रश्न उठाया गया था कि श्री बिड़ला जो वक्तव्य देना चाहते हैं उसके विषय का सम्बन्ध उस समय से है जब वह इस सदन के सदस्य नहीं थे। क्या मैं ठीक कह रहा हूं ?

श्री स० मो० बनर्जी : और यह कि सदन में आरोप नहीं लगाये गये थे।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। और कोई बात तो नहीं।

Shri Madhu Limaye : Will you not listen to me ? I have given you everything in writing. You should reply to every point mentioned therein.

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसी के सम्बन्ध में विनिर्णय देना है। आपने 5 दिसम्बर, 1967 को अध्यक्ष को पत्र लिखा था। श्री बिड़ला उस समय सदन के सदस्य थे। प्रतिवेदन भी यहां है। अध्यक्ष महोदय ने अगले दिन 6 दिसम्बर, 1967 को ऊन, नायलॉन इत्यादि के आयात से सम्बन्धित प्रश्न को प्राक्कलन समिति को सौंप दिया था।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या आप सदन की उस कार्यवाही वृतांत में से पढ़ रहे हैं जिसमें श्री मधुलिमये ने कुछ कहा था ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अध्यक्ष को लिखा था। इस बात का सम्बन्ध उस समय से है जब श्री बिड़ला इस सदन के सदस्य थे।

Shri Madhu Limaye : You are giving your ruling without listening to me. It is a very important question. I request you to give your ruling in writing.

अध्यक्ष महोदय : कल मैंने आपकी बात सुनी थी। मुझे अपना विनिर्णय देना है। यह मामला तथ्यों पर आधारित है। आपने जो कुछ कहा है उसी पर दृढ़ रहिये।

Shri S. M. Banerjee : Please first listen to my point of order and then give your ruling.

अध्यक्ष महोदय : इसमें विनिर्णय देने की बात ही नहीं है। प्रश्न यह है कि जब श्री लिमये ने पत्र लिखा, उस समय श्री बिड़ला सदन के सदस्य थे या नहीं।

Shri Madhu Limaye : I am replying to it. You listen to me for five minutes.

Shri A. B. Vajpayee : Will there be no lunch today ?

Shri Rabi Ray : Keep it for 4 '0' Clock.

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। हम चार बजे इस पर विचार करेंगे।

सभा 2.20 म० प० तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के लिए दो बजकर बीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok-Sabha then adjourned for lunch till Twenty Minutes past Fourteen of the Clock.

मध्यान्हन भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर पच्चीस मिनट म० प० पर पुन: समवेत हुई ।

The Lok-Sabha Re-assembled after Lunch at Twenty Five Minutes Past Fourteen of the Clock.

श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwari *in the Chair.*

Shri Bal Raj Madhok (South Delhi) : Mr. Chairman, Sir, with your permission I want to say one thing.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : I also want to say one thing with your permission.

Mr. Chairman : These type of questions are raised and discussed only between 12.00 to 1.00 p. m. If such questions are continued to be raised even during the remaining period, how can we complete the business of the House ?

Shri Bal Raj Madhok : Mr. Chairman, Sir. Delhi is the Capital of India and ten lakhs Government employees reside here. They have been on hunger strike for the last so many days. Their demand is a quite genuine one. They want further chance of promotion in higher grade. Bnt there is no avenue of promotion for these people. An assistant continues to be an assistant even for twenty long years. This Government boasts of socialism and claims to be working for the welfare of the poor. Therefore, I would request the Governmant to meet this small and genuine demand of the Central Government employees.

श्री स० मो० बनर्जी : मैं, श्री बलराज मधोक का पूरा समर्थन करता हूं। केन्द्रीय वेतन आयोग ने अपने दूसरे प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से सिफारिश की थी कि अपर श्रेणी लिपिक से सहायक के पद पर पदोन्नति के लिये कोई विभागीय परीक्षा नहीं होनी चाहिये। यह सैलेक्शन पद न होकर वरिष्ठता पद है। किन्तु यह मामला लटका हुआ है। गृह-कार्य मन्त्रालय इस विषय में बहुत विलम्ब कर रहा है। 1966 में विभागीय परीक्षा स्थगित की गयी थी। अब यह सब लोग भूख हड़ताल कर रहे है; दूसरे कार्यकर्ता कल अथवा परसों भूख हड़ताल प्रारम्भ करेंगे। मैं, संसदीय कार्य मन्त्री से अनुरोध करता हूँ कि वह गृह कार्य मन्त्री को हमारी भावनाओं से परिचित करायें। 10 दिसम्बर, 1969 को परीक्षा होनी है। लोगों ने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग केन्द्रीय सरकार की सेवा करते हुए बिताया है और निम्न श्रेणी लिपिक अथवा अपर श्रेणी लिपिक के रूप में काम करते हुए उन्हें पच्चीस-पच्चीस वर्ष हो गये हैं। उनके लिये परीक्षा की क्या आवश्यकता है? मेरा आपसे अनुरोध है कि आप गृह-कार्य मंत्री से कल अथवा परसों एक वक्तव्य देने के लिये कहें; अन्यथा ....

श्री म० ला० सौंधी (नई दिल्ली) : सदन को इस सम्बन्ध में अवश्य कुछ न कुछ करना चाहिये क्योंकि इस विषय का सम्बन्ध अनेक सरकारी कर्मचारियों के जीवन से है। ये कर्मचारी सरकारी तन्त्र का ही एक अभिन्न अंग हैं। कार्य स्थगन प्रस्ताव अथवा किसी और

तरह हमें इस विषय पर चर्चा करनी चाहिये। सरकारी लिपिकों की भलाई की मांग से सभी की सहानुभूति है; सारे सदन की भावनाएं इस मांग के साथ हैं। अतः सरकार को इस विषय की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। यहां उपस्थित सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि इस मामले में वे मेरा समर्थन करें।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : I also lend my support to whatever Shri Sondhi has said. It is not a question of any party. Government should behave like an ideal employer and give up old, out-moded ideas. They should concede the legitimate demands of their employees. The Minister should be directed to make a statement.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : The test going to be held on 10th December shoul at last be postponed if not cancelled.

श्री रणवीर सिंह (रोहतक) : सरकार को उनकी मांगें पूरी करनी चाहिये।

Shri Sheo Narain (Basti) : This Government claims to have faith in socialism and socialist order. They should therefore concede their genuine demands. They should do justice to their employees.

श्री नी० विश्वनाथन (वंडीवास) : श्री मधोक और सोंधी ने जो कुछ कहा है उससे मैं सहमत हूं। गृह मन्त्री को एक वक्तव्य देना चाहिये।

श्री लोबो प्रभु (उद्दीपी) : मुझ से पहले वक्ताओं ने जो कुछ कहा है उससे मैं कतई सहमत नहीं हूं। यह किसी वर्ग के अन्याय करने का प्रश्न नहीं है। यह उनसे सर्वोत्तम काम लेने का प्रश्न है। परीक्षा तो व्यक्ति की योग्यता आंकने का एक साधन है।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

Mr. Chairman : The point raised by Shri Madhok has been supported by practically all sides of the House, and it is on record. The whips present here shall convey the same to the Government. Let there be no controversies. Let him drop it.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या आई० सी० एस० होने के बाद कोई परीक्षा इन्होंने दी थी ?

श्री लोबो प्रभु : मैंने आई० सी० एस० की परीक्षा दी थी और उसमें बहुत अच्छे अंक प्राप्त किये थे। परीक्षा तो योग्यता को आंकने का तरीका है।

श्री बलराज मधोक : श्री लोबो प्रभु को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि ये कर्मचारी उनकी तरह बड़े लोग नहीं है। उनके प्रति उन्हें सहानुभूति दिखानी चाहिये।

श्री लोबो प्रभु : मैं योग्यता से आया हूं..... **(अन्तर्बाधा)**.

श्री स० मो० बनर्जी : *

श्री म० ला० सोंधी : यह माननीय अधिकारों का भी प्रश्न है। दस पंद्रह वर्षों से इन लोगों को सरकारी आवास उपलब्ध नहीं किया गया है। जब उनके रहने के लिए मकान ही नहीं है तो वे परीक्षा के लिये तैयारी कैसे कर सकते हैं ?

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : I support the point that has been raised in this House.

The second point is this. I do not find the Monopolies Control Bill in the List of Business for today, whereas it was there in yesterday's list of business. It appears that Government is not anxious to discuss it during the current session. The Minister should be asked to clarify as to whether the Government is going to include it in the List of Business for the next week or not ?

Mr. Chairman. When the Minister for Parliamentary Affairs announces the programme for the next week, the hon. Member should raise this point then.

Shri Shiv Chandra Jha : Then it will be too late. It should be clarified before Friday. You should call the Minister and ask him to explain the position. When it was on the list of business for this week, how could it be dropped ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : कल जब श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा और विरोधी दलों के कुछ अन्य नेता यहां पर उपस्थित थे, मैंने उन सबसे इस मामले में परामर्श लिया था। यदि इस विधेयक को इस सप्ताह की कार्य सूची में रखा जाता तो इसे केवल एक घण्टा ही मिल पाता और 9 घण्टे बाद में मिलते। उन सबकी राय यह थी कि इसके लिये एक घंटा इस सप्ताह और 9 घंटे अगले सप्ताह देने की बजाय इस पर एक मुश्त विचार किया जाये। इसलिये संविधान संशोधन विधेयक के बाद इस विधेयक को लिया जायेगा।

श्री जयपाल सिंह (खुन्टी) : मुझे खेद है कि श्री लोडो प्रभु के बारे में श्री बनर्जी द्वारा प्रयोग में लाए गये शब्दों को कार्यवाही से निकालने के लिये मुझे आपसे निवेदन करना पड़ रहा है। एक सदस्य द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये।

Mr. Chairman : These things are not there in the record. I have already ordered for their expunction.

Shri S. M. Banerjee : Please here me. * *

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। अधिवक्ता संशोधन विधेयक पर चर्चा कल अधूरी रही थी; उसे प्रवर समिति को नहीं सौंपा गया था। प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव कल नहीं प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि वह तैयार नही था।

सभापति महोदय : वह ठीक कह रहे हैं। यह करना होगा।

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।
* Not recorded.
* * कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।
* * Not recorded.

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक

CENTRAL SILK BOARD (AMENDMENT) BILL

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Chowdhary Ram Sewak): I beg to move that the Bill further to amend the Central Silk Board Act, 1948, be taken into consideration.

About 30-32 lakhs people are engaged in the silk industry. Out of them about 6-7 lakh people are Harijans and tribals. Its production is chiefly confined to Mysore, West Bengal, Jammu and Kashmir, Bihar, M. P. and Orrisa. Our silk industry is very ancient and had a great reputation in the countries of the Far-East in olden times as well. During the Second World War, consumption of silk had gone up considerably because of the use of parachutes made of silk. After the war, there was a slump in the silk industry. But now we see that its demand is raising steadily

The production of mulberry silk rose from 9.69 lakh kilograms in 1949 to 17.48 lakh kilograms in 1968. Constant incraase in the production of fine quality silk is a remarkable achievement. The percentage of fine quality silk to the total production of mulberry raw silk in 1949 was 9.7 percent which rose to 36 percent in 1968. The production of non-mulberry silk has more than doubled in comparison to the figures of 1951. Foreign exchange earnings rose from Rs. 35 lakhs in 1958 to 5.5 crores in 1968 and this figure is expected to rise upto Rs. 12 crores by the end of March, 1970.

Silk waste worth Rs. 50 lakh was exported in 1968 and worth Rs, 46 lakhs of silk waste was exported during the period January-October, 1969. So, its contribution as a foreign exchange earner has not been less significant.

I do not claim that the objective behined the setting up of the Central Silk Board has been fully realised. There is still a great scope for further development of the industry and the Central Silk Board will give maximum help to the industry in this endeavour.

The Central Silk Board Act is not applicable to the State of Jammu and Kashmir at present. This is an important silk producing state. The finest quality of silk is produced in this state at present. So it was felt very necessary to extent this Act to this State also. Another important aspect of the silk industry has been the development cocoons and the spining of silk waste. These activities were not covered under the present Act. The proposed Bill also seeks to remove such a lacuna. The other amendments are more or less of an administrative nature to enforce more effective financial discipiline.

With these words I commend this Bill for the consideration of the House.

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री अब्दुल गनी डार (गुड़गांव) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक पर राय जानने के लिये उसे 28 फरवरी, 1970 तक के लिए परिचालित किया जाये ।"

सभापति महोदय : ये दोनों प्रस्ताव सभा के समक्ष हैं ।

श्री सी० मुत्तुस्वामी (करूर) : विधेयक के खण्ड 8 (ख) में रेशम की कताई के बारे में व्यवस्था है जो कि बहुत ही वांछनीय है, क्योंकि हाल में रेशम की कताई रेशम उद्योग का एक महत्वपूर्ण कार्यकलाप बन गया है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड की सहायता से रेशमी कपड़े का निर्यात काफी बढ़ गया है। जापान भी जहां भारी मात्रा में रेशम का उत्पादन होता है, हमारे यहां से रेशम का आयात करने लगा है। यह एक बहुत ही उल्लेखनीय उपलब्धि है।

महत्वपूर्ण रेशम उत्पादक राज्यों में जैसे मैसूर में रेशम का उत्पादन 1950 में 6.54 लाख किलोग्राम से बढ़कर 1968 में 14.6 लाख किलोग्राम हो गया है जबकि काश्मीर में वह 59000 किलोग्राम से घटकर 48,000 किलोग्राम हो गया है।

इस संदर्भ में यह स्पष्ट है कि यह उद्योग गिरावट की ओर जा रहा है और इसलिये केन्द्र तथा राज्य सरकारों दोनों को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

चौथी योजना में रेशम उद्योग के लिये 11.67 करोड़ रुपये की धनराशि नियत की गई है जिसमें से 9.67 करोड़ रुपये विभिन्न राज्यों में बांट दिये गये हैं और इस तरह केन्द्रीय रेशम बोर्ड के पास अनुसंधान तथा अन्य योजनाओं के लिये केवल 2.7 करोड़ ही रह जायेंगे। यह अच्छा होगा यदि यह सहायता केन्द्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से दी जाये ताकि रेशम उद्योग सभी राज्यों में अपना लक्ष्य प्राप्त कर सके।

कता रेशम उद्योग अब संकट से बाहर हो गया है और मुनाफा कमा रहा है। अब हम कता रेशम मिलों पर भी उपकर लगाने की बात सोच सकते हैं।

अनुसंधान कार्य के लिये केन्द्रीय रेशम बोर्ड को पर्याप्त धन दिया जाना चाहिये। रांची और मैसूर में केन्द्रीय रेशम अनुसंधान केंद्रों के विकास के लिये और अधिक धन दिये जाने की आवश्यकता है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : उड़ीसा में रेशम उद्योग के विस्तार की काफी गुंजायश है। जैसा अभी माननीय मन्त्री ने कहा उड़ीसा भी उन राज्यों में से एक है जो रेशम के लिये विख्यात है। वहां पर इस रेशम का थोड़ी मात्रा में उत्पादन होता है परन्तु उसे काफी बढ़ाया जा सकता है। मै हाल में कुछ गांवों में गया था और मुझे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि जनजातियां तथा अनुसूचित जातियां भी इस उद्योग से लाभान्वित हो रही हैं। मैं पुरी जिले से सीको गांव गया तो मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई कि 500 या 600 महिलाएं रेशम के कीड़े पाल रही हैं और रेशम लपेट रही हैं। परन्तु रेशम की कताई हेतु विशेष चरखा उपलब्ध न किये जाने के कारण उन्हें अपने काम में प्रोत्साहन अनुभव नहीं हो रहा था। गत तीन वर्षों से लिखा पढ़ी करने के बाद भी किसी ने उनकी मदद नहीं की है, हालांकि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग भी इस उद्योग को प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रहा है। जब इस उद्योग के विकास के लिये लोगों में इतना जोश है, तो इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिय। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री इसे ध्यान में रखेंगे और समुचित कार्यवाही करेंगे।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के लिये केवल 2½ करोड़ रुपये नियत किये गये हैं और शेष 9 करोड़ रुपये राज्यों के लिये रखे गये हैं। मैं यह बता देना चाहता हूं कि कुछ राज्य सरकारें

इस धन को अन्य कार्यों पर खर्च कर रही हैं। इसलिये मैं आशा करता हूँ कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड को इस बारे में सतर्क रहना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मै इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

Shri Abdul Ghani Dar : The prices of silk have risen manyfold during the past few years. When it has so popular with the people why the silk Board did not give enough encouragement to this industry. What is reason behind this increase in prices ? No attention was paid towards increasing the production of silk in the country. Tea plantation owners were making huge profits and still the Government decided to enhance their subsidy. But it is a pity that the silk industry has been ignored all together. As a result thereof, the production of silk has gone down in Kashmir ? It can go down on two counts. First, in case there is no law and order in the State, and secondly, if gheraos and strikes are the order of the day there. Does such a situation exist there that the Silk Board has not been able to make any headway ? In my opinion if adequate encouragement is given to this industry in the state, which was once famous for its silk industry, the production of silk can be appreciable increased. This Government represents the whole country. It should see what is good in the interests of the country and what is not. This is why, I have moved the motion for circulation of this Bill.

The Government should see to it that law and order is maintained in the State of Jammu and Kashmir and people are made to believe that they are quite safe there. They should be assured that the Central Police and the milttary are there to help them.

I hope the hon. Minister will take steps to provide adequate encouragement to this small scale industry because mostly poor people are engaged in it.

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव) : मैं इस विधेयक का तथा विशेषकर खण्ड 3 का स्वागत करता हूँ।

मेरा यह सुझाव है कि रेशम बोर्ड को आसाम राज्य में रेशम सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

रेशम बोर्ड को मिगा रेशम में सुधार करने के लिये अनुसंधान करना चाहिये। इसी प्रकार से उसे इंडी का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान इंडी रेशम के उत्पादकों की समस्या की ओर दिलाना चाहूँगा। ऐसे रेशम के कीड़े अरंड में पौधे पर पलते हैं परन्तु वे पौधे राज्य में बहुत कम मात्रा में पाये जाते हैं। दूसरे वे वर्ष भर उपलब्ध नहीं होते हैं। अतः इन कीड़ों को खाने के लिये कोई और व्यवस्था की जानी चाहिये। मुझे पता लगा है कि हमारे देश के कुछ विशेषज्ञों का एक दल कोरिया तथा अन्य देशों में जा रहा है वहां रेशम के ऐसे कीड़े पाले जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में भी कीड़ों के खाने की ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये।

जहां तक अन्य किस्मों के रेशम का सम्बन्ध है उन्हें हाथ के बने कृत्रिम रेशम की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। अतः रेशम बोर्ड को यह देखना चाहिये कि लोगविशेष कर नवयुवक रेशम की बजाय कृत्रिम रेशम, नाइलन, टेरीलिन आदि का प्रयोग न करने लग जायें। अतः सरकार को इस पहलू को नहीं भूलना चाहिये।

Shri Beni Shanker Sharma (Banka) : I congratulate the hon. Minister for having brought this Bill in this House and especially for clause 2 because by his clause it will be applicable to Jammu and Kashmir also.

So far as the question of Central Silk Board is concerned, I am very much accergie to the word "Board", because Boards are just like while elephants. This Board was set up under the Central Silk Act of 1948-to provide for coordinated development of silk industry under Central Control. I am not happy with the work done by this Board

Silk industry is a very very old industry, There is a great demand of Indian silk in foreign market. But this cottage industry has not been developed properly.

Silk is produced in plenty it Bhagalpur. But most of the profit of the silk industry goes to the middleman. The actual producers of silk sell their produce at reasonable profit but the middlemen get a lot of profit. Our objective should be to see that less profit goes to middleman and more to the producer, because middleman has to work much less than the producer.

Silk industry is a cottage industry. Men, women and children are engaged in this industry. Thus Government should help develop this industry so that people who are interested in working in cottage industry may get work there.

The Government should give some instructions to the Central Silk Board to the effect that they should send some of their persons from door to door to purchase silk from the producers so that they do not fall into the hands of middlemen.

We see that many dams have been constructed in our country and consequently many houses have been constructed at such places. Now it is porposed to demolish these houses. My suggestion is that instead of demolishing, these houses should be utilised for some other purpose. Some centres should be set up there to impart industrial training to the villagers.

I would also like to suggest that the Silk Board should see that some research work is done by the research institutes regarding the production of hybrid silk.

So far as the question of export is concerned, the demand for raw material of silk is very great in foreign countries, but due to lack of organisations it is not being exported to the desirable extent. Hence steps should be taken to increase its export.

The Government can remove the rising unemployment by developing silk industry. Concrete steps should be taken to develop this industry.

श्री विक्रम चन्द महाजन (चम्बा) : रेशम उद्योग हमारे देश का सब से प्रसिद्ध उद्योग है तथा उसे उस स्तर पर लाने के लिये हर सम्भव प्रयास किया जाना चाहिये जो उसका विगत काल में था । अब प्रश्न यह है कि क्या हम वर्तमान संशोधन से उस उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं । दूसरे क्या इससे रेशम उत्पादकों की दशा की ओर ध्यान दिया गया है तथा तीसरे क्या वद्धि की वर्तमान दर संतोषजनक है ।

उत्पादन के आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि उत्पादन की वद्धि की दर संतोषजनक है । लगभग तीन वर्ष पहले हम एक करोड़ रुपये के रेशम का निर्यात किया करते थे तथा इस

वर्ष हमने 10 करोड़ रुपये के रेशम का निर्यात किया है। यदि ये आंकड़े रुपये के अवमूल्यन के बाद के है तब तो यह स्थिति संतोषजनक नहीं है अन्यथा है।

जहां तक रेशम का उत्पादन करने वाले लोगों की दशा का सम्बन्ध है इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। एक खराब बात यह भी है कि रेशम बोर्ड में रेशम पैदा करने वाले व्यक्तियों के प्रतिनिधि नहीं लिये गये हैं। मन्त्री महोदय को यह देखना चाहिये कि बोर्ड में कम से कम एक-तिहाई या एक चौथाई सदस्य कर्मचारियों के प्रतिनिधि होने चाहियें। इससे उनकी दशा में सुधार हो सकता है।

इस उद्योग का विकास कराने के लिये राज्यों को विभिन्न प्रकार के अनुदान दिये जाते हैं। परन्तु एक तो वे अनुदान पर्याप्त नहीं होते हैं तथा दूसरे यह देखने के लिये कि उनका उचित उपयोग हो रहा है अथवा नहीं, उचित व्यवस्था नहीं है।

हमारे देहातों में बहुत बेरोजगारी है तथा वहां के लोगों की आय बढ़ाने के लिये हमें कुटीर उद्योग की आवश्यकता है। रेशम उद्योग एक बुनियादी उद्योग है जिससे यह समस्या हल हो सकती है परन्तु कुटीर उद्योगों का विकास करने के लिये कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया है। रेशम उद्योगों का विकास करने के लिये तो बहुत कम प्रयास किया गया है। इस उद्योग का विकास करने के लिये अब एक संसदीय समिति बनाई जानी चाहिये जिस पर बहुत कम खर्च होगा। यह समिति यह देख सकती है कि रेशम बोर्ड में क्या सुधार किया जा सकता है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : एक समय था जब रेशम उद्योग के कारण अंग्रेजों को बहुत लाभ हुआ करता था। परन्तु उसके बाद इस उद्योग की परवाह नहीं की गई है। भागलपुर जो एक समय रेशम का घर था वहां सरकारी रेशम संस्था की दशा इस समय बहुत खराब है। सरकार ने रेशम उद्योग का विकास करने के लिये कोई निश्चित उपाय नहीं किये हैं। रेशम को लोकप्रिय बनाने के लिये भी कोई विशेष उपाय नहीं किये गये हैं। वे रेशम के छीजन का बहुत कम दामों पर निर्यात कर रहे हैं। फ्रांस उसको कम दामों पर खरीद कर दूसरे देशों को अधिक दामों पर बेच रहा है और लाखों रुपये बना रहा है। सरकार इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

रेशम का काम बड़ी बड़ी कम्पनियां करने लग गई है जिससे वे लोग तो काफी मुनाफा ले रहे हैं तथा छोटे उत्पादनों को नुकसान हो रहा है। वह रेशम जिससे मैसूर सरकार की रेशम फैक्टरी 5 रुपये मीटर पर बेचती है बिन्नी एण्ड कम्पनी सारे देश में 12 रुपये मीटर के हिसाब से बेचती है। यह इसीलिये हो रहा है क्योंकि सरकार उन लोगों का ध्यान नहीं रखती।

केन्द्रीय रेशम कीट पालन अनुसंधान संस्था, बरहामपुर पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से स्थापित की गई थी। इस संस्था के लिये भूमि भी पश्चिम सरकार द्वारा दी गई थी परन्तु अब उसे बिल्कुल भुला दिया गया है। संस्था के कार्य का नियंत्रण करने वाले विभाग के अध्यक्ष तथा पश्चिम बंगाल रेशम कीट पालन बोर्ड के बीच समन्वय में सुधार

किया जाना चाहिये। उस संस्था में रेशम के बारे में अनुसंधानकर्ता भी ऐसे लोग हैं जिन्हें रेशम के कीड़ों के विकास का कोई ज्ञान नहीं है। यह बात हमारी समझ में नहीं आती कि उनका चयन कैसे किया गया है। वहां का अनुसंधान उप निदेशक भी ऐसा व्यक्ति है जो विज्ञान का तीसरा श्रेणी का स्नातक है तथा जिसे अनुसंधान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं मंत्री मोहदय से प्रार्थना करूंगा कि वह उन लोगों के कार्य के बारे में अपनी टिप्पणी दें।

कलिमयांग में एक उचित संस्था स्थापित करने के प्रस्ताव को भी भूमि अर्जन आदि पर 7000 रुपये व्यय करने के बाद समाप्त कर दिया गया है। हम यह भी जाना चाहेंगे कि वहां एक भूतपूर्व अनुसंधान करता द्वारा आरम्भ की गयी अधिक उपज वाली किस्मों को उस केन्द्र में क्यों समाप्त किया गया था।

शहतूत से भिन्न प्रकार के कीड़ों से तैयार किये गये रेशम से बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार का रेशम तैयार होता है। और उस क्षेत्र की जलवायु इसके लिये उपयुक्त है। फिर भी इसके सम्बन्ध में अधिक अनुसंधान न किये जाने के क्या कारण हैं? बीज सप्लाई कार्यक्रम बिल्कुल असफल रहा है। ननजप्पा समिति और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत रेशम के सूत के लपेटने सम्बन्धी अनुसंधान आरम्भ नहीं किया गया।

क्या यह सच है कि बरहामपुर स्थित उक्त संस्थान के कुछ उच्च अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है। यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है? इस संस्था की प्रगति के लिये आवश्यक है कि एक योग्य, अनुभव और कुशल अधिकारी को नियुक्त किया जाये। इस संस्था के वर्तमान मुख्य अधिकारी कर्मचारियों से लड़ते रहते हैं। कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों पर सरकार द्वारा विचार नहीं किया जा रहा है। कर्मचारी संघ को 1966 से अब तक मान्यता नहीं दी गई है यद्यपि कार्मिक संघ अधिनियम और नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अनेक पद दो वर्षों से रिक्त हैं। कई वर्षों से अनेक नैमिक श्रमिक काम कर रहे हैं, परन्तु उन्हें नियमित नहीं किया जा रहा है क्योंकि वे कर्मचारी संघ के सदस्य हैं। इस संस्थान के निर्देशक अपने कर्मचारी के विरुद्ध 1882 के अधिनियम 10 की धारा 263 के अन्तर्गत एक फौजदारी का झूठा मामला दायर करने से भी पीछे नहीं हटे। न्यायालय द्वारा उक्त श्रमिक श्री देवी प्रसाद डे को दोषमुक्त कर दिया है। यदि किसी संस्था के मुख्य अधिकारी का रवैया ऐसा हो, तो आप कर्मचारियों से अच्छे व्यवहार की कैसे आशा कर सकते हैं।

श्रमिकों की मांगों पर विचार कीजिये, कुशल और योग्य अधिकारियों की नियुक्ति कीजिये तथा अनुसंधान के लिये अधिक धन दीजिए तब ही प्रगति संभव है। इस क्षेत्र को कुटीर और लघु उद्योग ही रहने दीजिए। बड़ी कम्पनियों, भारतीय और विदेशी, को इस क्षेत्र मे अपना प्रभुत्व जमाने नहीं देना चाहिए।

श्री सेझियान (कुम्भकोणम) : हमे यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हुई है। निर्यात 1956 में लगभग 35 लाख रुपयों से 1969 में बढ़कर लगभग 12 करोड़ रुपये हो गया। अनेक कठिनाइयां होने पर भी केन्द्रीय रेशम बोर्ड का कार्य सरा-

हनीय रहा है। यदि देश में रेशम कीटपालन उद्योग का आधार सुदृढ़ किया जाये, तो निर्यात बढ़ाकर लगभग 20 करोड़ रुपये किया जा सकता है क्योंकि इस क्षेत्र में जापान का प्रभुत्व समाप्त होता जा रहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु तथा अन्य सदस्यों ने धन के अभाव का उल्लेख किया। रेशम कीट पालन उद्योग सम्बन्धी दल ने चौथी योजना में लगभग 15 करोड़ रुपयों के नियतन की सिफारिश की थी लेकिन यह निराशा की बात है कि योजनाआयोग ने राज्यों के लिये 9.6 करोड़ रुपये और 2 करोड़ रुपए केन्द्रीय योजना के लिये नियत किये हैं। फिर उद्योगवार नियतन का ढ़ांचा बदलकर राज्यों को एक मुश्त अनुदान की व्यवस्था कर दी गयी जिसके परिणाम-स्वरूप इस अनुदान के अन्य कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जाने की सम्भावना है।

वर्तमान विधेयक में कुछ संशोधन रखे गये हैं, जिसके अन्तर्गत नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा बोर्ड के लेखों की जांच किये जाने के अधिकार दिये गये हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं परन्तु इससे पहले उसे कुछ धन तो दिया जाना चाहिए। मैं केन्द्रीय रेशम बोर्ड का सदस्य रहा हूं और मैंने उसके लेखों की बारीकी से जांच की हैं। मैंने देखा है कि बचत की कुल्हाड़ी राज्य योजना में रेशम कीट पालन उद्योग पर सबसे पहले प्रहार करती है। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह केन्द्रीय रेशम बोर्ड को एक आवर्तक निधि देनी चाहिए ताकि वह सन्तोषजनक रूप में अनेक योजनाएं प्रायोजित कर सके।

मैं यहां पर आधुनिक विश्व में अनुसंधान के महत्व की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। अनुसंधान के बिना हम अंतर्राष्ट्री बाजार में प्रतियोगिता नहीं कर सकते हैं। अनुसंधान और सुधार के किये बिना रेशम कीटपालन के भविश्य की बात करना व्यर्थ है, इसके विकास के लिये, हमें अनुसंधान के लिये प्रर्याप्त धन देना चाहिए। इस समय केन्द्रीय रेशम बोर्ड के नियंत्रण में दो अनुसंधान संस्थान हैं, एक मैसूर में और दूसरी रांची में जिन पर प्रति वर्ष केवल 10 लाख रुपए खर्च किये जा रहे हैं, हम 25 करोड़ रुपए के मूल्य के रेशम की निर्यात क्षमता की बात करते हैं परन्तु इन दो अनुसंधान केन्द्रों पर केवल 10 लाख रुपए वार्षिक व्यय करते हैं, अधिक धन दिये बिना यह लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता है।

इस विधेयक द्वारा अधिनियम को जम्मू तथा काश्मीर क्षेत्र में लागू किया जा रहा है। जम्मू तथा काश्मीर रेशम उत्पादन के लिये एक आदर्श स्थान है और वहां पर अंतर्राष्यट्रीय श्रेणी का रेशम तैयार किया जा सकता है। लेकिन हम वहां पर इसकी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर रहे हैं। यह बड़े दुख की बात है कि वहां पर उत्पादन कम होता जा रहा है। 1957 में वहां पर 63,000 किलोग्राम रेशम का उत्पादन हुआ था लेकिन 1968 में यह लगभग 48,000 किलोग्राम रह गया। यदि कृमिकोषों के मूल्य-निर्धारण की नीति तथा अन्य बातों के बारे में आवश्कय परिवर्तन शीघ्र किये जाये तो जम्मू तथा काश्मीर में उपलब्ध विशाल क्षमता का उपयोग किया जा सकता है,

आज मैसूर में सूत्र (फाइलेचर) रेशम उद्योग की स्थिति बड़ी दयनीय है। जब तक हम सूत्र रेशम उद्योग का आधार सुदृढ़ नहीं करते, तब तक हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता

करने की बात नहीं सोच सकते हैं। कुछ समय पहले सरकारी क्षेत्र के सूत्र उद्योग के लिये केन्द्र की सहायता से एक निगम बनाने का सुझाव दिया गया था। मालूम नहीं कि यह अब किस स्थिति में है। केन्द्र को इस उद्योग की सहायता करनी चाहिए।

बम्बई के कुछ व्यक्ति तथा एक सहकारी समिति हथकरघे की रेशम के बजाये शक्तिचालित करघे की रेशम का निर्यात कर रहे है। ऐसा करके हम न केवल विदेशी मण्डियों को ही धोखा दे रहे हैं अपितु अपने उद्योग को भी धोखा दे रहे हैं। इससे हमारा रेशम हथकरघा उद्योग नष्ट हो जायेगा। निर्यात के समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि वे वस्तुएं वास्तविक रूप से हथकरघा उद्योग के उत्पादन हैं।

हमारा निर्यात निरन्तर रूप से बढ़ता जा रहा है। अतः मेरा सुझाव है कि इसके निर्यात पर शुल्क लगया जाये और इससे जो आय प्राप्त हो उसको जहाज में माल के लदान से पूर्व निरीक्षण पर व्यय किया जाये। यदि $\frac{1}{4}$ प्रतिशत भी निर्यात शुल्क लगाया गया तो इससे सरकार को 3-4 लाख रु० की आय हो जायेगी।

मेरा अन्तिम सुझाव यह है कि सरकार केन्द्रीय रेशम बोर्ड को अनुसन्धान के लिये पर्याप्त धन उपलब्ध कराये।

Shri K. M. Madhukar : (Kesaria) Sir, this is a non-Controversial Bill since it aims at increasing the powers of the Silk Board, Silk industry of our country is not an incipient one but it dates back to the origin of cotton fabrics industry. In ancient times our silk exports fetched five times their weight in gold. The silk handloom industry has provided employment to lakhs and lakhs of people at a time when the problem of unemployment has become intractable despite the numerous multipurposd projects and plans of the Government. The silk industry has not made as much progress over the years as it should have The hon. Minister while landing the exports of the silk industry conveniently forgot to reckon the factor of devaluation. There is no denying the fact that the Silk Board is a white elephant. we have recently sent a team to foreign countries to study the causes of decline in our exports and incurred huge expenditure there on, But contrarily our exports have registered a sharp fall.

Another reason for the bad performance of our silk industry is that the Silk Board is staffed by sinecurists who have no knowledge of this industry. There is not the remotest contact between the management of the Silk Board and the weavers and as such the former do not and cannot understand the problems faced by the latter. The weavers have to move from pillar to post for uncashping the cheques they get from the cooperatives. To save themselves of all this trouble they go to the village mahajan who pays them only 70 percent of the amount of the cheque. Unless their problems are thrashed out and solved we cannot give a boost to our silk industry. I suggest that only persons having export knowledge of silk industry should be appointed in the Silk Board. The weavers should be given a representation in the Board There is no use placing M. Ps or the bureaucratf on the Board as are not even remotely connected with the silk industry and who are concerned only with inflating their T.A. bills.

While I am happy that this Bill is being extended to the State of Jammu and Kahsmir also, I am sceptical if we can achieve any measure of success unless the

conditions of the weavers are ameliorated and credit and marketing facilities are made available to them.

The accounts of the Silk Board should be maintained properly and also audited. They should also be laid on the Table for the scrutiny by Members. In the absence of proper accounting a lot of misappropriation is going on at present.

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair* }

If we want our silk industry to progress, the problems of the workers engaged in this industry should be solved, they should be freed from the clutches of the Mahajan. The bill leaves much to be desired. There is no reason to be complacent in this matter.

श्री रा० कृ० बिड़ला द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण के बारे में

PERSONAL EXPLANATION BY SHRI R.K. BIRLA

श्री स० मो० बनर्जी : (कानपुर) जब सभा स्थगित हुई थी तो मैं बोल रहा था। नियम 357 में कहा गया है कि अध्यक्ष की अनुमति से वैयक्तिक स्पष्टीकरण दिया जा सकता है किन्तु उसमें कोई विवादास्पद मामला नहीं लाया जा सकता। श्री लिमये ने श्री आर० के० बिड़ला के सम्बन्ध में लोक सभा में अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। चीन के आक्रमण के पश्चात हमारी सेना के जवानों के लिये ऊनी जर्सी की बड़ी मांग थी। अतः एक शिष्टमण्डल वूल टोप के आयात के लिये विदेशों में गया था। श्री मधु लिमये ने इस सम्बन्ध में 6-9-1967 को वाणिज्य मंत्री श्री दिनेश सिंह को पत्र लिखा था। यह पत्र कपड़ा आयुक्त के बारे में है और इसमें श्री आर० के० बिड़ला का नाम ऊन सलाहकार के रूप में दिया गया है।

कुछ बातें हैं जिनके आधार पर वैयक्तिक स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। अब प्रश्न यह है कि क्या यह विवादास्पद मामला है और यदि हां, तो फिर इसपर नियमित चर्चा क्यों नहीं कराई जाती। दूसरे, क्या इस सभा के बाहर कही गई किसी बात पर वैयक्तिक स्पष्टीकरण दिया जा सकता है ? तीसरे क्या श्री आर० के० बिड़ला द्वारा प्राक्कलन समिति के सामने उस समय दिया गया वक्तव्य, जब वह संसद सदस्य नहीं थे, वैयक्तिक स्पष्टीकरण का विषय हो सकता है ? यदि श्री मधु लिमये ने इस सभा में श्री आर० के० बिड़ला के सम्बन्ध में कोई बात कही होती, तो वह तो वैयक्तिक स्पष्टीकरण का विषय हो सकता था।

अध्यक्ष महोदय : सभा के समक्ष यह प्रश्न था कि क्या श्री आर० के० बिड़ला को, उनके बारे में उस समय कही गई किसी बात के बारे में जब वह संसद सदस्य नहीं थे, एक वैयक्तिक स्पष्टीकरण देने की अनुमति दी जा सकती है। यदि प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन में श्री आर० के० बिड़ला के नाम का उल्लेख न किया गया होता, तो इस सभा में इस सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता था। किन्तु चूंकि इस प्रतिवेदन में श्री बिड़ला के नाम का उल्लेख किया गया है और यह प्रतिवेदन इस सभा को प्रस्तुत किया गया है, तो उनको अपने सदस्यता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

श्री स० मो० बनर्जी : तो इस पर चर्चा होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : उसको तो पहले ही अस्वीकार कर दिया गया था। यदि किसी अन्य प्रस्ताव की सूचना दी जाती है तो गुणदोष के आधार पर उसपर विचार किया जा सकता। उन्हें वैयक्तिक स्पष्टीकरण देने का अधिकार है।

श्री रा० कृ० बिड़ला : (झुंझनू) 30 नवम्बर, 1967 को श्री मधु लिमये ने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी और अध्यक्ष महोदय ने उसे 6 सितम्बर, 1967 को जांच तथा प्रतिवेदन के लिये प्राक्कलन समिति को भेज दिया था। इस सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति ने अपना प्रतिवेदन सभा पटल पर रख दिया है।

श्री मधुलिमये द्वारा लगाया गया एक आरोप यह है कि क्रय प्रतिनिधिमण्डल ने, जिसका मैं अध्यक्ष था, अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से काफी अधिक पर ऊन खरीदी थी। इस सम्बन्ध में मैं, न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त द्वारा मंत्रालय के संयुक्त सचिव को लिखे गये पत्र की ओर दिलाना चाहता हूँ। इस पत्र में कहा गया है कि वे ठीक सौदा करने वाले थे जैसा कि पक्के व्यापारियों के दल से आशा की जा सकती है। चढ़ती हुई मण्डी में उन्होंने जिस मूल्य पर ऊन खरीदी उससे वे बहुत सन्तुष्ट थे।

समिति ने एक मत से अपने प्रतिवेदन में कहा है कि केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा की गई जांच से यह सिद्ध नहीं हो सका है कि जिस मूल्य पर ऊन खरीदी गई थी वह बाजार भाव से अधिक था।

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मैं और मेरे साथी श्री मधुलिमये द्वारा लगाये गये आरोप से पूरी तरह मुक्त कर दिये गये हैं। वास्तव में हमारी प्रशंसा की गई है।

मैंने सभी तथ्य आपके सामने रख दिये हैं और अब जैसा उचित समझें वैसा कर सकते हैं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : He has not the essential part of the report which says :

> "It has been added by the C. B. I., from scrutiny of the bills of entry, that it was found that they did not contain full description of the goods imported and, therefore, did not furhish full proof, data, for comparison."

Unless they have the full date with them, how can they say anything concl usively.

श्री रा० कृ० बिड़ला : अध्यक्ष महोदय.....

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये। आप हर बार जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आपको वैयक्तिक स्पष्टीकरण देने का अधिकार है और चूंकि आप का इससे संबंध था,

इसलिये आपने मुझको तथ्य बताये हैं। प्राक्कलन समिति में जो कुछ कहा है, उसे दोबारा यहां उठाने से आपको क्या संतोष मिलेगा। फिर भी मैं कोई अन्य टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं निवेदन करता हूँ कि प्राक्कलन समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य सभा पटल पर रखा जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा होना चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : इस सम्बन्ध में बाद-विवाद होना चाहिए।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : इसे सभा पटल पर रखा जाना चाहिये और इस सम्बन्ध में एक नियमित प्रस्ताव लाया जाना चाहिए तथा इस पर पूरी तरह से वाद-विवाद होना चाहिये।

Such a big report has been presented on the basis of Memorandum. It is a question of prestige for me Shri Birla is not such a person who can be influenced by the perssure of any big business house. I am ready for the debate.

अध्यक्ष महोदय : सदस्य के वैयक्तिक स्पष्टीकरण पर कोई चर्चा नहीं हो सकती है।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : मैं चर्चा के लिये नहीं कह रहा हूं। परन्तु क्या मैं समझ लूं कि आपने यह मामला अन्तिम निर्णय के लिये, चाहे जो भी स्थिति हो; प्राक्कलन समिति को सौंप दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : एक बात यह है कि जब कोई सदस्य वैयक्तिक स्पष्टीकरण देना चाहते हैं, तो एक सदस्य की हैसियत से ऐसा करने के अधिकार से मैं उन्हें वंचित नहीं कर सकता हूँ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : हमें प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर वाद-विवाद करने का अवसर नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता हूं। सभा को प्राक्कलन समिति के प्रतिदेदन पर चर्चा करने से वंचित नहीं किया जा सकता है।

Shri Madhu Limaye : But there is a definite procedure in this regard. I have given many motions on this and ultimately a decision was arrived at between your office and us that whenever there is an disagreement between the committee and the Government on the recommendations of the committee-whether that committee be Public Accounts Committee, Estimates Committee or Public Undertakings Committee that portion of the report will be discussed in this House. On this very basis the matter of Amin Chand Payrae Lal and Subramaniam, which arose from the 55th Report was discussed in this House

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले पर गम्भीरता से विचार कर रहा हूं। मैं स्वयं पहले संसदीय समितियों का अध्यक्ष रहा हूँ उस समय मैं भी वही सोचता था, जो माननीय

सदस्य का विचार है। मैं यह नहीं समझ सका कि प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन का उल्लेख करने से माननीय सदस्य को क्या संतोष मिलेगा तथापि उन्हें वैयक्तिक स्पष्टीकरण देने का अधिकार है और मैं उन्हें इससे वंचित नहीं रख सकता हूं। यदि माननीय सदस्य के आचरण के बारे में प्रतिवेदन में कोई उल्लेख है, तो उन्हें वैयक्तिक स्पष्टीकरण देने का अधिकार हैं। जब प्रतिवेदक के कुछ भागों का उल्लेख करना है, तो एक छोटे से वैयक्तिक स्पष्टीकरण द्वारा उनका स्पष्टीकरण संभव नहीं है। इसके लिये विस्तारपूर्वक वाद-विवाद की आवश्यकता है। मैं इस बारे में विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत करूंगा। हमें इसके लिए कोई मार्ग निकालना होगा।

केन्द्रीय रेशम वार्ड (संशोधन) विधेयक--जारी

CENTRAL SILK BOARD (AMENDMENT BILL-CONTD.

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : महोदय, रेशम उद्योग हमारे देश का एक प्राचीनतम उद्योग है। रेशम बोर्ड जाल साजी कर रहा है। और वह देश में रेशम उद्योग को नहीं चला रहा है। मै मैसूर राज्य से आता हूँ जहां देश का तीन चौथाई रेशम पैदा होता है। मैसूर राज्य में बहुत बढ़िया किस्म का रेशम होता है। उसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत प्रसिद्धि है। परन्तु यह खेद की बात है कि भारत सरकार ने रेशम उद्योग के सब पहलुओं पर ध्यान नही दिया है। रेशम बोर्ड का नियंत्रण सामन्त शाही के हाथ में है। इस बोर्ड का नियंत्रण कपड़ा आयुक्त के हाथ में है, जिसे रेशम उद्योग के बारे में रेशम के कीड़ों को पालने के बारे में तथा शहतूत के पेड़ लगाने के बारे में कोई ज्ञान नहीं है और यही कारण है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे रेशम की प्रसिद्धि गिरती जा रही है, शहतूत के पेड़ उसी पुराने ढंग से लगाये जाते है तथा हमारे रेशम की किस्म घटिया होती जा रही है और रेशम बोर्ड उन उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सका है जिनके लिये उस का गठन किया गया था। रेशम बोर्ड रेशम उद्योग का विकास करने में विफल रहा है तथा उत्पादकों को मूलभूत सुविधायें भी नहीं दी गई है यद्यपि रेशम बोर्ड द्वारा करोड़ों रुपये खर्च किये जा चुके हैं। रेशम बोर्ड किसी भी कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में असफल रहा है।

{श्री क० ना० तीवारी पीठासीन हुए
Shri K.N. Tiwary *in the Chair*}

उदाहरण के तौर पर मैसूर राज्य में रेशम उद्योग घाटे में चल रहा है। तथा इसे प्रोत्साहन देने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैसूर राज्य में रेशम उद्योग की स्थिति बड़ी दयनीय है और इसमें काम करने वाले पांच लाख व्यक्तियों को जीवन यापन के लाले पड़े हुए हैं। केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया है। बड़े खेद की बात है कि योजना में नियत की गई धन राशि का भी उपयोग नहीं किया गया है। शहतूत के पड़े लगाने के बारे में कोई उचित कार्यक्रम नहीं अपनाया गया है तथा इसके लिये बढ़िया किस्म के बीजों की सप्लाई भी नहीं की जा रही है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कई हजार व्यक्ति तथा राज्य के कई लाख व्यक्ति कठिनाइयों का सामना कर रहे है, क्योंकि उन्हें रेशम के कीड़े

पालने के लिए उरकरण नहीं दिये जा रहे हैं यद्यपि रेशम बोर्ड कई वर्षों से मौजूद है। यह बड़े दुख की बात है कि केंद्रीय सरकार द्वारा मैसूर राज्य में रेशम उद्योग का विकास नहीं किया जा रहा है और केन्द्रीय सरकार मैसूर के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार कर रही है। रेशम बोर्ड को बंगलौर में स्थापित नहीं किया गया है यद्यपि वह इसके लिये सर्वोत्तम स्थान है। रेशम बोर्ड अपने कर्तव्यों में पूर्णतया विफल रहा हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि सरकार को अपने सारे कार्यक्रमों को नये सिरे से बनाना चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उनको ठीक ढंग से क्रियान्वित किया जाये तथा रेशम बोर्ड का भी सही मार्ग दर्शन दिया जाना चाहिये।

मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे राज्य में 8 जिले ऐसे हैं जिनमें मुख्य धन्धा रेशम के कीड़े पालना तथा शहतूत के पेड़ लगाना है। वहां लगभग 5 लाख व्यक्ति यह धंधा करते है और उनके पास कोई अन्य रोजगार नहीं है। मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि वहां के ग्रामों की, जिनका धन्धा केवल यही है, अवहेलना की गई है। मैं सभा में यह स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि रेशम बोर्ड जालसाजी कर रहा है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। काश्मीर में आधुनिकीकरण के नाम पर 300 सूत्रण बैसिनों का सौदा किया गया था, जिसकी लागत लगभग 20 लाख रुपये थी। इस 20 लाख रुपये की सारी की सारी राशि को हड़प कर लिया गया है। मैं नहीं जानता वह सौदा किस प्रकार का था तथा उसमें किस किस को लाभ हुआ था। कई वर्षों तक उन बक्सों को खोला तक नहीं गया। फिर भी उस धोखा धड़ी की, सरकार द्वारा कोई जांच नहीं की गई है, यद्यपि रेशम बोर्ड समिति के सदस्यों ने भी उस मामले की जांच करने का सुझाव दिया था। इसलिये मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस मामले की तुरन्त जांच कराई जानी चाहिये। इस मामले में 20 लाख रुपये की राशि सम्बद्ध है तथा यह कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। क्या मंत्री महोदय इस बात का उत्तर दे सकते हैं कि उन बक्सों को क्यों नहीं खोला गया ?

महोदय मैने जून 1969 में रेशम अपशिष्ट के निर्यात के बारे में वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमें यह आरोप लगाया था कि रेशम अपशिष्ट का निर्यात बढ़ाने वाली मैसर्स एच० के० कुमार नामक एक कम्पनी बड़े पैमाने पर जालसाजी कर रही है। माननीय मंत्री ने मेरे उस पत्र का उत्तर अपने दिनांक 24 जुलाई के पत्र द्वारा दिया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि रेशम अपशिष्ट के निर्यात के मामले की जांच कर ली गई हैं और जांच करने के पश्चात चन्ना पाटना स्पन मिल्स.....

चन्ना पाटना सपन मिल्स मैसूर राज्य में हैं।

महोदय * *

सभापति महोदय : यदि वह किसी व्यक्ति विशेष के नाम का इस प्रकार उल्लेख करना चाहते हैं, तो उन्हें इसकी नियमित उपयुक्त सूचना देनी चाहिये मैंने पहले भी माननीय सदस्यों से कहा है कि वह इस सम्बन्ध में इस प्रक्रिया का पालन करने। इस प्रकार किसी व्यक्ति के नाम का उल्लेख करने नियम के विरुद्ध है। इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाये।

* * अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

* * Expunged as orderd by the Chair.

श्री क० लकप्पा : मैंने इस तरीके से उनका उल्लेख नहीं किया था। मैंने कहा था * * इस समय देश में दो कांग्रेस हैं। जब तक मैं इस बात का उल्लेख न करूं, तब तक मेरी बात स्पष्ट नहीं होगी।

सभापति महोदय : मैं अध्यक्ष को पूर्व सूचना दिये बिना इस प्रकार नामों का उल्लेख करने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : शब्दों को कार्यवाही वृतान्त से निकालने के बारे में नियम है और कोई विशेष शब्द निन्दात्मक अथवा असंसदीय हो तो उन्हें कार्यवाही वृतान्त से निकाला जा सकता है। क्या आप समझते हैं कि "निजलिंगप्पा" का उल्लेख करना निन्दात्मक अथवा असंसदीय है ? आपने यह विनिर्णय किस आधार पर दिया है ?

सभापति महोदय : वह पूर्व सूचना देने के बाद ही नामों का उल्लेख कर सकते हैं, अन्यथा इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री क० लकप्पा : मुझे इसका उल्लेख इसलिये करना पड़ा क्योंकि इस समय देश में दो कांग्रेस हैं—निजलिंगप्पा कांग्रेस तथा इन्दिरा गांधी कांग्रेस। मैंने कहा है *

चन्नापाटना में रेशम उद्योग है। वह रेशम अपशिष्ट का उपयोग करना चाहता है। परन्तु उसे इसकी अनुमति नहीं दी गई है। मैसर्स एच० के० भूषण कुमार ने दक्षिण भारत मूलक 3.68 लाख पौंड रेशम अपशिष्ट का निर्यात करने का आवेदन दिया था। भूषण कुमार बहुत बड़ा जालसाज है। वह पक्का 420 है.....

सभापति महोदय : माननीय सदस्य फिर एक व्यक्ति विशेष को 420 कह रहे हैं। यह सही नहीं है। माननीय सदस्य को यह शोभा नहीं देता कि वह एक ऐसे आदमी का नाम लेकर आलोचना करेंगे जो यहां उपस्थित नहीं है और वह भी बिना पूर्व सूचना के। मेरे विनिर्णय के बावजूद वह ऐसा कर रहें हैं।

श्री क० लकप्पा : भूषण कुमार जो 3.68 लाख रेशम अपशिष्ट का निर्यात करना चाहता था, बम्बई में कई जाली नामों से कई कारखाने चला रहा है। उसके पास कई लाइसेंस भी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वह बिहार का है अथवा किसी अन्य राज्य का ? मैं जानना चाहता हूँ कि उसके बीच तथा बोर्ड और मंत्रालय तथा राज्य के मंत्रालय के बीच क्या सम्बन्ध है ? उसके मामले में नियमों तथा विनियमों एवं सम्बन्धित शर्तों में छूट क्यों दी गई है ?

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 353 कहता है कि किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मान हानि कारक या अपराधारोपक का आरोप न

* * अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

* * Expuged as ordred by the Chair.

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यबाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

* Expuged as ordred by the Chair.

लगाया जाये जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को इसकी पूर्व सूचना न दी हो। श्री लकप्पा इस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं।

सभापति महोदय : जो कोई सदस्य इस नियम का उल्लंघन करेगा उस के कथन को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जायेगा।

श्री क० लकप्पा : यह एक ऐसा उदाहरण है जिसमें केन्द्रीय रेशम बोर्ड तथा मैसूर राज्य की सलाह पर इस व्यक्ति को रेशम अपशिष्ट की समस्त मात्रा का निर्यात करने की अनुमति दी गई थी। मैसूर सरकार में रेशम उत्पादन विभाग मंत्री * *

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल न किया जाये। मैं आपको इस तरह बोलने की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मैं समझता हूं कि इस विनिर्णय को देखते हुए किसी माननीय सदस्य को वाद-विवाद में भाग लेना बहुत कठिन होगा। यदि कोई माननीय सदस्य किसी नाम का उल्लेख किये बिना आरोप लगाता हैं कि अमुक सौदा किया गया तथा एक ठेका दिया गया है इत्यादि, तो वह ऐसा कर सकता है, उसके लिए ऐसा करना उचित है। मैं समझता हूँ कि उसके शब्दों को कार्यवाही वृतान्त से निकालना सही नहीं है। मैं समझता हूँ कि उसे यह अधिकार है कि वह किसी संस्था अथवा सरकार पर आरोप लगा सके। यदि इस बात की अनुमति नहीं दी गई तो वाद-विवाद में भाग लेना बहुत कठिन हो जायेगा। मैंने ऐसी बात संसद के इतिहास में कभी नहीं सुनी है कि अध्यक्ष पी० की पूर्व अनुमति के बिना किसी प्राधिकार पर आरोप नहीं लगाया जा सकता है।

श्री पी० विम्वम्भरन (त्रिवेन्दम) : इस सभा का सदस्य होने के नाते, वह जो कुछ कहते हैं, उसके लिये वह पूरी तरह से जिम्मेदार हैं।

श्री लोबो प्रभु : कुछ नाम वास्तव में लिए गये थे। इसलिए मैंने नियम का प्रथम भाग पढ़ा। अब मैं सदस्यों के लाभ के लिए नियम का दूसरा भाग पढ़ता हूँ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : यह कहां लिखा है कि अध्यक्ष को सूचित किये बिना किसी मंत्रालय, संस्था तथा अधिकारी के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता।

श्री लोबो प्रभु : मैं नियम का दूसरा भाग पढ़ता हूँ:—

'परन्तु अध्यक्ष किसी भी समय किसी सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से प्रतिषिद्धि कर सकेगा, यदि उसकी राय हो कि ऐसा आरोप सभा की गरिमा के विरुद्ध है या ऐसा आरोप लगाने से कोई लोक हित सिद्ध नहीं होता।'

---

* * कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

* * Not recorded.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापतनम्) : यह नियम बहुत अच्छा है परन्तु श्री लकप्पा ने ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे सभा की गरिमा को हानि पहुँचती है। उन्होंने एक व्यक्ति विशेष के बारे में कहा था जो अपने पद से अनुचित लाभ उठा रहा है।

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : यदि श्री लकप्पा ने किसी ऐसे अधिकारी का नाम लिया हैं जो सभा में उत्तर नहीं दे सकता तो इसके लिए एक प्रक्रिया है जिसका अनुमान किया जा सकता है परन्तु इससे सभा की गरिमा को कोई क्षति नहीं पहुँचती।

श्री क० लकप्पा : मैंने जिस व्यक्ति का नाम लिया है मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ। चन्नापाटनम सिल्क मिल्स के अधिकार को छीन कर उस व्यक्ति को निर्यात लाइसेंस दिया गया है। इस मामले में मैसूर सरकार के मंत्री तथा केन्द्रिय सरकार के मंत्रालय का हाथ है। क्या सरकार इस समूचे मामले की जांच करायेगी ?

प्रतिवर्ष चार करोड़ रुपये की शहतूती रेशम का निर्यात किया जाता था जिसमें अब कमी हो गई है। राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज सहायता के लिए अनेक बार प्रार्थना की है परन्तु केन्द्रीय सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और मिल बन्द हो गई है जिसके फलस्वरूप अनेक व्यक्ति बेरोजगार हो गये हैं। केन्द्रीय सरकार ने इस पहलू की ओर भी ध्यान नहीं दिया है।

यद्यपि यह निर्णय किया गया था कि बोर्ड को बंगलौर में स्थापित किया जायेगा। तथापि इस निर्णय को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। माननीय मंत्री ने भी मुझे इस बारे में स्पष्ट आश्वासन दिया था। परन्तु उन्होंने भी अपने आश्वासन को अभी तक पूरा नहीं किया है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस बारे में उचित कार्यवाही करे ताकि मैसूर का यह सबसे पुराना उद्योग उन्नति कर सके।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : The Silk industry was very much advanced in old days. Many writers and travellers have referred to this industry in their books. Even Markopolo had written in his book entitled 'Travel of Marko Polo' that

> "In South look like Tinus of the spiclers wel, which means that the Indian cotton and silk cloth look like spiclers' wel. But this industry has met its bad days during the British regime. It has been rained completely It was expected that this industry will be looked after properly after the independence But all hopes have been belied. This industry has now been facing stiff competition from the artificial silk such as nylon. Artificial silk is capturing the world market. I want to know the progress made in the establishment of a silk industry in Bhagalpur with Japanese collaboration ? I also want to know whether any area of Bihar has been surveyed for the said purpose. This industry can also be started in North Bihar. Mahatma Gandhi had praised the weavers of this area in 1934. I would urge upon the Government to think over this matter and take effective steps for the promotion and for conducting research in this industry.

It is a matter of joy that this Bill will be applicable to Jammu and Kashmir also. The hon, Minister should explain as to how the allocation made in the Fourth Five Year Plan for this purpose will be utilized.

It would have been better had some time limit been fixed say three months or so for auditing the acconts of the Siik Board.

With these words I support the Bill and request the Government to pay more attention for the promotion of this industry.

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : I oppose the establishment of the silk Board because we have already got bitter experience of the Khad Board where corruption is rampant.

The leaves of malberry are good food of the silk worms but the mulberry trees are not found in all parts of country. In my view the castor leaves can also provide good food to the silk worms and trees castor are found in abundance in almost all parts of country, I would, therefore, suggest that the Government should conduct research in this matter.

Four types of persons are engaged in this industry. One is who rear the worms and extract raw silk therefrom. The other one spins the silk and the third one convert it into the cloth. Then comes the person of fourth catagory, who sells the cloth and gets the maximum margin of profit. Some restrictions should be imposed on this category of persons. The maximum benefit should accrue to the first category of persons. For this purpose Government can from small committees on village level.

I have come to know that the Government is considering to start some big mills for manufacturing silk cloth. I would say in this connection that it will effect adversely to the handlooms. I would suggest Government should give encouragement to the handlooms in this matte so that maximum people could be benfitted. We should not forget the words of Mahatma Gandhi that we should prefer cottage industry as compared to the big mills.

This industry is now facing its worst days because the Government has not given sufficient encouragement to this industry in the form of subsidy. The weavers are not getting both ends meet. The Board which are going to be created through this Bill should pay more attention and give more encouragement to the weavers. I would also say that some restrictions should be imposed on the big mills and some relief should be given in the excise duty so that weavers could get some encouragement.

The Deputy Minister in the Ministry of foreign Trade (**Shri Chowdhary Ram Sewak**) : I thank the hon.Members who have participated in this debate.

वाराणसी में साम्प्रदायिक दंगों के बारे में

RE : COMMUNAL RIOTS IN VARANASI

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : I want to request the hon.Home Minister through you; Sir, to make a statement on the prevailing situation in the Varanasi as according to the latest news communal riots have broken out there.

श्री शिवनारायण (बस्ती) : वर्तमान स्थिति इन लोगों की ही उत्पन्न की हुई है । यह वहां की सरकार को हटाना चाहते हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : The hon. Minister of Parliamentry Affairs present in the House. He can ask the hon. Home Minister to make a statement in this regard.

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : हम जानना चाहते है कि वहां पर साम्प्रदायिक दंगे होने के क्या कारण है।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : बनारस के साम्प्रदायिक दंगों के बारे में जो समाचार आये हैं वे बहुत चिन्ताजनक हैं। यदि सरकार आज सायंकाल छः बजे से पूर्व अथवा कल सुबह इन दंगों के बारे में कोई जानकारी दे दे तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि कल शाम चार बजे साम्प्रदायिक दंगों के बारे में चर्चा होने वाली है।

श्री मनुभाई पटेल : (डभाई)देश में विधि व्यवस्था की स्थिति पर 26 तारीख को बोलते हुए मैंने कहा था कि प्रधान मंत्री कुछ राज्यों की स्थायी सरकारों को तोड़ना चाहती हैं। अतः राज्यों में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न की जा रही है और सरकार साम्प्रदायिक दंगों को प्रोत्साहन दे रही है ।

Shri Beni Shankar Sharma : (Banka) : I want to know how these riots have started and what are the reasons therefor.

श्री रघुरामैया : मुझे खेद है कि कुछ जिम्मेदार सदस्यों द्वारा यह कहा जा रहा है कि सरकार दंगे करा रही है। मैं इसका विरोध करता हूँ।

Shri Hukam Chand Kachwai : It is right. This is being done to topple the Govenment there.

श्री श्रीचन्द गोयल : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । वाराणसी में गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई हैं । उस नगर में पूरे एक महीने के लिए धारा 144 लगा दी गई है। मेरी जानकारी यह है कि कुछ शरारती लोगों ने एक मन्दिर पर पत्थर फेंके थे। मेरा विचार है कि राजनैतिक उद्देश्य को समक्ष रख कर ही ऐसा किया जा रहा है।

सभापति महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री श्रीचन्द गोयल : हम चाहते हैं कि गृह–कार्य मंत्री अथवा संसद–कार्य मंत्री इस बारे में एक वक्तव्य दें।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण है।

सभापति महोदय : आप स्थान ग्रहण करें। आपका प्रस्ताव यह है कि टेलीप्रिंटर पर जो समाचार आये हैं उसके बारे में आंज शाम छः बजे से पूर्व चर्चा की जाये। ऐसा सम्भव नहीं है। कल देश के साम्प्रदायिक दंगों पर चर्चा होगी उसमें इसको भी शामिल कर लिया जायेगा।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक–जारी

CENTRAL SILK BOARD (AMENDMENT) BILL--Contd..

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Chowdhary Ram Sewak) : In my view there is nothing controversial in this Bill. Only two amendments have been introduced to the effeet that it may now apply to Jammu & Kashmir State and that Comptroller and Auditor General will audit its accounts.

So far as sericulture is concerned India ranked fourth in the world. So far as the production of silk in the country is concerned it has produced 20,47, 22.30 and 23 21 lakh kilogram in 1966, 1967 and 1968 respectively, Some part of it has been exported and some part has been consumed in the country itself

The employment position in respect of silk industry in various states is as under :

Andhra Pradesh	10,000 persons
Assam	9,72 lakh persons
Bihar	1 25 " "
Himachal Pradesh	5,000 persons
Jammu and Kashmir	2.50 lakh "
Madhya Pradesh	48,000 persons
Tamil Nadu	68,000 "
Mysore	13 lakh "
Manipur	8 " "
Orissa	1.14 " "
West Bengal	1.56 " "

Thus in all 32 lakh persons are employed in it. Most of them are poor people. Government is making efforts to from Ceoperative Secieties of these persons employed in silk Industry so that they get their due benefit. There are certain difficulties which are being removed.

'There has been a shortfall in the production of silk during this year in Kashmir. There are certain causes for that. We have written to the State Government in this regard. They are considering over our proposals. We are keen to help the silk producers and weavers so that production could be increased,

So far the question of export is concerned, I want to say that during 1967 silk worth Rs. 342,11 lakh during 1968 worth Rs 550 lakh and during 1969 (up to Octoberf worth Rs. 1037 lakh was exported. I feel that by the end of year our export will be borth Rs. 1200 lakh

एक माननीय सदस्य ने मैसूर में अनुसन्धान केन्द्र के निर्माण के लिए अधिक धन की मांग की है रांची तथा मैसूर में अनुसंधान केन्द्र में निर्माण कार्य हो रहा है। मैसूर के लिए प्रस्ताव पर वित्त मन्त्रालय के साथ परामर्श किया जा रहा है। मुझे आशा है इस बारे में शीघ्र ही निर्णय कर लिया जायेगा।

सभापति महोदय : आप कल अपना भाषण जारी रखें। अब आधे घन्टे की चर्चा आरम्भ होगी।

*पाकिस्तानियों का अजमेर में अवैध प्रवेश
**Illegal Entry of Pakistanis into Ajmer

Shri Raghuvir Singh Shastri (Bagpat) : I want to raise this duscussion in regard to illegal entry of certain Pakistani nationals in Ajmer. They were without valid-visas. The name of Shri Shafi Qureshi our Deputy Minister of Steel is connected with this act. This question was raised here on 19th and then on 21st November. Two eifferent answers were given to the questions on these days. It has been stated in the answers that one Pakistani national named Shri Mir Pir Aziz Hukkani along with his wife and two children came to India from 20th August to 19th November. He went to Ajmer with Shri Qureshi on 31st August. The Pakistani national was asked to show his documents by the Police at Ajmer. He had no documents. He gave an undertaking that he would show papers at Delhi as he had forgotten to take with him. In Delhi it was found that he had no visa to visit Ajmer. The magistrate in Delhi found him guilty of violation of Foreigners Act and fined him Rs. 400/-for that.

A question in this regard was raised in Rajasthan Assembly. There is great difference between the answers given here and in the Rajasthan Assembly are entirely different. It is clear that every effort has been made to dissociate the name of Shri Qureshi from this, It has been said that both of them travelled together.

The Rajasthen Minister of Home Affairs has admitted in the Assembly that the above undertaking was given by Shri Qureshi. It was a written undertaking.

The serious thing about this is that it has come in papers also-the Deputy Minister threatened the Police authorities. He told them: "They are with me. You have no business to ask such questions. I run the Government at the Centre,".

There has been serious violations of Foreigners Act. They were staying with Shri Qureshi, They had visa to visit Kashmir only. This family was an educated family. They very well knew that they were supposed to have visa for visiting Ajmer.

It seems the Deputy Minister taking undue advantage of his position has done this and which is not only improper but against the law of the land. Then the undertaking given by the Deputy Minister was wrong.

Another question is whether Police is competent to allow a person who is guility of breaking the law to go on the undertaking of a Minister. The hon. Home Minister should clarify this.

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri Mohammed Shafi Qureshi) : The hon. Member can say what he likes. He calls every Muslim a Pakistani. I cannot be cowed down by this. He cannot threaten us like that.

---

*आधे घण्टे की चर्चा

**Half an hour discussion

Shri Raghuvir Singh Shastri : I am not threatening him. I have not called him a Pakistani. (Interruptions) Were you not put behind the bars ? Is it wrong ? It is not Ajmer.

Shri Beni Shanker Sharma (Banka) : Those Members who have given Notice should be given a chance to put questions on this issue,

Shri Mohammed Shafi Qureshi : Sir, this allegation is wrong. I want to place the facts before the House. Mir Aziz Hakani is one of those unfortunate Kashmiris who remained in Pakistan held Kashmir after 1947. All his near relatives are in Kashmir. They are nationals of Kashmir. This gentleman came to India after 22 years. He came to meet his relations. He came with the permission of authorities. He went to Kashmir. He stayed with me also. All those Kashmiris who are staying in Pak. held Kashmir and have not given up Indian citizenship are my brothern.

They are not allowed to come to India. This man stayed with me. I can say with pride that I will keep with me all those Kashmiris who come from Pakistan held Kashmir.

This gentleman went to Kishmir. I did not know whether he had valid papers or not. He entered his name in Dargah Register. He gave his nationality as Kashmiri Muslim and stated that he lived in Pakistan. Thereafter police enquiries were made. It is wrong to say that I threatened the police. He was sent before the court and the law took its own course. The allegation levelled by Shri Shastri are absurd ones.

Shri Raghuvir Singh Shastri : He should not use such words here.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : I do not feel I can add more to the information given by Shri Qureshi. The Home Minister of Rajasthan has not said what the hon. Member had said. I have got the proceedings of Rajasthan Assembly with me. The Deputy Minister never threatened the poliee officials. The matter was placed before the court. Mr. Mir confessed his guilt.

He went back to Pakistan on the expiry of the period of visa. It is totally wrong to say that Shri Qureshi took undue advantage of his position. I can say that at no stage the law has been violated,

Shri Beni Shanker Sharma (Banka) : I am against levelling personal allegations. The pilgrims from Pakistan should be provided all facilties at religious places. At the same time I want thank Rajasthan police. They showed courage in dealing with the Deputy Minister, The Deputy Minister should have allowed the police to take action according to the rules. No body doubts Shri Qureshi's sincerely. I want to know as to how far is it correct on his part to interferc in the work of police ?

Shri Rabi Ray (Puri) : There should not be any misunderstanding after what Shri Qureshi has said. We should not doubt the Muslims' loyalty. Our Home Ministry should have humane attitude towards the Foreigners.

He is one of the leaders of our National Movement and also our guest. He should not be made to feel that the personnel of the Intelligence Department of the Government of India are harassing him. I think the Minister of Home Affairs will take some steps in this direction.

Shri Shiv Chandra Jha : The Hon. Minister, while replying to the question said that there was no endorsement for Ajmer. I want to know whether it is necessary to get ones, visa endorsed for every place one visits after coming to Delhi. This is not the case in other countries; it is my personal experience.

Mp second question is about the people arrested in Ajmer. I would like to know whether they were arrested by the Police or by the Immigration authorities.

Now I put my third and the last question. The Hon. Minister has said that although Azad Kashmir is in Pakistan yet people of that area belong to us. Keeping this thing in view, will he take steps to further liberalise the immigration law ?

श्री इन्द्रजीत मलहोत्रा : मेरा बहुत सीधा किन्तु बुनियादी प्रश्न है और उसका 75 प्रतिशत तो कहा ही जा चुका है। मैं, गृह कार्य मन्त्री से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। भारत के विभिन्न स्थानों की यात्रा के लिए वीजा देते समय पाकिस्तानी नागरिकों और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के निवासियों में क्या कोई अन्तर किया जाता है ?

Shri Vidya Charan Shukla : Shri Sharma has asked the first question that these people were not having endorsement for Ajmer, then why did the Deputy Minister say that he would verify the papers in Delhi and would inform the authorities afterwards. I do not see anything objectionable in it. Had those papers been available at that place he would have scrutinised them and action would have been taken accordingly When the Hon. Deputy Minister himself was not aware of the endorsement, How could he take any action. On scrutiny, the papers were found to be defective and authotities were informed of this fact. A case was filed in the court and the decision was honoured,

Shri B. S. Sharma : Is it not usurping of the authority ?

Shri Vidya Charan Shukla : There is no question of it. It would have been improper for the Deputy Minister to act in this way if he had been aware of the facts, But in the present case I do not find anything objectionable.

Shri Jha has asked about the visa rules. Normally rules are the same as have been mentioned by him, but this rule has been specially framed. Indian Nationals, visiting Pakistan are not allowed to visit any other city or cities except those which are on the visa papers. Similar restrictions are imposed on Pakistanis visiting India.

So far as the question of libaralisation of policy is concerned, I am in full agreement with my friend. We are going all that is possible. We should not stand in the way of those people who consider themselves Indians. Rather we should encourage those people. I, therefore, fully support the policy of liberalisation.

श्री अब्दुल गनीदार : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है।

सभापति महोदय : सभा कल 11 बजे म० पू० तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक सभा गुरुवार 4 दिसम्बर, 1969/13 अग्रहायण, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, the 4th December, 1969/13 Agrahayana 1891 (Saka).

डायमण्ड प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर–3